(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 4] षष्ठम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का दसवां दिवस [संख्या 7

शुक्रवार

दिनांक 13 अक्टूबर, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11–00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन !

अलवर में उद्योगों हेतु जमीन का आवंटन

72. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर स्थित पुराने इंडस्ट्रियल एरिया एवं मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने उद्योगों को जमीन आवंटित की गई है ? दोनों क्षेत्रों की अलग से सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन उद्योगों में से कितने यूनिट चल रहे हैं और कितने बन्द हैं ?

(3) क्या यह सच है कि इन बन्द उद्योगों में अलाटी, उद्योगों के लिये आवंटित जमीन को खेती के काम में ले रहे हैं ?

(4) अगर हां, तो क्या राज्य सरकार उन आवंटियों से जमीन वापस लेने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी) : (1) अलवर स्थित पुराने इंडस्ट्रियल एरिया एवं मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में कुल 133 उद्योगों को भूमि आवंटित की गई है। दोनों क्षेत्रों की अलग अलग सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन उद्योगों में से 63 उद्योग चल रहे हैं और 7 चल कर बन्द हो गये हैं। शेष या तो चालू नहीं किये जा सके या निर्माणाधीन हैं।

(3) इन उद्योगों द्वारा आवंटित भूमि को खेती के काम में नहीं लिया जा रहा है।

(4) चूंकि बन्द उद्योगों द्वारा भूमि खेती के काम में नहीं ली जा रही है अतः आवंटियों से भूमि वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं उनकी आज भी हजारों बीघा जमीन आर.आई.एम.डी.सी. ने ले ली है लेकिन उस पर कोई उद्योग नहीं लगा रखा है···

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या यह सही है कि 15 प्रतिशत सब्सिडी उद्योगों को दी गई ?

Page No 2

(2)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस बारे में सूचना प्राप्त करके आपको दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अगर भूमि का सही उपयोग नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां, यह आप पूछ सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा यह सवाल था कि कितनी भूमि आवंटित की ? आवंटन की कौन कौन सी शर्तें थीं ? जिन्होंने शर्तों की अनुपालना नहीं की उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : 63 उद्योग चल रहे हैं 133 में से और 7 बन्द हो चुके हैं, जो बाकी रहे उनकी क्या स्थिति है, यह आपको खुद को मालूम नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरे पास समस्त सूचना है।

श्री अब्दुल अजीज : आपको समस्त सूचना होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं कि सभी सूचना होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न यह था कि जब भूमि आवंटित की जाती है उस समय शर्तें लिखी जाती हैं अगर वे शर्तों की अनुपालना नहीं करते हैं तो भूमि कैंसिल की जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उद्योग मंत्री...

श्री मूलचन्द डागा : हमारे प्रश्न का जवाब आने दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे उत्तर से स्पष्ट है 63 उद्योग तो चल रहे हैं। शेष निर्माणाधीन हैं या बन कर तैयार हो चुके हैं और चालू होने वाले हैं। केवल 7 उद्योग बन्द हुए हैं जिनको हम सिक यूनिट मानते हैं। जैसा कि माननीय शिवचरण जी ने ध्यान आकर्षित किया कि ऐसी यूनिटों को 15 प्रतिशत सब्सिडी मिल जाय, इस पर सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन उद्योगों पर कितना इन्वेस्टमेन्ट आया है ?

श्री मूलचन्द डागा : मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं कि भू-खण्ड आपने आवंटित किये वह किन शर्तों पर किये ? उन शर्तों की अनुपालना नहीं होने पर कैंसिलेशन की कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस पर व्यापक रूप से उद्योग विभाग से सर्क्यूलर के द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं कि जिन शर्तों पर भूमि आवंटित की उसमें से किसी शर्त का उल्लंघन होता हो तो कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल आर. आई. एम. डी. सी. का है। यह गलत कह रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसमें आर. आई. एम. डी. सी. भी शामिल है।

श्री मूलचन्द डागा : ये जो औद्योगिक बस्तियां हैं उनमें आर. आई. एम. डी. सी. को आपने जमीन कैसे अलाट कर दी ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : आपने 133 उद्योगों को भू-खण्ड आवंटित किये। तो पहला तो मेरा यह प्रश्न है कि यह अलाटमेंट कब हुआ ? अलाटमेंट हुए कितना समय हो गया ? दूसरा आपने बताया 63 चल रहे हैं शेष में से 7 बन्द हो गये। तो ये 63 जो लगाये जा चुके हैं इन्हें किस रूप में काम में लाया जा रहा है ? इसका ब्योरा पूरी तरह से

श्री अध्यक्ष : 64 काम कर रहे हैं जवाब तो आ गया। 63-64 जो भी हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उद्योग मंत्री जी ने 7 उद्योगों के लिये बताया कि बन्द पड़े हैं, तो उनकी जमीन क्या खेती के काम में लायी जा रही है ? यदि ऐसा है, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : कहां कह रहे हैं।

नैक्स्ट। श्रीमती नारंगी देवी !

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था वह आपकी अनुमति से पूछा था। यह कोई तरीका नहीं है कि उत्तर नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी अगर उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं फर्मा दिया कि इसका उत्तर दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं कि उनकी जमीन पर खेती हो रही है तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

प्रश्न संख्या 73

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये।)

श्री हरिसिंह।

उदयपुर विश्वविद्यालय के निवर्तमान उप-कुलपति के विरुद्ध जांच

74. श्री हरिसिंह (फुलेरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के निवर्तमान उप-कुलपति डाक्टर लाम्बा द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या यह जांच पूर्ण हो गई है ?

(2) यदि जांच पूर्ण हो गई है, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : यह प्रश्न शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां पर सूचना 7 तारीख को पहुंच गई। मैंने एजूकेशन विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का संबंध शिक्षा विभाग से है।

श्री गुलाबसिंह कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर पूछा गया था उसकी रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग से सम्बन्धित नहीं है ?

श्री दिग्विजयसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय।

प्रश्न संख्या 75

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 76

श्री वृद्धिचन्द जैन !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री नवरंग सिंह !

झुंझुनू जिले में अतिवृष्टि से क्षति

77. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राज्य के झुंझुनूं जिले में फसल को कितना नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस जिले में इस वर्ष औसतन रिकार्ड से अधिक वर्षा हुई है ? क्या कृषि विभाग इस अधिक वर्षा को देखते हुए भविष्य के लिए कौन कौन सी फसल उपयुक्त रहेगी इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या एवं कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य में अब तक कोई रबी एवं खरीफ की फसलें बोने के बाबत सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब एवं क्या ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) इस वर्ष बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राज्य के झुंझुनूं जिले में बाजरा में 60% व दलहनी फसलों में 60 से 75% तक क्षति होने का अनुमान है।

(2) जी हां। जिले की औसतन वर्षा 343 मिली मीटर के विरुद्ध इस वर्ष अनुमानतः 781 मिली मीटर वर्षा हो चुकी है। अधिक वर्षा को देखते हुए उस क्षेत्र में आगामी फसलों के लिए भूमि परीक्षण करके क्रापिंग पैटर्न हेतु सुझाव देने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है।

(3) जी नहीं।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो कमेटी गठित की गई है, उसके सदस्य कौन हैं ? दूसरे जो बाजरे की फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है। अभी तक इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि कौन से टाइम में कौन सी फसल बोई जाएगी। क्रापिंग पैटर्न का सर्वेक्षण अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि उत्तर में कहा है, सर्वेक्षण नहीं किया गया है। उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है वह जानकारी करके राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी।

जहां तक बाजरे की फसल में बीमारी का सवाल है, इससे काफी बाजरा नष्ट हो रहा है। प्रायः बाजरा वहां से समाप्त होता जा रहा है। कमेटी पता चलायेगी कि इसको

(श्री दिग्विजय सिंह)

कैसे रोका जा सकता है। कमेटी का गठन इस प्रकार किया गया है :

(1) जोइण्ट डायरेक्टर एग्रीकलचर चैयरमैन
(2) डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर (एक्सटेन्शन) सदस्य
(3) डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर सदस्य
(4) असिस्टेन्ट प्लांट प्रोटेक्शन आफिसर (रीजनल) सदस्य
(5) असिस्टेन्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सदस्य
(6) एग्रोनामिस्ट, वाटर यूटिलाइजेशन संयोजक-सचिव

श्री नवरंगसिंह : यह कमेटी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो कमेटी गठित की गई है, वह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ? कब तक रिपोर्ट दे देने की सम्भावना है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आगामी खरीफ की फसल के पहले ही रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी जायेगी ताकि अगली फसल कौन सी बोयें यह स्पष्ट किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): सरकार के ध्यान में सर्वप्रथम झुंझुनूं जिला ही लाया गया है। पूरे राजस्थान में बाजरे की फसल नष्ट हो रही है। मन्त्री महोदय ने उसके लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, रिसर्च कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सर्वेक्षण का काम जारी है।

श्री दिग्विजयसिंह : सैलाइनिटी ट्रीटमेण्ट करके किया जाये तो पता चल जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला सिंह।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह नाम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह। निर्मलासिंह तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी थीं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या कृषि मन्त्री जी को यह पता है कि अतिवृष्टि के कारण सारी फसल नष्ट हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार चने के बीज की व्यवस्था करेगी ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर चने का बीज उपलब्ध करा दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, चने का बीज उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से झुंझुनूं के लिये कमेटी बनाई गई है, उसी प्रकार से क्या मन्त्री महोदय राजस्थान के और क्षेत्रों के लिए भी बनायेंगे?

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी गठित की गई है, उसके विचारणीय विषय क्या होंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके टर्म्स आफ रैफरेन्स इस प्रकार होंगे :-

(1) To survey the areas affected by excessive rains floods.

(2) To study the change in topography or soils due to floods.

(3) To suggest cropping pattern in the long range and especially during Rabi 1978-79.

(4) To suggest soil and water conservation measures to redress the damaged lands.

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बार कोटा, बूंदी, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में अनावृष्टि के कारण भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। क्या मंत्री महोदय कृपा करके वहां केलिए कोई व्यवस्था करेंगे ? वहां पहली बार अकाल की स्थिति आई है। 50 सालों में पहली बार अकाल की स्थिति आई है । क्या मन्त्री महोदय, वहां तुरन्त सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बाजरा राजस्थान में बोने के लिए दिया गया था, वह सरकार की ओर से दिया गया था। वह बाजरा डिफेक्टेड था । उसकी वजह से ही यह नुकसान हुआ है । इसकी जिम्मेदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट की है। जिनको इस बीमारी के कारण से नुकसान हुआ है उनको क्या सरकार कोई मुआवजा देने का इरादा रखती है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बीज महाराष्ट्र से दो तीन साल पहले आया था वह डिफेक्टिव था। उसकी यहां सोयिंग होती रही। जहां तक राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति करने का सवाल है, राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह स्वीकार कर चुके हैं कि काश्तकारों को सरकार की ओर से बीज बोये जाने के लिए दिया गया था । इसलिए जो हानि हुई है, सरकार के द्वारा उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने बीज खराब दिया है, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री खंगारसिंह (खारची) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह बीज जबर्दस्ती काश्तकारों को दिया गया था । अगर उनको लोन लेना है, खाद लेनी है तो बीज लेना पड़ेगा, इस प्रकार के आदेशों के द्वारा जबर्दस्ती बांटा गया है । काश्तकारों को लेने के लिए मजबूर किया गया । पांच

Page No 7

(7)

(श्री खंगारसिंह)
सालों से काश्तकारों की फसल नष्ट हो गई है।

श्री शिवचरणसिंह : आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि गुजरात से पहले डिफेक्टिव बीज आया है, तो इस वर्ष भी महाराष्ट्र और दूसरी जगहों से बीज आया है।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मन्त्री महोदय ने स्वयं माना है कि दोषपूर्ण बीज आया, मैं यह पूछना चाहूँगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां से जो बीज आया था वह सर्टिफाइड और टेग्ड था उसको अधिकारियों ने बांटा है। वह इसमें कहां दोषी हैं । जो बीज आया था वह सर्टिफाइड और टेग्ड होकर आया इसलिए मैं उनको दोषी नहीं समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री रामसिंह विश्नोई ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल बाजरे के बीज का ही नहीं है...

(व्यवधान)

इस तरह से सर्टिफाइड बीज के नाम पर...

(व्यवधान)

इसके लिए सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी या किसान यों ही बरबाद होते जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : मान्यवर, राजस्थान के 70 लाख किसान इस हाईब्रिड सीड से प्रभावित होकर दो साल से तबाह हो गये। जो बीज सरकार ने बांटा वह डिफेक्टिव की वजह से किसान बरबाद हो गये। क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने और किसानों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है ? आगे के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बात कही है मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां से अब कोई बीज नहीं मंगाया गया है, जो भी आया था वह आपके शासन में आया था। उसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालें यह उचित नहीं है। अब हम उसका प्रचार भी नहीं कर रहे हैं और न काश्तकार को उसके लिए कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : इस तरह का जो बीज खराब आया जिससे किसानों के खेत खाली हो गये...

(व्यवधान)

सरकार इसका परमानेन्ट सोल्यूशन करने के लिए क्या विचार कर रही है ? हर साल इससे खेत के खेत बरबाद हो जाते हैं। कहीं ऐसी स्थिति नहीं आ जाय कि किसानों का एग्रीकल्चर विभाग के बीजों से ही विश्वास उठ जाय।

एक माननीय सदस्य : उठ गया ।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा पर बाद में कभी विचार करने के लिए स्थगित कर दूं · · ·

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप जैसा आदेश देंगे · · ·

श्री अध्यक्ष : आप कहें तो ।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्पेसिफिकली झुन्झुनूं जिले के लिए था ।

(व्यवधान)

फिर भी आप जैसा मुनासिब समझें ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बीज कांग्रेस के राज में आया था।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको आधे घंटे की चर्चा के लिए स्थगित करता हूँ ।

(व्यवधान)

नैक्स्ट । श्री रामसिंह विश्नोई ।

राजस्थान में टिड्डी दल का प्रकोप

78. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टिड्डी दल के आगमन की सूचना राज्य में सबसे पहले कब प्राप्त हुई और उसके बाद राज्य सरकार के टिड्डी नियंत्रण विभाग व कृषि विभाग ने टिड्डी नियन्त्रण हेतु क्या उपाय किये व टिड्डी नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार व विभागों का वाहन, मरम्मत, पैट्रोल व औषधियों के लिए तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के यात्रा भत्ता आदि में कुल कितना व्यय हुआ ? अलग-अलग ब्यौरेवार आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि अगर स्थानीय टिड्डी नियन्त्रण व्यवस्था राजस्व विभाग या पंचायत समितियों या स्थानीय कृषि अधिकारी के जिम्मे ही अपने-अपने क्षेत्र का कार्य सौंप देते तो जो लाखों रुपये फिजूलखर्च हुए हैं उससे बचा जा सकता था ?

(3) क्या यह सही है कि लाखों रुपयों का पैट्रोल व कीटनाशक दवाइयां जैसलमेर, पोकरण आदि इलाकों के संबंधित कर्मचारियों द्वारा ब्लैक में बेची गई ? यदि हां, तो भविष्य में फिजूलखर्ची से बचने के लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) राज्य में टिड्डी दल के आगमन की सूचना निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर से दिनांक 10-6-78 को प्राप्त हुई । इससे पूर्व विदेश के भू-मध्यसागर क्षेत्र में टिड्डी दल की हलचल एवं देश व राज्य में भी दलों के आगमन की संभावना की सूचना भारत सरकार के माध्यम से मार्च, 78 में प्राप्त होने पर विभाग ने राज्य के समस्त जिलाधीशों एवं समस्त जिला कृषि अधिकारियों को टिड्डी दल के प्रति सजग रहने एवं नियन्त्रण कार्य अपनाने हेतु मशीनरी को गतिशील करने के निर्देश दे दिये थे ।

(श्री दिग्विजयसिंह)

चूंकि टिड्डी दल का प्रकोप राज्य के निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं नागौर जिलों में ही हो रहा है अतः नियन्त्रण कार्य हेतु वाहन मरम्मत, पैट्रोल, औषधियां इत्यादि पर पूर्ण खर्च की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होने के कारण उन्होंने ही किया है। राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में नियन्त्रण कार्य हेतु वाहनों एवं कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं। वाहन पर भी पैट्रोल का खर्चा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के यात्रा भत्ते पर हुए खर्च का ब्यौरा कार्य समाप्ति पर ही दिया जाना सम्भव है।

(2) राजस्थान राज्य को टिड्डी नियन्त्रण कार्य हेतु दो भागों में विभक्त किया गया है:—

1. निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र, 2. निर्धारित खेतिहर क्षेत्र।

निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डी नियन्त्रण कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के टिड्डी निरोधक संस्था पर एवं निर्धारित खेतिहर क्षेत्र में राज्य सरकार के कृषि विभाग पर है। निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डी निरोधक संस्था राजस्व विभाग, पंचायत समिति, कृषि विभाग एवं अन्य स्थानीय सभी विभागों का पूर्ण सहयोग लेकर कार्य करवाती है। तथा खेतिहर क्षेत्र के जिलों में कृषि निदेशक राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर राजस्व विभाग, विकास विभाग एवं अन्य विभागों के पूर्ण सहयोग से टिड्डी नियन्त्रण कार्य करवाता है। राजस्व विभाग, पंचायत समिति एवं कृषि अधिकारी का इस कार्य हेतु पूर्ण सहयोग लिया जाता है। टिड्डी नियन्त्रण-कार्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्था केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के परामर्श पर भी की गई है।

(3) जैसलमेर, पोकरण आदि इलाकों के पैट्रोल व कीटनाशक दवाइयां सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ब्लैक में बेचे जाने के बारे में विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं है, क्योंकि सम्बन्धित इलाकों में कीटनाशक दवाइयों के क्रय एवं खपत, पैट्रोल की खरीद इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्रीय टिड्डी निरोधक संस्था की है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूछा, उसकी जानकारी तो एक भी नहीं दी।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि टिड्डी के दल की स्पीड क्या है? सूर्यास्त के बाद में वह उड़ती नहीं हैं और सूर्य उगने के साथ ही खाने के लिए रवाना हो जाती हैं। यह बतावें कि कहां कहां पर टिड्डी दल ने पड़ाव डाला? इसके अलावा आपने इसके नियन्त्रण के लिये क्या उपाय किया? केवल केन्द्रीय सरकार पर ही आपने जानकारी देकर जिम्मेदारी डाल दी है। टिड्डी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया पैट्रोल और दवाइयों में खर्च किया गया है उसकी अनियमितताएं आपको मालूम नहीं हैं...

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कल टिड्डी दल के बारे में मैंने विस्तार से कह दिया था और जानकारी दी

Page No 10

(10)

(श्री दिग्विजय सिंह)

थी, फिर भी आपने रेगिस्तानी इलाके के बारे में पूछा है और चार्ज लगाया है कि लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी जिलों में टिड्डी दल का कन्ट्रोल और आपरेशन भारत सरकार करती है और उसके ही माध्यम से दवाइयों और पैट्रोल की खरीद होती है, वह ही वितरित करती है। इसलिये राज्य सरकार यह कहने में सक्षम नहीं है कि कोई घोटाला हुआ या नहीं। फिर भी आपके पास यदि कोई सूचना है कि लाखों का घोटाला हुआ है, तो आप राज्य सरकार को जानकारी दे दें। हम भारत सरकार को भेज देंगे।

श्री शिवचरण सिंह : आपको यह तो जानकारी है ही कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी टिड्डी दल आ गया ?

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टिड्डी दल का जो प्रश्न है, उससे राज्य सरकार भी चिन्तित है और भारत सरकार भी इस सम्बन्ध में चिन्तित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का एग्रीकल्चर प्राडक्शन कमिश्नर पाकिस्तान भी गया था और पाकिस्तान के अपने काउन्टर पार्ट से इस सम्बन्ध में बात की थी। उनसे कहा था कि टिड्डी दल के मूवमेंट के बारे में हमें इत्तला करें। जो भी कार्यवाही टिड्डी दल को रोकने की हम कर सकते थे, वह हमने की है हमारे प्रयासों के बावजूद भी टिड्डी दल आ रहा है, इसकी सम्भावना से हम इन्कार नहीं कर रहे हैं। बाकी राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में पूरे प्रयत्न कर रही है और करेगी, और भारत सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि अपनी पूरी मशीनरी लगाकर टिड्डी दल की रोक-थाम करें।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : समय रहते हुए टिड्डी दल को खतम नहीं किया गया। अब काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जालौर जिले में भी टिड्डी दल ने प्रवेश कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह चुके हैं और इसके बारे में कल खुल कर चर्चा भी हुई है इस सदन में।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कुछ नहीं हुई, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : आज भी एक सरकारी वक्तव्य टिड्डियों के बारे में आयेगा, इसलिये इस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़िये।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : हकीकत यह है, अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान अबकी बार हुआ है, इतना नुकसान आज से पहले कभी नहीं हुआ। आपने यह कह दिया कि टिड्डी दल का सफाया कर दिया है हमने...

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने यह नहीं कहा था कि हमने सफाया कर दिया...

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोशिश कर रही है ?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जिन जिलों में टिड्डी दल रोकने का कार्य राज्य सरकार के जिम्मे है, वहां भी टिड्डी दल प्रवेश कर गया है। आपके पास कितनी टीम्स हैं, क्या मशीनरी है और किस प्रकार से आप उनका पीछा करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कल विस्तार से बात हो चुकी है।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आया था और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था, लेकिन आपकी अकर्मण्यता और आलस्य के कारण राजस्थान के किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने कोई कार्यवाही नहीं की और भारत सरकार को सूचित तक नहीं किया।

(व्यवधान)

आपकी अकर्मण्यता के कारण रेगिस्तान के किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह एक नेचुरल केलेमिटी है, तो सरकार जैसे बाढ़ और अकाल से होने वाले नुकसान को सहन करती है उसी प्रकार इससे हुए नुकसान को सहन करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : क्या मंत्री महोदय टिड्डी दल से हुए नुकसान को नेचरल केलेमिटी में शुमार करेंगे और उस आधार पर, जितना भी नुकसान हुआ है, उसको कम्पेन्सेट करेंगे जैसे फेमिन और फ्लड में किया जाता है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : पिछली सरकार की इस बारे में क्या परम्परा रही है, उसको देखकर हम भी करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : गुजरे बारह पन्द्रह साल में तो कोई टिड्डी दल आया नहीं यह तो जनता पार्टी की देन है कि टिड्डियां आई हैं।

एक माननीय सदस्य : टिड्डियां आई हैं। और सारे खेतों को चौपट कर दिया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मुख्य मंत्री हर प्रश्न पर पुरानी परम्पराओं की बात कह कर जवाब देते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या पिछली सरकार टिड्डियों की नसबन्दी करने में असफल रही ?

श्री रामनारायण चौधरी : कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने टिड्डी दल को नष्ट करने के लिये यथेष्ट कार्यवाही की। मेरा निवेदन है कि यथेष्ट कार्यवाही नहीं की। इनको खतम करने के लिये हवाई जहाज से दवाइयां छिड़कनी चाहिये थीं, लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। जहां जहां टिड्डी दल का पड़ाव हुआ था, वहां वहां राजस्थान सरकार को हवाई जहाज से दवाइयां छिड़क कर उनको नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिये थी, जो उसने नहीं की।

श्री दिग्विजय सिंह : राजस्थान सरकार ने टिड्डी दल को नष्ट करने के लिये पूरी कार्यवाही की है।

शराबबन्दी क्षेत्रों में देशी व विदेशी शराब की दुकानें

79. श्री **मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शराब बंदी क्षेत्र में देशी तथा विदेशी शराब की दुकानें सब डिवीजन क्षेत्र में खोलने का मंत्रिमंडल ने निश्चय किया है ? यदि किया है, तो क्या यह शराब बंदी की योजना को असफल करने का कदम नहीं है ?

(2) यदि परमिट प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ही कदम उठाया गया है, तो क्या उन्हें सदा के लिए शराबी रखना ही राज्य सरकार का इरादा है ?

(3) क्या यह सही है कि 30 वर्ष की आयु वाले को शराब बन्दी क्षेत्र में शराब पीने का परमिट देने की व्यवस्था है ?

(4) क्या राज्य सरकार की दृष्टि में 30 वर्ष की आयु में ही वह शराब का इतना आदी हो जाता है कि उसे परमिट देना जरूरी हो जावे ?

(5) क्या राज्य सरकार परमिट देने की आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

आबकारी मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) जी हां। जी नहीं।

(2) जी नहीं। यह कदम शराब के आदी लोगों के स्वास्थ्य तथा विदेशी पर्यटनों की सुविधा हेतु उठाया गया है। परमिट केवल विदेशी पर्यटकों को तथा शराब के आदी लोगों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिये जायेंगे। परमिट एक साल से अधिक के लिए एक बार में नहीं दिया जायेगा। इसके बाद स्थिति पर विचार कर यदि आवश्यक होगा तभी आगे परमिट दिया जायेगा।

(3) वर्तमान में केवल 30 वर्ष से अधिक आयु वालों को ही शराब बंदी क्षेत्रों में शराब का परमिट चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया जा सकता है।

(4) नहीं। केवल मात्र 30 वर्ष की आयु हो जाने के कारण ही मदिरा का परमिट नहीं दिया जाता है। चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक होने पर ही परमिट देने का प्रावधान है।

(5) फिलहाल यह मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी की यह घोषणा है कि 1 अप्रैल, 1979 से शराबबंदी हो जायेगी और दूसरी ओर केबिनेट के द्वारा जिन जिलों में शराबबंदी थी वहां अंग्रेजी और देशी दोनों तरह की शराब की दुकानें खुलवाने का निश्चय किया गया है। क्या आपको शराबी की ज्यादा चिंता है या शराबबंदी की ज्यादा चिन्ता है ? यह बतायें। शराबबंदी में इतनी अटूट श्रद्धा है तो यह निर्णय करते कि जो सरकारी कर्म-

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
चारी जिस जिस शराबबंदी क्षेत्र में शराब पीते हैं उनको राज्य की नौकरी से अलग किया जायेगा और एम.एल ए. और एम.पी. को भी अलग किया जायेगा। एक तरफ शराबबंदी की घोषणा और दूसरी तरफ केबिनेट द्वारा यह निर्णय दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं क्या? कृपया इसका उत्तर बतायें।

(व्यवधान)

श्रीमान्, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपका समर्थन चाहिए। अगर शराबबंदी मेरे बल पर होती तो चुप हो जाता। मैं तो आप लोगों के बल पर कूदता हूं।

श्री **बालचन्द आर्य** (डग): मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि कितने एम.पी. और एम.एल ए. शराब पीते हैं? क्या वह अपने आचरण से शराबबंदी करने में सहयोग देंगे?

श्री **अध्यक्ष**: पहले भी यह प्रश्न आया है और सब बातें कही गयीं। फिर पुनरावृत्ति हो रही है। प्रश्नकर्ता पूछ लीजिए।

श्री **मनोहरसिंह मेहता**: एक साथ जवाब नहीं आयेगा। मैं पूछूंगा जरूर मगर खण्डवार पूछूंगा और सब के बल पर पूछूंगा।

श्री **आदित्येन्द्र**: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न उठाया है यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए यह जो मंत्रिमण्डल का निर्णय है यह शराबबंदी मण्डल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से काफी विचार विनिमय के बाद लिया गया। उन्होंने इस चीज को माना है कि जिन जिलों में शराबबंदी है उन जिलों में अभी तक केवल विदेशी मदिरा की दुकानें थीं और विदेशी मदिरा के ही परमिट दिये जाते थे, लेकिन विदेशी मदिरा काफी महंगी मिलती है और देशी मदिरा उससे कहीं सस्ती है और जब यह देखा गया ऐसे आदमी भी हैं जो विदेशी मदिरा के पैसे नहीं दे सकते हैं और अगर उनका कोई प्रबंध नहीं किया गया तो वह अवैध शराब मिलेगी उसको पीयेंगे, और अगर अवैध शराब पीयेंगे तो उससे बहुत नुकसान भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इन तमाम चीजों का ध्यान रखकर उनसे काफी विचार विनिमय करने के बाद ऐसा निर्णय लिया गया था। इससे मेरा यह विश्वास है कि शराबबंदी में और उसकी क्रियान्विति में काफी सफलता मिलेगी।

श्री **मनोहरसिंह मेहता**: अध्यक्ष महोदय जब कांग्रेस के राज्य में 8 जिलों में शराबबंदी थी तो क्या उन जिलों में शराब की दुकानें थीं...

कुछ माननीय सदस्य: नहीं।

श्री **मनोहर सिंह मेहता**: और अगर नहीं थीं तो आपको शराबियों का क्यों इतना दुःख हुआ कि उपखण्ड में भी दुकानें खोल दीं और वह भी देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की? दूसरी बात, आपने जो 30 वर्ष की आयु रखी है क्या आपकी निगाह में 30 वर्ष में आदमी इतना अडिक्ट हो जाता है कि उसको शराब देना लाजिमी होगा? क्या इसकी आयु 55 वर्ष करेंगे? दूसरा, जो आपने उप जिले का निर्णय लिया है उसको बदलकर क्या जिला हैडक्वार्टर में ही दुकानें रखेंगे?

श्री बालकृष्ण थानवी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान मंत्रिमण्डल के कितने सदस्य शराब पीते हैं ? क्या जो परमिट देने की बात है उससे भ्रष्टाचार नहीं होगा ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि डाक्टरी सर्टिफिकेट के ऊपर परमिट दिया जायेगा तो क्या ऐसे सर्टिफिकेट गैर शराबी डाक्टर से ही लाने की बात करेंगे ? नहीं तो क्या होगा कि शराब पीने वाला डाक्टर सर्टिफिकेट देने के समय शराब की बोतल ले लेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जो ठेके अप्रैल में दिये जाते हैं उसके पैसे तय होते हैं कि इतने का ठेका होगा लेकिन जहां दुकानें बंद कर दी जाती हैं तो उसके स्थान पर वह ठेकेदार चार-चार दुकानें खोलता है। इसको देखनें का प्रयत्न करेंगे कि ठेकेदार ने कितने पैसे का ठेका लिया और कितनी दुकानें खोलीं ? नम्बर दो, मेरा प्रश्न यह है कि आपातकालीन स्थिति में शराब की दुकानें खोली गईं, जो पिछला नियम था कि कालेजों के पास, मन्दिर और मस्जिद के पास दुकानें नहीं खुलेंगी, कच्ची बस्तियों, और गन्दी बस्तियों, और जो स्कूल हैं, मन्दिर हैं, मस्जिद हैं इनके पास भी शराब की दुकानें खोलने का नियम नहीं था लेकिन उसको बदलकर वहां भी खोली गयीं····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामाकुमारी !

श्रीमती श्यामाकुमारी (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या बिल्ली हज करके आ जाये तो उसके सब पाप धुल जाते हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने जो परमिट की व्यवस्था की है वह तो आपके सोचने की बात है लेकिन, अध्यक्ष महोदय मेरा एक सुझाव है और आपको पहले भी एक सुझाव दिया था कि शराब को बिल्कुल बन्द करके बीयर सस्ते दामों पर दी जाये। मेरा यह सुझाव नहीं माना।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि जिस तरह से चीनी का परमिट मिलता है उसी तरह जहां शराब बन्दी है वहां पौआ या अद्धा से ज्यादा नहीं दिया जाये। जहां ड्राई एरिया है वहां यह व्यवस्था कर दें। परमिट कांग्रेस के टाइम में नहीं मिलता था, आज भी नहीं होना चाहिए··

एक माननीय सदस्य : आपको तो परमिट मिल जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से शराबबन्दी का केबिनेट ने निर्णय लिया क्या उसी प्रकार से केबिनेट

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
यह निर्णय लेने वाली है कि कोई भी शराब पीयेगा वह नौकरी से अलग किया जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह ।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिन जिलों में शराब बन्दी हो चुकी है वहां और दवाई कोई नहीं है जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके ?

दूसरा, मेरा यह निवेदन है अध्यक्ष महोदय, क्या सार्वजनिक स्थानों से शराब की दुकानें हटाई जायेंगी ? मेरा यह स्पेसिफिक
7 सवाल है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही इम्पार्टेन्ट सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिस दिन से शराब बन्दी की है, शराब न मिलने के कारण कितने केसेज मृत्यु के हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि शराबबन्दी के पीछे यह भावना तो नहीं है कि शराब चूल्हे-चूल्हे पर पहुंचा दी जाये ? शराब बन्दी के पहले लोगों को ठेके पर जाना पड़ता था मगर शराबबन्दी के बाद अब बिल्कुल चूल्हे पर पहुंचा देंगे । दूसरा, क्या वित्त मंत्री जी ने शराब पीकर देखी है ? यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ जाने दीजिये । इस पर फिर चर्चा नहीं होगी । आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं एक सुझाव देना चाहूंगा . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको नहीं कहा । मंत्री महोदय से कहा है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें कृपया ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान्यवर क्या आपने किसी देश के अन्दर इन्सान के खाने पीने पर . . .

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री दूलाराम (रायसिंह नगर) : महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ लेने वाले . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शासन पैरों पर है । माननीय सदस्य ।

मंत्री महोदय ।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेहता साहब ने एक प्रश्न उठाया है और उन्होंने कुछ शंकायें व्यक्त की हैं । मेरा यह कहना है कि जो ड्राई एरिया है, जिन जिलों में पूर्ण शराबबन्दी लागू है उन जिलों में ठेकेदार की जहां दुकानें नहीं हैं वहां पर दुकानें गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा

श्री आदित्येन्द्र)

चलाई जा रही हैं। गंगानगर शुगर मिल्स को इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स हैं कि केवल उन लोगों, जो परमिट होल्डर्स हैं और जिन्हें परमिट केवल मेडिकल ग्राउन्ड्स पर दी गई हैं, को निश्चित मात्रा में शराब देनी है। इसलिए वहां पर किसी प्रकार के स्मगलिंग का या किसी प्रकार की चोरी का कोई डर नहीं है। जहां तक सवाल है परमिट व्यवस्था का, अब तक परमिट व्यवस्था में कुछ कमियां थीं लेकिन वर्तमान सरकार ने उन कमियों को दूर किया है और परमिट व्यवस्था में यह सुधार किया है कि कमेटी में केवल डाक्टर ही नहीं होंगे। कमेटी के तीन सदस्य होंगे। डाक्टर होगा। एक एक्साइज का प्रतिनिधि होगा और एक शराबबन्दी मण्डल जिनको नोमीनेट करे वह स्पेशल वर्कर होगा।

श्री मदनसिंह दांता : यह और भी पाप है उसके हाथ से शराब दिलाते हैं।

श्री आदित्येन्द्र : और दूसरी बात यह है कि जहां तक दुकानों का सवाल है जो मस्जिदों, मन्दिरों के पास हैं, शिक्षण संस्थाओं के पास हैं या मजदूर बस्तियों के पास हैं उनके संबंध में कई प्रकार की शिकायतें आई हैं। जहां जहां बहुत जरूरी समझा गया है वहां से उन दुकानों को हटा दिया गया है। इसके लिये भी यह नियम बना दिये गये हैं कि कमेटी में सोशल वर्कर जरूर होगा और वह अपनी राय जरूर देगा। वह और दूसरा एक्साइज का आदमी है वह एकमत हो जाते हैं तो वह चीज उसी समय हो जायेगी और अगर एक मत नहीं होते हैं तो कलेक्टर उसका फैसला कर देगा।

श्री अध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं। स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री कौशलकिशोर जैन

भीलवाडा जिले में सीलिंग में अवाप्त जमीन

80. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले के अन्दर सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार को कितनी जमीन प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या भूतपूर्व राज्य सरकार ने यह बिना देखे ही कि जमीन खाली है या नहीं, जमीन को सीलिंग के अन्तर्गत मान लिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन का आवंटन 20–20 वर्षों से काबिज लोगों को उजाड़ देगा ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) भीलवाड़ा जिले के अन्दर सीलिंग कानून के अन्तर्गत कुल 33,184 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के आदेश दिए गये थे, जिसमें से वास्तव में कब्जा 30,308 एकड़ भूमि का लिया गया है। शेष 2875 एकड़ भूमि का कब्जा स्थगन आदेश होने के कारण व अन्य विवाद होने के कारण नहीं लिया जा सका।

(2) सीलिंग कानून के तहत भूमि को सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया कानूनन तय की हुई है। कानून के प्रावधानों के तहत ही सक्षम न्यायालयों द्वारा भूमि सरप्लस घोषित की जाती है। इसमें ऐसी भूमि भी हो सकती है जो मौके पर खाली न हो।

(3) भूमि के आवंटन के बाबत इस जिले में काफी विवाद है। जो विभिन्न

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं, न्यायालयों से जैसे ही निर्णय होंगे उनके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग का मामला राजस्थान का अहम् मसला है। विशेषकर भीलवाड़ा जिले के अन्दर बादतर और बड़ा महुआ के अन्दर...

श्री श्योपतसिंह मकासर : नो भाषण सप्लीमेंटरी।

श्री कौशलकिशोर जैन : लोगों को जमीनें अलाट नहीं की जा रही हैं। 20, 20 साल से लोग काबिज हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन पर काबिज हैं, 20, 20 साल से लगान भर रहे हैं, कुएं बनाने के लिये बैंकों के कर्जे ले लिये हैं उनको ही काबिज किया जायेगा? यह उत्तर देने की कृपा करें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इसके लिये अलाटमेंट के नियम हैं। 50 प्रतिशत भूमि उनको दी जायेगी जो काबिज है। उनका लिहाज किया जायेगा।

श्री कौशल किशोर जैन : भीलवाड़ा जिले में यह बात सत्य नहीं है। जिस वक्त जमीन सीलिंग में लाई गई उस वक्त सरप्लस जमीन नहीं थी। और लोग काबिज थे। जब सरप्लस जमीन थी नहीं तो सीलिंग में कैसे निकाली गई? पहले समय के जागीरदार थे उनको फायदा हो और सिर्फ किसानों को बेदखल किया जाय, कांग्रेस की हुकुमत ने यह कानून जान बूझकर बनाया।

श्री मूलचन्द डागा : क्या भाषण हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन है...

श्री कौशल किशोर जैन : मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि उन किसानों को बेदखल नहीं किया जाय जो 20-20 साल से काबिज हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सीलिंग भूमि के कब्जे केवल कागजों में ही लिये गये हैं और कागजों में ही अलाट किये गये हैं? मौके पर आज भी लोग काबिज हैं और हजारों की तादाद में फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं। इसका कारण भूतपूर्व सरकार है जो इस कानून को लम्बे अर्से तक चलाती रही और आज भी वह मसला हमारी जान को अटका हुआ है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सीलिंग कानून में सख्ती से कदम उठाकर और जो काबिज हैं उनसे कब्जे लेकर सरकार गरीबों को जमीन अलाट करेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि सीलिंग कानून का फैसला अब कौन सी तारीख तक कम्पलीट हो जायगा?

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सीलिंग एक्ट में सुनवाई

(श्री ईश्वर चन्द्र)
करने का प्रावधान नहीं है, उसके कारण जो कौशल किशोर जी ने समस्या उठाई है वह सही है। क्या इस सीलिंग कानून पर पुनर्विचार करके जो बोनाफाइड टिनेन्ट हैं उनके बारे में सरकार कोई नीति बनाने का विचार रखती है या नहीं रखती है ?

श्री नूरा (मसूदा): अध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग एक्ट कांग्रेस के जमाने में बना तो क्या जनता सरकार इसको कोई तब्दील करने का विचार रखती है ? और रखती है तो ब्योरा बतायें।

श्री बाल कृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बेनामी तौर से सीलिंग से बचने के लिये बहुत बड़े घोटाले हुये हैं, सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ? जैसे हमारे फलौदी तहसील में जमीन है वह बेनामी तरीके से गरीबों को बेची जा रही है। ऐसा राजस्थान में सब जगह हो रहा है। आप उसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे है, यह बतायें ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के दो कानून चल रहे हैं अगर दोनों पार्टी के बीच में किसान पिस रहा है तो क्या अब सरकार दोनों कानूनों को भंग कर कोई एक कानून लाने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री पुरुषोतम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न किया गया कि दो कानून हैं सीलिंग के, यह बात सही है लेकिन अब इस सरकार का कोई विचार नहीं है कि दो कानूनों की जगह कोई एक कानून लाया जाय। दूसरा, सीलिंग कानून में संशोधन करने का जो सवाल है, इस बारे में निवेदन है कि कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

(व्यवधान)

सुनिये तो सही पहले।

जहां तक सब टिनेन्ट का सवाल है और बोनाफाइड ट्रान्सफर का सवाल है, उसके बारे में सीलिंग के प्रकरण खोले जाते हैं और उसमें यदि अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिये दुबारा दुरुस्ती की जा सकती है..

(व्यवधान)

सुनिये तो सही, वकील साहब।

जहां सब टिनेन्ट के बारे में....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में तहसीलवार पशु चिकित्सालय की व्यवस्था

75. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तहसीलवार भी पशु चिकित्सालय नहीं है ?

(श्री रामकरण सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि पशुपालन विभाग पशुओं की बीमारी और उनकी संख्या के बारे में अनभिज्ञ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग के अधिकारी दुधारू पशुओं की, जो देहाती क्षेत्र में ही अधिक हैं, चिकित्सा के लिये चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं करते बल्कि शहर के कुत्तों के इलाज के लिये शहरी क्षेत्र में चिकित्सालयों की व्यवस्था करते हैं ?

(4) अब तक विभाग के बजट का कितना भाग 10 हजार से कम आबादी वाले ग्रामों में खर्च हुआ है और बाकी कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या जिला जयपुर में शहरी क्षेत्र जयपुर से बाहर जून, 1977 से अब तक कोई चिकित्सालय खोला गया है ? जयपुर शहरी क्षेत्र में चिकित्सालय कहां खोला गया है ?

(6) यह सब किस दृष्टि से हो रहा है ?

(7) क्या विभाग को 1977-78 हेतु कुल राशि 508.09 लाख का आवंटन हुआ था ? यदि हां, तो उसको विभाग ने किस तरह खर्च किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। देहाती क्षेत्र के पशुधन की चिकित्सा व्यवस्था हेतु पूर्णत: जागरूक है।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(5) जी हां।

जयपुर जिले के ग्राम हीरापुरा तथा किशनगढ़ रेनवाल में दो पशु औषधालय शहरी क्षेत्र से बाहर खोले गये हैं शहरी क्षेत्र में एक औषधालय पुरानी बस्ती में खोला गया है।

(6) पशु औषधालय चिकित्सालयों की स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप क्षेत्र की पशु संख्या एवम् चिकित्सा संस्थाओं के अन्तर को कम करने की दृष्टि से की जा रही है।

(7) जी नहीं।

विभाग को वर्ष 1977-78 हेतु कुल राशि 586.54 आवंटित की गई थी जिसमें से व्यय के संशोधित अनुमान 552.20 लाख है मदवार व्यय की सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अन्त्योदय योजना का ब्ल्यू प्रिन्ट

79. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने अन्त्योदय योजना के बारे में ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया है और कोई नियम भी बनाये हैं ? यदि हां, तो उक्त ब्ल्यू प्रिन्ट एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) राज्य के विभिन्न जिलों में अन्त्योदय योजना की क्या प्रगति है ?

(3) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितनी राशि कर्जे एवं सब्सिडी के रूप में किन-किन कार्यों के लिए राज्य सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों आदि द्वारा कितने गरीब लोगों को अब तक वितरित की गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में भी रूपरेखा तैयार की है कि ये उपरोक्त वर्णित गरीब व्यक्ति कितने वर्षों में गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे ? अभी उनकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आया है।

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) दिनांक 15–9–78 तक की प्रगति के अनुसार 1,60,517 चयनित परिवारों में से 1,24,261 परिवारों को विभिन्न प्रयोजनों से लाभान्वित किया गया है। जिलेवार प्रगति का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) विभिन्न जिलों के 1973 परिवारों को दिनांक 31–8–78 तक सहकारी बैंकों द्वारा 116.18 लाख एवं 9719 परिवारों को व्यावसायिक बैंकों द्वारा 215.10 लाख रुपये ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट गाडी बैल गाड़ी, आदि खरीदने के लिए ऋण वितरित कर दिया गया है। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। अनुदान लघु कृषकों को 25 प्रतिशत व सीमान्त कृषक एवं कृषि मजदूर की परिभाषा में आने वाले अन्त्योदय परिवारों एवं अन्य अन्त्योदय परिवारों जैसे ग्रामीण आर्टिजन इत्यादि को 33-1/3 प्रतिशत की दरों से यूनिट कॉस्ट पर वितरित किया जाता है।

(4) अनुमान है कि लाभान्वित अन्त्योदय परिवार 4–5 वर्षों में गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे। जिन जिन कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है उनसे उनकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आयेगा उसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है। अभी तक कितना सुधार हुआ है इसका मूल्यांकन भविष्य में किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

(परियोजना प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेन्ट व वार्निश के रेट कान्ट्रेक्ट हेतु टेण्डर

18. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1976-77 में पेन्ट व वार्निश के रेट कान्ट्रेक्ट करने हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस तिथि को आमंत्रित किये गये थे व किस अवधि तक के लिये किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये टेण्डर 31 मार्च, 1978 तक के लिए थे व आज तक उन टेण्डरों को फाइनल नहीं किया गया है ? अब तक फाइनल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) क्या यह भी सही है कि सी. एस. पी. ओ. द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट नहीं करने से विभिन्न राजकीय विभागों ने अपने आप प्राइवेट फर्मों से भिन्न-भिन्न रेटों पर पेंट खरीदा ? यदि हां, तो राज्य सरकार को रेट कान्ट्रेक्ट न होने से कितनी हानि हुई ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1978-79 के लिए अभी तक टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1976-77 में पेन्ट व वार्निश के टेन्डर वर्ष 1977-78 के रेट कान्ट्रेक्ट करने हेतु दिनांक 17-3-77 की विज्ञप्ति द्वारा आमन्त्रित किये थे, परन्तु बाद में कुछ और किस्म के पेन्ट व वार्निश की आवश्यकता प्रतीत होने के कारण निविदा प्राप्त होने की तिथि 23-4-77 की बजाय 24-5-77 की गई थी। ये निविदायें वर्ष 1977-78 के लिए रेट कान्ट्रेक्ट करने हेतु आमंत्रित की गई थीं।

(2) यह सही है कि ये टेण्डर 31-3-78 तक की अवधि के लिए थे। इन टेन्डरों के आधार पर रेट कान्ट्रेक्ट करने का निर्णय केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की दिनांक 8 मार्च, 1978 को हुई बैठक में लिया जा चुका है।

(3) केन्द्रीय मजदूर क्रय संगठन द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट नहीं करने की स्थिति में राजकीय विभाग केन्द्रीय मजदूर क्रय संगठन की पूर्वानुमति के बिना अपने आप क्रय करने हेतु सक्षम नहीं है। ऐसी स्वीकृति देने के बाद ही संबंधित विभाग नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित कर, खरीद कर सकते हैं, केन्द्रीय भण्डार क्रय संगठन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के पेटे कितना माल व किस दर से लिया गया, इस की सूचना संबंधित अधिकारियों से प्राप्त कर प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) नियमों में रेट कान्ट्रेक्ट की अवधि को बढ़ाये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1977-78 में प्राप्त निविदाओं के आधार पर किये गये रेट कान्ट्रेक्ट की अवधि 31-7-78 तक बढ़ाई गई। अब केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के अनुमोदन से इस अवधि को 31-12-78 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

समिति ने यह भी निर्णय लिया है, कि 1-1-79 से 31-3-80 तक की अवधि के लिये नये टेण्डर आमन्त्रित किये जायं। अतः 31-3-80 तक के लिये निविदाएं आमन्त्रित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बीमा विभाग में नियुक्त कर्मचारी

19. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य बीमा विभाग में गत 5 वर्षों से कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? उक्त नियुक्ति आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति आदेश श्री मोदी, निदेशक ने अपनी इच्छानुसार एवं भ्रष्ट तरीकों से किये हैं ?

Page No 22

(62)

(श्री गंगासहाय)

(3) उक्त अभ्यर्थियों का चयन एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के माध्यम से क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों 1-1-73 से 31-12-77 में बीमा विभाग में दो सहायक निदेशकों की तथा 170 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां की गई हैं। आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) यह सत्य नहीं है। उक्त 170 कनिष्ठ लिपिकों न से 119 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां दिनांक 30-6-76 से पहले हुई हैं। जिस समय श्री मोदी न तो निदेशक थे और न हीं उप निदेशक (प्रशासन) थे। इसलिये इन 119 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियों से श्री मोदी का कोई संबंध नहीं है। श्री मोदी दिनांक 30-6-76 को निदेशक के पद पर नियुक्त हुए और उसके बाद शेष 51 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां हुईं। ये नियुक्तियां विभागीय अधिकारियों की चयन समिति द्वारा नियमानुसार की गई हैं। श्री मोदी भी उक्त चयन समिति में थे। बीमा विभाग में उपनिदेशक (प्रशासन) नियुक्ति अधिकारी थे इसलिये नियुक्ति आदेश उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा किये गये। उप निदेशक (प्रशासन) भी उक्त चयन समिति में थे।

(3) उक्त अभ्यर्थियों का चयन नियोजन कार्यालय के माध्यम से, अन्य विभागों से स्थानान्तरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवंटन होने पर तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों में से नियमानुसार किया गया है। ये नियुक्तियां रोस्टर प्रणाली द्वारा की गई हैं।

(आदेशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं।)

नागौर शहर में कार्यरत कर्मचारियों को मकान भत्ता देना

20 श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर शहर की वर्तमान आबादी कितनी है ?

(2) यदि आबादी 50 हजार से अधिक है, तो सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित दर से मकान भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है ?

(3) क्या यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है, और यदि है, तो कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) वर्तमान आबादी जनगणना होने पर ही ज्ञात हो सकेगी, गत जनगणना 1971 के अनुसार नागौर कस्बे की आबादी 36,448 है।

(2) जिस नगर अथवा कस्बे की आबादी गत जनगणना 1971 के अनुसार 50,000 से अधिक है वहां पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता वर्तमान में देय है।

(3) मामला विचाराधीन है।

Page No 23

सोजत नगरपालिका क्षेत्र में उद्योग हेतु आवंटित प्लाट्स

21. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सोजत नगर पालिका क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक औद्योगिक क्षेत्र कायम किया है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र का प्लान क्या है?

(2) क्या यह सही है कि सोजत औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग हेतु प्लाट्स आवंटित किये हैं? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) प्रश्न के भाग 2 में बताये गये व्यक्तियों को कब-कब व किन-किन शर्तों पर प्लाट्स आवंटित किये हैं?

(4) क्या प्रश्न के भाग 2 में बताये गये व्यक्तियों ने आवंटन की शर्तों की पालना की? यदि नहीं, तो आवंटन की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की व शर्तों के अनुसार क्या कार्यवाही होनी चाहिये? अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है? राज्य सरकार अब उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ताकि वे प्लाट्स दूसरों को आवंटित किये जा सकें?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा सोजत नगरपालिका क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र की कुल भूमि 11–70 एकड़ है। औद्योगिक क्षेत्र में 38 भू-खण्डों की आयोजना की गई है। क्षेत्र का प्लान संलग्न है।

(2) दिनांक 29-9-1978 तक औद्योगिक क्षेत्र सोजत में उद्योग हेतु 26 भू खण्ड आवंटित किये गये व 2 भू-खण्ड पुनः आवंटन हेतु विचाराधीन हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में वर्णित पार्टियों को संलग्न तालिका के कालम 5 में दर्शाया गया है और उन्हें निम्न शर्तों पर भू-खण्ड का आवंटन किया गया है :–

1. आवंटन की तिथि से 40 दिन की अवधि में अथवा निगम द्वारा बढ़ाये गये समय में विकास शुल्क की 10 प्रतिशत रकम व एक वर्ष का आर्थिक किराया जमा करवा के लीज डीड का निष्पादन आवश्यक है।

2. लीज-डीड निष्पादन की तिथि से 6 माह की अवधि में आवंटित भू-खण्ड पर निर्माण कार्य आरंभ कर एवं 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर उद्योग को उत्पादन में लाना आवश्यक है। यह अवधि उचित कारणों पर निगम द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

3. उद्यमी को विकास शुल्क की बकाया राशि चार किश्तों में ब्याज सहित देय होती है। पहली किश्त आवंटन के तीसरे वर्ष के आरंभ में व अन्य किश्तें हर साल देय हैं।

4. अगर उद्यमी उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता तो निगम को

Page No 24

(२५)

(उद्योग मंत्री)

यह पूर्ण अधिकार होता है कि उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाये व उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जाय।

(4) निम्नलिखित पार्टियों ने नियमों की पालना नहीं की इस कारण उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया :—

1. मैसर्स प्रेमचन्द मेहता एण्ड ब्रादर्स
2. ,, पोरवाल अशोककुमार
3. ,, मेहन्दीवाला एण्ड कम्पनी
4. ,, माकेलाल गोटावत
5. ,, मोहनलाल गोटावत
6. ,, नाहटा टैक्सटाइल्स

निम्नलिखित पार्टियों ने नियमों की पालना नहीं की इस कारण उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है:–

1. शीवा मोहम्मद
2. ,, राजस्थान केमिकल्स
3. मैसर्स महावीर शा मिल्स
4. ,, कटरेला उद्योग
5. ,, हिना इन्टरनेशनल
6. ,, सत्यनारायण अरविन्द कुमार

इस समय निगम के पास आवंटन हेतु 6 भू-खण्ड रिक्त हैं व आवंटन हेतु केवल एक ही प्रार्थना-पत्र आया है इसका आवंटन जिला आवंटन समिति पाली द्वारा अगली बैठक में कर दिया जायेगा।

(प्लान पुस्तकालय में रखा गया।)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

अदालतों में नियुक्त किये गये पैरोकार

22. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने हाई कोर्ट, सत्र न्यायालयों एवं मुंसिफ अदालतों में सरकारी पैरोकार अभी हाल ही में मुकर्रर किए हैं? अगर हां, तो तमाम अदालतों में पिछले एक वर्ष में कुल कितने सरकारी पैरोकार मुकर्रर किए गए हैं? अदालत वार, नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त पैरोकारों की सूची में जनता पार्टी के कितने पैरोकार मुकर्रर किए गए हैं? सूची, नामवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त पैरोकारों की सूची में अन्य पार्टियों के कितने-कितने पैरोकार मुकर्रर किए गए हैं?

(4) उक्त सरकारी पैरोकार मुकर्रर करने में क्या-क्या आधार काम में लिये गये हैं? क्या पूर्व सरकार के आधार रद्द किए जाकर मौजूदा सरकार ने सरकारी पैरोकार मुकर्रर करने में कोई नये आधार बनाए हैं? अगर हां, तो वे क्या क्या हैं एवं पूर्व के आधार बदलने के क्या क्या कारण हैं?

(5) अगर राज्य सरकार ने अदालतों में पैरवी हेतु सरकारी पैरोकार मुकर्रर करने में पूर्व के आधार नहीं बदले हैं, तो पुराने काम करने वाले पैरोकारों के बदलने के विशेष क्या-क्या कारण थे?

(6) क्या राज्य सरकार ने अदालतों में सरकारी पैरोकार मुकर्रर करने में पक्षपात

Page No 25

(25)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पूर्ण रवैया अख्तियार किया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो क्या सारे पैरोकार भेजे गए पैनल के आधार पर क्यों नहीं मुकर्रर किए गए ?

उत्तर

(1) उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ताओं के पद सृजित हैं । गत एक वर्ष में जिन राजकीय अधिवक्ताओं की सेवा अवधि समाप्त हो गई थी उनकी जगह संलग्न सूची के अनुसार नये अधिवक्ता नियुक्त किये हैं।

सैशन न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजकों की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत पहले से ही होती आ रही है । ये लोक अभियोजक फौजदारी मुकदमों में पैरवी किया करते थे । दीवानी मुकदमों की पैरवी वैधिक फीस के आधार पर होती थी जिसमें वित्तीय भार ज्यादा हुआ करता था । अब लोक अभियोजकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दीवानी मुकदमों की पैरवी भी लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभिभाषकों द्वारा की जा रही है । इसमें वित्तीय भार कम पड़ता है । एक वर्ष में नियुक्त सरकारी पैरोकार (लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभिभाषकों) की सूची संलग्न है ।

(2) इस पद पर चयन, जिलाधीश व सैशन न्यायाधीश द्वारा भेजे गये पैनल में से योग्य व्यक्तियों का किया जाता है । राजनैतिक आधार पर नहीं किया जाता, अत: कितने जनता पार्टी के पैरोकार हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(3) इस पद पर चयन जिलाधीश व सैशन न्यायाधीश द्वारा भेजे गये पैनल में से योग्य व्यक्तियों का किया जाता है । राजनैतिक आधार पर नहीं किया जाता, अत: कितने अन्य पार्टियों के पैरोकार हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(4) सरकारी पैरोकार मुकर्रर करने में कोई नये आधार काम में नहीं लिये हैं । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अनुसार जिस प्रकार पूर्व में नियुक्ति की जाती थी उसी प्रकार से अभी भी की गई है ।

(5) पूर्व में लोक अभियोजक सिर्फ फौजदारी मुकदमों की ही पैरवी किया करते थे । अब दीवानी मुकदमों की पैरवी भी इन्हीं को करनी होती है । इसके लिये पैनल में से ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारियों की राय से चुना गया जिनको दीवानी व फौजदारी दोनों शाखाओं का ज्ञान हो ।

(6) नियुक्ति में कोई पक्षपात नहीं किया गया है । जिलाधीश से जिला एवं सैशन न्यायाधीश की सम्मति के साथ 7-7 अभिभाषकों का पैनल मांगा गया था तथा उसी पैनल में से योग्य अभिभाषक की नियुक्ति की गई । पैनल से बाहर कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पिड़ावा में मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करना

23. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त

Page No 26

(26)

(श्री ईश्वर चन्द्र)
मुन्सिफ ने पिड़ावा में प्रथम श्रेणी मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने बाबत सिफारिश की है ?

(2) क्या यह सही है कि पिड़ावा क्षेत्र के 45 नये मुकदमे हर माह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, झालावाड़ में दायर होते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार पिड़ावा अंचल की जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने हेतु पिड़ावा में मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। न्यायिक अधिकारियों की सिफारिशें राज्य सरकार के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। उच्च न्यायालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक तीन वर्ष का औसत दायरे में पिड़ावा तहसील क्षेत्र के केवल 74 हैं, जो किसी न्यायालय के स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

(3) जी नहीं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिड़ावा में अलग न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है।

डाक बंगला, पाली के भवन में वृद्धि करना

27. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगलों, इन्सपेक्शन बंगलों, गेंग हट, किस-किस स्थान पर हैं तथा उनमें कितने बेड-रूम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिला मुख्यालय भी है तथा मेन रोड पर भी है ? यदि हां, तो इसे देखते हुए क्या वहां मौजूदा डाक बंगले में कमरों की कमी नहीं है ? यदि हां, तो कितने कमरों की कमी है तथा यह कमरे कब तक बनवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 7 देखें।)

पंचायतों को आर्थिक सहायता देने का आधार

28. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को आर्थिक सहायता देने हेतु क्या आधार था और अब राज्य सरकार ने इन पंचायतों को आर्थिक सहायता देने हेतु क्या योजना बनाई है ?

(2) राज्य में पंचायतों को आर्थिक सहायता के रूप में पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कितनी कितनी राशि किस आधार पर आवंटित की है ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष जो राशि अलग अलग पंचायत समितियों को

(श्री रामसिंह विश्नोई)
पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर वितरण करने हेतु दी गई थी वो राशि अभी तक एक भी पंचायत को नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी जो राशि पंचायतों को देने हेतु घोषणा की गई है वह भी घोषणा मात्र ही है ? अगर हां, तो दो वर्षों में जन संख्या के आधार पर राशि देने की घोषणा क्यों की गई और घोषणा करने का क्या औचित्य है और नहीं देने के क्या कारण रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार या विभाग ने आवंटित राशि को पंचायत समितियों में बकाया राशि के पेटे काट ली जिससे एक भी पंचायत को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका ? अगर हां, तो क्यों ?

(6) यदि राज्य सरकार अपनी नई घोषणा के अनुसार पंचायतों को आर्थिक मदद देने में असमर्थ नहीं है, तो क्या राज्य सरकार पूर्व मे दी जाने वाली सहायता के अनुसार ही अनुदान देना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायतों को 76–77 तक 0.20 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से 1971 की जनगणना के आधार पर अनुदान दिया गया जो 77–78 से समाप्त कर दिया गया तथा अब पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु वर्ष 77–78 से 2.50 प्रति व्यक्ति कर दिया गया व यह अनुदान राशि पंचायत समितियों के माध्यम से पंचायतों को दी गई।

(2) पंचायतों को आर्थिक सहायता के रूप में पिछले वर्ष जनगणना 1971 की जन संख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 2 रु. 50 पैसे की दर से कुल 5,29,52,500 रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में आवंटित की गई है। इस राशि में से पंचायत समिति की ओर शेष ऋण के 1/3 भाग के 3.08 करोड़ रुपये काटे गये व शेष पंचायतों को अनुदान दिया गया। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। यह राशि पंचायत समितियों के खाते में हस्तान्तरित कर दी गई है। यदि किसी पंचायत समिति ने पंचायत को हस्तान्तरित नहीं की है तो उन्हें तुरन्त हस्तान्तरित करने हेतु और निर्देश जारी कर दिए गए थे।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार इस वर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि में से पहली व दूसरी किश्त की राशि 2,64,76,250 रुपये माह अगस्त, 78 में जिलाधीशों के माध्यम से पंचायतों को दी जा चुकी है शेष तीसरी व चौथी किश्त की राशि माह सितम्बर, 78 में जिलाधीशों को आवंटित की जा चुकी है जो अक्टूबर 78 के अन्त तक पंचायतों को वितरित कर दी जावेगी।

(5) यह सही है कि वर्ष 77–78 के लिये दी गई कुल अनुदान राशि में से पंचायत समितियों के विरुद्ध 31–3–77 को अल्पकालीन बकाया ऋण की राशि का 1/3 भाग काट कर शेष 1,68,15,550

(पंचायत मंत्री)

रुपये की राशि पंचायत समितियों को पंचायतों को वितरण करने हेतु पी.डी. खातों में हस्तान्तरित कराई गई है और 232 में से राज्य की 156 पंचायत समितियों को वर्ष 77–78 में सहायक अनुदान की राशि दी गई है। शेष 76 पंचायत समितियों को उनके विरुद्ध बकाया ऋण राशि का 1/3 भाग दिये जाने वाले अनुदान से अधिक होने के कारण उनसे पूरी राशि का समायोजन कर लिया गया है। सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख किया हुआ है।

(6) सरकार द्वारा पंचायतों को घोषणानुसार आर्थिक मदद वर्ष 77–78 व 78–79 हेतु दी जा चुकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

पंचायत समिति चेचट और लाड़पुरा के विद्यालय

29. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति चेचट एवं लाडपुरा में विकास विभाग के अन्तर्गत कितने विद्यालय हैं? तथा दोनों समितियों में अलग अलग कितने अध्यापक कार्यरत हैं? क्या इतने अध्यापक पर्याप्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चेचट में तीस और पंचायत समिति लाड़पुरा में बाईस अध्यापक के नये पद सृजन की आवश्यकता है? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इन्हें सृजन कर रही है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लाडपुरा के अधीन 67 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 150 अध्यापक कार्यरत हैं। निर्धारित मापदण्ड के अनुपात से अध्यापक पर्याप्त हैं। पंचायत समिति चेचट के अधीन 62 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 134 अध्यापक कार्यरत हैं। निर्धारित मापदण्ड के अनुपात से 152 अध्यापक होने चाहिए। इस प्रकार वहां 18 अध्यापकों की कमी है।

(2) पंचायत समिति चेचट से 21 अध्यापकों की अतिरिक्त मांग प्राप्त हुई थी जब कि लाड़पुरा में पर्याप्त अध्यापक हैं। अतिरिक्त अध्यापकों के पद शिक्षा विभाग द्वारा सृजित किये जाते हैं। चालू सत्र में शिक्षा विभाग द्वारा समस्त पंचायत समितियों के लिये जो कुल अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये थे उनमें से अन्य पंचायत समितियों की मांग को देखते हुए, तीन पद पंचायत समिति चेचट के लिए आवंटित किये गए थे। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए चालू शिक्षा सत्र में अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजन किये जाने की संभावना नहीं है।

ग्राम पंचायत कलमन्डा, जिला टोंक का सचिव पद

30. श्री नारायण सिंह (डिग्गी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि श्री रूप नारायण शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत कलमंडा जिला टोंक ने अपने ही पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा को सन् 73 से सन् 76 तक पंचायत कलमन्डा में सचिव के पद पर सवेतन रखकर पंचायत का कार्य कराया?

(श्री नारायण सिंह)

(2) क्या यह सही है कि श्री रमेश चन्द्र शर्मा सन् 73 से सन् 76 तक राजकीय विद्यालय कलमन्डा में पढ़ता था और इसी दौरान ग्राम पंचायत कलमन्डा में भी सचिव पद पर सवेतन कार्य किया ? यदि हां, तो सन् 73 से 76 जब कि वह स्कूल में पढ़ता था और ग्राम पंचायत कलमन्डा में सचिव पद पर कार्य करता था, उस समय आयु क्या थी ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रमेश चन्द्र शर्मा के नाम माह अप्रेल, 1973 से सितम्बर, 1976 तक 40/– रु. प्रति माह की दर से भुगतान किया गया है। रमेशचन्द्र के पिता का नाम रोकड, पुस्तिका एवं भुगतान रसीदों में अंकित नहीं है। कार्यवाही रजिस्टर में नियुक्ति दिये जाने का विवरण नहीं है परन्तु त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने का विवरण अंकित है। त्याग-पत्र के विवरण में श्री उनके पिता का नाम अंकित नहीं है। विकास विभाग द्वारा ग्राम सचिव पद हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाने पर उनके आवेदन-पत्र में रमेशचन्द्र पुत्र रूपनारायण शर्मा का दिनांक 1-4-73 से 10-10-76 तक पंचायत में सचिव के पद पर कार्य करना बताया है।

(2) जी हां। श्री रमेशचन्द्र शर्मा, ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलमन्डा में दिनांक 1-7-66 से 15-5-75 तक व दिनांक 6-9-75 से 19-7-77 तक नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करते हुए कक्षा 10 उत्तीर्ण की है। श्री रमेशचन्द्र की उम्र दिनांक 1-4-73 को 12 साल व 9 माह एवं वर्ष 1976 में 16 साल 2 माह थी।

पंचायत राज संस्थाओं के सम्बन्ध में मेहता समिति की रिपोर्ट

31. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल चुकी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर पंचायत राज ढांचे में परिवर्तन की कार्यवाही शुरू की है ? यदि हां, तो कब और क्या क्या कार्यवाही की है ?

(3) उक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या परिवर्तन कब तक कर दिये जावेंगे ?

(4) पंचायत राज संस्थाओं के बाकी चुनाव कब तक किस प्रकार से करवाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। यह रिपोर्ट भारत सरकार से सितम्बर, 1978 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुई है। रिपोर्ट की प्रति नियमानुसार सदन की मेज पर रखा जाना आवश्यक नहीं है।

(2) इस रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की टिप्पणी चाही गई गई है जिसके लिए समस्त सम्बन्धित विभागों के शासन सचिवों को रिपोर्ट का परीक्षण कर विचार व्यक्त करने हेतु लिखा गया है। उनके विचार प्राप्त होने पर इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में राज्य सरकार की टिप्पणी

(पंचायत मंत्री)
भारत सरकार को प्रेषित की जावेगी एवं उसके पश्चात् रिपोर्ट के अन्तर्गत की गई सिफारिशों की क्रियान्विति पर विचार किया जावेगा।

(3) अभी वर्तमान में प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट की क्रियान्विति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के पश्चात्।

अन्त्योदय योजना में दी गई भैंस

32. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम भीलवाड़ी, तहसील पचपहाड़ के अन्त्योदयी बसन्तीलाल को अन्त्योदय योजना में दी गई भैंस सहकारी व भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों ने कुर्क कर ली है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

ग्राम भिलवाड़ी तहसील पचपहाड़ में बसन्तीलाल नामक कोई व्यक्ति अन्त्योदय योजना में चयनित नहीं है न ही अन्त्योदय योजना के तहत उसे भैंस दी गई है और न ही भूमि विकास बैंक में उसकी कोई अन्त्योदय योजना के तहत दी हुई भैंस कुर्क की गई है।

इस प्रकार कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र की उचियाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति

33. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में उचियाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र केवल उचियाड़ा की आबादी है?

(2) क्या यह भी सही है कि समिति के उपनियमों के अनुसार समिति केवल अपने कार्यक्षेत्र में ही कार्य कर सकती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति बिलाड़ा दुग्ध उत्पादक समिति के कार्य क्षेत्र में दुग्ध संग्रह कर रही है व दुग्ध संग्रह केन्द्र बाणगंगा व जयपुर-जोधपुर सड़क पर खोल रखे हैं जिनकी ओर विभाग कतई ध्यान नहीं देता है व सहकारिता में गन्दी पार्टीबाजी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

(4) राज्य सरकार कब तक इस गलत परम्परा को बन्द करवा देगी व भविष्य में इस तरह की गलत परम्परा कायम न हो इस हेतु विभाग को आदेश देगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में उचियाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. का कार्यक्षेत्र ग्राम उचियाड़ा की आबादी ही है।

(2) जी हां। यह सही है कि समिति अपने उपनियमों के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में ही दुग्ध संग्रह का कार्य कर सकती है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) बिलाड़ा किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., के द्वारा माह सितम्बर, 78 में दिनांक 8-9-78 को पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में तथा दिनांक 19-9-78 को कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार के नोटिस में लाया गया कि उचियाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., बिलाड़ा किसान, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. के कार्यक्षेत्र में दुग्ध संग्रह कर रही है इस संबंध में दिनांक 19-9-78 को सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक जांच की गई एवं दोनों सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30-9-78 रखी गई एवं मौका दिया जाकर इसका निर्णय किये जाने हेतु दिनांक 4-10-78 निश्चित की गई थी। किन्तु दिनांक 4-10-78 को बिलाड़ा किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु समय और मांगे जाने के कारण न्यायिक दृष्टि से इनका निर्णय दिनांक 4-10-78 को नही किया जा सका।

विभाग द्वारा दोनों पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बाद नियमानुसार निर्णय शीघ्र लिया जावेगा जिसमें गुट बन्दी एवं पार्टीबाजी को प्रोत्साहन नहीं दिया जावेगा।

पंचायत समिति क्षेत्र की सहकारी समितियां

34. श्री गोवर्धनसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति आमेट में कितनी सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं?

(2) पंचायत समिति आमेट में कितनी सहकारी समितियों की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है?

(3) आमेट लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी में कितना रुपया किन-किन सदस्यों का बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेट के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 18 समितियां हैं, जिनमें 13 कार्यरत हैं तथा 5 अवसायनाधीन हैं।

(2) पंचायत समिति आमेट की सभी सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्ट्स उपलब्ध है।

(3) पंचायत समिति आमेट लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी के 6 सदस्यों में कुल 9147 रुपये बकाया हैं, जिसका विवरण संलग्न सूची "अ" पर अंकित है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

ग्राम दौलतपुरा की सहकारी समिति में बकाया

35. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम दौलतपुरा सहकारी समिति में कितनी-कितनी राशि किस-किस शेयर होल्डर पर बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि श्री मोहन लाल पालीवाल, सरपच, दौलतपुरा द्वारा सहकारी समिति में अनियमितता अपने

(श्री एच. एन. शर्मा)
अध्यक्षीय कार्यकाल में बरती गई थी ? अगर हां, तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है तथा किस स्तर पर ?

उत्तर

(1) दौलतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के 342 सदस्यों में 2,23,841/– ऋण राशि बकाया है जिसका स्टेटमेंट संलग्न है।

(2) दौलतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के निरीक्षण के दौरान उक्त संख्या में श्री पालीवाल के अध्यक्षीय कार्यकाल में धन का दुरुपयोग एवं अनियमितताएं पाई गईं। जो निम्न प्रकार बताई गईं :—

1.	भुगतान लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार,	1,000/–
2.	ब्याज अमानत राशि पर	72/–
3.	अनियमित वेतन का भुगतान	276/–
4.	सदस्यों को स्वीकृत ऋण से अधिक ऋण देना	12,999.50/–
5.	बैंक से ऋण को प्राप्त कर गलत बांटा गया जो कि अवितरित राशि थी।	37,085.55/–
6.	हिस्सा राशि से अधिक ऋण देना	5,645.02/–
7.	अमानत गृह निर्माण के नामे लिखकर प्राप्त करना	700/–
	योग:–	57,778.57/–

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नागौर में दुग्ध अवशीतन संयंत्र लगाना

36. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि नागौर में दुग्ध अवशीतन संयंत्र लगाने और केन्द्र खोलने के लिये पिछले कई मास से आश्वासन दिये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो अब कब तक दूध संकलन प्रारम्भ हो जावेगा व संयंत्र के कब तक लगने की गुंजाइश है ?

उत्तर

नागौर शहर के लिये 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का चिलिंग प्लान्ट स्वीकृत किया जा चुका है। सिविल वर्क्स टेण्डर्स मांगे गये हैं और करीब 6 से 9 माह में सिविल वर्क्स खतम होंगे। तत्पश्चात् 3 या 4 माह में मशीनरी फिट होगी और अगले वर्ष अगस्त या सितम्बर मास तक दुग्ध संकलन का कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

सोजत तहसील में मछलियों के ठेके

87. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सोजत तहसील में कहां-कहां मछली उपलब्ध है, जिनके ठेके दिये जाते हैं?

(2) गत वर्ष किन-किन जगहों के ठेके, किन किन को, कितने-कितने रुपयों में दिये गये व किसने दिये तथा ठेके की शर्तें क्या थीं ?

उत्तर

(1) सोजत तहसील में निम्नलिखित स्थानों पर मछली उपलब्ध है, जिनके ठेके दिये जाते हैं:–

1. नदी सुकड़ी (सोजत क्षेत्र)
2. सुरायता एनीकट
3. बन्ध राजसागर (चौथड़ा डैम–नया गांव) बोरीनाड़ा

(2) गत वर्ष (1977–78) में निम्न जगहों के ठेके उनके सामने अंकित व्यक्तियों को अंकित राशि पर निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा दिये गये और बन्ध राजसागर का ठेका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया क्योंकि ठेका रु. 50,000 से ज्यादा में छूटा था।

(1) नदी सुकड़ी (सोजत क्षेत्र) श्री मिया खां वल्द श्री अब्दुल सलाम मछली ठेकेदार, टौंक। रु. 1,500/–

(2) सुरायता एनीकट, श्री मोहम्मद इस्माइल पुत्र श्री अब्दुल जब्बार, मछली ठेकेदार, जोधपुर। रु. 1,100/–

(3) बन्ध राजसागर ,, ,, ,,
(चौथड़ा डैम)
(बोरी नाडा) 52,100/–

ठेके की शर्त संलग्न है।

(ठेके की शर्तों के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

सांचौर तहसील में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत दिया गया ऋण

39. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सांचौर तहसील में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर अभी तक 10 मील की परिधि के गांवों के अन्त्योदय परिवारों को ही ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है? अगर हां, तो बाकी के गांवों में अन्त्योदय के परिवारों को ऋण सुविधा किस प्रकार कब तक प्रदान करा दी जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जालौर की लीड बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ही है? क्या राज्य सरकार उक्त बैंक का क्षेत्र पूरी तहसील में बढ़वाना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं तो बाकी तहसील के गांवों में ऋण सुविधा किस प्रकार प्रदान की जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर के अन्त्योदय परिवारों को अभी तक बहुत कम संख्या में लाभान्वित किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो वस्तुस्थिति क्या है? विस्तृत नक्शा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) तहसील सांचौर के सब अन्त्योदयी परिवारों को कब तक लाभान्वित कर दिया जावेगा?

(5) क्या यह भी सही है कि अन्त्योदय परिवारों को वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं, उसका कोई फालोअप कार्यक्रम नहीं रखा गया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो जिला जालौर में क्या फालोअप कार्यक्रम निर्धारित किया गया है एवं उसके द्वारा कितना मूल्यांकन करा दिया गया? भविष्य में इस बारे में क्या कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। शेष गावों में केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा जालोर द्वारा साख सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) जी हां। जी नहीं। क्योंकि तहसील के शेष गांवों में साख-सुविधा, मारवाड़ ग्रामीण बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।

(3) जी नहीं। वस्तुस्थिति का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(4) अक्टूबर, 1978 के अन्त तक इच्छुक अन्त्योदयी परिवारों को लाभान्वित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) लाभ मिल रहा है। फालोअप कार्यक्रम भी रखा जा रहा है। जालोर जिले में जिलाधीश ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे अन्त्योदयी परिवारों को मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन करें।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

कृषि उपज मण्डी सोजत

40. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी, सोजत रोड की मंडी शुरू होने से अप्रैल, 1977 तक मेहन्दी से कितनी कितनी आय सालाना हुई ?

(2) क्या यह सही है कि मेहन्दी को कृषि उपज मंडी कर से राज्य सरकार ने मुक्त कर दिया व मेहन्दी को कृषि उपज नहीं माना ? यदि हां, तो कब से व किस आदेश से ? उक्त आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) मेहन्दी का उत्पादन कैसे होता है व इसको कृषि पैदावार न मानने का क्या औचित्य था ?

(4) मेहन्दी को कृषि उपज न मानने व कृषि उपज मंडी कर से मुक्त करने से सोजत रोड कृषि उपज मंडी को जून, 1978 तक कितनी आय व हानि हुई ?

(5) राज्य सरकार का किन-किन विधायकों ने, कब-कब इस ओर ध्यान दिलाया ? उनके पत्रों की प्रति पेश करने की कृपा करें व राज्य सरकार ने इसके बारे में कब निर्णय लिया व क्या निर्णय लिया ?

(6) प्रश्न के भाग (5) में लिया गया निर्णय कब से लागू होगा व राजस्थान राज-पत्र में कब प्रकाशित हुआ ? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या राज्य सरकार यह मानती है कि प्रश्न के भाग (2) में लिया गया निर्णय सार्वजनिक हित में कतई नहीं था व अपने पद का दुरुपयोग था ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

(8) प्रश्न के भाग (5) में बताये गये पत्र आने पर भी इतने समय तक इस पर निर्णय नहीं लेना क्या उचित है व इसके लिये कौन दोषी है ?

(9) क्या यह भी सही है कि इस टक्स के छूट के दौरान मेहन्दी पिसाई करने वाले व्यापारियों ने तरह-तरह के पत्ते भी मेहन्दी में पीसने शुरू कर दिये ? यदि हां, तो कौन-कौन सी तरह के पत्ते तथा इसे

(श्री खंगारसिंह चौधरी)
राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार रोका जायगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड की मण्डी प्रारम्भ होने से लेकर हर वर्ष की मेहन्दी से प्राप्त आय इस प्रकार थी :-

क्र. सं.	वर्ष का नाम	प्राप्त मण्डी शुल्क
1.	68–69	278.69
2.	69–70	3,178.55
3.	70–71	2,116.38
4.	71–72	1,522.00
5.	72–73	3,069.42
6.	73–74	2,466.00
7.	74–75	20,988.00
8.	75–66	46,062.00
9.	76–77	80,449.00
10.	अप्रैल 77 में	68,38.36

(2) जी हां। राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 40 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अनुसूची में संशोधन कर मेहन्दी को कृषि उपज की अनुसूची से माह अप्रैल 1977 से हटा दिया था। राजकीय विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है जिसमें नियमन के अन्तर्गत रखी गई जिन्सों की सूची दी गई है। अनुसूची में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार में निहित है।

(3) मेहन्दी का उत्पादन अन्य कृषि उपजों की भांति ही होता है। इसके लिये पहले मेहन्दी के बीज बोकर रोप तैयार किया जाता है फिर मेहन्दी रोप (पौधा) को खेतों में लगाया जाता है। वर्ष में जितनी बार वर्षा होती है उतनी ही बार उसकी निराई गुड़ाई की जाती है। बाद में मेहन्दी के पौधे को जमीन से करीब 3" से 4" तक कटायी की जाती है। इसे कृषि पैदावार ही माना जाता है।

(4) मण्डी समिति सोजत रोड को मेहन्दी पर मण्डी शुल्क से मुक्त रखने के कारण जून 1978 तक अनुमानित 1.70 लाख रुपयों की हानि हुई।

(5) राज्य सरकार को विधायकों द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने की जानकारी बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है बोर्ड कार्यालय को राज्य सरकार से केवल एक माधव सिंह दीवान के पत्र की जानकारी है जिसके द्वारा मेहन्दी सम्बन्धी सूचना चाही गई थी। राज्य सरकार ने मेहन्दी को पुनः अनुसूची में दिनांक 24-7-78 को सम्मिलित करने का निर्णय लिया और दिनांक 29-9-78 की विज्ञप्ति द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सोजत रोड के लिये इसे अधिरोपित जिन्सों में सम्मिलित करने के अपने आशय की घोषणा की जिसका राज-पत्र में दिनांक 5-10-78 को प्रकाशन हो चुका है।

(6) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर 40 दिन की अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये हैं। जैसे ही उक्त अवधि समाप्त होगी, राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी जिसके पश्चात् ही सोजत रोड में मेहन्दी का नियमन लागू हो सकेगा।

(7) यह निर्णय भूतपूर्व राज्य सरकार ने लिया था। अतः अब कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृषि मंत्री)

(8) राज्य के विधि विभाग से राय प्राप्त कर मेहन्दी को केवल सोजत रोड मण्डी समिति के लिये विज्ञप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार उक्त मामले की पूरी जांच करने में समय लगाना स्वाभाविक था। इसके लिये किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है।

(9) इस बात की जानकारी नहीं है कि मेहन्दी के साथ किसी अन्य पौधे के पत्ते/पत्तियां पीसी जाती हैं।

(विज्ञप्ति के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

बेगूं तहसील में कृषि विभाग द्वारा निर्मित भवन

41. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

इस वर्ष तहसील बेगूं में कृषि विभाग द्वारा कौन-कौन से भवनों, क्वार्टरों, बीज गोदामों का निर्माण किस-किस ग्राम में करवाया जा रहा है? सूची मय ग्राम का नाम, राशि तथा प्रयोजन के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील बेगूं में 1978–79 में कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित निर्माणाधीन भवनों की सूची संलग्न तालिका में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

ग्राम अटवाड़ा, जिला पाली में नियमित की गई भूमि

42. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सोजत तहसील जिला पाली के ग्राम अटवाड़ा में 1967 से 1977 तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि किस-किस तारीख को व किस-किस मिसल के जरिये नियमन की गई?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कृषि भूमि का नियमन केवल कृषि प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमण के मामलों पर ही लागू होता है?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में बताये गये नियमन, प्रश्न के भाग (2) की हालत में ही वैलिड हैं व दीगर मामले फ्राड व मिसरिप्रजेन्टेशन से प्राप्त किये जाने से काबिल खारिज के हैं? प्रश्न के भाग (1) में से ऐसे कौन-कौन से मामले हैं व उन पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) प्रश्न के भाग (3) में आने वाले मामले किन-किन अधिकारियों की वजह से हुए व उन पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है व कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कृषि प्रयोजनार्थ नियमन केवल उन्हीं अतिक्रमणों का हो सकता है जो खेती के लिए ही किए गए हैं।

(3) कोई गलत नियमन किए गए हैं, इसकी जानकारी जिलाधीश कार्यालय को नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(4) उपरोक्त को देखते हुए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

कोटपूतली तहसील की गोचर भूमि

44. **श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटपूतली तहसील की अलाटमेंट कमेटी द्वारा 1961–62 में किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी भूमि किस खसरा नं. की गोचर भूमि रखने के प्रस्ताव जिलाधीश कार्यालय में आये ?

(2) उपरोक्त में किस-किस ग्राम को वत गोचर भूमि को स्वीकार कर कब-कब तहसील को सूचित किया गया और किस-किस को नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) किस-किस ग्राम की किन-किन खसरा नं. के प्रस्तावों को रद्द करके गोचर भूमि नहीं बनाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) किस-किस ग्रामों के प्रस्तावों के बारे में जिला प्रशासन चुप है ? इसका क्या कारण है ?

(5) ऐसे कितने ग्राम हैं जिनके प्रस्तावों की न तो स्वीकृति हुई और न ही अस्वीकार किया गया है ?

(6) ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनकी पत्रावली कुछ बाबूओं ने जान बूझ कर गायब की या नष्ट की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) पंवाला राजपूत की प्रस्तावित गोचर भूमि की पत्रावली किस नम्बर से तहसील ने जिलाधीश को भेजी, किस नम्बर पर प्राप्त की और अब कहां नष्ट कर दी ?

(8) क्या यह सत्य है कि उसकी नकल भी दो दफा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली की अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा सन् 1961–62 में 88 ग्रामों के 94 प्रस्ताव भूमि को गोचर रखने के जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त हुये थे जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्राप्त 94 प्रस्तावों में से 76 ग्रामों के 76 प्रस्ताव की गोचर भूमि को स्वीकार किया गया और सूचना समय-समय पर तहसील को दी गई जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 18 ग्रामों के 18 प्रस्तावों की मूल पत्रावलियों में 15 तलफ कर दी गई हैं एवं 3 अनुपलब्ध हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुए अथवा नहीं। इन 18 ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सत्तर ग्रामों के प्रस्ताव स्वीकार हुए हैं। जो 18 पत्रावलियों में अनुपलब्ध हैं, उनके ग्रामों की सूचना नहीं दी जा सकती।

(4) ग्राम पंवाला राजपूत तहसील कोटपूतली के ख. नं. 57 की जांच कराने एवं यदि इसका गोचर हेतु उपयोग होता हो

Page No 38

(38)

(राजस्व मंत्री)

तथा ग्राम में घोषित चरागाह निर्धारित से कम होने की दशा में इस भू-खण्ड को गोचर घोषित करने हेतु राज्य सरकार ने जिलाधीश को आदेश दिये हैं।

(5) उक्त प्रस्तावों में से किसी भी ग्राम का प्रस्ताव चरागाह हेतु विचाराधीन नहीं है।

(6) कुल 18 ग्रामों की पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हैं जिनमें 15 ग्रामों की पत्रावलियां तलफ कर दी गई हैं तीन की उपलब्ध नहीं हो रही हैं। किन्तु ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह माना जा सके कि किन्हीं ग्रामों की पत्रावलियां कर्मचारियों द्वारा जान-बूझ कर गायब की हों अथवा नष्ट की हों।

(7) ग्राम पंवाला राजपूत की प्रस्तावित गोचर भूमि की पत्रावली तहसील के क्रमांक 1410 दिनांक 3-10-61 के द्वारा जिला कार्यालय में भेजी गई थी जो जिला कार्यालय के पत्रावली पंजिका के क्रम संख्या आर 1-11(65)62 पर दर्ज की गई थी। जो कार्य निपटाओ अभियान के दौरान दिनांक 21-8-77 को तलफ (नष्ट) की गई।

(8) प्रतिलिपि प्राप्त करने के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निश्चित तिथि एवं उक्त आवेदन के क्रमांक के अभाव में यह बतलाया जाना संभव नहीं है कि नकल दी गई अथवा नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आदिवासियों की भूमि को नाजायज तरीके से अलाटमेन्ट करना

45. श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी ग्रामीण पच्छेराई की भूमि श्री गोवरधनलाल पटवारी व तहसीलदार सागवाड़ा व श्री नानूराम पटेल, अरविन्द पुत्र रतनलाल सेठ इन सभी की सांठगांठ व भ्रष्ट उपाय से अलाटमेंट की गई है ? इस फर्जीयान कार्यवाही को क्या राज्य सरकार निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि दोनों नानूराम तथा अरविन्द सेठ ग्राम पच्छेराई से 8 किलोमीटर दूर व दूसरी ग्राम पंचायत चीखली व दूसरे पटवार के रहने वाले हैं ? यदि हां, तो इन्हें यह भूमि कैसे आवंटित की गई ?

(3) क्या खसरा नम्बर 66 रकबा 8॥ बीघा क्रमशः 8॥ बीघा राज्य सरकार तत्काल जो भूमि अलाटमेंट दिनांक 26-10-77 को हुआ को खारिज कराने की व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि श्री जयनारायण गौड़ कलेक्टर साहब डूंगरपुर सेठ साहूकार को प्रोत्साहन कर गरीब भील आदिवासियों की प्रार्थना को ध्यान में नहीं लेते हुए आदिवासियों का गला घोटने वाले जिलाधीश की राज्य सरकार जांच करेगी ? यदि हां, तो कब और दोषी होने पर राज्य सरकार उचित कार्यवाही तत्काल करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम खसलई में खसरा नंबर 66 में श्री नानूराम पिता

(राजस्व मंत्री)

कचरू कलाल निवासी चिखली को 8।।) बीघा श्री अरविन्द कुमार पिता रतन लाल महाजन निवासी चिखली को 8।। बीघा दिनांक 26-10-77 को उप खण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा आवंटित की गई। इन आवंटनों के विरुद्ध जिलाधीश की अदालत में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलोटमेण्ट आफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत विस्तृत प्रकरण दायर हुए परन्तु इन सब प्रकरणों में भी कहीं भी तहसीलदार सागवाड़ा व पटवारी श्री गोरधनलाल के विरुद्ध भ्रष्ट तरीकों अथवा सांठगांठ का आरोप नहीं लगाया गया था। श्री नानूराम के खिलाफ दायर प्रकरण, दिनांक 14-3-78 को कानूनन खारिज हुआ है श्री अरविन्दकुमार के खिलाफ प्रस्तुत प्रकरण जिलाधीश की अदालत में विचाराधीन है।

(2) आवंटी ग्राम चीखली के रहने वाले हैं जो ग्राम खसलाई में 4–5 किलोमीटर दूर है। दूसरा मामला अदालत में विचाराधीन है।

(3) जिन दो आवंटनों का प्रश्न उठाया गया है। उनमें से श्री नानूराम को किये गये आवंटन के विरुद्ध राज. भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत जिलाधीश ने कार्यवाही की है एवं आवंटन को बहाल रखा है दूसरा मामला उनके न्यायालय में विचाराधीन है। अतः न्यायिक फैसला होने के पश्चात् वे आगे आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) जिलाधीश के खिलाफ लगाये गये आरोप सही नहीं है। ऐसी दशा में जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तहसीलदार बस्सी के खिलाफ शिकायत

46. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनता पार्टी के शासन में आने के समय से आज तक राज्य के किन-किन तहसीलदारों व उप जिलाधीशों की शिकायतें राज्य सरकार के पास आई हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसी शिकायतों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या जिला जयपुर के बस्सी के तहसीलदार के खिलाफ कोई शिकायत हुई ? यदि हां, तो उसमें उन्हें क्या दण्ड दिया गया ?

(4) क्या उनको निलम्बित किया गया या उनका स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो किस कारण और उसके बाद इतने अल्प समय में उसे बस्सी ही में लगाने का क्या तात्पर्य है ?

(5) क्या यह सत्य है कि इसमें बेचारे तहसीलदार का प्लास्टर उतार कर उसे पुनः बस्सी में लगाया है ? यदि नहीं, तो बस्सी में पुनः लगाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जनता पार्टी के शासन में आने के समय से आज तक मण्डल में तहसीलदार/नायब तहसीलदार व उप जिलाधीश के विरुद्ध की गई शिकायतों के 58 मामले प्राप्त हुये जिनकी सूची संलग्न है।

(2) मंडल में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर संबंधित जिलाधीशों से जांच

(राजस्व मंत्री)

कराई जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रश्न संख्या 1 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक 3 पर अंकित तहसीलदार के विरुद्ध नियम 16 के तहत कार्यवाही की जा रही है। क्रमांक 14 पर अंकित तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मांगे गये हैं।

(3) जी हां। जिलाधीश जयपुर के द्वारा प्रारम्भिक जांच करवाई जा रही है।

(4) श्री सफदरे आलम तहसीलदार बस्सी को निलंबित नहीं किया गया था लेकिन इनका स्थानान्तरण मण्डल के आदेश दिनांक 21-6-78 के द्वारा तहसील बस्सी से राजस्थान इण्डस्ट्रियल मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन जयपुर में किया गया था, प्रशासनिक कारणों से दिनांक 25-7-78 के द्वारा उन्हें पुनः राजस्थान इन्डस्ट्रियल मिनिरल डवलपमेंट कारपोरेशन जयपुर से तहसील बस्सी में स्थानान्तरण किया गया था।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

ठिकाना बाईजी का मन्दिर, जयपुर

47. श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में माणक चौक चौपड़ पर स्थित ठिकाना बाईजी मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मन्दिर व नीचे की भोग राग की दुकानादि का निर्माण बाईजी श्री विचित्र कुमारी जी ने करवा कर मिति जेठ सुदी 11 सम्वत् 1794 को महाराजा श्री सवाई जयसिंह जी की ओर से स्वामी सांवलदास का चेला श्री जगन्नाथ ब्राह्मण गौड़ दोतोलिया निवासी ग्राम बिलोंची को गुरु दक्षिणा में बख्शीश किया था?

(2) क्या यह सही है कि सनद करार के अनुसार मिति भादवा सुदी 10 सम्वत् 1810 को उक्त बाईजी मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण जी के भोग राग के लिए दुकानों का भाड़ा चौडया (भेंट) गया?

(3) क्या यह सही है कि महाराजा श्री सवाई प्रताप सिंह जी के समय सम्वत् 1845 में महन्त श्री रामसेवक जी के नाम परवाना जारी किया जाकर ठिकाना बाईजी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नीचे की दुकानादि का किराया भाड़ा लेने से संबंधित प्रसारित किया गया, क्योंकि स्वामी रामसी किंकर जी के कालवश (स्वर्गवास) हो जाने पर परवाना जारी किया जाना पाया जाता है?

(4) क्या यह भी सही है कि ठिकाना बाईजी मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी के वर्तमान महन्त पं. बन्शीधर देवज्ञ सजरा के मुताबिक स्वामी श्री सांवलदासजी, महंत जी जगन्नाथ जी, महन्त श्री रामसी किंकर जी, महन्त श्री रामसेवक जी, महन्त श्री महादेव जी की वंश परम्परा के अनुसार ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं? यदि हां, तो फिर मन्दिर की भोगराग की शेष सम्पत्ति दुकानादि इनको क्यों नहीं सौंपी जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही नहीं है कि मन्दिर श्री जगन्नाथ ब्राह्मण को गुरुदक्षिणा में बख्शीश किया था।

(देवस्थान मंत्री)

(2) यह सही नहीं है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री श्योपत सिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर केन्द्रीय कारागृह तथा अन्य कारागृहों के प्रहरियों की हड़ताल के सम्बन्ध में।

(2) श्री शंकर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से धारा जिला कोटा में वक्फ की खातेदारी भूमि पर वक्फ कमेटी की सहमति बिना एक सिनेमा बनाये जाने के विषय में।

(3) सर्वश्री रामसिंह बिश्नोई, सुखलाल सैणचा, माधोसिंह दीवान, रामनारायण डूंडी, सूरजपाल सिंह, माधोसिंह (113), नरपतराम व रतना राम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में किसानों को बिजली समय पर नहीं मिलने के विषय में।

(4) श्रीमती सुमित्रा सिंह व श्रीमती मदन कौर, सदस्या, विधान सभा की ओर से गत 11 अक्टूबर को जयपुर में रात्रि के करीब 9 बजे राम निवास बाग में एक चाट भण्डार पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमले के विषय में।

(5) श्री रघुनाथ बिश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर व सिरोही जिलों में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इस विषय में।

(6) श्री जगतार सिंह कंग, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में कपास और गन्ने के भाव अत्यधिक गिर जाने के विषय में।

(7) श्री दूला राम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के भूमिहीनों को दूसरे जिलों में भूमि आवंटन न करने के राज्य सरकार के निर्णय के विषय में।

(8) सर्वश्री परसराम मदेरणा, खेत सिंह व रणजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 8 अगस्त को ग्राम सावत कुआं तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में पुलिस की मारपीट के कारण कप्तान गोविन्द सिंह द्वारा की गई आत्महत्या के विषय में।

(9) श्री राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डेगाना पंचायत समिति जिला नागौर में कुओं का पानी जहरीला हो जाने के विषय में।

(10) सर्वश्री तूरा व रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर के हरिजन कोली परिवारों की जमीन छीनने के लिये भूपतियों द्वारा किये गये हमले के विषय में।

(11) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम भालेरी जिला चूरू के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर गत 2 अक्टूबर को भारी संख्या में अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये हमले के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से आगरा रोड, जयपुर, पर वक्फ की जमीन पर एक सिनेमा घर के निर्माण के विषय में।

मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ गया है··

(व्यवधान)

उस दिन भी भेजा था, आपने फर्माया था कि सरकार से पूछा गया है, उसका क्या जवाब है आज ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी हेतु सरकार के पास भेजा गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। I have to make a point of order.

श्री अध्यक्ष : कृपया एक-एक। हां, हां, दिया था।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से मेरे कक्ष में बात करिये। आर्डर।

श्री समरथलाल : मौका कब मिलेगा, बात करेंगे तो ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। केवल प्रति पक्ष की ओर ही आप का ध्यान क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कोई सुनवाई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है इसका क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न आ गया है। श्री बजरंगलाल शर्मा, come on.

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या आपका सचिवालय राज्य सरकार की किसी ऐसी इजाजत से प्रभावित हुआ है कि जो ढंग के प्रश्न हैं उनको लिस्ट नहीं किया जावे और अगर किन्हीं को लिस्ट भी किया जावे तो इतने नीचे लिस्ट किया जावे कि वह नम्बर पर आवे ही नहीं, जिसके कारण राज्य सरकार का सही चेहरा जनता के सामने और सदन के सामने नहीं आ पाए। मैंने माननीय डिप्टी स्पीकर साहब को भी बार-बार इस बात को कहा है। जो आपाधापी प्रश्नों की एन लिस्ट करने में हो रही है इस मामले में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो कायदे के प्रश्नों को जान बूझकर एन लिस्ट नहीं किया जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। लाटरी से जो लॉट में आते हैं उनको रखा जाता है। प्रश्नों की लाटरी निकाली जाती है. इसमें कोई आपाधापी नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है, कोई भी एजेंसी ऐसी होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लाटरी में क्या आपाधापी होगी ? जो लाटरी में प्रश्न निकलते हैं उनको रखा जाता है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह व्यवस्था का प्रश्न बनता है । भले ही आपके सचिवालय का प्रश्न ही क्यों न हो, मगर कोई भी एजेंसी है जो ठीक तरह से काम नहीं करती है, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करती है और मैम्बर्स को अपनी पावर एक्सर्साइज करने में बाधा पहुंचाती है तो निश्चित रूप से व्यवस्था का प्रश्न बनता है और उस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री हरि सिंह (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरह से प्रश्न रखे जाते हैं वही कहावत चरितार्थ होती है कि टके सेर भाजी और टके सेर खाजा । प्रश्नों की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपकी बात जब तक उधर बैठे हो मानी नहीं जाएगी, इधर आ जाओ ।

(व्यवधान)

श्री समरथ लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था···

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव को मैंने स्वीकार नहीं किया है । अस्वीकार किया है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न उठाया उस पर कोई व्यवस्था नहीं हुई । कोई व्यवस्था कोई आब्जर्वेशन तो आपको करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आब्जर्वेशन के लिये आप पूछ रहे हैं । आपने प्रश्नों के बारे में पक्षपात और आपाधापी के लिए कहा तो उसका उत्तर मैने दे दिया । लाटरी से, लाटरी के द्वारा लॉट में से प्रश्न निकालते हैं उनके सीरियल का विषय जीरो आवर में चर्चा का विषय नहीं बनाया जाय ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : नियमों के अन्दर लाटरी सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है । सरकार ने लाटरी बन्द कर दी और आपने यहां पर चालू कर दी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह लाटरी वह लाटरी नहीं है इस लाटरी के अन्दर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था, मैंने पहले भी दिया था और कल भी दिया था लेकिन आज भी वह लिस्ट में नहीं आया है । कल वाला मेरा स्थगन प्रस्ताव भूतपूर्व सरपंचों द्वारा जो रकम का गबन किया गया है और रिकार्ड नहीं देते हैं, के सम्बन्ध में है ··

श्री अध्यक्ष : कृपया मुझ से मेरे कक्ष में मिलिए, मैं इस बारे में बात करूंगा ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कल भी आपके कक्ष में मिला था आपने कहा था गोस्वामीजी के लिए लेकिन आज भी मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैंने जानकारी के लिए भेज दिया है। इतने प्रस्ताव आते हैं कि मैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजना भी उचित नहीं समझता। फिर भी सरकार को जानकारी हेतु भेज दिया है सब प्रस्तावों को।

श्री रामकरणसिंह : हम समझते हैं कि शहरों के मुकाबले में देहातों की उपेक्षा की जाती है। कम से कम उनका जिक्र करने का मौका तो देते आप।

श्री रणमलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामकरणसिंह, आपका स्थगन प्रस्ताव अस्पष्ट होने के कारण अस्वीकार किया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चालू हुई तो प्रथम दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था, हमने लॉ एण्ड आर्डर पर स्थगन प्रस्ताव दिए थे, उस पर मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि एक दिन इस पर विचार होगा।

मान्यवर, मैं सदन को एक गंभीर सूचना देना चाहता हूं। मान्यवर, इस सदन के दो माननीय सदस्य, जो अपने स्थान से आ रहे थे·····

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं। कमेटी में जो चर्चा होती है वह आपको पता है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस सदन के दो माननीय सदस्य अपने निवास स्थान से इस सदन की बैठक में भाग लेने के लिए यहां आ रहे थे। गुलाबपुरा के पास में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें दोनों माननीय सदस्य भयंकर रूप से घायल हो गए···

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द ने यह मुझे यह सूचना दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : सूचना उनकी मान लें, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी मिली है वृद्धिचन्दजी से मैं इसको प्राथमिकता दे सकता हूं। आप बोलिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देने के लिये श्रीमान् के समक्ष उपस्थित हुआ। मेरा यह सौभाग्य कहिये कि मैं भी उसी बस से आने वाला था लेकिन पांच मील की दूरी से जल्दी जल्दी आने पर भी बस पकड़ नहीं पाया रोडवेज की बस तीव्र गति से भीलवाड़ा की तरफ आ रही थी। गुलाबपुरा के करीब चार किलोमीटर के पास में उस रोडवेज की बस ने, जिस प्रकार की मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा बताया जाता है, भरी हुई ट्रक के ठीक सीधे, पीछे जाकर टक्कर मारी है। जिसके कारण उन विधायकों के साथ अन्य यात्रियों के भी चोटें आई हैं। विधायकों की बुरी हालत हुई है। अमृतलालजी की पसलियां टूट चुकी हैं। उनकी दाई जांघ में फ्रैक्चर है और गंभीर स्थिति में भीलवाड़ा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दूसरे विधायक के भी चोटें पहुची हैं। यात्रियों की यह हालत हुई है कि सीटों के बीच में आने से उनके दांत टूट गये हैं, उनकी हड्डियां टूट गई हैं, उनकी आंखों पर चोटें आई हैं। एक डाक्टर साहब उनके साथ में थे, उन्होंने सुबह आकर बताया कि उन सवारियों की क्या हालत हुई है। वे अंतिम सीट पर बैठे हुए थे। रोडवेज की बस तीव्र गति से यात्रा कर रही थी। उसके ड्राईवर ने अपने कर्त्तव्य का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया है। ड्राइवर ठीक प्रकार से, उचित तरीके से बस नहीं चला रहा था। उस ड्राइवर को पहले भी रास्ते में दो बार सूचना दे दी गई थी कि इस प्रकार से रेश ड्राईविंग नहीं करो, कोई एक्सीडेंट होने की सम्भावना है। मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में इस प्रकार की दुर्घटना होना एक अत्यन्त ही शर्मनाक बात है और चिन्ता का विषय है। यदि रोडवेज की यह स्थिति रही तो निश्चित रूप से आगे भी दुर्घटनायें हो सकती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय से इस पर वक्तव्य दिलाया जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके सम्बन्ध में मेरे पास और भी सूचना है।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : लालशंकर जी भी उसी बस में आ रहे थे उनको बोलने दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास समय नहीं है। अब कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : लाल शंकरजी उसी बस में थे, उनको बोलने दें।

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, 11 अक्टूबर, 78 को पांच बजे डूंगरपुर से बस जयपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें हम तीन विधायक सफर कर रहे थे अमृतलाल परमार, डूंगरपुर जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, श्री हीरालाल खांट चौरासी क्षेत्र के थे। और मैं लालशंकर डेंडोर सागवाड़ा। हम तीनों विधायक भी बस में बैठे हुए थे। जब गाड़ी गुलाबपुरा के पास में पहुंची तो रात के तीन बजे उसी बस ने एक ट्रक को साइड दी। एक ट्रक बस से आगे निकला, उसके बाद बस वाले ने फिर बस आगे करदी। आपस में इस प्रकार से दो तीन बार आगे पीछे होते रहे, आपस की होड़ में वाहन दौड़ते रहे। ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक की रफ्तार तेज कर आगे बढ़ा दी और फिर उसने आगे जाकर खड़ी कर दी। बस क्योंकि रफ्तार में चल रही थी इसलिये उस ट्रक से जाकर टकराई जिससे यात्री घायल हो गए। बस की आधी बोडी खतम हो गई। तीन बजे रात को यह घटना हुई और तीन बजे से पांच बजे तक हम सब मछली की तरह तड़पते रहे, परेशानी में रहे। रात को तीन बजे दुर्घटना होने पर 5 बजे पश्चात् जाकर इलाज की व्यवस्था हुई। गुलाबपुरा पास में ही पड़ता था। वहां जाने का अचानक साधन नहीं मिला। परेशानी के बाद पुलिस आने पर घायल

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पैसेन्जरों को काफी लम्बे समय बाद में ले जाने की व्यवस्था हुई और पुलिस ने सहानुभूति के साथ अस्पताल में भर्ती कराने में व्यवस्था की। पहले नजदीक गुलाबपुरा अस्पताल में भर्ती किये गए। वहां से गम्भीर रूप से घायलों को दूसरी बस द्वारा अजमेर

Page No 46

(४६)

(श्री लाल शंकर डेंडोर)

पहुंचाया गया। अजमेर से हरियाणा की बस में जयपुर आये। दुर्घटना की पुलिस ने तत्काल वायरलैस से डूंगरपुर और जयपुर कलेक्टर को इन्फार्मेशन पहुंचाई। दुर्घटना गम्भीर रूप से हुई थी। जितने पैसेंजर बैठे थे उनकी दुर्दशा हुई थी। गम्भीर चोटें आई, अमृतलाल पंवार विधायक को गहरी चोट लगी। पैर व शरीर में गहरा घाव लगा। पैर की हड्डी निकल आई, तीन इंच गहरा घाव हो गया। हालत चिन्ताजनक है। छाती के अन्दर लगी है। वे बेहोश हो गये। अस्पताल में घायलों को पकड़कर ले जाया गया। जो ड्राइवर लोग हैं इस तरह से बस चलाते हैं। वे मदहोश रहते हैं इसको रोका जाए और वरिष्ठ ड्राइवर को लम्बे सफर में लगाया जाए। ट्रक वालों की जो दादागिरी है उसको भी रोका जाए। इसकी भी उचित व्यवस्था की जाए कि जो रोड व पुलियायें खराब हैं उन्हें तत्काल ठीक कराया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट। आप सुन तो लें। मंत्री महोदय आप जल्दी बहुत कर रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : जब चश्मदीद आदमी के बयान हो गये तो अब क्या रह जाता है।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे द्वारा आपको व सदन को यह सूचना दे दी गयी है कि इस सदन के दो माननीय सदस्य की जान खतरे में है। एक की हालत तो बहुत ही खराब है, गंभीर है। वे भीलवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती किए गए हैं। उनके परिवार को भी उनसे मिलने के लिए बुलाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जीवन अन्तिम क्षणों में है। इस सदन में हम बैठे हुए हैं और इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ ही यह दुर्घटना हुई है। मुझे बड़ा अफसोस है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इसमें व्यवधान कर रहे हैं। कोई राजनैतिक मसला यह नहीं है। यह इस सदन के दो माननीय सदस्यों की जिन्दगी का प्रश्न है। विधान सभा के दो सदस्य हैं। मैंने, मान्यवर, इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित किया था। यह केवल दो ही माननीय सदस्यों का सवाल नहीं है। राजस्थान में पिछले 8 महीनों में 600 मोटर दुर्घटनाएं हुई हैं। 600 दुर्घटनाओं में 2500 व्यक्ति घायल हो गये। अकेली रोडवेज ने 80 आदमियों को मारा, और कई व्यक्तियों को अपाहिज कर दिया। मान्यवर, आज आम आदमी को रोडवेज में विश्वास नहीं रहा, राजस्थान की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था में उसका विश्वास नहीं रहा। यह सब लॉ एण्ड आर्डर की कमी के कारण हो रहा है। लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि विचार किया जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। उनको यह विश्वास नहीं रहा कि रोडवेज की बस में बैठेंगे तो वह गन्तव्य स्थान पर उनको पहुंचाएगी या नहीं। यह विश्वास की जो कमी है, उसका यह आज प्रमाण सदन के सामने आया है। सदन के दो माननीय सदस्य रोडवेज बस में सफर

(श्री रामनारायण चौधरी)

करने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गये। इसलिए मैं आपकी मार्फत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसकी जानकारी कर लें और पूरी जानकारी कर के एक घंटे बाद सदन में वक्तव्य दें। आपने मंत्री महोदय 60 आदमियों को मरवा दिया। 2500 आदमियों के गंभीर चोटें पहुंचायी। आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार की ट्रान्सपोर्ट, रोड़वेज की दुर्व्यवस्था चल रही है। आप अव्यवस्था फैलाकर राजस्थान के जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय को यह निवेदन है कि ड्राइवरों को पाबन्द किया जाए स्पीड मेन्टेन करने के लिए कि इससे ज्यादा स्पीड पर वे न चलें। यह हंसी की बात नहीं है। यह व्यवस्था आप कर दें, पाबन्द आप उनको स्पीड के लिए कर दें तो भविष्य में ऐसे एक्सीडेन्ट नहीं होंगे।

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : अध्यक्षजी, संभाग प्रबन्धक, अजमेर से सूचना प्राप्त हुई है कि डूंगरपुर–जयपुर रात्रि वाहन की वाहन संख्या 6479 दिनांक 12-10-78 को प्रातः 3.30 बजे एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस वाहन में श्री अमृतलाल, श्री हीरालाल एवं श्री लालशंकर डेंडोर, ये तीनों विधायक यात्रा कर रहे थे जिनमें से श्री अमृतलाल विधायक के गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें भीलवाड़ा के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा हेतु भर्ती करा दिया गया है। श्री हीरालाल विधायक के पांव में फ्रेक्चर हुआ है। उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तत्पश्चात् वे डूंगरपुर चले गये। उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था निगम के अधिकारियों द्वारा करवाई जा रही है। वाहन के चालक व परिचालक श्री गेंदीलाल व श्री गोपाललाल के भी चोटें आई हैं।

आज दिनांक 13–10–78 को संभाग प्रबन्धक, अजमेर ने भीलवाड़ा से टेलीफोन पर सूचित किया है कि श्री अमृतलाल विधायक के परिवार को डूंगरपुर से भीलवाड़ा ले आया गया है एवं प्राप्त चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप श्री अमृतलाल विधायक एवं अन्य दो यात्री, जो कि कल दिनांक 12-10-78 को बेहोश हो गये थे, आज होश में हैं एवं अन्य सभी यात्रियों एवं विधायक महोदय की हालत खतरे से बाहर है।

अभी हमारी विरोधी पार्टी के नेता ने कहा दो साल में 600 के करीब एक्सीडेन्ट हुए, उनमें ढाई हजार व्यक्ति घायल हो गये। मान्यवर, 4 तारीख से यह सैशन चल रहा है। आज तक कोई क्वेश्चन के रूप में उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया न उन्होंने कोई वक्तव्य के रूप में सदन को या मुझको जानकारी दी। एक बार भी जानकारी नहीं दी। यह जो दुर्घटना हुई है, जैसा माननीय सदस्य लालशंकरजी ने फर्माया है, यह गलती किसकी हुई है, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस इसका इन्वेस्टीगेशन कर रही है। जिसका भी दोष होगा चाहे बस ड्राइवर का हो, चाहे ट्रक ड्राइवर का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह गुलाबपुरा से चार किलोमीटर दूरी पर दुर्घटना हुई है। बस भीलवाड़ा से गुलाबपुरा जा रही थी। जैसी कि मुझे टेलीफोन पर जानकारी दी गई है ट्रक को

(श्री केदारनाथ)

ओवर टेक करने में गलती हुई है। बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाये और ट्रक ने भी ब्रेक लगाये और उससे क्लोजर हो गया। इसमें अब किसकी कितनी गलती हुई है इसकी जांच की जा रही है। जो ए. टी. आई. है गुलाबपुरा, विजयनगर वे कार लेकर फौरन दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये। जो घायल थे उनको अस्पताल ले गये और उनको मेडिकल ऐड दिलवाई। इसके बाद माननीय विधायक को भीलवाड़ा शिफ्ट कर दिया। उनकी हालत ठीक हुई तो उनको जयपुर ले आया जाएगा। यह सूचना मेरे पास अभी तक आई है।

अब इस प्रश्न को, दुर्घटना को लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न बनाकर पेश किया जा रहा है। इस दुर्घटना के पीछे सारी रोडवेज की व्यवस्था को खराब बताया जा रहा है। रोडवेज की व्यवस्था काफी खराब है यह मैं खुद मानता हूं परन्तु इसमें काफी सुधार किया गया है। माननीय सदस्यों को भी इसकी जानकारी है कि क्या-क्या सुधार किये जा रहे हैं। केवल मात्र एक्सीडेन्ट को ही आधार मान कर लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था का सवाल पेश कर दें, मेरे ख्याल से, मान्यवर, यह आउट आफ प्रपोर्शन है।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं ज्यादा नहीं हुई हैं। मेरे साथ मेरे जिले और माननीय मंत्री महोदय के जिले में इस प्रकार की दुर्घटना रोडवेज की हुई हैं। यह दुर्घटना 25/26 जुलाई, 78 की हुई है। मैं भी उस बस में था। वह गाड़ी 6 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। इसमें ड्राइवर का कसूर था। मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। परन्तु आज तक उस ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री महोदय यहां पर कह रहे हैं कि कोई अव्यवस्था नहीं है। ये गलत कह रहे हैं। उस बस में कम से कम 40 सवारियां थीं और एक 1–2 महीने का बच्चा था। आप कहने नहीं देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

मैं यह घटना सदन को सुनाना चाहता हूं। जनता पार्टी जब से आई है तब से वह इस प्रकार की गलत परम्परा डाल रही है। किसी को सुनना नहीं· · · ·

(व्यवधान)

यह जो घटना हुई है उसकी सदन को मैं सूचना दे रहा हूं और मुझे रोका जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप कहना नहीं मानते हैं। चार पांच दफा आज्ञा का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री दुलाराम : मैं आज्ञा मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुननी चाहिए। यह हालत क्या उचित है? कम से कम दो मिनट का समय तो दीजिए।

(व्यवधान)

यह सदस्य बीच में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल की दुर्घटना के सम्बन्ध में· · · ·

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात सदन के अन्दर इस दुर्घटना के सम्बन्ध मे उठायी थी। मान्यवर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने मुझे ही दोषी करार

(श्री रामनारायण चौधरी)
दिया है कि मैंने यह बात पहले कभी उनके सामने नहीं रखी। मान्यवर, मैं, आपकी मार्फत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मार्च, 78 तक कितनी दुर्घटनाएं हुईं इसका उन्होंने मुझे उत्तर दिया है कि वर्ष 1978 में···

श्री श्योपतसिंह (मकासर): ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, सदन को चलाने का भी कोई कायदा कानून है, परम्परा है···

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर आ जाए उसके बाद ही आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न कर सकते हैं। यह गलत परम्परा होगी।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा होगी कि इस तरह से बिना किसी स्थगन प्रस्ताव के, बिना किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बोलना शुरू कर दें, अकेले ला एण्ड आर्डर का ठेका लेकर हावी रहें। विरोधी दल के माननीय नेता बोलना चाहें तो उनको स्थगन प्रस्ताव रखना चाहिये। मगर इस तरह से, इस तरीके से बोलने से हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमारे अधिकारों की उपेक्षा होती है, जो कायदे से सोचते हैं, बोलते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। आप कोई तरीका तो कीजिये सदन के अन्दर। कल इस बात के लिए सारे सदन को ताव आ गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : इनको भैरोंसिंह जी के पीछे बिठा दीजिये। ताकि हमारी एक समस्या तो हल हो जाय।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : श्योपतसिंह तो वहां जाएगा या नहीं मगर आप वहां से आये हैं। मैं तो इधर ही बैठा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैंने उठाया था। सरकार का वक्तव्य आने के बाद मैं बोल सकता हूं, प्रश्न पूछ सकता हूं। मैं माननीय मंत्री जी की दी हुई सूचना के आधार पर बताना चाहता हूं कि 1978 में····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनकी बात मुझे सुनने दीजिए मैं इनको रोक दूंगा अगर उचित समझूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट की अव्यवस्था के लिए मुझे सूचित किया जाय कार्यवाही की जाएगी। तो इन्होंने जो सूचना दी वही मैं रिपीट कर रहा हूं। 1978 में मोटर दुर्घटनाओं में 525 मरे, 2405 घायल हुए और····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब मुझे कठोरता बरतनी पड़ेगी। यह अलग विषय है। एक्सीडेंट पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाबसिंह कटारिया : उदयपुर में जो दुर्घटना हुई उस के संबंध में आपने आधे घंटे की चर्चा के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर में जो दो मरे उस सम्बन्ध में चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था संभवतः मुख्य मंत्री जी भी कहेंगे।

श्री श्योपतसिंह (मक्कासर) : वह जीरो आवर के बाद होगा। कल दो सवाल थे, एक तो टिड्डी दल को····

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे, यह था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में अपना वक्तव्य देंगे, यह था।

श्री रामनारायण चौधरी : वक्तव्य-वक्तव्य ही देंगे। हमारी बात तो सुनी जाएगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह चाहते है कि सभी बातों पर फुल डिबेट हो, जरा-जरा से प्रश्न पर डिबेट नियमों के विपरीत हो, यह नहीं हो सकता।

श्री राम नारायण चौधरी : इस सदन की परम्परा है, 2-2 घंटे बहस हुई है। मान्यवर, आप इस तरह सत्ता पक्ष को सिर चढ़ा रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अपोजीशन की वोइस को स्टॉप नहीं करना चाहता।

श्री राम नारायण चौधरी : कर दिया, मान्यवर। लॉ एण्ड आर्डर का मामला था, राजस्थान में 26 आदमियों की जानें चली गईं 3 दशहरे के अवसर पर मर गये लेकिन हमारा मुंह बन्द कर दिया गया। यह कोई तरीका नहीं है। यह तो मर्जी आये सो कह दें और हम हमारी बात कहना चाहें तो, मान्यवर, हमें सोचना पड़ेगा। मैं गंभीरता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि यदि यही रवैया रहा मान्यवर, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले में जो दुर्घटना हुई और उदयपुर में जो दुर्घटना हुई और साथ ही मोटर एक्सीडेन्ट से विधायक घायल हुए उस संबंध में हम पहले से ही तैयार थे कि विधान सभा में जवाब देना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कभी तैयार नहीं थे····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप से ज्यादा सावधान हैं। आप कल कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव नहीं कर सके। आपको जलन इसी बात की है कि हमने एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव करने का अवसर नहीं दिया।

श्री शिवचरण सिंह : एडजोर्नमेन्ट मोशन मेरा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सबसे ज्यादा होशियार हैं। रामनारायण जी से ज्यादा होशियार हैं। ये एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं दे पाये और आपने दे दिया आपको नम्बर ज्यादा मिल गये।

मेरा निवेदन यह है कि जो वक्तव्य देने का नियमों में प्रावधान है, अगर वक्तव्य देने के बाद आपको क्लेरिफिकेशन कराना है तो आप करा सकते हैं। हाउस में कहने का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
मतलब यह है कि जो घटना है उसकी सारी स्थिति हाउस में आ जानी चाहिये। आप क्लेरिफिकेशन करा लें। आप केवल इस प्रश्न को लेकर अध्यक्ष पर आरोप लगायें कि वे विरोधी दल की आवाज को बन्द करना चाहते हैं ....

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यह बात मेरे ख्याल से तय हो गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तय हुआ था कि आधे घन्टे का समय इसके लिये देंगे।

श्री श्योपतसिंह (मकासर): सवाल यह है कि स्थगन प्रस्ताव जितने लोगों ने दिये हैं अगर आपके पहले आ जायं तो आप को पहले बोलने दें और दूसरे किसी माननीय सदस्य के आ जायं तो उनको बोलने दें। आप गलत परिपाटी डालना चाहते हैं। इसका मतलब है, आपको ही फिक्र है राजस्थान में और किसी को फिक्र ही नहीं है। यह गलत परम्परा है। यह सवाल ही क्यों आया? स्थगन प्रस्तावों के ऊपर आधे घन्टे की चर्चा हो यह तरीका गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कल स्थगन प्रस्ताव रखा था ....

श्री श्योपतसिंह (मकासर): मेरा स्थगन प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कारागृह के प्रहरियों के बारे में है। केन्द्रीय कारागार के प्रहरी हजारों की संख्या में आज कई दिन से हड़ताल पर हैं। लोग बुरी तरह से मर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दिल्ली के अन्दर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी कहा था कि मुझे फक्र है कि राजस्थान में अभी कोई आदमी गोली से नहीं मरा। यह बात तो ठीक है कि कोई गोली से नहीं मरा लेकिन जेल में लाठियों से मार दिया और जेल में मारा, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जेलों में आपकी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है। आपके लोगों के साथ मधुर सम्बन्ध थे। मैं पहले भी इस बात पर बोल चुका हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि किसी तरह से आप व्यवस्था कीजिये। आपने महसूस किया था 19 महीने जेलों में रह कर, इसलिए कुछ तो इस बात का आप अहसास करें। लेकिन मेरी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उलटे होना तो यह चाहिये था कि उन बन्दियों, जिनकी हालत देख कर आप आये थे, आपने उन प्रहरियों को टी. बी. की हालत में पहरा देते देखा है, आपने जिनको जेलों में देखा है, को सुविधा देनी चाहिये थी। उनको सुविधा देना तो अलग बात है, उनको आप भूल गये। आज हजारों प्रहरी हड़ताल पर हैं। जयपुर केन्द्रीय कारागृह में लगातार महीनों तक हड़ताल चली है। वे लावारिसों की तरह से पड़े हुए हैं। आपको ऐसी कार्यवाही करने को कोई टाइम नहीं मिला है जिससे कि हड़ताल टूटे। आपके और डी.आई.जी. के बीच में बातचीत हुई है। हमने भी बात की है। जो फैसले हुए आपने उन फैसलों को लागू नहीं किया है। उसके बाद हड़ताल हुई है। आपने बन्दियों पर लाठी चार्ज कराया जिससे जेलों में बन्दियों को चोटें आई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बन्दियों को टेररराइज किया गया है ताकि दुबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सकें। आपका

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जेलों में तन्हाइयों में 19 महीने रहना पड़ा है, आप बन्दियों की स्थिति का अहसास करें यो नहीं करें लेकिन जिन प्रहरियों के साथ में आप 19 महीनों तक जेलों में रहे हैं आशा था कि आप उनकी स्थिति में तेजी से सुधार लायेंगे। पहले बन्दी हड़ताल पर थे अब प्रहरी हड़ताल पर हैं। आज पुलिस और आर.ए.सी. के लोग जेलों में पहरा दे रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्री रामनारायण चौधरी : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जेल मंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत ही नाजुक तबीयत के हैं।

(व्यवधान)

नाजुक से मेरा मतलब यह है कि सेक्रेटरियेट नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वह नाजुक तबीयत के आदमी हैं। मुख्य मंत्री महोदय को जेल का अनुभव है, गृह मंत्री महोदय को जेल का अनुभव नहीं है लेकिन उनसे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं। मुख्य मंत्री महोदय, आपने तो जेल का अनुभव किया है। आप उनको भूल गये हैं। आप इस पर ध्यान तो देते कि क्यों हड़ताल चल रही है ? अगर कोई गैर वाजिब मांग है तो इन्कार कर दो। मगर आप उनसे बात नहीं करें उनकी बातों को आप मानें नहीं, उनको नेगलेक्ट करें तो यह सबसे बड़ा अपराध है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव ही नहीं है।

श्री नूरा : मेरा प्रस्ताव ग्राम धरमपुर, जिला अलवर के आठ कोली परिवारों के बारे में है। उनके ऊपर हमला हुआ है। इस प्रस्ताव पर समय की कमी के कारण नहीं कहा जा सका था।

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : राजस्थान की दूसरी जेलों में बन्दियों की क्या हालत है ?

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर उनसे बेगार ली जाती है। ओवर टाइम नहीं देते हैं। उनको साल में एक वर्दी देते हैं जबकि पुलिस को साल में तीन वर्दी देते हैं। उन प्रहरियों की कोई बड़ी मांग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय हिण्डोन पहुंचे हैं। मैं गृह मंत्री जी, और मुख्य मंत्री जी, आप से भी निवेदन करता हूं कि उन लोगों पर 107/151 के मुकदमे लगाये गये हैं। उस पर गृह मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिकारी लोग प्रहरियों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए और पानी भरने के लिए लगाते हैं। वे यह काम नहीं करते है तो उनको निकाल देने की बात कही जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साथ ही मैं अलवर के ग्राम, धरमपुर के बारे मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर उनको 31 बीघा के करीब जमीन मिली है लेकिन वहां के भूमिपतियों ने मिलकर जमीन छीन ली है। गृह मंत्री जी को मांग पत्र दिया था लेकिन गृह मंत्री जी ने कोई कदम नहीं

(श्री नूरा)

उठाया। भूमिपतियों ने उन परिवारों पर हमला करके उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनको यह कहा गया है कि अगर तुमने जमीन पर कब्जा कर लिया तो तुमको गांव में नहीं रहने देंगे। इस प्रकार से उनको जो जमीन अलॉट की गई थी, उससे उनको खदेड़ दिया गया है। ट्रकों में भर कर आदमियों को ले आकर उनके घरों पर हमला किया गया। इस प्रकार की घटना घटी है। मैंने निवेदन भी किया था

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए। इस की घटना घटती है तो पुलिस को ऐसे लोगों का बचाव करना चाहिए। लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। उनको कोई सहारा नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय बिलकुल निकम्मा साबित हुआ है। पुलिस से भ्रष्टाचार खतम करने की बात कहते हैं लेकिन बिना भ्रष्टाचार के पुलिस की गाड़ी चलती ही नहीं। गृह विभाग को शिकायत भेजी है लेकिन वह ध्यान नहीं देता है। अगर इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये लोग गांव से निकाल दिये जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर ऐसा होता है तो यह गृह मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी की जिम्मेदारी होगी। कोलियों के परिवारों पर हमला हुआ तो उन्हीं की जिम्मेदारी समझी जाएगी।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं जेल प्रहरियों के बारे में कहने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य नूरा जी ने जिस घटना का जिक्र किया है उसकी उनको उनके दल ने सूचना दी होगी। मैं वहां का रहने वाला हूं। उनको हरेस किया गया है उसके लिए जो कार्यवाही होनी चाहिए, वह की गई है। अगर वह उससे भी सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह वहां चले जायें। वह कानून में जो कार्यवाही बतायेंगे, वह की जायेगी। मैं इसके लिए तैयार हूं लेकिन यह नहीं हो सकता है कि किसी के ऊपर कत्ल का मुकदमा बनाया जाये। वह अपनी जमीन पर काबिज हैं। मेरी एस. पी. से बात हुई है। रात को उनको मैंने अपने मकान पर ठहराया है। उनके बारे में वाजिब कार्यवाही हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई आदमी बेदखल नहीं होगा। आप इसको राजनैतिक प्रश्न बनायें तो वह अलग बात है। हर ताकतवर वर्ग हमेशा गरीब को दबाता रहा है यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भी हो रहा है। फिर भी हम सद्भावना से इस पर विचार कर सकते हैं। हमारी नीयत पर शक नहीं होना चाहिये। आप भी उसके लिए सहयोग दें।

कारागार विभाग का एक सेवा निवृत्त प्रहरी तथा जयपुर के केन्द्रीय कारागृह का एक प्रहरी दिनांक 6-10-78 से महानिरीक्षक कारागार के कार्यालय के आगे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगों के सम्बन्ध में जो स्थिति है, वह निम्नलिखित है :—

(क) जेल अधिकारियों के घरों पर प्रहरियों से निजी कार्य न लेने के सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं

Page No 54

(54)

(श्री सम्पतराम)

और इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

(ख) प्रहरियों को राजकीय वर्दी एक वर्ष दो सेट और दूसरे वर्ष एक सेट देने का नियमों में प्रावधान है। यह प्रावधान सन् 1959 से चला आ रहा है और अभी तक पर्याप्त पाया गया है।

(ग) प्रहरियों को नियमानुसार 9 घंटे ड्यूटी देने का प्रावधान है। प्रहरियों की जो वर्तमान संख्या है उससे ड्यूटी के घण्टे कम करके 8 घण्टे करना सम्भव नहीं है। कुछ स्थानों पर प्रयोग के रूप में यह व्यवस्था करके देखी गई थी किन्तु पर्याप्त संख्या में प्रहरियों के न होने से यह प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई गई।

दिनांक 9-10-78 को प्रातः 7.45 बजे कुछ प्रहरियों ने केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के अधीक्षक तथा अन्य स्टॉफ को अपने राज्य कार्य पर जाने से बलपूर्वक रोक लिया। उनका यह कार्य अवैधानिक तथा गैर कानूनी था। इसलिए इस सम्बन्ध में 27 प्रहरियों को गिरफ्तार किया गया था जो न्यायिक हिरासत में हैं।

राज्य की 86 बन्दीगृह संस्थाओं में से केवल 3 संस्थाओं पर प्रहरियों की पूरी हड़ताल है तथा एक पर कुछ प्रहरियों ने हड़ताल की है। शेष सभी स्थानों पर कार्य सामान्य रूप से चल रहा है।

कारागार प्रहरी वर्ग एक सुरक्षा सम्बन्धी संगठन है और इसमें अनुशासन का होना अत्यन्त आवश्यक है। कारागार सेवाओं में किसी प्रकार का संघ बनाकर हड़ताल जैसी कार्यवाही करने देने से समाज की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः अनुशासन भंग करने की किसी भी कोशिश के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी और कारागार प्रहरी समुदाय में अनुशासन की स्थापना के लिये सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

मैं सदन को यह आश्वासन दिलाता हूं कि राज्य सरकार प्रहरियों की आवश्यकताओं के प्रति चैतन्य है और वित्तीय साधनों की सीमा में सभी जायज मांगों को धीरे धीरे पूरा किया जावेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कौन-कौन से बन्दीगृह हैं ?

श्री सम्पतराम : केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जिला कारागृह जोधपुर और जिला कारागार टौंक।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है आप भी उसी परिपाटी पर चलें जो पिछले तीस साल से चली आ रही है। आपने इस बात की गम्भीरता को नहीं समझा। आपने कहा कि तीन में ही हड़ताल है और इसको जस्टिफाई कर दिया। उनमें अनुशासन होना जरूरी है, तो क्या आपने या आपके अधिकारियों ने उनका मेमोरेण्डम या मांग-पत्र लेकर उनसे बात की ? आपने उनसे बात नहीं की, उनकी जायज मांगों को आपने सुना नहीं तो उनको हड़ताल के लिए उतरना पड़ा। मेरे कहने

(श्री प्रद्योत सिंह मकासर)

का मतलब यह है कि आप उन पर लाठियां नहीं चलायें। आपकी सरकार को बन्दियों और प्रहरियों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि आप उनको और ज्यादा सुविधायें देंगे तो उनको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वे आपके नौकर है, आपके सुपरिन्टेण्डेन्ट को सैल्यूट बजाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता आप यह क्या करने जा रहे हैं। यह ठीक है, उनकी समस्याओं का अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो मरता क्या नहीं करता, लोगों को लड़ना पड़ेगा। आप कांग्रेस के खिलाफ

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्यों लड़े ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण तो नहीं होना चाहिए।

श्री नूरा : मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बोलें, गृह मन्त्री जी ने तो कभी जेल की दीवारें देखी नहीं हैं····

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मैं एक दूसरा वक्तव्य दे रहा हूँ, सवाई माधोपुर जिले के बारे में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कौन सा वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मै दे रहा हूं जो 26 आदमी मर गये थे···.

श्री अध्यक्ष : सारे स्थगन प्रस्ताव तो नहीं आ सकते, माननीय सदस्य। जीरो आवर दो बजे समाप्त हो जायगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, जीरो आवर में गवर्नमेन्ट स्टेटमेन्ट दे रही है तो कैसे पार पड़ेगी।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बिजली समय पर नहीं मिलने के विषय में है। राजस्थान में हमेशा किसानों की उपेक्षा होती रही है। एक तो टिड्डियों की वजह से, खराब बीज के कारण हमेशा किसान अपनी फसल नहीं ले पाता है और जो उगाता भी है उससे भी उसको बर्बादी उठानी पड़ती है। माननीय मन्त्री महोदय, जो यहां पर विराजमान हैं, से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को बिजली 24 घंटे में पांच-छः घंटे से ज्यादा नहीं मिल पाती। शाम को पांच, छः या सात बजे बन्द हो जाती है और सुबह 9 बजे तक चालू करते है। अगर मोटरें खराब हो जायं तो उनको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। आपके कर्मचारी लोग चार, पांच, छः बजे घर चले जाते हैं, रात को खराब हो जाय तो, अध्यक्ष महोदय, शहरों में तो ठीक हो सकती है लेकिन गांवों में कुओं पर खराब हो जाय तो ठीक कराने की सुविधा नहीं मिल पाती। आप चाहें तो जांच करवा सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस बारे में अपने अधिकारियों को डाइरेक्शन भेजें।

दूसरी बात मीटरों के बारे में है, दो-दो हजार रुपये खर्च के आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह बिश्नोई : बोलने से पहले ही।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एवरेज चार्जेज के बारे में निवेदन करना है। एक काश्तकार को बिजली 24 घंटे तो दी नहीं जाती है, पांच-छः घंटे दी जाती है। मिनिमम चार्जेज फिर किस रूप में ले रहे हैं, यह समझ में नहीं आता।

दूसरी बात जो कहनी है वह यह है कि आपके मोटर डिफेक्टिव हैं। आपके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कम्पनी से डिफेक्टिव आते हैं उसके बावजूद काश्तकार से 200, 150 रुपया लेते हैं। उनको ठीक करने के लिए आपको कर्मचारी तैनात करने चाहिए, इसके लिए आपको डाइरेक्शन देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि गांवों में मोटरें जल जाती हैं इससे काश्तकारों को हजारों रुपयों की क्षति हो जाती है। तीन-चार बार मोटरें जल जाती हैं तो उनके पांच-पांच सौ रुपये रिपेयर में खर्च हो जाते हैं। अगर ठीक होने में तीन दिन भी लग गये तो वापस बंधवाये तब तक फसल जल कर नष्ट हो जाती है। फिर बिजली भी पूरी नहीं मिल पाती है। मेरा निवेदन है कि आप इन खामियों को दूर करें। साथ ही एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और जूनियर इन्जीनियर को फाइनेन्सियल पावर दी जानी चाहिए जिससे हर एक बात के लिए सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर तक नहीं जाना पड़े।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अन्दर किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने के विषय में है। अब नई फसल आने वाली है और किसानों के मन में भारी आशंका पैदा हो रही है।

मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं, हमारे जिले का उन्होंने दौरा किया था तब लोगों ने उनसे शिकायत की थी। अभी भी जिलाधीश को तहसील सोजत व पाली के किसानों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिजली की घोर अव्यवस्था के कारण किसान परेशान हैं। रबी का सीजन आने वाला है। किसान इस साल बिजली की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। इस कारण रबी की फसल अनिश्चित है कि फसल के लिए उसको कितनी बिजली मिलेगी। अगर वह 70 मन या 100 मन बोएगा तो उसको बिजली कितनी दी जाएगी। पाली जिले में जिला सतर्कता समिति की बैठक में जिलाधीश मे बात हुई, वहां एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने बताया कि ए.ईएन. सोजत व पाली के पास हजारों आवेदन फार्म पड़े हैं। बिजली इसलिये नहीं मिल रही है क्योंकि राजस्थान में कन्डक्टर्स उपलब्ध नहीं है। अगर राजस्थान में कन्डक्टर्स की कमी रही और इस सीजन में 15 दिनों में आपने कन्डक्टर्स की व्यवस्था नहीं की तो कृषि पर भारी असर पड़ेगा और उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

जब से ललित किशोर चतुर्वेदी, बिजली मंत्री बने हैं तभी से कभी फ्लैट रेट की बात करते हैं, कभी मीटर प्रणाली उठाने की बात करते हैं। मुख्य मंत्री ने भी इस संबंध में वक्तव्य दिया था कि फ्लैट रेट लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए कमेटी बिठाई थी। अखबार में भी हमने पढ़ा था। मेरा निवेदन है कि स्थिति स्पष्ट होना चाहिए थी।

(श्री सुखलाल सैंणचा)

अन्त्योदय योजना में छोटे–छोटे किसानों को बिजली देने की बात कर रहे हैं तो अगर 50 फीट से नीचे कुआं है तो उसको 10 हार्स पावर का मीटर लगाना पड़ेगा। 10 बीघा जमीन उसके पास है 1,700 रुपये अगर वह मिनिमम चार्जेज सरकार को देगा तो किस प्रकार वह गरीब किसान बच्चों का पालन-पोषण करेगा ?

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं मुख्य मंत्री से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि हमारे पश्चिमी जिलों में बिजली की अव्यवस्था है। रबी की फसल आ रही है इसलिये शीघ्रातिशीघ्र बिजली देने की व्यवस्था करें ताकि किसान की अनिश्चितता समाप्त हो।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि दशहरा के रोज रामलीला मैदान में रावण दहन था। वहां पर जिस समय एक तरफ रावण दहन का कार्य चल रहा था उस समय शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, राज्यपाल भी मौजूद थे, और भी लोग मौजूद होंगे लेकिन मुझे इन दो के बारे में तो जानकारी है, दूसरी तरफ रामनिवास बाग में चाट भंडार कैफे, और 8-10 दुकानें हैं वहां 50-60 लड़कों और असामाजिक तत्वों ने लोहे की सरिए लेकर दुकानों में प्रवेश किया। सबसे पहले पतासी वाली दुकान पर मारपीट की, सारी दुकान का सामान तोड़ दिया गया, बर्तन तोड़ दिए। आसपास के लोगों ने टोका कि यह सब क्या हो रहा है तो जितनी दुकानें थीं सबका सामान निकाल कर फेंक दिया, पेय पदार्थ की बोतलें थीं जैसे कोका कोला, रिमझिम, जितनी भी ठंडे पेय पदार्थ की बोतलें थी सबकी लूट-खसोट मचाई, कैफे की दुकान की कुल्फियां लूटी गई। नतीजा यह हुआ कि जितने लोग खड़े खड़े खा रहे थे उन सबको भागना पड़ा। एक तरफ रामलीला मैदान में तो पुलिस का इंतजाम था दूसरी तरफ राजधानी के रामनिवास बाग में, जहां हजारों लोगों की भीड़ हो, ऐसी वारदात हुई, इससे यह बात स्वयं सिद्ध हो गई ये जनता सरकार कानून व व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से अक्षम है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त करने जा रही हूं।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रेस अतिरंजित समाचार छाप रही है, दूसरी तरफ डाके, नकबजनी, महिलाओं का शील भंग, अपहरण, बलात्कार इस तरह की घटनायें हो रही है, इससे राजस्थान की राजधानी भी अप्रभावित नहीं रही है। एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि डाकुओं से काफी संख्या में आत्मसमर्पण करवाया है, दूसरी तरफ इस तरह की रोजाना वारदातें होती हैं, वह जन-जीवन को भयभीत करती हैं। आज लोग घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि वापस घर आ पायेंगे या नहीं। दूकानदारों को भी भय है, वे सोचते हैं कि दुकान खुली है लेकिन शाम को ठीक तरह से बन्द कर पायेंगे या नहीं। इस तरह का वातावरण है, कानून व व्यवस्था की स्थिति दिनों-दिन गिरती जा रही है, जन-जीवन भयभीत हो गया है इसलिए मंत्री महोदय इसकी रोकथाम के लिए कारगर उपाय करें।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। कानून व व्यवस्था को बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। ग्राम सावतकूला, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में 7 तारीख को एक मेघवाल हरिजन की निर्मम हत्या हुई। सुबह को कतल हुआ, मुलजिम कातिल सुरेन्द्र सिंह वहां से भाग गया। उसके बाद में उसके भाई रिटायर्ड कैप्टन गोविंद सिंह को पुलिस ने बुलाया और अपने पास रखा। 8 तारीख को पुलिस की ज्यादतियों, हरैसमेंट से तंग आकर उसने कुएं में गिर कर आत्महत्या कर ली। कुएं में गिरने के बाद पुलिस मोके पर पहुंची और लाश बाहर निकाली। उसने आर्मी से रिटायर होने के बाद दुकान खोल रखी थी उसकी चाबी हैडकान्सटेबल व सब इन्सपेक्टर ने अपने पास रख ली। 2 दिन तक पुलिस चाबी को अपने पास रखे रही क्योंकि उसने दुकान में 20 हजार रुपये रखे हुए थे। कैप्टन से पुलिस ने 10 हजार रुपये मांगे थे उसकी धर्मपत्नी है और उसका छोटा बच्चा नवीं क्लास में पढ़ता है। उनको कहा कि पुलिस दस हजार मांग रही है। तुम लड़के को हाजिर करो, नहीं तो तुम्हें भी फंसाया जायेगा। उसने काफी कहा कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूं भेजने की। वह मेवाड़ गया है। कातिल का बाप भी वहां मौजूद नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि उसका 20 हजार रुपया आत्महत्या करने के बाद उसकी दुकान का ताला खोल कर पुलिस ले गयी। पुलिस वह रुपया ले ही नहीं गयी, माननीय गृह मंत्री जी, बल्कि पुलिस ने दुकान पर एक दूसरा ताला लगाया। दूसरा ताला इसलिए लगाया कि पुलिस जानती थी, किसी भी समय इन्वेस्टीगेशन हो जाएगा और शिकायत हो जायेगी कि पुलिस ने रिश्वत मांगी थी। आत्महत्या के बाद उसकी दुकान में रुपये पड़े हुए थे वह ले गये तो उन्होंने दूसरा ताला लगाने का बहाना किया और उसकी चाबी उसकी धर्मपत्नी और बच्चों को दे दी।

अध्यक्ष महोदय, इस केस के इन्वेस्टीगेशन में जो कातिल है उसका नाम साबित करने के लिए वन विभाग के रिकार्ड में हेरा-फेरी की जा रही है, सब इन्सपेक्टर ने जान-बूझकर केस को रफा-दफा करने और केस को खराब करने की कार्यवाही की है। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से आपसे आग्रह है कि आप इस मुकदमे की तफतीश किसी सीनियर आदमी को और निष्पक्ष आदमी को दे दीजिए, आपके सामने सारे फैक्ट्स आ जायेंगे।

दूसरी मेरी मांग यह है कि इस सब-इन्सपेक्टर ने जिस तरह से केस को बिगाड़ा है और जिस तरह से इसको रफा-दफा करने की कोशिश की है, एक निर्दोष आदमी को हरेंत करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है यह ऐसा काम है कि इस सब इन्सपेक्टर को फौरन सस्पेन्ड किया जाना चाहिए।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मेरी श्री खेतसिंह जी से बात हो गयी है। मैं स्टेटमेंट दे दूं उसके बाद बोल लेना।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मैंने कुछ फैक्ट्स आपको सही नहीं कहे थे क्योंकि उस समय मेरे पास एफ. आई. आर. नहीं थी लिहाजा मै संक्षिप्त में इतना ही कहना

(श्री खेतसिंह राठौड़)

चाहता हूं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि आम तौर पर मेरा कभी भी विचार ख्वामाख्वाह में किसी पर एलीगेशन लगाने का नहीं रहा है। मैं इतना निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि रिटायर्ड कैप्टन श्री गोविन्द सिंह जी बहुत भले आदमी थे। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन को पुलिस का सब इन्सपेक्टर बुलाकर इस तरह से परेशान करे, उनको पीटे और बेइज्जत करे जिसके कारण से उनको सुसाइड करना पड़े इससे ज्यादा घिनौनी और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिए मैं खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी, कातिल को सजा मिलनी चाहिए। वह निर्दोष थे। महज इसलिए कि वह आर्मी में कैप्टन थे, उनके पास पैसा था और सिविल से कभी उनका संबंध रहा नहीं इसलिये सब इन्सपेक्टर और इन्वेस्टीगेशन करने वाली पार्टी के दिमाग में यही बात था कि इस आदमी के पैसे ले लिये जायें। उनको यह चिंता नहीं थी कि कातिल को पकड़ा जाये, उनको ज्यादा यह चिन्ता थी कि उनका स्वयं का पेट किस तरह भरा जाये। इतना संगीन मामला है कि बहुत ही निष्पक्ष व्यक्ति को भेजकर इसकी जांच करवाइये और सब इन्सपेक्टर को सस्पेण्ड कीजिए। रिटायर्ड कैप्टन श्री गोविन्द सिंह जी को इस तरह से परेशान किया कि जलालत में आकर इन्होंने सुसाइड किया। चौपड़ा के केस में कितना हंगामा हुआ। यदि आपके पुलिस के आदमी रिटायर्ड कैप्टन को बुलाकर परेशान करके उनको ऐसी जलालत में डाल दें कि वह सुसाइड कर लें तो इससे घिनौनी बात और कोई नहीं हो सकती।

लिहाजा मैं निवेदन करना चाहूंगा मेहरबानी करके इम्पार्शल इनवेस्टीगेशन करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दीजिए ताकि इस तरह की घिनौनी कार्यवाही पुलिस कभी भी नहीं करे।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरे क्षेत्र के पड़ोस का है। यह गोविन्द सिंह जी का ही मामला नहीं है। गोविन्द सिंह जी का मामला तो इसलिए ज्यादा बनता है कि पुलिस ने उनको इस तरह से परेशान किया कि उनको मरना पड़ा लेकिन जो सामन्ती तत्व हैं वे हमेशा इसी तरह से करते हैं। मैं पुलिस की बात बता रहा हूं कि गत वर्ष में भी एक आदमी गोली से मारा गया। वह कहते हैं कि उसने खुद गोली अपने को मार ली। उस जगह से चार मील पुलिस थाना है फिर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। लाश को जला दिया गया और पुलिस वालों ने सुरेन्द्रसिंह और फेमिली है, उससे पैसे लेकर उस केस को रफा-दफा किया। उससे यह हौंसला बढ़ा। यह जो मेघवान है वह 70 साल का बूढ़ा था। इसका सुरेन्द्रसिंह से लेना देना नहीं था। उसने अपने इलाके में धाक जमाने के लिए उस आदमी को बेरहमी से चाकू और बेंतों से मारा और घर जाकर सो गया। जब उसको पता लगा कि वह मर गया है तो वह वहां से भागा। कैप्टन गोविन्द सिंह को इसलिए तंग किया कि रिटायर्ड आदमी हैं। उन्होंने सोचा कि इस आदमी से पैसा छीना जाये। केवल पैसे के लोभ से हैड कान्सटेबल और सब-इन्सपेक्टर आये। हालांकि उनका एफ. आई. आर. में कहीं नाम नहीं है लेकिन उनको कहा कि 'नहीं' तुम्हारा नाम है। उन्होंने कहा कि, मेरा नाम नहीं है, शायद

(श्री रणजीत सिंह)

मेरे भाई का है। वह मेरी फेमिली में जरूर है लेकिन मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उसको तंग करने के बाद में पुलिस ने बुलाया और पैसा मांगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भी एक रिश्तेदार को कहा कि पुलिस पैसा मांग रही है। मैंने कहा कि पैसा मत दो। वह पैसे वाला आदमी था। गांव वालों के कहने के बाद भी पुलिस को पैसा नहीं दिया। पुलिस वाले उसके घर गये। जहां गोविन्द सिंह रहता था वहां से दो तीन मील दूरी पर एक गांव बावड़ी है वहां उनका बच्चा पढ़ता था। जब वह बच्चे से मिलने गया तब तक उसकी नीयत नहीं थी कि सुसाइड कर ले। पुलिस गयी बावड़ी गांव में बस में बैठकर और वह पैदल आया। तो रास्ते में उसके भाई ने कहा कि पुलिस घर पर बैठी है। उसने सोचा कि अब मैं कहां जाऊं क्योंकि घर पर भी पुलिस बैठी है और बावड़ी गांव में भी पुलिस पहुंच गयी है। जहां वह था उसके पास ही कुआं था। उसने तंग आकर सोचा कि कोई चारा नहीं है। हालांकि वह आदमी हिम्मत वाला था और फौज में रह कर उसने देश की सेवा की लेकिन पुलिस के भय से कुएं में छलांग लगा दी।

उसके बाद यहां तक ही सीमित नहीं रहा मामला, छलांग लगाने के बाद वहीं खतम हो गया। कम से कम उसका पहले तो सुसाइड का विचार नहीं था। उसकी एक छोटी सी दुकान की चाबी उसके पास थी। उसके बच्चे को नहीं बुलाया, किसी घरवाले को नहीं बुलाया। उसके बाद में पुलिस वाले उसकी दुकान के पास दो दिन तक बैठे रहे। हैड कांस्टेबल बैठा रहा। वहां दो दिन तफतीश किस बात की कर रहे थे? अगर उसने सुसाइड कर लिया तो दो दिन वहां पुलिस वाले क्या कर रहे थे? उसके पास पैसा था, सारे आदमियों को पता था कि उसने पुलिस को देने के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था। दो दिन के बाद पुलिस ने दूसरा ताला लगाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताला लगाने की जरूरत नहीं थी लेकिन ताला इसलिए लगाया कि यह शक नहीं हो कि पुलिस वालों ने लगाया। इससे अधिक परेशानी की बात उन बच्चों के साथ क्या हो सकती है? फिर उनको यह कहा कि किसी से कहना मत। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की बात एक गांव से दूसरे गांव में आई। उनको कहा, आपको शिकायत जरूर करनी चाहिये। अब शिकायत किस को करनी चाहिए? उसी पुलिस को करें जिसने आत्महत्या करवा दी। वहां के कांस्टेबल और हैडकांस्टेबल ने शेखावत लिखना शुरू कर दिया इसमें उनका दोष नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी शेखावत हैं तो हमारे यहां मूल सिंह ने शेखावत लिखना शुरू कर दिया। वे शेखावत हैं नहीं। मैं नहीं समझता, आपका कसूर है। उसने शेखावत लिखना शुरू कर दिया।

एक माननीय सदस्य : शेखावत सिंह या शेखावत।

श्री रणजीत सिंह : बाद में और भयभीत कर दिया। आज भी वह परिवार भयभीत है। किसी को कह नहीं सकते। श्री मेघवाल भयभीत है।

(श्री रणजीत सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज वहां पर उनके खिलाफ···

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रणजीत सिंह : आज हालत यह बन गई है इसलिए किसी सीनियर आफिसर को, जिसमें आपको विश्वास हो, भेजें। कैप्टन के परिवार की यह हालत है तो गरीब तबके का क्या हाल होगा। जिन गोविन्द सिंह ने देश की सेवा की उनका यह हाल हुआ। राजस्थान के कैप्टन गोविन्द सिंह के पीछे कोई बात नहीं हुई, अगर तफतीश बन्द हो गई तो हम भी दोषी हैं। अगर तथ्य सही है तो पुलिस आफिसरों का चालान होना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी एक घटना को लेकर माननीय परसराम जी और अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ तथ्य रखे। अभी मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि तथ्यों के विवाद पर इस स्टेज पर जाऊं। माननीय परसरामजी के दो सुझाव हैं। एक इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से होनी चाहिये। इसके लिए मेरा निवेदन है कि सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच को यह जांच दे दी जायेगी। इसकी जांच करने के लिये आई.पी.एस. से नीचे का आफिसर नहीं होगा। एक बात यह बार बार आती है कि हरिजनों का कतल किया जाता है। किसी भी भेदभाव की वजह से, बड़ी कास्ट की वजह से, पैसे की वजह से या राजनीति की वजह से नहीं. यह जांच मैं पूरी कराऊंगा चाहे कोई भी कातिल होगा, कोई मेजर हो, कैप्टन हो, कोई लाटसाहब हो। इस स्टेज पर यह कहना असम्भव है कि थानेदार को मोअत्तिल कर दूं। इसके लिए डी.आई.जी. जोधपुर को आदेश दूंगा कि अगर पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है, कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी रिपोर्ट सरकार को दे।

श्री जगतार सिंह कंग : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गंगानगर जिले का सवाल है···

श्री मदनसिंह दांता : मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकारी जयपुर से ही क्यों न भेजा जाये ?

श्री सम्पतराम : जयपुर से ही जायेगा, आई.पी.एस. ग्रेड का।

श्री जगतार सिंह कंग: अध्यक्ष महोदय, मैंने गंगानगर जिले में कपास के भावों के बारे में जो स्थिति है उसके बारे मे स्थगन प्रस्ताव दिया है।

मान्यवर, इस हाउस बहुमत किसानों का है। मान्यवर, आप, हमारे कृषि मंत्री, हमारे मुख्य मंत्री और सभी किसान हैं। आप द्वारा इस प्रस्ताव को इस तरह लिया जाय कि खुली बहस का मौका मिले और सरकार की तरफ से हमें आश्वासन दिया जाये कि हम किसानों की जिनकी मेन क्राप कपास है सारा एक साल का खर्चा डिपेन्ड है उनको आप प्रोटेक्शन देंगे। इस तरह आप उनको विश्वास में लेंगे। आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से, चीफ मिनिस्टर साहब से, किसानों की हालत के बारे में। आज गंगानगर जिले में मेन क्राप श्रावणीधान की कुछ तो नाली की वजह से खराब हो चुकी है। बाकी रही कपास, जिसके सरकार की

(श्री जगतार सिंह कंग)

तरफ से मिनिमम रेट्स का, कोई भी किसी तरह का प्रावधान नहीं है। मान्यवर चीफ मिनिस्टर साहब शायद किसानों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अब कपास की फसल किसानों के पास बची है। उस कपास को बाजार में लाने के बाद 250 रुपये, 200 रुपए व्यापारियों द्वारा लूटा जा रहा है जबकि 50 रुपये चुगाई में चले जाते हैं, बाकी डेढ़ सौ या दो सौ रुपये पर क्विंटल बचते हैं। मान्यवर, पंजाब में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में कपास के भाव गिरे हैं। पंजाब सरकार ने लोगों को यह आश्वासन दिया कि प्रोडक्शन प्राइस से भाव नीचे नहीं गिरने देंगे। काटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की तरफ से खरीद नहीं की गई तो भी पंजाब सरकार ने अपने पैसे से खरीद करने को कहा है और किसानों को होने वाले नुकसान की पूर्ति की जायेगी। तो, मान्यवर, राजस्थान में पिछले समय से ऐसा हो रहा है चाहे कपास में एरियल स्प्रे का मामला हो, चाहे भावों का मामला हो, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो, मान्यवर, अब जब कपास बाजार में आ चुकी है, कपास व्यापारियों द्वारा खरीदी जा रही है और ऐसे भावों में खरीदी जा रही है उसकी प्रोडक्शन प्राइस ही किसानों को नहीं मिल रही है और मान्यवर, हमारी सरकार की तरफ से, हमें किसी तरफ से यह आश्वासन नहीं मिला है कि सी. सी. आई. यदि माल नहीं खरीद रही है तो, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से यही आश्वासन चाहता हूं कि उन किसानों का न पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है और किसान दिन दहाड़े लूटा जा रहा है उसकी क्षति पूर्ति की जाय इसके लिये राज्य सरकार के पास क्या कोई भी योजना है? मान्यवर यही आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री दूलाराम : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समय नहीं है।

श्री जगतार सिंह : सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिलाइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक एक मिनट दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट देता हूं तो माननीय सदस्य फील करते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमें कोई शिकायत नहीं है, आपके आदेशों की पालना करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सहयोग करें।

श्री दूलाराम : हम सहयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले में भूमिहीन किसानों के प्रार्थना-पत्र, जो 21 हजार उपनिवेशन तहसीलदार और ए. सी. सी. कार्यालय में पड़े हुये हैं, के बारे में है। मान्यवर, गंगानगर जिले के भूमिहीन किसान 21000 सक्षम हैं उनको उपनिवेशन या सिंचित भूमि आवंटित नहीं की जायेगी, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गंगानगर जिले में 150 मील लम्बी राजस्थान केनाल निकाली गई है। उसके अन्दर 31 बीघा, 19375 एकड़ भूमि गंगानगर जिले की आती है 8 हजार मुरब्बा जागीरदारों को दी गई है जो दो लाख बीघा भूमि होती है तथा

(श्री दूलाराम)

1 लाख 25 हजार एकड़ भूमि बनती है। जो गंगानगर वालों को आवंटित की वह 10 हजार मुरब्बा की है वह 2 लाख 50 हजार बीघा भूमि है और 1 लाख 56 हजार 250 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस प्रकार दूसरे जिले के भूमिहीन को एक हजार मुरब्बा करीब 25 हजार बीघा भूमि आवंटित की गई है। गंगानगर जिले में केन्द्र के दो फार्म है जिसके नीचे हजारों बीघा भूमि है, 37 हजार 5 सौ एकड़ भूमि बनती है। इस तरह 5 लाख 66 हजार बीघा भूमि, जो गंगानगर की सिंचित भूमि थी, अन्य जिले वालों को दे दी गयी है। उसका राइट गंगानगर वालों को मिलना चाहिये था लेकिन उनको न देकर दूसरों को दिया गया है।

21 हजार प्रार्थना-पत्र उपनिवेशन आयुक्त के कार्यालय में पड़े हैं। उन्हें 5 लाख 25 हजार बीघा भूमि अर्थात् 3 लाख 15 हजार 625 एकड़ भूमि चाहिए। वह इस सारी भूमि, जिस पर हमारा हक बनता है, राजस्थान केनाल नहर से पानी दे रहे है। उसके बाद 1 लाख 25 हजार एकड़ भूमि और बचती है, यह मेरा निवेदन है। उपनिवेशन मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि भूतपूर्व सरकार ने इस प्रकार का बैन लगाया था। मान्यवर, मंत्री महोदय कुछ कहें उससे पूर्व मैं निवेदन कर दूं कि भूतपूर्व सरकार के समक्ष ऐसा प्रश्न नहीं आया होगा कि हमारे गंगानगर जिले की इतनी भूमि दूसरों को दी है। वहां के 21 हजार प्रार्थना-पत्र हैं उन 21 हजार प्रार्थना पत्रों में से 12 हजार अनुसूचित जाति के और 3 हजार अनुसूचित जन जाति के और 4 हजार अन्य जातियों के प्रार्थना-पत्र हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कि वे घोषणा करें कि गंगानगर के भूमिहीन किसानों को आवंटित करेंगे।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये माननीय उप मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डेगाना तहसील में एक गांव है छाबाबास वहां पानी की बहुत बडी समस्या है। वहां के कुओं का पानी जहरीला हो गया है। सन् 1975 में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ से सारे कुओं का पानी अचानक जहरीला हो गया और गांव छाबाबास है वहां की पंचायत समिति ने 1976 में एक प्रस्ताव भी जिलाधीश महोदय को भेजा था। दो बार स्वीकृति के लिये भेजा गया और, मान्यवर, राज्य मंत्री जी भी इस समस्या से जानकार हैं। केवल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर नागौर जिले में पानी की कोई योजना स्वीकृत नहीं होती तो हम भी यह सोचते कि कोई योजना पानी की स्वीकृत नहीं हो रही है और योजना स्वीकृत होगी तो जहां का पानी जहरीला हो गया है नागौर जिले में ऐसे चार गांव हैं, जहां का पानी जहरीला है–भागवाशी, चन्दावास, और डागड़ा और मेरा निवेदन है डागड़ा गांव को भादूसी से पानी दिया जाय और भागवाशी को मोगा से पानी दिया जाय जहां पानी की क्षमता है ··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पिछली बार मैंने इसको आधा घंटे की चर्चा में भी उठाया था और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि जल्दी से जल्दी इन गांवों की समस्या को सुलझाया जायगा। आज बहुत सारे लोग उस गांव के आये हुये हैं। मेरा

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

सुझाव है, अगर पानी का इन्तजाम नहीं हो सकता है तो जहां जहरीला पानी है वहां से उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाय। मैं निवेदन करता हूं, मुख्य मंत्री जी, इन गांवों का पानी जहरीला है, मेडिकल रिपोर्ट है और आपके यहां से आदेश दिये गये हैं कि इन कुओं को कतई बन्द कर दिया जाय, क्योंकि आदमी और मवेशी मरने की आशंका है। मुझे विश्वास दिलाया गया था, मैंने इस प्रश्न को 4-10-76 को भी उठाया था और 26-7-77 को भी उठाया था। उस समय यह सूचना दी गई थी कि समस्या का हल जल्दी ही किया जायगा। आधे घंटे की चर्चा के दौरान भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं इन गांवों में जल्दी से जल्दी कोई न कोई व्यवस्था कीजिये।

श्री भैरोसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य परसों मुझ से मिल लें। मैं उसी समय चीफ इंजीनियर को भी बुला लूंगा। बैठकर डिसकस कर लेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमारे जालोर जिले में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति काफी उत्पन्न हो गई है, मैं उस सम्बन्ध में अकाल सहायता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल भी माननीय मंत्री जी ने कुछ क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने की कोशिश की थी लेकिन बाद में ऐसा मालूम हुआ कि मंत्रिमण्डल के रिजोल्यूशन के बिना अकालग्रस्त घोषित नहीं कर सकते हैं। राजस्व अधिकारियों ने ऐसा बताया था फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने निर्णय लिया कि कुछ गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं कर सकते हैं तो भी अकाल राहत कार्य जरूर खोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार को मालूम होगा और आपको भी मालूम होगा कि इस साल भी वही स्थिति है जो पिछले साल थी। एक तरफ तो टिड्डी आ गई है और उन्होंने पड़ाव डाल दिया है और दूसरी तरफ सांचौर क्षेत्र में पिछले साल भी अकाल रहा था और इस साल भी अकाल है। इतना भयंकर अकाल है कि 63 विलेजेज में पीने के पानी की समस्या हो गई है। वहां पानी खारा है। पानी खारा होने की वजह से खुजली 50 परसेन्ट लोगों को हो गई है। आप सर्वे करा लीजिये और रिपोर्ट मंगवा लीजिये कि 50 परसेन्ट लोग बीमार हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने पिछले साल यह जवाब दिया था कि हमारी काम करने की तैयारी नहीं थी। मैं आपका ध्यान अभी से आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो भी कार्य करना चाहती है, पहले कौन से काम लेगी, उनकी एक रूपरेखा अभी से तैयार कर लें।

दूसरे, जो राजस्व की रिकवरी हो रही है उसे तुरन्त रोकिये। सारी फसल खेत में नष्ट हो गयी है। लोगों के पास रिकवरी में देने को पैसा नहीं है। बिलकुल बुआई नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है। ऐसी हालत में रिकवरी को बिलकुल रोक दीजिये। गरीबों के खेत नीलाम हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो भी कार्यक्रम है, आपका

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जो भी प्रोग्राम है उसकी अभी से तैयारी कीजिये ताकि आगे काम कर सकें वरना आदेश के अनुसार तो जैसे पहले के काम की इन्क्वायरी चल रही है उसी तरह का काम होगा और सही काम नहीं हो सकेगा। मेरा निवेदन है पहले से कोई प्रोग्राम बनाइये, उसका एस्टीमेट बनवा लीजिये वरना पहले जैसे लोग गुजरात में चले गये थे वैसे ही इस साल भी इस इलाके के लोगों को बाहर जाकर मारा-मारा फिरना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी नाम है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सिरोही जिले में जब बरसात की शुरुआत हुई थी तो बरसात एक साल में काफी हो गई और जो फसल बोने का समय था उसमें फसल नहीं बोई गई। अभी थोड़े समय पहले, 5-7 रोज पहले बरसात हुई थी वह भी 5-7 गांवों में डेढ़ महीना निकल गया और वहां की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। जो कुछ घास-बास खेतों में थी वह काट कर ले गए थे। उसके बाद कुछ छींटे पड़े वे रबी की फसल के लिए तो ठीक हो सकते हैं लेकिन खरीफ की फसल डेढ़ महीने तक बारिश नहीं होने से नष्ट हो गई। खरीफ की फसल कुछ भी नहीं हुई। वहां जो लोग हैं उनमें से, 70 प्रतिशत लोगों की जीविका खरीफ की खेती पर निर्भर रहती है। उन लोगों के पास दूसरा कोई धन्धा नहीं होने से उन्हें मजदूरी के लिए दूसरी जगहों पर भागना पड़ा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप अभी से कलेक्टर महोदय को आदेश फर्मायें कि इसको थोड़ी गंभीरता से लें और जो गिरदावरी करते हैं उनको भी आदेश दें कि सही ढंग से गिरदावरी करें ताकि जिस तरह की समस्या का जिक्र मैंने आपके सामने किया है वह सामने नहीं आवे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति हो कि अकाल की स्थिति बन जावे और अकाल घोषित करना पड़े तो पहले जो अकाल के काम खोले गए और बाद में जाकर गर्मियों में जाकर, होली के बाद काम शुरू हुये तब तक लोग बाहर चले गए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं।

मजदूर बाहर चले गये, गुजरात में चले गए और मजदूरों को काम पर नहीं लगा सके। वे काम भी अधूरे पड़े हुए हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनको पूर्ण कराने के आदेश भी प्रदान करें।

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 15 अक्टूबर तक गिरदावरी करने के आदेश दिये हैं और जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। कोई इस प्रकार की गलती नहीं होने देंगे जिससे काम खोलने पड़े तो जल्दी नहीं खोल सकें। कोई प्रपोजल आने में देरी हो इस प्रकार की सम्भावना नहीं होगी।

श्री सुखलाल सैणचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जिलों में अकाल की हालत है। पाली जिले में सब जगह फसल खराब हो गई है। वहां पर अकाल घोषित किया जावे।

66

श्री रतनाराम चौधरी : बाड़मेर जिले की हालत बहुत खराब है, वहां पर जल्दी अकाल घोषित कर दीजिए।

श्री जयनारायण पूनिया : सभी जिलों के लिए यह है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : एक परिपाटी पड़ी हुई है कि रिपोर्ट बढ़ा-चढ़ा कर ही बना कर भेजते हैं। मैं अनुरोध करूंगा, आप आदेश दें कि सही रिपोर्ट बना कर भेजें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रथम रिपोर्ट मंगवा लें। बुआई हुई ही नहीं है।

शासकीय वक्तव्य

बाड़मेर जिले में 1300 भूमिहीन परिवारों को आवंटित भूमि के नियमन के आदेशों की अनुपालना पर रोक

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के बारे में जो प्रश्न उठाया गया था उसके विषय में वक्तव्य दे रहा हूं।

बाड़मेर जिला राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का एक वर्ग है। सूखा सम्भावित ऐसे मरुस्थलीय जिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम हाथ में लिए गये हैं। उस प्रोग्राम के सिलसिले में विशेषज्ञों की सलाह पर पिछली सरकार के समय से ही भूमि के आवंटन पर रोक लगा दी गई थी। इस रोक का उद्देश्य यह था कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाकर जिन कार्यों के लिए इस भूमि का उपयोग उचित समझा जावे, उन कार्यों के लिए वह भूमि उपलब्ध की जावे। उस प्रोग्राम के अन्तर्गत चरागाह विकास, गोचर सुधार, वन विकास, पशुपालन विकास के कार्यक्रम रखे गये हैं क्योंकि विशेषज्ञों की सर्वमान्य राय के अनुसार इन जिलों के लोगों की आर्थिक प्रगति के लिए जमीनों का इन प्रोग्रामों के लिए उपयोग उचित है और योजनाबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। पड़ी हुई भूमि को कृषि के लिए दिये जाने से रेगिस्तान का विकास होगा और दिन-प्रतिदिन यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होगी। आवंटन पर यह रोक जिला बाड़मेर में ही नहीं वरन् राजस्थान के अन्य जिलों में भी लागू हुई है जिनमें जैसलमेर, जालौर, जोधपुर इत्यादि भी हैं।

बाड़मेर व अन्य रेगिस्तानी जिलों में सिवाय चक भूमि के अलावा उन अल्प संख्यक लोगों की जमीनें भी खाली पड़ी हुई हैं जो कि गांवों को छोड़ कर चले गये हैं। इस प्रतिबन्ध के कारण न तो सिवाय चक की भूमि और न अल्प संख्यक वर्ग के लोगों की यह जमीन, जिसके लिए यह प्रयास किया जाता रहा है कि वह जमीन उन्होंने छोड़ दी है, किसी को आवंटन की जा रही थी इस संबंध में दिनांक 1 सितम्बर, 1974 को राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये थे कि इस सूखा सम्भावित क्षेत्रों में सिवाय चक भूमि चरागाह विकास के लिए आरक्षित की जावे क्योंकि इससे इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति के सुधार में सहायता मिलेगी। इसके पश्चात् सीलिंग की सरप्लस भूमि के आवंटन पर विचार किया जाकर दिनांक 3–9–75 को आदेश दिया कि आवंटन प्रतिबन्ध सरप्लस भूमि पर लागू नहीं होगा। इन सभी निर्णयों के उप-

(श्री पुरुषोतम मंत्री)

रान्त इमर्जेन्सी के समय दिनांक 20 सितम्बर, 1975 को यह आदेश जारी किये गये कि राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को इस समय लागू आदेशों के अनुसार नियमित किया जावे। फिर अप्रैल 1977 में चुनाव के कुछ ही समय पश्चात् पिछली सरकार ने यह आदेश जारी किये कि दिनांक 30 जून, 1975 के सभी अतिक्रमण उसमें दिये गये उपबन्धों की पालना होने पर नियमित किये जावें। प्रकटतया यह आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के आदेश पर लागू नहीं होते क्योंकि दिनांक 30 जून, 1975 तक के अतिक्रमणों को नियमित करने का कोई उल्लेख दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के आदेश में नहीं है, जो सूखा सम्भावित क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

यहां यह भी बताना उचित होगा कि सूखा सम्भावित क्षेत्रों की सम्पूर्ण समस्याओं पर मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1976 को विचार किया जाकर निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

"राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के ज्ञापन संख्या ए.3 (16) राज./ग्रुप-3/73, दिनांक 3 मार्च, 1975 में वर्णित मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न कर मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने व स्थानीय पशुधन, जिसमें बकरियां व भेड़ भी सम्मिलित हैं, के विकास के लिए विशिष्ट योजना बनाने हेतु समिति के गठन सम्बन्धी राजस्व मंत्री महोदय के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया तथा पैरा 5 के प्रस्ताव संख्या 1 के बारे में निर्णय लिया गया कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू इन आठ मरुस्थलीय जिलों में से एक हैक्टेयर तक के टुकड़े में स्थित भूमि के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन न किया जावे।"

इस निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-4-76 को आदेश जारी किये जाकर आवंटन पर प्रतिबन्ध लगाया गया और आदेश दिया गया कि एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सिवाय चक भूमि को मरुस्थलीय विकास के लिए आरक्षित रक्खा जावे। इस आदेश के कारण 1 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के टुकड़े का आवंटन नहीं किया जा सकता था। क्योंकि नियमन आवंटन का ही रूप है और नियमन आवंटन नियमों के आधार पर किया जाता है इसलिए इस प्रतिबन्ध के कारण नियमन नहीं किया जा सकता।

जैसा सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सरकार वर्तमान में सरकारी राजकीय भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण को प्रोत्साहन देना उचित नहीं समझती और सूखा सम्भावित क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को देखते हुए, और वहां के लोगों की आर्थिक हालत में सुधार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वहां इन नियमों और आदेशों की पूर्णतया पालना चाहती है। पिछले राजस्व अभियान के दौरान पिछली सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न तारीखों में जारी किये गये उपरोक्त परिपत्रों के कारण कुछ गलतफहमी और शंकायें हो जाने से राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय दिनांक 21-4-76 एवं वर्तमान सरकार की स्पष्ट नीति के उपरान्त नियमन के रूप में आवंटन किये

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

जाने की प्रारम्भिक कार्यवाही उन व्यक्तियों के पक्ष में शुरू किये जाने की सूचना मिलने पर एवं अल्प संख्यकों द्वारा छोड़ी गई जमीनों पर पुरानी सरकार की नियमन करने की ढिलमिल नीति के कारण अतिक्रमण कर रखे थे, यह सूचना राज्य सरकार को मिलने पर, यहां से तुरन्त आदेश जारी कर इस गलत कार्यवाही को रोक दिया गया, और समस्त स्थिति का भली-भांति परीक्षण करवाया जाकर आदेश दिया गया कि सूखा सम्भावित क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों की राय के आधार पर लगाये गये आवंटन के प्रतिबंध को अपरोक्ष रूप से नियमन के माध्यम से तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यहां यह भी कह देना उचित होगा कि इस जिले की समस्त राजकीय उपलब्ध भूमि को, जिसमें वह भूमि भी है जिस पर यह अतिक्रमण किये गये हैं, ध्यान में रखते हुए शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना बहुत पहले बनाई जाकर केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है। अतिक्रमण के नियमन का इस योजना पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा और राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। जिस जमीन को शुमार करके पुनर्वास की यह योजना केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की गई है, उस पर अतिक्रमियों को आवंटन करने से हजारों व्यक्तियों, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के परिवार हैं और जो इस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का एक अंग बन गये हैं, की पुनर्वास व उत्थान की योजना खटाई में पड़ जायेगी और केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुनर्वास के आश्वासन पूरे नहीं किये जा सकते, इसलिए इस प्रकार के नियमन उचित नहीं होंगे। उपरोक्त तथ्यों से भली भांति स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस निष्कर्ष से सहमत होंगे कि न तो नियमन सूखा सम्भावित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के हित में है और न अतिक्रमण को प्रोत्साहन देना प्रशासनिक व्यवस्था एवं शांति के हित में है और न इस प्रकार का नियमन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार है। इतना ही नहीं, हमने जो केन्द्रीय सरकार को पुनर्वास के बारे में आश्वासन दिये हैं, उनको देखते हुए भी इस प्रकार का नियमन उचित नहीं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लोगों की उचित मांग के प्रति पूर्ण सहानुभूति का रुख रखती है इसलिये इसमें छूट दी जाकर उन परिवारों के लिए, जो कि सबसे कमजोर तबके के हैं, इस समस्त क्षेत्र में भी आवंटन का प्रावधान कर दिया गया है। राज्य सरकार के हाथ में जो योजनायें इस क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास के लिए हैं, उनका सही पालन करने के लिए उपलब्ध भूमि का अन्य लोगों को आवंटन करने पर प्रतिबंध बनाये रखना आवश्यक है। इस दृष्टि से इस प्रतिबन्ध को लागू रखना, आर्थिक विकास, चरागाह विकास तथा योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक समझती है। इन लोगों को अतिक्रमण के माध्यम से जो लाभ मिल सकता था, उससे बहुत अधिक लाभ उन योजनाओं के क्रियान्वयन से मिलेगा, जिनकी सफलता इस प्रतिबन्ध को बनाये रखने पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन का प्रश्न।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न यह है कि डी.पी.ए.पी. के तहत 8 जिलों में भूमि आवंटन राज्य सरकार के आदेश से बंद किया गया था, क्या यह सही है? क्या यह सही है कि सीलिंग में अवाप्त भूमि, जिस पर अतिक्रमण किया गया था, का नियमन किया है? चूरू कलेक्टर के रैफरेन्स के बाद यह आदेश दिया गया था कि सीलिंग में अवाप्त भूमि नियमन के लिए है, यह नियम लागू नहीं है, क्या यह सही है?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैंने कह दिया है।

श्री गंगाराम चौधरी : आपने नहीं कहा है।

पिछले साल राजस्व अभियान के दौरान 4 अक्टूबर, 1977 और उसके बाद नवम्बर में आवंटन किए गए हैं। सलाहकार समिति की अध्यक्षता एस.डी.ओ. और आर.ए.एस. अधिकारियों ने की थी और जो अतिक्रमणी लोग थे, उनके अतिक्रमण को नियमित कर दिया गया है।

क्या यह सही है कि आपने जो आदेश आवंटन को बंद करने का जारी किया है, वह राजस्व अभियान सम्पूर्ण होने के बाद जारी किया है?

क्या यह सही है कि राजस्व अभियान के दौरान जो केसेज नियमन के हुए थे, लगभग 2500 परिवार तो अकेले चौहटन तहसील के हैं उनमें 1300 परिवारों की 70 हजार बीघा जमीन का नियमन इस राजस्व अभियान के दौरान, आपके आदेश जाने के पूर्व एक अधिकृत अधिकारी द्वारा कर दिया है?

क्या यह सही है, अध्यक्ष महोदय, एक स्टेट्यूटरी आर्डर है और जो आवंटन न करने का आदेश बाद में जारी किया गया है वह एक एक्जीक्यूटिव आर्डर है? क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव आर्डर के पूर्व जो स्टेट्यूटरी आर्डर जारी किया गया था उससे आपका यह आदेश रद्द हो जाता है?

क्या यह सही है कि जो नियमन आपने राजस्व अभियान के दौरान किए, उनको आप कायम रखने के लिए आदेश जारी करेंगे और यह एक्जीक्यूटिव आर्डर किसी हद तक रद्द करेंगे? इसके पश्चात् भी इस वर्ष आपने कुछ आवंटन करना आरम्भ किया है और उनमें भूमिहीन शरणार्थियों को आवंटन किया जा रहा है? क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता न देकर आप पहले उनको आवंटन करेंगे या नहीं, या जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हैं उनको ही प्राथमिकता देंगे? इस बारे में आपकी क्या नीति है?

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय मेरे और क्वेश्चन हैं।

एक प्रश्न यह और है। जो लोग पाकिस्तान चले गये थे तथा 163–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत आपने जो जमीन सिवाय चक घोषित कर दी है वह जमीन भी अवेलेबल फार अलाटमेंट है? उस जमीन पर नाजायज कब्जे का भी, राज्य सरकार के पूर्व के आदेश के अनुसार इस जमीन पर किए गए अतिक्रमण को भी

(श्री गंगाराम चौधरी)
एस. डी. ओ. ने वहां की सलाहकार समिति की सलाह से बाकायदा नियमन कर दिया है? यदि हां, तो इन सब आवंटनों और नियमनों को आप किस प्रकार से रद्द करने जा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि राजस्व मंत्री महोदय ने, अध्यक्ष जी, यहां पर बताया है कि डी.पी.ए.पी. जिलों के अन्तर्गत अलाटमेंट और रेगुलराइजेशन बन्द हैं, अगर यह बन्द हैं तो अक्टूबर, 77 में जो राजस्व अभियान चला था और उस वक्त जोधपुर जिले के जितने भी ट्रैसपासर थे, जो 1–7–75 के पहले इलेजिबल थे उनको रेगुलराइज कर दिया गया है, इसी प्रकार बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, इसका क्या कारण है ? मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें। जब यह आदेश एक्जीक्यूटिव निकला और जब 1–7–75 के ट्रैसपासर के रेगुलराइजेशन का आदेश है, एग्रीकलचर पर्पजेज लैण्ड अलाटमेंट रूल्स, 1970 की धारा 30 के अन्तर्गत अगर इस प्रकार का नोटिफिकेशन हो जाता है तो आपका नोटिफिकेशन यह जो एक्जीक्यूटिव आर्डर है फरवरी, 1978 का है, यह कैसे है ? इसकी क्या स्थिति है ? इसको आप स्पष्ट कर दीजिए। फरवरी, 1978 के पहले अलाटमेंट रूल्स के अन्तर्गत आवंटन हो गया तो आपका यह आर्डर एक्जीक्यूटिव आर्डर, स्टेट्यूटरी रूल्स के नीचे कैसे होगा ?

तीसरा प्रश्न यह है कि आपने यह आश्वासन दिया है और भारत सरकार को भी दिया है कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को आप रिहेबिलिटेट करेंगे। आप यह आश्वासन दे रहे है और कह रहे हैं कि उनको रिहेबिलेट करने के लिए वहां के गरीबों को हटाया जाएगा तो क्या यह न्यायसंगत है ? आपका यह आश्वासन सब तरह से आर्बीट्रेरी है और एब्सोल्यूटली रांग है। ऐसा आश्वासन आप दे नहीं सकते। बाड़मेर के जो गरीब लोग हैं, हरिजन और अल्पसंख्यक उनको आप वहां से हटा रहे हैं और उनकी कीमत पर उन लोगों का रिहेबिलिटेड कर रहे हैं। ये नान, क्लेमेंट डी. पोज हैं। इस प्रकार नान क्लेमेन्ट डी. पोज को प्रोत्साहन देना और जो भूमिहीन लोग हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स, माइनोरिटी के लोग हैं, उनको हटाना क्या उचित है ? इस प्रकार का आश्वासन गरीबों के खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर डी पी.ए.पी. की एक बड़ी योजना है। चरागाह की योजना है। 100 एकड़ जमीन में गोचर विकास की योजना बनाई गई है। इस गोचर विकास, चरागाह विकास कार्यक्रम में जबर्दस्त अड़चन आएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्लानिंग कमीशन ने इस 100 एकड़ की योजना को मरुस्थल विकास के लिए स्वीकृत किया है। यह कामयाब होता है या असफल होता है किन्तु उसकी ओट में आप यह अलाटमेंट करना चाहते हैं। आपने एक लम्बा चौड़ा भाषण स्टेट्यूटरी आर्डर और दूसरे आर्डर के बारे में यहां पर दे दिया। अब आप बाड़मेर में अलाटमेंट कर रहे हैं। शिव तहसील, बाड़मेर तहसील में अलाटमेंट किया है वह कौन से कानून में किया गया है? किस को कर रहे हैं ? कृपा करके यह बता दीजिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दिनांक 2-8-78 को कलेक्टर बाड़मेर ने मंत्री, जनता पार्टी को सूचित किया है कि "उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार केवल अन्त्योदय योजना में चुने गये या शरणार्थी को ही भूमि का आवंटन किया जा सकता है, अन्य को नहीं।" मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 2500 केसेज, बाड़मेर के भीलों के, हरिजनों के पेंडिंग है इस सम्बन्ध में, मंत्री महोदय, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। तहसीलदार चौहटन ने केस नम्बर 90/78 में सरकार वर्सेज रूपा मेघवाल, का साढ़े आठ बीघा जमीन पर संवत् 2027 से कब्जा किया हुआ माना है और उसने यह सिफारिश की है कि यह भूमि नियमन होने के योग्य है।

लेकिन राजस्व अभियान के बावजूद भी भूमि का नियमन नहीं किया गया। 27-7-78 को आर्डर दिया गया कि रूपा मेघवाल की जमीन का नियमन नहीं किया जाय और जमीन बेदखल की गई।

श्री मूलचन्द्र डागा : शेम ! शेम !

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम राजस्व अभियान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बोनाफाइड केसेज हैं उनका नियमन नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने रैफरेन्स दिया है कि धारा 63,64 के अन्दर जमीन का नियमन नहीं किया जाय धारा 63 के तहत सिवाय चक के अलावा किसी जमीन का नियमन करने में आपत्ति नहीं है। 146/75 में आपने नियमन खारिज किया। श्री रूपा मेघवाल का पुराना कब्जा है। 25 साल का कब्जा है। वह भूमिहीन है, उसकी भूमि का नियमन नहीं किया गया। जलाल पुत्र कुम्भा भील, प्रकरण नम्बर 85/178 में तहसीलदार चौहटन ने सिफारिश की थी। इसी तरह सरकार बनाम मेघवाल में 42 बीघा जमीन की सिफारिश थी। मोती मेघवाल-36½ बीघा जमीन-इन सभी लोगों की जमीनों का नियमन नहीं किया गया बल्कि 50 गुना, 100 गुना पैनल्टी लगा कर अत्याचार हो रहा है। धारा 63,64 में कोई भी प्रोवीजन नियमन में बाधक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक हरिजनों, मेघवालों या भीलों का सवाल है, उनके सम्बन्ध में सरकार उदार नीति अपनावे, यह उचित होगा।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी जब इस पर चर्चा हुई थी तब सारी बात आपके सामने रखी थी। मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखा था, आपको भी लिखा था। आज आपके उत्तर से मुझे यह समझ में आया कि बाड़मेर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों, जो भारतीय नागरिक हैं, पर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, और जो रिफ्यूजीज वहां आये हैं उनको अलाट करने की बात आप सोचते हैं। कलेक्टर ने जनता पार्टी के मंत्री को जो चिट्ठी दी है उसका जिक्र हो रहा है उससे तो आपका जो अन्तर्निहित इरादा है वह साफ मालूम होता है कि उनसे जमीन छीन कर शरणार्थियों को दी जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शरणार्थियों को जमीन अलॉट हो इसके हम खिलाफ नहीं हैं, बहुत जमीन पड़ी है। मैं फिर दोहराता हूँ कि जो पाकिस्तान से आये हैं वे हिन्दुस्तान के

(श्री मथुरादास माथुर)

शरणार्थी हैं उनको बसाने की दावेदार हिन्दुस्तान की सरकार है, राजस्थान की सरकार का तो सहयोग होना चाहिये । इसके बाद जिले की जमीन के हिस्सों में उनको बसाने के लिये जमीनें दीजिये । जो वहां के आदमी हैं, लोकल आदमी हैं, उनके सामने आप समस्या पैदा कर रहे हैं । शरणार्थियों को फायदा हो इसके लिये शिव में और जगह बहुत है । हम सहयोग देने को तैयार हैं । कुछ जैसलमेर में, कुछ राजस्थान केनाल में जमीन देने को हिन्दुस्तान सरकार को कहें । मगर वहां जो लोकल आदमी बैठे हुए हैं उनका आवंटन कैंसिल किया जाय और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर जमीन का आवंटन सिर्फ शरणार्थियों को किया जा सकता है, तो मैं राज्य सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस पर चिंतन करें और चिंतन करने के बाद आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हम उसमें सहयोग देने को तैयार हैं मगर इसके साथ--साथ जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं, भील हैं, माइनोरिटीज के लोग हैं उनके लिये समस्या पैदा न करें । इससे लॉ एंड आर्डर बिगड़ेगा और शरणार्थियों को भी नुकसान होगा । बोर्डर पर झगड़े होंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करें ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरे वक्तव्य पर कुछ प्रश्न उठाये हैं । माननीय गंगाराम जी ने यह कहा है, फर्माया है कि यह जो प्रतिबन्ध है वह सीलिंग में अवाप्त भूमि पर लागू नहीं होता । यह तो मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो तत्कालीन सरकार थी उसका आदेश था कि जो सरप्लस लैण्ड है उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ।

दूसरा प्रश्न यह उठाया कि राजस्व अभियान के दौरान अतिक्रमणों का नियमन कर दिया गया । यह बात सही है, कमेटी नियमन करने जा रही थी लेकिन राज्य सरकार को मालूम हुआ तो आदेश दे दिये कि नियमन नहीं किया जाय । इसका नतीजा यह हुआ कि पट्टे नहीं दिये गये । नियमन is an allotment. नियमन के मायने हैं अलाटमेन्ट । एक तो आवंटन होता है सिवाय चक जमीन का जिसको खालसा जमीन कहते हैं । दूसरे को अतिक्रमण करें उस अतिक्रमण का नियमन कर दिया जाय । तो यह दूसरे प्रकार से आवंटन ही है । इसलिये मैंने कहा कि इसके जो आदेश दिये गये थे वे बिल्कुल सही हैं ।

दूसरी बात यह है कि एक्जीक्यूटिव आर्डर से आर्डर निरस्त नहीं होते । मैं माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र में अलाटमेन्ट को बन्द कर दे । धारा 14(4) के तहत जहां कलेक्टर निरस्त कर सकते हैं, राज्य सरकार भी निरस्त कर सकती है, इसलिये यह कहना गलत है एक्जीक्यूटिव आर्डर से निरस्त नहीं कर सकते । राज्य सरकार को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत और अलाटमेन्ट के जो रूल्स हैं उनके तहत पूरा अधिकार है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आर्बीट्रेरी पावर नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय रामनारायण जी, पूरी बात तो सुन लीजिये ।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

तीसरी बात यह है कि आवंटन पूरा करें, इसका जवाब बाद में दूंगा।

एक यह कहा जाता है कि जमीन के आवंटन में जो बाड़मेर के लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जाय। सन् 1965 में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई हुई, फिर 71 में हुई। नतीजा यह हुआ कि चोहटन तहसील के सैकड़ों, हजारों मुसलमान थे वे भारत की सीमा को छोड़ कर पाकिस्तान चले गये, दोनों ही युद्धों के अन्दर। विरोधी सदस्य, जो इतनी भारी बात करते हैं, यह धारा 60 और 63 बनी है, यह आपकी सरकार में माइनोरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाली धाराएं बनी हैं। 60,61 और 63 धारा हैं, इसमें पहले ही आवंटन की थ्योरी, अबण्डनमेन्ट की थ्योरी, एक्सटिंगुइशमेंट की थ्योरी, इन्टरोड्यूस की। तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के लिए आपका बनाया हुआ कानून है। मैं निवेदन करूं कि 65 और 71 में लड़ाई हुई तो हजारों मुसलमान पाकिस्तान चले गये। जो लोग वहां रह गये उन्होंने वहां अबण्डनमेन्ट कर लिया। 60-61 सैक्शन इस प्रकार का है। वह जमीन छोड़कर चले गये, भले ही वह पाकिस्तान नहीं गये हों, अब उनमें से कई व्यक्ति आ गये और कहने लगे कि हम तो गुजरात चले गये थे। उनको स्टे आर्डर किया है। इस तरह से जो जमीन छोड़कर चले गये थे, उनके जो और भाई बन्द हैं, उन्होंने उन भू-खण्डों पर कब्जा किया हुआ है। माननीय सदस्य की अगर यह इच्छा है कि दूसरों की जमीन पर उनका नियमन कर दिया जाये तो राज्य सरकार ऐसा नियमन करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि सारे मुसलमान जमीन छोड़कर चले गये भले ही वह पाकिस्तान नहीं गये हों लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि जो जमीन छोड़ कर गये हैं, उनकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, उसका नियमन कर दिया जाये, यह नहीं होगा।

(व्यवधान)

आप सुन लें। पहले सुन लें।

इस बात को छुपा कर, इस प्रश्न को इस तरह से सदन में रखना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

एक बात गंगाराम जी ने कही है। उनकी जमीन के नियमन कर दिये गये हैं, जो पाकिस्तान जाने वाले थे। एक बात मैं निवेदन कर दूं जो अबेण्डन करके चले गये थे एक प्रकार से राज्य सरकार उनकी ट्रस्टी है। यद्यपि इवेक्यू प्रापर्टी वह नहीं है, लेकिन जो विदेश चले गये हैं राज्य सरकार उनकी ट्रस्टी है। फिलहाल राज्य सरकार आवंटन नहीं करना चाहती है। 3 लाख बीघा के करीब ऐसी जमीन है। यह अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व है। जो कोई दूसरे देश को चला जाये तो उसके मामले जो इण्टरनेशनल ला है, उस खास कानून के द्वारा तय किये जायेंगे। इसलिए भी जिन्होंने उन जमीनों पर कब्जा कर लिया है, उनका नियमन नहीं करना चाहते हैं। माननीय परसराम मदेरणा ने कहा है कि जोधपुर में ऐसा कर दिया गया है। मुझे इसका पता नहीं है। मैं जानकारी हासिल करके माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा। धारा 20 के लिये भी कहा गया है उसका जवाब दे दिया गया है। अब यह पालिसी है यह न्यायसंगत है या रेशनल है,

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
इसके बारे में केटेगरीकली निवेदन कर सकता हूं। इसके ऊपर विचार किया जाएगा। आज के बदलते हुए सन्दर्भ में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की तीनों धाराओं पर विचार किया जायगा। जैसा कि माननीय माथुर साहब ने कहा है कि लोकल आदमियों को दे दी जाये। तो मैं माननीय माथुर साहब को निवेदन करता हूं–it is a sort of international obligation, क्योंकि आप जानते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व है इस सरकार पर। इसलिए यह कहना कि वहां के स्थानीय लोगों को वंचित रखना चाहते हैं, यह नहीं है। शरणार्थियों को बाड़मेर में भी बसाया जाएगा। कई हजार राजस्थान केनाल पर भी भेजे जायेंगे। जैसलमेर में भी बसाने का इरादा है। जैसा कि माननीय मदेरणा साहब ने कहा है इस बारे में चिन्तन किया जाकर निर्णय जरूर सरकार करेगी लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा इतना ही निवेदन है कि अभी तो आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वहां पर 30% माइनोरिटी के लोग हैं। 60% शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, 10% अदर्स हैं।

(व्यवधान)

आप सुन तो लें।

जो अन्तर्राष्ट्रीय नेशनलिटी का जिक्र करते हैं, उसके लिए मैंने पहले ही कहा है। इन्टरनेशनल आब्लीगेशन या किसी और कनवेशन की बात हो, मैं वह नहीं कहता हूं लेकिन जो पाकिस्तान चले गये हैं उनकी जमीन है। जैसे मेरा भाई है, वह लैण्डलेस है। मैं पाकिस्तान चला गया। तो उस लैण्डलेस को तो दे सकते हैं। इन दृष्टिकोणों से देखिए। मैं आपको अधिक नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त समय कम है, लेकिन आप इस बात का कमिटमेंट कर दें। जो उस एरिया के एम. एल. ए. हैं, उनको भी साथ लेकर आप एक कमेटी बना दें। इस पर बैठकर डिस्कशन कर लें। कमेटी नहीं बनायें तो सजेशन इनवाइट कर लें। इन्टरनेशनल आब्लीगेशन होते हुए भी हम नेशनल दृष्टि से इस प्राब्लम को हल करने की कोशिश करें। आपको लोगों को जमीन देनी है आप अन्त्योदय योजना में जमीन का आवंटन करते हैं तो वह निरस्त हो जाएगा। इस पर आप चिन्तन कर लें। हम लोगों को बुलाकर बातचीत कर लें। या सदन में कह दें कि बुलाकर बात कर लेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : बात कर ली जाएगी। जब इस पर चिन्तन होगा, आप को भी बुला लिया जाएगा।

श्री मथुरादास माथुर : इस बारे में आप कब तक फैसला कर लेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : बैठ कर बात कर लेंगे।

श्री बालकृष्ण थानवी : आपने जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भूमि वितरण के बारे में कहा है :–

"प्रदेश में उपलब्ध कृषि भूमि को हरिजन, आदिवासी भूमिहीनों, में वितरण करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में लेकर एक वर्ष के अन्दर उपलब्ध भूमि वितरण कर दी जायगी।"

(श्री बालकृष्ण थानवी)

आज इसको सवा साल हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : इसकी तो रखिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : बाडमेर में 2,199 प्रकारण विचाराधीन हैं। चौहटन में 340 हैं, शिव में 91 हैं। सरपंच और विधायक यह लिखकर देते हैं कि नियमन कर दिया जाय। इसके बाद भी नियमन रोके गये हैं। यह कहते हैं कि इण्टरनेशनल लाइबिलिटी है। वह लोग मेघवाल हैं। उनके बाप, दादे भी पाकिस्तान नहीं गये हैं वह यहीं हैं, यहीं रहेंगे। उनको जमीन का नियमन कर दिया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को गम्भीरता से लें। जो शरणार्थी बाहर से, पाकिस्तान से आये हैं आप उनको बसाइये, उनको सुविधायें दीजिये परन्तु दो ढाई लाख परिवार जिस जमीन के ऊपर पांच सात साल से रह रहे हैं; और बसे हुए हैं उनके लिये एक आर्बीट्रेरी आर्डर पास कर देना गलत है कि उनको कोई पट्टा नहीं दिया जाय और वहां पर शरणार्थियों को जमीन दी जायेगी। मान्यवर, यह आश्चर्यजनक बात है, आप उनको राजस्थान केनाल में दीजिये या और कहीं दीजिये, दूसरी जगह आप उनको रिहेबिलिटेड कीजिये। जो लोग लैण्डलेस हैं, जो शिड्यूल्ड कास्टस के हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैण्डलेस लेबरर्स हैं जो वहां पर काबिज हैं, वहां पर बैठे हुए है और अपनी जीविका चला रहे हैं उनको आप उजाड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाना चाहते हैं यह न्यायसंगत तरीका नहीं है, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले को सुलझाये, यह मामला एक गम्भीर रूप ले सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से राज्य सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर पास करके सब फैसले को रद्द किया है ऐसा अधिकार सरकार को नहीं है,

(व्यवधान)

वह हुक्म खारिज होना चाहिये। यह कैसे हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : आपको रिवाइज करने की पावर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अब्दुल हादी !

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह गुजारिश करनी है कि मुसलमान पाकिस्तान चले गये जहां से वे गये वहां से गांव के गांव गये उनकी जमीन पर किसी के रिश्तेदार ने कब्जा नहीं किया किन्तु पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये वे उनकी जगह बस गये। यह केवल गुमराह करने वाली बात है मुझे इसको सुनकर बहुत दुख हुआ, आपके ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, मैं खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं कि गरीब लोगों ने वहां पर जमीनों पर कब्जा किया है। यह जनता सरकार के लिये शर्म की बात है, कि जमीन उनको दी,

(श्री अब्दुल हादी)

उन्होंने कब्जा किया और अब उनको वहां से हटाना चाहती है। मैं भी यहां बीस साल से एम.एल.ए. हूं। सवाल यह है कि आप इन्साफ करें, वे माइनोरिटी के लोग हैं। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। उनको मेरा निवेदन है शरणार्थियों से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, वे आये हैं उनको भी आप जमीन दीजिये, लेकिन आप लोकल आदमियों की तरफ भी देखिये। जो हकीकत है वह छिप नहीं सकती। इसलिये सरकार इन्साफ करे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हादी साहब को एक बात का जवाब देना चाहता हूं। मुझे दुःख हुआ इस प्रकार की बात सुनकर, उनके इन्द्राज खातों में मौजूद है। मैंने जिन्दगी में कभी भी हिन्दू और मुसलमानों की दृष्टि से नहीं सोचा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे के सारे आदमी चले गये, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है आंशिक रूप से ठीक हो सकती है। ऐसे कई केसेज मेरे नोटिस में आये हैं, मैं बाड़मेर के दौरे पर गया हूं। आप बीस वर्षों से एम.एल.ए. हैं। आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जनता सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जो लॉ बनता है वह जनता सरकार का नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी ला आपकी सरकार का बनाया हुआ है। धारा 60 से 63 तक डिस्क्रिमिनेटरी है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि वर्तमान सन्दर्भ में वर्तमान बदले हुए सन्दर्भ में धारा 60 से 63 तक का प्रावधान किस रूप में रखा जाना चाहिये, इसके बारे में चिन्तन चल रहा है। माननीय परसरामजी ने जो कहा मैं उनसे सहमत हूं, आपसे बात करके निर्णय ले लिया जायगा। सरकार कोई चीज छुपाना नहीं चाहती, सरकार की नीयत साफ है, सरकार की दिशा साफ है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कल जब दो दुर्घटनाओं के बारे में बात हो रही थी, तो आसन से यह निर्देश हुआ था कि मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां होकर आयेंगे और आधे घंटे का समय इन घटनाओं की चर्चा के लिये मिलेगा, श्रीमान्, आपका आदेश था इसलिये हमने कुछ बात नहीं रखी थी। मैं यह चाहता हूं हमारे क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई जो कभी पिछले इतिहास में नहीं हुई उस पर हमको कहने का अवसर मिलना चाहिये।

विशेषाधिकार हनन–प्रश्न

राजस्थान पत्रिका के दिनांक 6 अक्टूबर, 1978 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार प्रश्न के बाद विचार किया जायगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जायगा। दूसरे विषय के बारे में माननीय सदस्य कृपया चर्चा नहीं करें।

श्री मन्जूर अली : सदरे मोतरम्, यह विशेषाधिकार का सवाल राजस्थान पत्रिका में आया हुए 6 अक्टूबर के एडिटोरियल से

(श्री मंजूर अली)

ताल्लुक रखता है । चूंकि विशेषाधिकार के प्रश्न पर रूल 157 की कन्मेन्ट रिजर्व रखी गयी है इसलिए तंगियोमिल्लत के बावजूद मुझे कुछ तफसील में जाना पड़ेगा। राजस्थान पत्रिका के एडिटोरियल में लिखने वाले कपूरचन्द कुलिश हैं, इनके खिलाफ तीन विशेषाधिकार के प्रश्न पहले पेश किये जा चुके हैं, चौथा भी पेश किया जा चुका है। इन तीनों में से दो तो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हो चुके हैं और तीसरा प्रस्ताव आज का है और चौथा नेरेगौर है। यह बात इस लिए जरूरी समझी गई कि सेप्टेम्बर के तीसरे सप्ताह में श्री कुलिश के आला दिमाग ने सदन की गरिमा को, आसन की गरिमा को मोअज्जिज मेम्बरान की डिग्निटी को एक मजाक का खेल समझ लिया है और व्यंग करने की उनके दिमाग पर सनक सवार हो गई है। 30 अक्टूबर को जो एडिटोरियल लिखा उसमें उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्लियामेन्ट मेम्बरान को, मोअज्जिज विधान सभा मेम्बरान को मिथ्याचारी कहा और लोकतन्त्र को काले धन और मिथ्याचार पर आधारित कहा है। आज के एडिटोरियल जिसको मैं डिसकस कर रहा हूं, का मुख्तसर रेफरेन्स देता हूं। इसका दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा सकता। विशेषाधिकार वाली बात को तो कबूल कर रहे हैं और कबूल करके हमारे प्रिविलेज पर हमला किया जा रहा है। इस एडिटोरियल में 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले सेशन के बारे में और यहां पर हो रही बहस पर व्यंग्य किया है और व्यंग्य इस हद तक किया है कि हम सदस्यों की कार गुजारी, काम करने के तरीके पर, इस सदन की गरिमा पर असर पड़ा है। उन्होंने लम्बा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, उसके कुछ पोर्शन्स पढ़कर सुनाता हूं। वे फरमाते हैं :

"जिसकी गाढ़ी कमाई से वसूल किए गए कर के रुपये से विधायकों को मासिक वेतन और भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाने और उनकी हालत पर आंसू बहाने वालों का यह कैसा विचित्र और विपरीत चरित्र है।

उसके बाद वे कहते हैं...

कई माननीय सदस्य : सेन्टेन्स पूरा नहीं बना।

श्री मंजूर अली : मैं पूरा सेन्टेन्स पढ़ता हूं।

राजस्थान विधान सभा के चालू सत्र में पहले दिन जीरो-आवर के नाम पर अधिकांश समय निरस्त कर दिया और जब निर्धारित विषय पर विचार का समय आया तो समय की समाप्ति के बहाने उसे टाल दिया। एक सदस्य ने तो जन-सेवा के व्रत को भुलाकर नवरात्र के व्रत की बात कही। पर आधी से अधिक जनता के रोज ही भूखे पेट रहने की पीड़ा का उन्हें अहसास नहीं हुआ जिसकी गाढ़ी कमाई से वसूल किए गए कर के रुपये से विधायकों को मासिक वेतन और भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाने और उनकी हालत पर आंसू बहाने वालों का यह कैसा विचित्र और विपरीत चरित्र है।"

वह आगे फरमाते है :

(श्री मंजूर अली)

"विधान सभा कोई कारखाना या कार्यालय नहीं है जहां के मजदूर और बाबू लोग ओवर टाईम काम करने से इन्कार कर दें। विधायक जन प्रतिनिधित्व के व्यापक दावे करते नहीं थकते पर जब दायित्व निर्वाह की बात आती है तो अपेक्षित उत्साह और रुचि क्यों नहीं बताते ? विधान सभा का अधिवेशन प्रतिदिन और स्थायी नहीं होता। फिर विधायकों को नियमित वेतन, भत्ते व अन्य सुविधायें किस काम के लिए दी जाती हैं ? फिर विधान सभा का अधिवेशन वर्ष में कुछ दिनों के लिए ही तो होता है तब फिर निर्धारित काम को निपटाने में अरुचि और निरुत्साह बताने का क्या औचित्य और प्रयोजन शेष रह जाता है ? समस्यायें सघन और चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। यह कैसी विडम्बना है कि अनेक अवसरों पर युद्ध स्तर पर काम करने की सार्वजनिक मंचों पर मांग करने वाले विधायक सामान्य स्तर पर काम करने से इन्कार कर देते हैं। जन प्रतिनिधित्व के दावे ऐसे निराधार, निष्प्रयोजक और निरर्थक नहीं बनने चाहिए। यदि विधायकों का यही रवैया रहा तो सरकारी पक्ष को भी अपने दायित्व का निर्वाह करने में अपना रुख बदलना होगा। शून्यकाल की सीमा रेखा तय करनी होगी। यह नहीं सहन किया जाय कि जब तक चाहे चंद विधायक समूचे सदन को गिरवी रख लें और विधायी कार्य प्रस्तुत होते ही घड़ी देखने लग जायें।"

श्री मदनसिंह दांता : ऐसे पत्रकारों को गैलरी में कैसे आने देते हैं ?

श्री मन्जूर अली : "सरकारी पक्ष को यह भी देखना होगा कि मुट्ठी भर विधायक अनावश्यक रूप से कार्यवाही में बाधा न पहुंचा सकें। यदि वे विवेक से न समझे तो एक प्रस्ताव द्वारा सदन से उन्हें निलम्बित (श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन) (2.35 म. प.) किया जाय और विधायी कार्य सुचारू रूप से सम्पादन किया जाय।" जिस कान्टेस्ट व रेफरेंस में कहा गया है, उससे साफ है कि सम्पादक महोदय की नीयत क्या है। इस आर्टिकल का शुरू का पैरा है वह भी आपके सामने मैं पेश करता हूं। वह कहते हैं : "महाकवि अकबर इलाहबादी ने वर्षों पूर्व हमारे राजनेताओं के चरित्र का बखान····

जो कुछ आर्टिकल लिखा है उससे उनके खुद के दिमाग में मन्शा भी वही है। अकबर इलाहबादी ने अपने स्यासी रहनुमाओं के बखान के लिए कहा है। वह फर्माते हैं : बखान करते हुए एक शेर लिखा था—

"कौम के गम में डिनर खाते हैं, हुक्काम के साथ,

गम लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ।"

विगत वर्षों की स्थितियों में सब कुछ बदल गया पर हमारे लीडरों का चरित्र बिल्कुल ही नहीं बदला। आज भी हमारे नेताओं की हालत हू बहू वैसी है जैसी कि उक्त शेर में बताई गई है उस शेर का मतलब आपने निकाला है कि वह शेर नेताओं के बखान में लिखा गया है। उस शेर का शीर्षक है "गम लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ" उस शीर्षक से उन्होंने शेर लिखा है और उस शेर को असेम्बली के मेम्बरान के लिए लिखा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से तमाम सदस्यों से

Page No 79

(79)

(श्री मंजूर अली)

यह अपील करता हूं कि इस शीर्षक में जिस तरीके से हमारी कारगुजारी को उन्होंने व्यंग्य के तौर पर क्रिटीसाइज किया है इससे न सिर्फ सदन की गरिमा पर असर पड़ेगा बल्कि हमारे मोरल पर भी असर पड़ेगा इसलिए कि हम कवेश्चन आवर में सवालात पूछते हैं, जवाबात आते हैं, डिस्कशन होता है, स्थगन प्रस्ताव आते हैं। कभी आधे घंटे की चर्चा आती है। हम अपना फर्ज निभाना समझकर उन पर चर्चा करते हैं। इस सारी कार्यवाही को सम्पादक ने क्रिटीसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि यह इसलिए हो रहा है कि विधायी कार्य में रुकावट पड़े। इस सदन में 50 के करीब तो विरोधी दल के सदस्य हैं और 150 सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। यह हमला तमाम 200 सदस्यों पर है, न किसी विशेष दल का सवाल है न व्यक्ति का सवाल है। मैं समझता हूं प्रेस की आजादी, जो फैसिलिटीज दी हुई हैं उसका स्कोप लिमिटेड है···

"Rajasthan Legislative Assembly Rules Regulating Admissison News Agencies to the Press Gallaries:

"8 (2) Press Gallary Passes shall be issued on the understanding that the holder thereof will give a fair and accurate report of the proceedings."

इसमें यह जिक्र है कि वह क्या करेंगे। उनका स्कोप काम करने का कहां तक होगा। उनके हकूक कहां तक सीमित है। वह यह है :

"fair and accurate reporting of the proceedings."

उनको जो अधिकार हैं वह सिर्फ इतने हैं कि वह यहां की प्रासीडिंग्स की फेयर एण्ड फैक्चुअल रिपोर्ट साया करें। यहां पर जो सवालात और जवाबात होते हैं, जो कारगुजारी यहां होती है, मेम्बरान जो अपना फर्ज समझकर अपनी अदायगी देते हैं और वह प्रेस मेम्बरान को कभी मिथ्याचारी कहे, कभी मिथ्या पर आधारित लोकतंत्र कहे और कभी स्पीकर महोदय की राजनीति की बात कहे···

श्री ईश्वरचन्द्र : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हाउस को प्रिज्युडिस करने के लिए ऐसे प्रिविलेज मोशन, जिनके बारे में आलरेडी बहस हो चुकी है जो कि एक तरह से सबजुडिस हो गये हैं, के बारे में यहां निरन्तर बहस करके यह कहें कि अध्यक्ष के बारे में यह कहा गया और विधायकों के लिए यह कहा गया है यह कोई फेयर डिबेट नहीं है। देखना यह है कि विशेषाधिकार का मसला बनता है या नहीं उसके ऊपर विचार करें। जो असंगत मुद्दे हैं वह नहीं उठाये जायें।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का एहसास है। प्रिविलेज मोशन पर हाउस से लीव लेने से पहले स्पीकर साहब की कन्सेन्ट मिल जाती है। हाउस से लीव लेने के लिए एक शार्ट स्टेटमेन्ट दिया जाता है लेकिन क्योंकि पहले ही दो मुद्दे इस तरह से मूव हो चुके थे और कमेटी को चले गए थे और इस पर कन्सेन्ट स्पीकर महोदय ने रिजर्व रखी थी इसलिए मुझे इसके बैकग्राउन्ड के बारे में अर्ज करना पड़ा। मैंने पिछले दोनों मोशन का जिक्र इसलिए किया कि इनकी आदत बनती जा रही है। उन

(श्री मंजूर अली)

दोनों मोशन्स के मुतालिक में कोइ रूलिंग नहीं चाहता। तो ऐसी हालत में मैं अर्ज करूंगा कि जैसे कि दो मोशन चले गए और तीसरा यह है और चौथा कल पेश किया जा चुका है, उसमें भी ऐसे ही लफ्ज थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस मोशन पर लीव लेने के लिए परमीशन दी जाये। यह मामला किसी एक पार्टी का या पक्ष का नहीं है। अगर इसकी लीव नहीं दी गयी तो एम.एल. एज. के काम करने के तरीके और वह जो अपना फर्ज निभा रहे हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक किताब है Practice and Privileges of Parliament.

यह शकधर की किताब है। इसका पेज 259 पढ़ना चाहता हूं:

"If a newspaper reports incorrectly the proceedings of the House or comments casting reflection on the House or its Members, the Speaker may, in the first instance, give an opportunity to the editor of the newspaper to present his case before giving his consent to the raising of a question of privilege in the House. The Speaker normally withholds his consent to the raising of the question of privilege after the editor or press correspondent of the newspaper concerned has expressed regret or published a correction."

तो मैं यह चाहूंगा कि आप इस प्रक्रिया को अपनायें। यह प्रश्न जो उठाया है यह बहुत जनरल है और हमारे हाउस के कार्यकलापों पर एक प्रकार की टिप्पणी है। आपने नीयत का भी सवाल उठाया even devil does not know the intention of a man फिर हमारे माननीय सदस्य कैसे जान गये हैं। इसलिए आप यह प्रक्रिया अपनायें अपनी कन्सेन्ट देने के पहले तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो श्री शकधर की किताब का रेफरेन्स दिया है वह स्टेज तो निकल चुकी है। वह स्टेज तब आती जब कि स्पीकर महोदय के पास यह मसला आता। उन्होंने चर्चा करने की इजाजत दे दी है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लगातार एक के बाद दूसरा प्रिविलेज मोशन, दूसरे के बाद तीसरा प्रिविलेज मोशन और तीसरे के बाद चौथा प्रिविलेज मोशन आया है। ऐसा लगता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमें कोई छू नहीं सकता और इसीलिए एक बार प्रिविलेज मोशन, दूसरी बार प्रिविलेज मोशन, तीसरी बार प्रिविलेज मोशन और फिर चौथी बार प्रिविलेज मोशन लाये हैं। इस पूरे मसले पर विचार करने के पहले मैंने पहले भी कहा था, आखिर इसको देख लीजिए कि हमारे प्रिविलेजेज क्या इतने पवित्र और पावन हैं कि उनको कोई छू नहीं सकता। इस बारे में जहां तक मैं समझता हूं कान्सटीट्यूशन का जैसा प्रावीजन है वह यह है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिविलेज का दायरा वह होगा जो कि हाउस आफ कामन्स का 26 जनवरी, 1950 में था...

श्री मंजूर अली : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह वह स्टेज नहीं है कि इसको इस तरह से डिसकस किया जाये। इनका तो प्रिविलेज मोशन में नाम ही नहीं है फिर क्यों डिसकस कर रहे हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्रिविलेज मोशन उठाया जा रहा है इसलिए इस मुद्दे पर विचार कर लिया जाये कि प्रिविलेज का प्रश्न बनता भी है या नहीं। यह देखना जरूरी है। उस कन्सेन्ट को बिना क्लीयर किये हुए हम मान लें कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तो मेरा मानना है कि हम सही आधार पर काम नहीं कर रहे हैं।

इसके बारे में यदि आप देख तो हाउस आफ कामन्स में भी इसके ऊपर काफी बहस हुई है। यदि प्रिविलेज की बात को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर हम देखते रहते हैं उसी तरह से देखते चले गए तो बहुत से मूल अधिकार, जो व्यक्ति के हैं जो पब्लिक ओपीनियन को एक्सप्रेस करने के अधिकार प्रेस को दिये हैं उन मूल अधिकारों का हनन होगा। इसलिए हर बात में प्रिविलेज का हनन होता है ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और ऐसी हर छोटी मोटी बात पर हमें जाना भी नहीं चाहिए।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और खींचना चाहता हूं हमने लोकतन्त्र को बचाने की बात कही। हमने लोकतन्त्र को बचाया और प्रेस को आजादी दी फिर आज सरकार को प्रेस से खतरा क्यों हो रहा है ? प्रेस पर सबसे ज्यादा हमला किया जा रहा है हाउस की तरफ से और प्रिविलेज मोशन्स के जरिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बहुत ही विचारणीय है। मेरा ऐसा मानना है कि सब बातों के ऊपर बहुत गौर से विचार करना होगा। एक यूनानी राइटर हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है उन्होंने यह कहा--

House of Commons :

"Parliaments Stupid Privileges.

मेरे ख्याल से राजस्थान पत्रिका के जितने यहां मामले रखे गये हैं उनमें इससे ज्यादा भयानक लफ्ज कहीं काम में नहीं आये। यह आर्टिकल है उसमें से दो लाइनें पढ़ कर आपको निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि हाउस आफ कामन्स में क्या होता है। यह बात बहुत विचारणीय है क्योंकि प्रिविलेज के नाम से ऐसा हो रहा है। यह ऐसी बातें हैं जो कि जनता के दिमाग में यह विचार पैदा करेंगी कि यहां बैठकर हम सिर्फ अपनी इज्जत पर विचार कर रहे हैं और सारे प्रश्न गौण हो गये हैं। लेबर एम. पी. ने हाउस आफ कामन्स में यह कहा :

"I am ashamed of Parliament and want seriously to apologise to my constituents and the country. They elected me to do a serious job, not to be part of an 'idiotic circus", a Labour M. P. Mr. Atkinson publicly lamented on JULY 19, 1966. None bothered to take up the matter as "a breach of parliamentary privileges" or "contempt of parliament."

इसके बावजूद भी लोकतन्त्र को जन्म देने वाले हाउस आफ कामन्स में नहीं कहा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ। यदि हम इस तरह से टची हो जायेंगे....

Page No 82

(82)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी आप काफी कह चुके हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं एक प्रश्न और आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इण्डियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर को किसी जवाब के संबंध में बुलाया था। उन्होंने कहा, प्रेस डेमोक्रेसी में पार्टीसिपेट करें क्योंकि उसका काम पब्लिक ओपीनियन को एक्सप्रेस करना है। सुप्रीम कोर्ट को कितनी छूट होनी चाहिये, कितनी नहीं होनी चाहिये। जहां जन प्रतिनिधि बैठते हैं वह जनता की निगाह में आयें इसलिए प्रेस को भी छूट होनी चाहिये अपनी बात कह सके। हर बात को लेकर प्रिविलेज मोशन,...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अधिकांश समय ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात में ही चला गया। हमको गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। आज की स्थिति को देखते हुए विचार करना चाहिये। तो, मान्यवर, मेरा निवेदन है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आवश्यक बातों के ऊपर ही माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : श्रीमान्, एक बात विशेषाधिकार के संबंध में रखी। विशेषाधिकार के हुकूक इन्सानी इलेक्टेड बाडी से ताल्लुक रखते हैं। आज तक उन अधिकारों को कोडीफाई नहीं किया जा सका। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकार विस्तृत हैं। ज्यों ज्यों समय परिवर्तित होता है, हमारे अधिकार भी परिवर्तनशील हैं। किसी पत्रकार को आजादी न दी जाये कि हमारे ऊपर लांछन लगाये। पत्रकार के लिये अच्छा दिमाग निहायत जरूरी है उसे स्वस्थ वातावरण देना चाहिये, उसको हर आदमी सराहेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मेरा दरख्वास्त करने का मतलब है कि प्रिविलेज मोशन को इतना सस्ता न बनाया जाये। आखिरकार हमें पत्रकार के अधिकार भी निश्चित करने हैं। इस एडिटोरियल में पत्रकार ने जो रोशनी डाली है वह हमारे पर रिफ्लेक्शन है कि हम किस तरह से, संजीदगी से काम करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात मैं नहीं समझता कि प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। प्रिविलेज मोशन को आप इतना सस्ता नहीं बनायें। अलग अलग विचारधारा के हमको अधिकार हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो जवाब नहीं दे सकें, उन लोगों के ऊपर हम कुछ भी कह दें, यह उचित नहीं है। हमारा व्यवहार जो चल रहा है उसकी तस्वीर खींची है यह कोई गलत बात नहीं। आखिरकार पत्रकार का मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस एडिटोरियल से कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है। यह पत्रकार का हमारी कार्यवाही पर रिफ्लेक्शन है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता साहब, कृपया बिराजिये । मुझे कुछ कहने दें ।

माननीय सदस्यों ने भावनायें व्यक्त की हैं । प्रिविलेज मोशन के नियम बने हुए हैं । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि प्रिविलेज मोशन पर किस तरह से चर्चा की जाये इसके लिये जो नियम बने हुए हैं वे बड़े स्पष्ट हैं । प्रिविलेज मोशन के बारे में क्या व्यवस्था होनी चाहिये इसके लिये पूर्व परम्परायें काफी हैं । माननीय बजरंगलाल जी ने अपने विचार व्यक्त किये, शायद इस तरह के विचार और माननीय सदस्यों के भी हो सकते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न पर सदन में चर्चा करने की अनुमति दे दी है । नियमानुसार चर्चा की जा रही है । जो माननीय सदस्य प्रिविलेज मोशन को प्रस्तुत करने के संबंध में बोलना चाहते हैं, वे बोल सकते हैं, जो एतराज उठेंगे उसको देख लेंगे । श्री जयनारायण, श्री रामनारायण चौधरी और श्री रामदेवसिंह जिन्होंने यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, बोल सकते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं तो इतना ही कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो सम्पादकीय है वह नफरत बढ़ाने वाला है, हर सदन के सदस्यों के प्रति नफरत पैदा करता है उसमें सीधा सदन पर रिफ्लेक्शन है । यह नहीं कहता कि विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रेस की आजादी की अवहेलना है । हम प्रेस की स्वतन्त्रता का आदर करते है लेकिन इस सदन की स्वतन्त्रता और मर्यादाओं के प्रति रिफ्लेक्शन करने का अधिकार किसी को नहीं है । स्वयं माननीय सदस्य ऐसा नहीं कह सकते । सदन की मर्यादायें रखनी पड़ती हैं । हमने किसी मर्यादा को भंग नहीं किया है । मैं कहूंगा कि बराबर लगातार इस प्रकार के सम्पादकीय लेख लिखे जा रहे हैं उनसे मर्यादा भंग हो रही है हम यह नहीं मानें कि सम्पादक महोदय अपने आप कर रहे हैं । मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे ऐसा सुनियोजित एक तरीका है जो बराबर यह करवा रहा है और लिखवा रहा है । जो पत्र राजस्थान सरकार से संरक्षित है, जिसको राज्य सरकार दोनों हाथों से राजस्थान का खजाना लुटा रही है, इस पत्र के सम्पादक, सदस्यों के कार्यों और आचरण के बारे में इस प्रकार से रिफ्लेक्शन करें और इस प्रकार लिखें तो यह इस बात का प्रतीक है कि अखबार के सम्पादक, मुद्रक और प्रशासक की कोई हैसियत नहीं है । मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम इस बारे में सदन में चर्चा करना चाहते हैं । सभी पक्ष बैठें, मुख्य मंत्री जी बैठें हमें चर्चा करनी चाहिए कि इस पर क्या करना चाहिये । चौथा प्रस्ताव आया है, पांचवा और आ रहा है अखबार के सम्पादक प्रशासक, इस विधान सभा के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं । सदन के नेता बैठे हैं, सदन की मर्यादा भंग हो यदि आपकी यह इच्छा है तो ठीक है आप बहुमत लिए बैठे हैं, हम कहने की हैसियत में नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जिसके ऊपर संरक्षण मुख्य मंत्री जी का हो, मुख्य मंत्री जी की कृपा हो''

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान में और केन्द्र में राज्य मंत्री, वित्त, इन दोनों के संरक्षण में पनपने वाला यह पत्र विधान सभा की मर्यादाओं पर, माननीय

(श्री रामनारायण चौधरी)

सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर इस प्रकार से रिफ्लेक्शन करे तो उपाध्यक्ष महोदय आप इसकी गम्भीरता को स्वयं महसूस कर सकते हैं। आप सदन के नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है इस सदन की मर्यादाओं की रक्षा करने का, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपको प्रसन्नता हो रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे अफसोस है कि इस प्रकार के लेख बराबर सुनियोजित तरीके से लेखकों द्वारा लिखवाये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष के खिलाफ लिखवा रहे हैं, माननीय सदस्यों के खिलाफ लिखवा रहे हैं····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सदन के अन्दर मुख्य मंत्री जी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, यह कोई प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी अब अप्रासंगिक होगा, आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको भी देखना है। आपके भी देखने का काम है कि कैसे बोलना चाहिये।

मान्यवर, स्थिति यह है तो मैं आपके मार्फत, सदन से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार आप कब तक इस पत्रिका को छोड़ते जायेंगे? इस प्रकार की पत्रिका को जो सुविधायें राजस्थान विधान सभा की तरफ से दी हुई हैं, इस सदन की कार्यवाही को सुनने का, समाचार प्राप्त करने का जो अधिकार दे रखा है और जो अन्य सुविधायें दे रखी है उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। उन फैसिलिटीज को विथड्रा करने के लिये विचार करना चाहिये। एक सीक्रेट बैठक सदन की बुलानी चाहिये ताकि हम विचार विमर्श करें और नीति निर्धारित करें। क्या इस प्रकार कोई भी पत्र माननीय सदस्यों के खिलाफ लिखता चला जाय और हमारे वर्किंग पर, हमारी मर्यादाओं पर, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करे? मान्यवर, निश्चित रूप से यह न केवल विशेषाधिकार का ही प्रश्न बनता है बल्कि एक गम्भीर प्रश्न बनता है। यदि लोकतन्त्र को टिकाना है और मर्यादाओं को निभाना है तो हमें भी नियमानुसार कानून से निपटना होगा। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सदन की अनुमति लेनी है। प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार प्रश्न पर··

श्री रतनलाल वर्मा : मुझे अवश्य समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। मुझे सदन की इस पर अनुमति लेनी है।

क्या सदन की अनुमति है इस प्रश्न पर···

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार के प्रश्न पर सदन या समिति में विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा, क्या आपने इस क्वेश्चन को एडमिट कर लिया है?

Page No 85

(85)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रूल 160 (1) में है :

"The Speaker, if he gives consent under rule 157 and hold that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto :"

Have you given your consent under rule 157 ? मैं यह जानना चाहूंगा अन्डर रूल 157 के अन्तर्गत आपने क्या इस बात की कन्सेन्ट दे दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन के माननीय नेता महोदय, नियम संख्या 163 और है जिसमें स्पीकर को और पावर्स हैं। यह है··

163. "Power of Speaker to give directions.—The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee of Privileges or in the House."

जो आज एजेन्डा है उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय के डाइरेक्शन के अनुसार विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। रूल 157 में उनकी अनुमति अपेक्षित है। उक्त प्रश्न पर सदन से अनुमति मांगी जानी है, उसके पहले माननीय सदस्य संक्षेप में सदन में चर्चा कर सकते हैं। जब मैं आसन पर आया तो चर्चा प्रारम्भ कर दी गई थी। जो कार्यवाही पहले हो गई है उससे जाहिर है कि अध्यक्ष महोदय ने अपने अधिकार में कन्सेन्ट इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली, जिस तरह हुई है, दे दी है। सदन में चर्चा के लिये इसको कार्य सूची में लिया गया है। उसके बाद सदन में जो कार्य सूची है इसके अनुसार अध्यक्ष महोदय ने चर्चा आरम्भ करा दी। यदि कोई इस तरह का स्पेशल प्रोसीजर अडाप्ट किया गया है वह रूल 163 में कवर हो जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 160 (1)

"The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto :"

He has already made statement under Rule 160.

रूल 160 के अनुसार डिस्कशन तभी शुरू हो जाता है जब कन्सेन्ट हो जाती है···

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा। इसमें यह है—

"· · shall, after the question and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and,

Page No 86

(86)

(श्री मंजूर अली)
while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto."

It means the Hon'ble Speaker has already given his consent and the statement is being given accordingly.

Rule 160 (2) says :

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than ten members rise accordingly the Speaker shall declare that leave is granted....."

So the Hon' ble Speaker has already given his consent. Therefore, I most humbly submit that now the question of any consent does not arise because it has already been given and I have submitted my statement accordingly.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा और सदन की जानकारी के लिये आज की कार्य सूची का यह अंश पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

सैयद श्री मंजूर अली, श्री जय नारायण, श्री राम नारायण चौधरी, श्री राम देव सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत दिये गये विशेषाधिकार प्रश्न पर जो राजस्थान पत्रिका के दिनांक 6 अक्टूबर, 1978 के सम्पादकीय लेख से सम्बन्धित है और जिस पर माननीय अध्यक्ष की अनुमति आरक्षित रखी गई है।

तो सदन की अनुमति मांगने की स्थिति में तो नहीं है। कन्सेन्ट रूल 157 के बाद"

(व्यवधान)

मैं तो केवल कार्य सूची में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कन्सेन्ट का क्वेश्चन अभी रिजर्व है। अभी आपने यह फरमाया अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ किया उससे इम्पलाइडली या एक्सप्रेसली कन्सेन्ट मानी जाय। यह आपकी रूलिंग है, इस रूलिंग को मुझे मानना चाहिये लेकिन मैं इस स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं जो नियमों में कन्सेन्ट होनी चाहिये वह नहीं है।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, आपने रूल 163 का हवाला दिया, मैं इसको भी पढ़ दूं तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी। रूल 157 से लेकर 161 तक है, उनमें है कि जो सारी कार्यवाही विशेषाधिकार के सम्बन्ध में हो उसको किस प्रकार रेगूलेट करें, रूल 163 में लिखा है--

"The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee of Privileges or in the House."

प्रिविलेज मोशन का डिस्पोजल दो प्रकार से होता है, एक तो कमेटी को रेफर किया जाता है और कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसको कमेटी को रेफर करने की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आवश्यकता नहीं है तो हाउस में ही कन्सीडर कर लिया जाता है। हाउस किस प्रकार की कार्यवाही करे और कमेटी किस प्रकार प्रिविलेज मोशन पर कार्यवाही करे इसको रेगुलेट करने का अधिकार रूल 163 के तहत है। बाकी कोई अधिकार नहीं है। बिना कन्सेन्ट ही माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दी जाय और 5–7 माननीय सदस्य बोल जायं तो जो रिक्विजिट सपोर्ट है, वह मिलना चाहिये। वैसे रूल्स में मंशा तो ऐसी ही है। फिर आप जिस प्रकार का इण्टरप्रिटेशन लेंगे वह मुझे स्वीकार होगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो कन्सेन्ट स्पीकर महोदय को देनी है, वह बतला रहे हैं कि कन्सेन्ट हो गई है तो उन्हें स्पेसिफिकली बोलना चाहिए था that it is a prima facie case of Breach of privilege.

श्री मंजूर अली : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, Now it is not challengeable.

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मंजूर अली : कण्डीशन यह है कि when the consent has already been given and statement has been made thereto, now it cannot be challenged by the Hon'ble member. Nowhere it is challengeable ?

श्री ईश्वरचन्द्र : आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए कि पाइन्ट क्या है। मैं निवेदन कर रहा था कि इस विषय में रूल साइट किया गया है कि कन्सेन्ट देने के पहले क्या प्रोसीजर फालो कर सकते हैं। आपने कहा कि कंसेंट दे दी। मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्रोसीडिंग्स दिखवा लें। कोई कंसेंट नहीं दी है। शकधर की किताब में पेज 257 में दिया हुआ है :

(i) A prima facie case of breach of privilege has been made out, and

(ii) the matter has been raised at the earliest opportunity. In recent years it has become the regular practice for the Speaker to defer to the next sitting day a ruling on whether a prima facie case of breach of privilege has been made out,

तो आज तो हमको सुनकर स्पीकर महोदय अपनी रूलिंग डेफर कर सकते हैं या कंसेंट दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डेफर करने का प्रश्न है, आज सडनली अगर कोई माननीय सदस्य प्रिविलेज मोशन मूव कर दें और माननीय स्पीकर उसको कंसीडर नहीं कर सकें तो उसके लिए है।

श्री ईश्वरचन्द्र : कन्सेन्ट नहीं दी है। आप जबरन मान लें वह अलग बात है, आप प्रोसीडिंग्स उठा कर दिखवा लें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि बिजनेस आज का बिजनेस लिस्ट में है, इसमें कंसेंट नहीं दी गई है। स्पीकर ने कंसेंट नहीं देकर के बिजनेस लिस्ट में रखा है और अनुमति आरक्षित

(श्री परसराम मदेरणा)

रखी गई है। इस पर सदन से अनुमति मांगने का प्रस्ताव करेंगे। 157 का कंसर्न सदन के अन्दर क्वेश्चन रेज करने के सम्बन्ध में है। 157 में अगर स्पीकर अनुमति देते हैं तो 160 के अन्दर क्वेश्चन रेज कर सकेंगे। अगर अनुमति नहीं है "A member may with the consent of the speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof."

I entirely agree with the leader of the House, The speaker may allow the member to raise a question of a breach of privilege and therefore the Speaker has given for this his consent. वह कमेटी में रेफर हो या हाउस में डिसाइड हो वह दूसरा मैटर है। यह डायरेक्शन क्वेश्चन के सम्बन्ध में नहीं दिया है। अगर यह माना जाय कि कंसेंट हाउस में देंगे तो स्पीकर ने जब माननीय सदस्य का नाम पुकारा तो कन्सेन्ट हुई या नहीं, यह आपको डिसाइड करना है, प्रश्न इतना ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, नाम पुकारने से ही कन्सेन्ट नहीं मानी जाती।

श्री मूलचन्द डागा : He has started discussion. He had spoken.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, कोई भी कन्सेन्ट अगर रिजर्व रखी है स्पीकर ने तो इस सदन में पधारने के पहले अध्यक्ष महोदय को विचार कर कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। वे डांवाडोल स्थिति में चेयर पर नहीं आ सकेंगे! उनको निर्णय लेना होगा कि कंसेन्ट देनी है या डिसअलाउ करना है। कन्सेन्ट देनी है तो वे बोलने के लिए खड़े होंगे अगर नहीं देनी है तो खड़े ही नहीं हो सकते। उन्होंने काल किया और वे बोलने लगे। कन्सेन्ट देना स्पीकर का डिस्क्रीशन है। स्पीकर हाउस के रिप्रेजेण्टेटिव हैं और उसी हैसियत से स्पीकर महोदय को कन्सेन्ट देनी है या रिफ्यूज करना है। रिफ्यूज करना है तो कोई चर्चा नहीं होगी। कन्सेन्ट देनी है तो 157 में कन्सेन्ट पहले दी जाएगी। कन्सेन्ट स्पीकर पहले 157 में देंगे और फिर 160 में माननीय सदस्य पाइन्ट रेज करेंगे। अगर अध्यक्ष महोदय ने कन्सेन्ट नहीं दी तो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य खड़े ही नहीं हो सकते थे। मुख्य मंत्री जी ने क्वेश्चन बड़ा लीगल पाइन्ट का रेज किया है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : He ought to have raised objection at that stage.

श्री परसराम मदेरणा : अगर कन्सेन्ट नहीं थी तो जिस समय वे बोलने के लिए खड़े हुए उसी वक्त आब्जेक्शन करना चाहिए था। यह व्याख्या रूल्स की की जा सकती है और 163 की व्याख्या में तो कन्सेन्ट तो हो गई अध्यक्ष महोदय की।

श्री मन्जूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 15 सैकिन्ड का टाइम और लूंगा।

(व्यवधान)

जिस समय अध्यक्ष महोदय ने नाम पुकारा When he had called the mover to give a short statement it means he has given his consent. It was implied. There is no provision for the consent either orally or in writing.

श्री मदनसिंह दांता : सैकिन्डली, अगर मुख्य मंत्री को आब्जेक्शन था तो उसी वक्त खड़े होकर आब्जेक्शन करना था। बहस शुरू हो गई है तो कन्सेन्ट तो है ही। अब जाकर उठ रहे है। जब आप विरोधी दल में थे तब तो ऐसी कार्यवाही नहीं करते थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य को जानकारी बहुत नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य यह आपत्ति उठा रहे हैं कि जिस समय मूव किया गया उसी समय आपत्ति उठानी चाहिए थी। आप इस को पूरा पढ़ें, इसमें लिखा है :

"6 अक्टूबर, 1978 के सम्पादकीय लेख से सम्बन्धित है और जिस पर माननीय अध्यक्ष की अनुमति आरक्षित रखी गई है उस पर सदन से अनुमति मांगने का प्रस्ताव करेंगे।"

अध्यक्ष महोदय कंसेन्ट दे या नहीं दें, यह है प्रस्ताव हाउस के सामने और इसके लिए सदन की ओपिनियन लेना चाहते हैं। इसके दो पार्ट हैं। एक तो रूल 157 कन्सेन्ट देने के लिए है। स्पीकर कन्सेन्ट देंगे, स्पीकर को कन्सेन्ट देने का अधिकार इसलिए दिया गया है, माननीय परसरामजी जिस समय रूल्स बनाए गए उस समय मौजूद थे, उस समय जो रूल बनाए गए, उस समय इस रूल का बैकग्राउण्ड यह था कि यदि बहुमत को कन्सेन्ट देने का अधिकार सौंप दिया तो बहुमत वाला दल किसी भी विषय पर अपनी कन्सेन्ट नहीं देगा। इसलिए ब्रीच आफ प्रिविलेज के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय को अधिकार सौंपा गया। अध्यक्ष महोदय को इसके ऊपर कन्सेन्ट देनी चाहिए। वह कन्सेंट दे देते हैं तो जनरल कोंसस यह है कि ज्योंही अध्यक्ष की कन्सेन्ट मिले, तो मैम्बर खड़े हों, जितनी आवश्यक संख्या में मैम्बर खड़े होने हों, इतने मेम्बर्स खड़े हों इसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन यदि कन्सेन्ट विदहोल्ड कर रखी है स्पीकर ने तो जनरल रूल में जो पावर है, वह पावर इस बात के लिए है कि किसी चीज पर कन्सेंट दी जावे या नहीं दी जावे, इस सम्बन्ध में यदि अध्यक्ष सदन की जानकारी लेना चाहे और सदन का मत लेना चाहे तो अध्यक्ष महोदय मत ले सकते हैं, उनके अधिकार को रोक नहीं सकते। पहले जरूरी बात यह है कि कन्सेंट है या नहीं। यदि कन्सेंट नहीं है, और अध्यक्ष महोदय इस सदन की राय जानना चाहते हैं कि मुझे इस प्रश्न पर कन्सेन्ट देनी चाहिए या नहीं तो वे सदन की राय जान सकते हैं। अगर आप आज के सारे बिजनेस को, कार्यक्रम को देखेंगे, जो छपा हुआ है, उसको देखेंगे तो उससे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष महोदय ने कन्सेन्ट नहीं दी लेकिन कन्सेंट दें या नहीं, इस सम्बन्ध में वे सदन की राय जानना चाहते हैं। इसलिए माननीय सदस्य को प्रश्न रखने की अनुमति दी है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने प्रश्न उठाया है कि अध्यक्ष महोदय की राय लेना चाहते हैं कि कन्सेन्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए तो इसके लिए तो रूल 157 में एनवीसेज्ड है। अगर जनरल पावर में अध्यक्ष महोदय डायरेक्शन देते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होने पर डायरेक्शन देते हैं। लेकिन रूल क्लीयर है। फंक्शन आफ दी हाउस के लिये रूल बनते हैं। वह रूल्स बनते हैं तो मैम्बर्स की गाइड्स के लिए ही नहीं हैं वरन इस हाउस का बिजनेस कण्डक्ट होगा, उसका जो प्रोसीजर रहेगा उसी के अनु-

(श्री परसराम मदेरणा)

सार स्पीकर बिजनेस कण्डक्ट करेंगे। रूल्स प्रोवाइड करता है कि स्पीकर की बिना कन्सेन्ट के सदन में कोई प्रिविलेज का मामला उठाया नहीं जा सकता इसमें सदन की कोई अनुमति नहीं होगी। स्पीकर को यदि अनुमति देनी है तो स्पीकर ही अनुमति देंगे और ज्योंही स्पीकर ने माननीय सदस्य को काल कर दिया तो स्पीकर की अनुमति इम्पलाइड है। हो गई अनुमति, चाहे स्पीकर यह सोचते ही रहें कि हाउस की राय जानकर कन्सेंट देंगे, Speaker consent has already been accorded.

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि जहां तक यह रूल्स आफ बिजनेस है और जो एजेंडा के अन्दर आया है, उसको जो भाषा है उससे मैं यह अर्थ निकालता हूं कि अभी तक सैक्शन 157 का आपरेशन नहीं हुआ। जब कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मैम्बर जाकर स्पीकर को देता है तो स्पीकर अपना माइण्ड अप्लाई करता है कि मुझे इसमें कन्सेन्ट देनी चाहिए या नहीं।

अगर स्पीकर माइन्ड अप्लाई करने के बाद मैम्बर को सुन लेते हैं, चैम्बर में सुन लेते हैं और उसके बाद यह समझते हैं कि मेरा माइन्ड नहीं बन पाया है और फिर यह फैसला करते हैं स्पीकर कि मेरा माइन्ड नहीं बन पाया है तो रूल 157 आपरेट नहीं हो पाया है। वह सीधे सदन में आकर सदस्यों की राय इस बारे में सुनेंगे और उनको सुनने के बाद अपना माइन्ड अप्लाई कर के कन्सेन्ट देंगे। इस स्टेज में हम अभी चल रहे हैं। अभी स्पीकर साहब सुन रहे हैं कि कन्सेन्ट दी जाये या नहीं दी जाए। सुनने के बाद वह कन्सेन्ट देंगे। इसलिए अभी रूल 157 के नीचे कन्सेन्ट नहीं आई है। माननीय सदस्य, मन्जूर अली ने यह जो मूव किया है, वह भी स्पीकर साहब ने सुन लिया। इन सब को सुनने के बाद वे अपनी कन्सेन्ट को रिजर्व रखते हैं। इसलिए इन्होंने रूल 157 का आपरेशन चैम्बर में नहीं करके यहां पर किया है। उन्होंने राय को सुन लिया। सुनने के बाद अगर स्पीकर साहब यह समझते हैं और आपकी यह धारणा है कि सुनने के बाद हाउस के वोट से तय करेंगे, तो यह इसका हल नहीं है। यह गलत है। आपको सुन लिया गया है। अब आपको कन्सेन्ट देनी है। इमीजिएटली कन्सेन्ट देना चाहते हैं तो माननीय सदस्यों ने राय दे दी है और दस सदस्य खड़े हो जाएंगे। रूल 157 वाली स्टेज चैम्बर में आती है। चेम्बर में माइन्ड अप्लाई करने के बाद स्पीकर साहब कन्सेन्ट नहीं देना चाहते हैं और माननीय सदस्यों ने जो राय दी है उसके अनुसार आप अपना माइन्ड अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिये माननीय सदस्य को कह दिया कि वह अपने विचार व्यक्त करें तो यह कन्सेन्ट नहीं दी। आगे इसकी प्रक्रिया शुरू होगी।

(3.34 म. प.)

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस में दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो यह है कि कन्सेन्ट दी जाए तो रूल 157 का आपरेशन शुरू होगा। इसको वह रिफ्यूज कर दें, यह दूसरी स्थिति है। और तीसरी वह स्थिति है जिसके बारे में रूल्स में कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

अगर वे ओपीनियन को रिजर्व रखते हैं, रूलिंग, ओपीनियन को रिजर्व रखते हैं तो उस स्टेज में, जहां पर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है वहां पर रूल 307 आपरेट होगा।

"Residuary powers.—All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time direct.

अध्यक्ष महोदय, नियम 157 केवल कन्सेन्ट की बात कहता है। नियम 160 विदहोल्ड करने की बात कहता है। रिफ्यूज करने की बात कहता है। यहां पर तीसरी स्थिति है। न तो कन्सेन्ट दी गई है और न ही कन्सेन्ट रिफ्यूज की गई है, कन्सेन्ट को विदहोल्ड की गई है। इसके लिए अब कोई स्पेसिफिक रूल नहीं दिया गया है। अब स्पीकर साहब ने यह रास्ता मुनासिब समझा कि इस मैटर पर कन्सेन्ट देने के पहले, या इसको रिफ्यूज करने के पहले सदस्यों की राय इस बारे में सुन ली जाए तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई है। स्पीकर साहब द्वारा अपनी ओपीनियन को रिजर्व रख कर, कन्सेन्ट को रोक कर अभी सदस्यों को सुना जा रहा है। इसी सन्दर्भ में माननीय ईश्वरचन्द्र ने अपनी बात कही, मैंने अपने विचार व्यक्त किए और माननीय सदस्यों ने इस पर बहस की, राय व्यक्त की। अब आपको कन्सेन्ट देनी है यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन है। इसके साथ ही मेहरबानी करके प्रिविलेज के कन्सेन्ट पर विचार किया जाना चाहिए। हाउस आफ कामन्स का प्रोसीजर क्या कहता है इस बात के लिए? जो मोशन रखा जा रहा है इस पर विचार सुनने के बाद अपनी कन्सेन्ट दें उसके पहले इन सब मुद्दों पर विचार कर लिया जाए। मेरा निवेदन है कि अभी जो स्टेज है उसमें नियम 157 का आपरेशन शुरू नहीं हुआ है। यह वह स्टेज नहीं है जिसमें रिफ्यूज कर दिया गया है। इसमें कन्सेन्ट न तो दी गई है और न ही रिफ्यूज की गई है, कन्सेन्ट को रिजर्व रखा गया है। रिजूडरी पावर के तहत हाउस को सुनने के बाद स्पीकर को यह तय करना होगा। अभी तो मैम्बर्स को सुन कर विचार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Speaker can seek opinion of privileges Committee also.

श्री अब्दुल अजीज : सदन के नेता महोदय ने ...

श्री अध्यक्ष : इस बारे में अब विशेष चर्चा नहीं होगी। मैंने कंसेन्ट को रिजर्व रखा है। ऐसा माननीय अध्यक्ष श्री राम निवास मिर्धा के समय का एक प्रिसीडेंस भी है। मैं जानना चाहता था कि सदन का मूड, सदन की विश इस सम्बन्ध में क्या है। प्रिविलेज कमेटी की भी इस बारे में विश क्या है, वह भी मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। इसलिए रूलिंग को रिजर्व रखा है। डिसीजन बाद में दूंगा।

श्री मथुरा दास माथुर : अध्यक्ष महोदय इसमें प्रिविलेज कमेटी कहां से पिक्चर में आती है। यह सदन में रखा गया है। सदस्यों की राय लेकर, जानकर आप चाहें तो कन्सेन्ट दें या न दें। प्रिविलेज कमेटी को रेफरेन्स कैसे होगा?

Page No 92

(92)

श्री अध्यक्ष : मेरा डिस्क्रिशन इस सम्बन्ध में सुप्रीम है। मैं इसको प्रिविलेज कमेटी में रेफर करूं या नहीं करूं। मोशन को एक्सेप्ट करूं या मोशन को एक्सेप्ट नहीं करूं। यह मेरे डिस्क्रिशन के अन्दर है और within that right I have referred the matter under my discretion for ascertaining the mood and wishes of this August House. There will not be more discussions now.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा दें विचार प्रकट करने के लिए···

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। परन्तु अब इसमें बोलने को गुंजाइश नहीं है।

श्री मथुरा दास माथुर : Are you satisfied to give your consent or not. Have you come to the conclusion or not?

श्री अध्यक्ष : I have got some rough idea to enable me to make up my mind and come to some conclusion.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं। अभी आपकी ऐबसेन्स में, जब आप आसन पर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर ने यह रूलिंग दे दी है कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली यह कन्सेन्ट है। तो यह मान कर चलें कि यह कन्सेन्ट नहीं है?

श्री अध्यक्ष : आज की कार्य सूची में, मुख्य मंत्री महोदय, यह स्पष्ट संकेत दिया हुआ है Ruling is reserved. मैं प्रोसिडिंग्स दिखा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह कह रहा था, मदेरणा साहब और माथुर साहब ने भी कहा है। यह जो कार्य सूची में आपने लिखा है रूलिंग आपने रिजर्व कर रखी है। उसके बाद यह क्वेश्चन रेज किया गया तो इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है—अध्यक्ष महोदय ने, यह जो प्रश्न लिया जाने वाला था तो इमीजिएटली एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली यह मान लिया गया कि कन्सेन्ट दी गई है। वह पोजीशन तो नहीं है?

श्री अध्यक्ष : इसके पहले मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न को लिया था सदन के समक्ष और माननीय सदस्य मन्जूर अली को कहा था कि वे इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। वह इसी लक्ष्य से लिया था। मैं हाउस के मूड को असर्टेन करने के पश्चात् अपना माइण्ड बनाना चाहता था। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा डिस्क्रिशन है··

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे सदन के नेता महोदय को कि सदन के किसी भी सदस्य की मर्यादा या प्रिविलेज को ठेस पहुंचाई जाती है तो किसी के इशारे से, आसन क्या उसको निरस्त कर देगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं?

श्री अब्दुल अजीज : आपको हमारे अधिकार सुरक्षित रखने हैं। इस तरह से सदन के नेता महोदय अपनी राय व्यक्त कर

(श्री अब्दुल अजीज)

रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसका मुलाहिजा फर्मा लें। वे इन नियमों को इन्टरप्रीट कर रहे हैं। अगर यह बात है कि दस आदमी, दस सदस्य नहीं खड़े हुए हैं तो समर्थन देने का सवाल नहीं आता है। मैं बहुत ही अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे कोई कितनी ही बड़ी हस्ती हो, कितना ही बड़ा शख्स हो, आपको यह जानकारी मिलती है कि सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको उनकी रक्षा करनी चाहिये। उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कन्सेन्ट दें या न दें, इस पर बहस होगी या नहीं। आप चाहें तो बहस करा लें। जो पक्ष में हों उनको सुन लीजिये और निर्णय दे दीजिये। कब तो आप निर्णय देंगे ? कन्सेन्ट को आपने आरक्षित किया है, रिजर्व किया है।

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, इस पाइन्ट पर मुसलसल बहस होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं स्वयं इस पर बोलना चाहूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का नाम पुकारा तभी हम समझ गये कि आपकी कन्सेन्ट है। उसके बाद हम सोच रहे थे कि आप यह इशारा करेंगे कि मैं इसे प्रिविलेज कमेटी को भेजूं। उसके बाद आप पधार गये। आपके पीछे बहस चलती रही। अब आपने आने के बाद यह फर्माया है कि मैं व्यू जानना चाहता हूं। मेरा यह निवेदन है कि हमारा क्या व्यू है, यह जानिये, उसके बाद फैसला लीजिये। ऐसा नहीं कि कुछ आदमी नहीं बोलेंगे तब तक आप फैसला नहीं कर पायेंगे। आप दो घंटे का समय इस बात के लिये दीजिये ताकि हम बहस कर सकें और मुख्य मंत्रीजी अपने विचार व्यक्त कर सकें। हमें भी विचार व्यक्त करने का अवसर दीजिये फिर कोई फैसला ...

श्री अध्यक्ष : मैं एक घंटे का मौका देता हूं चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपको इस विषय पर माइन्ड मेकअप करना है तो निश्चित तौर पर जो लोग आपकी गैरहाजिरी में बोल चुके हैं उनकी बात को भी आप समझना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तय हो चुका कि एक घंटे की चर्चा हो। मैं यहां से चला गया उसके पश्चात् माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी विचार व्यक्त किये गंभीरता पूर्वक मैंने अपने कक्ष में सुन लिये हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे भी समय प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दूंगा लेकिन सरकारी कार्य बहुत हैं। एक घंटे के बाद, अभी साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक····

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सदस्य दो मिनट से ज्यादा

(श्री रतनलाल वर्मा)
नहीं बोलें यह आप तय कर दीजिये । किसी को बोलने का भी समय नहीं मिलेगा । इसलिये आप समय निश्चित कर दीजिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं विचार प्रकट करूं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी इच्छा हो तो व्यवधान होता रहे, आपकी इच्छा हो तो शांतिपूर्वक इस बारे में बहस हो जाय ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति प्रेस की आजादी के लिए हमेशा बोलता है परन्तु राजस्थान पत्रिका के इस 6 अक्टूबर, 78 के आर्टिकल में जो कुछ लिखा हुआ है मैं उसके दो भाग करता हूं । श्रीमान्, एक भाग तो वह है जिसमें किसी भी अखबार नवीस, किसी भी संपादक को भारतीय संविधान के अन्तर्गत यह मौलिक अधिकार है कि वह अपनी कलम से अपने विचार प्रकट करे ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा यह है कि इस विषय को 6 नवम्बर को लिया जाय ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : It may be postponed for 6th November.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदन के नेता का प्रस्ताव है कि इसको 6 नवम्बर को लिया जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर सदन के नेता यह चाहते हैं कि इसको 6 नवम्बर को लिया जाय तो कोई बात नहीं । लेकिन 6 और 7 के लिए बिजनेस तो आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है और 7 को आप कह देंगे कि हाउस एडजोर्न करते हैं । इसका आश्वासन होना चाहिये, चाहे इसे 8 नवम्बर को ही लेना पड़े ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न को पूरा डिस्कस करने के लिए चाहे 6 को या 7 को जब भी इसे बिजनेस में एडजस्ट कर सकेंगे, लिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : 8 तक इसको लिया जा सकता है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो फिर हम यह मानें कि इसे 8 नवम्बर को लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय नेता की अनुमति के साथ ही मैं आपको और आश्वासन देता हूं, मेरा जो व्यक्तिगत पद है उस पद के द्वारा····

श्री मदनसिंह दांता : तब तक इस पत्रकार को ऐसे ही गालियां बकने देंगे क्या हमारे प्रति ?

श्री अध्यक्ष : सामान्य मसला यह नहीं है, यह गम्भीर मसला है । इस सम्बन्ध में मेरा ओपन माइन्ड है । जो कुछ भी चर्चा करना चाहें इस सदन में दिल खोल कर हो ले । फिर जो निर्णय होना है वह तो मैं लूंगा 157 में ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, अगर पैम्फलेट ऐसे फेंके जैसे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कहना, मैं अकेला आदमी हूं यहां पर 199 आप हैं और 200 वां मैं हूं। यहां पर कुछ न कुछ जायजा ले लूं कि चाशनी एक तार पर है या दो तार पर।

आधे घण्टे की चर्चा

पंचायत समिति व जिला परिषदों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण का मामला

(अतारांकित प्रश्न संख्या–17 दिनांक 6 अक्टूबर, 1978)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया इसलिये मैंने आधे घण्टे की चर्चा के लिए आपकी अनुमति मांगी थी। मैंने स्पष्ट पूछा था कि किस किस कर्मचारी का कहां कहां ट्रांसफर किन किन कारणों से किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टाल गये और मेरे प्रश्न की जो मूल भावना थी वह पूरी नहीं हो सकी। पंचायत समिति एक्ट 86(2) में जो प्रोवीजन है उसके अनुसार पंचायत समिति सर्विस सलेक्शन कमेटी ट्रांसफर करती है—

(व्यवधान)

जो कमीशन ट्रांसफर करता है उसमें कोई पंचायत समिति की सलाह नहीं ली गई। न कोई शिकायत थी। मंत्री महोदय ने लिस्ट बना कर कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिये। यह बात नहीं बताने से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की नीति की इसमें अनुपालना नहीं हुई है और 1–1 कर्मचारी का साल भर में क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। उन कारणों को भी नहीं बताया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो जिले का कर्मचारी वर्ग है, और समिति के जो अधिकारी थे उनके ऊपर इस कदर आघात किया गया है इस सरकार ने उत्तरोत्तर धारा 83 का उल्लंघन किया है। अभी भी किया जा रहा है। एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारी गया वहां उसकी क्या स्थिति होगी इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

इसके अलावा जो अध्यापक हैं, उनका जिला वाइज कोटा है। उन लोगों को भी कहीं का कहीं भेज दिया गया है। इसका कोई रास्ता नहीं है। धारा 83 में यह कहा गया था। आज आप इस तरह से देख लीजिए। आज तक हजारों ट्रांसफर हुए हैं। इसके अलावा माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि कोई सम्भावना नहीं है। जिलेवार आंकड़े दिये हैं। कुल 1699 ट्रांसफर किये हैं।

(3. 44 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पदासीन)

उन्होंने यह माना है कि ट्रांसफर किये हैं। इसलिए मैं चाहूंगा इस पर जो यह कार्यवाही हुई उस पर राज्य सरकार पुनः निर्णय करे।

श्री जय कृष्ण शर्मा (रामगढ़) : चैयरमैन महोदय, माननीय सदस्य ने आधा घण्टे की चर्चा उठाई है। यह सही है कि मन्त्री महोदय ने हजारों ट्रांसफर कर दिये हैं। मैं यह कहूंगा कि जिस प्रजातन्त्र की दुहाई आप देते हैं? जिस प्रजातन्त्र को आप लाये हैं, उसका क्या हो रहा है? गांवों में विकास अधिकारी एक एक महीने में चार-चार ट्रांसफर करते हैं। बहुत से ट्रांसफर

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

केसों में यह लिखा गया है कि अमुक विधायक के कहने से या अमुक के कहने से यह ट्रांसफर कर दिया है। थानागाजी की पंचायत है वहां के अधिकारी की ऐसी हालत है कि अध्यापकों के दो दो महीने में ट्रांसफर कर दिये। पहले कायदा था एक परम्परा थी। सभी अधिकारी बैठते थे। उन सब की मर्यादाएं थीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज किसी की भी राय नहीं ली जाती है। इधर विकास अधिकारी जो चाहे वह करता है उधर पंचायत मिनिस्टर मेघवाल मनमानी कर रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का माजना बिगड़वाना हो तो ऐसा प्रजातन्त्र आपकी जनता पार्टी को मुबारक हो।

श्री नवनीत पालीवाल : इस प्रकार से आप कह रहे हैं, मन्त्री महोदय को।

श्री दूलाराम : क्यों, ऐसा करते नहीं हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : एक मंत्री के लिए इस तरह से कहना तो उचित नहीं है। कैलाश मेघवाल मनमानी कर रहा है।

श्री मंजूर अली : सभापति महोदय, आधा घण्टे की चर्चा एक अहम् सवाल पर उठाई गई है। छोटे छोटे क्लर्क हैं, अध्यापक हैं उन सबके ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए एक्ट और रूल्स हैं। उनमें कहा गया है–

Appointment by promotion and transfer of incumbant has been governed by rules and the orders of punchayat and Zila Parishad Act as the case may be.

रूल्स में यह है। रूल्स बने हुए हैं।

Rule 28. Transfers within the districts:-Employees desiring transfer or desired to be transferred within the district.

इसका मतलब यह है कि उसकी खुद की दरख्वास्त पर ट्रांसफर हो सकता है दीगर पंचायत समितियों में आगे है :

shall be communicated to the Committee by the Punchayat or the Zila Parishad, as the case may be.

यह मैं रेलेवेण्ट पोर्शन पढ़ रहा हूं।

'The name of the employee desiring transfer or desired to be transferred. . ."

इसके मायने यह हैं कि अगर गैर मामूली हालात नहीं होंगे तो ट्रांसफर इस शक्ल में होंगे। अगर पंचायत समिति में किसी की शिकायत है, काम करने की शिकायत है तो उस बारे में विचार होगा। पंचायत समिति रिकमण्ड करके डिपार्टमेण्ट को भेजेगी। इसी प्रकार से आउट आफ डिस्ट्रिक्ट करना है तो जिला परिषद् को रेफर करें। इसके मायने यह है कि गैर मामूली हालात के अलावा नार्मली ट्रांसफर इस प्रकार से होंगे। उसमें प्रोविजो है वह यह है कि:—

"Not withstanding anything contained in sub-section (9) the State Government may transfer

(श्री मंजूर अली)

any member of the service from one Panchayat Samiti to another Panchayat Samiti, whether within the same district or outside it, and may also stay the operation of, or cancel any order or transfer made under sub-section (9) or the rules made thereunder."

यह प्रोवीजो है, यह इसलिए रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट की पावर कहीं ऐसी नहीं हो जायें कि स्टेट गवर्नमेण्ट के अधिकारी नहीं समझें और ट्रांसफर नहीं करें। अगर कोई एक आध ट्रांसफर होता है तो ठीक है लेकिन यह 1700 ट्रांसफर किये हैं। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किये हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि रूल्स के खिलाफवर्जी करके 1700 आदमियों को परेशान क्यों किया गया है? सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। इस हाउस को जानकारी दें, इसमें हजारों रुपयों का खर्चा भी हुआ है।

श्री सभापति : माननीय श्री उमराव सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोपालसिंह !

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय सभापतिजी, कांग्रेस जब पावर में थी, बड़े जोश-खरोश के साथ उसने सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया। स्थानीय तौर पर विकास कार्यों को निपटाने के इरादे से पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम बनाया और पंचायत समितियों को शिक्षा और स्थानीय डवलपमेन्ट के काम सौंपे गये। सारा प्रशासन पंचायत समितियों को सौंप दिया। धीरे-धीरे कांग्रेस के शासन में उनको एक स्टेज पर यह महसूस हुआ कि यह शासन हमने दूसरों को दे दिया और यह छूट उनको दे दी। इस विचार से उनके दिमाग में विकृति आई कि सरकार को ट्रान्सफर्स की पावर नहीं हैं। उनके मन में एक लालसा खड़ी हुई कि ट्रान्सफर्स की पावर हाथ में लेनी चाहिए। तत्कालीन पंचायत मन्त्री जिनके मन में यह मन्शा उत्पन्न हुई थी आज इस दुनिया में नहीं हैं इसलिए मैं उनका नाम लेना तो उचित नहीं समझता लेकिन उसी प्रकार की भावना इनके मन में बनी और अमेण्डमेन्ट लाकर गवर्नमेन्ट ने ये पावर्स वापस ले लीं। मैं तो उसको उस स्टेज पर भी उचित नहीं समझता था। जैसी भी स्थिति हो, वह अमेण्डमेन्ट आया। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर कोई ट्रान्सफर करना लाजिमी समझा जाय और सरकार उस पावर को इन्वोक करें तो मैं कोई उसमें बुराई नहीं समझता लेकिन एक रेगुलर फीचर बनाकर इसका प्रयोग करें तो जो मूल मंशा है लोकल बाडीज को पावर देने की और उनके माध्यम से विकास के काम करने की उस मन्शा के विपरीत एक्शन होता है। आज भी यदि उस अधिकार के मार्फत कोई इम्पेरेटिव नीड हो कोई अत्यावश्यक स्थिति बनती हो और राजकीय हित में यदि करना हो- तो सरकार उन प्रोवीजन्स को इन्वोक करती है और ट्रान्सफर करती है तो यह गलत नहीं होगा और मैं इसको उचित समझता हूं, लेकिन जैसा कि कांग्रेस शासन ने किया उसी तरह से इसको रेगुलर फीचर बनाकर अगर

(श्री गोपाल सिंह)
हर ट्रान्सफर को सरकार ने अपने हाथ में लिया तो लोकल बाडीज से हम जो काम कराना चाहते हैं उसमें अवरोध पैदा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को बहुत ही संयत होकर इस शक्ति को इन्वोक करना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समय हो गया है, आधे घंटे में माननीय मंत्री महोदय उत्तर भी देंगे।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, एक ही मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए सत्यता के आधार पर कह सकता हूं कि आज यह दोष मंत्री जी पर करने जा रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं 14 वर्षों से ट्रान्सफर की समस्या को देखता आ रहा हूं अपन को ही नहीं जाना चाहिए ट्रान्सफर के लिए माननीय सदस्यों की वजह से ट्रान्सफर करना पड़ता है। मैं खुद भी गया था, मंत्री जी ने कहा, ठाकुर साहब, सभी माननीय सदस्यों को एक साथ ही खुश करूंगा। और एक ही दिन में डेढ़ हजार की लिस्ट आ गई। रात दिन ट्रान्सफर आपका काम ही यह है, यही सत्यता है, ट्रान्सफर अपन करवाते हैं।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी और उनके विभाग को जानता हूं, इनके विभाग के खिलाफ एक एल. डी. सी. ने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है। मैंने इनके सामने मकराना की खानों की बात रखी, तो उससे पर्सनली प्रिज्युडिस होकर ट्रांसफर कर दिया। एक एल. डी. सी. की हैसियत क्या है? इस स्तर पर इनका सोचने का तरीका है, यह एक घिनौना तरीका है। एक छोटा सा कर्मचारी गुहनुद्दीन, जो मकराणा का है, ट्रांसफर करने से कोई खूबसूरती नहीं रहेगी, यह जो आपका माहौल है यह मैं बहुत ही घिनौना समझता हूं। इस तरह की आदत नहीं होनी चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, खनिज विभाग में काम करने वाले एल. डी. सी., यू. डी. सी. लाखों लोगों से अच्छे हैं, इनको उस कर्मचारी से पैसा नहीं मिला होगा, चन्दा नहीं दिया होगा।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : यह च्यवनप्राश नहीं है

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप चिन्ता मत करें।

श्री कैलाश मेघवाल (पंचायत मंत्री) : माननीय सभापति जी, लाडनूं से आने वाले माननीय विधायक ने पंचायत समिति और जिला परिषदों में स्थानान्तरण का प्रश्न उठाकर बहुत बड़ा कल्याण मेरा भी किया है। स्थानान्तरण की यह बात बराबर कही जाती है कि हजारों ट्रांसफर बिना किसी कारण के कर दिये गये, हजारों रुपया सरकारी खजाने से टी.ए.,डी.ए. में व्यर्थ चला गया। इस चर्चा का जो रेफरेन्स रखना चाहता हूं उससे असलियत सामने आ जायेगी। सबसे पहले मैं माननीय दांता साहब का

(श्री कैलाश मेघवाल)
शुक्रगुजार हूं उन्होंने सही स्थिति को सामने रखा। माननीय सभापति महोदय, स्थानान्तरण के मामलों में चाहे इस पक्ष के माननीय विधायक हों अथवा उस पक्ष के माननीय विधायक हों, कार्य करने वाले लोगों के लिए एक मत रखते हैं वह मै निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप इधर की तरफ इशारा मत करो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य आप भी आये हैं ट्रान्सफर के लिए मेरे पास।

श्री दूलाराम : डागा साहब तो आपके ट्रांसफर के लिये आये थे।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्री महोदय जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो माननीय सदस्य हल्ला मचाने लगते हैं।

श्री भैरोंसिंह शखावत (मुख्य मंत्री) : मंत्रीजी ने कहा कि कर्मचारियों के बारे में माननीय सदस्य भी अपना मत रखते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है कौन कैसा काम नहीं कर रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : पंचायती राज के कुल कर्मचारी 36907 हैं। जनता सरकार बनने के बाद 1717 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए हैं। उन 1717 कर्मचारियों में से 1230 कर्मचारियों ने अपने प्रार्थना पत्र दिए थे जो अपनी सुविधा के अनुसार या तो अपने गृह जिले में आना चाहते थे या गांव के नजदीक आना चाहते थे या आपसी स्थानान्तरण करवाना चाहते थे। इस तरह से 1230 कर्मचारियों ने अपने स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र दिए, उनको राजकीय खजाने से किसी तरह से कोई भी टी.ए.,डी.ए. नहीं दिया गया। इसके बाद केवल बचते हैं 483 स्थानान्तरण जिनके बारे में अंदाजा लगा लिया जाए कि जहां करीब 37 हजार कर्मचारी हों उनमें 500 के करीब स्थानान्तरण जो किये गए वे क्यों किए गए? मैं, सभापतिजी, स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें वे स्थानांतरण भी हैं जो आपातकालीन स्थिति में उस समय के शासकों के कोप के भाजन बनाकर किए गए, उनको भी ठीक किया, इसमें वे भी हैं जहां पंचायत समिति के दो कर्मचारियों में लड़ाई चल जाए तो उनको बाहर भेजना जरूरी हो जाता है, ऐसे भी केसेज है जिनमें अधिकारियों ने शिकायत की कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जिन पर स्थानीय राजनीति में भाग लेने का आरोप है, लगातार स्कूलों में नहीं जाना, काम नहीं करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 37 हजार कर्मचारियों में से राज्य सरकार का विवेक जिन स्थानान्तरणों में काम आया है वे केवल 487 हैं और मैं मानता हूं उनमें टी.ए.,डी.ए. दिया गया है, उसके विभिन्न कारण रहे हैं। 1230 स्थानान्तरण कर्मचारियों के अपने प्रार्थना पत्र पर किए गए हैं।

सारी स्थिति सदन के सामने स्पष्ट है। राज्य सरकार ने किसी तरह से गलत काम नहीं किया है और विवेक का प्रयोग किया है। पंचायत समितियों व जिला परिषदों के लिए सरकार को जो अधिकार है उसका सरकार ने स्पेयरिंगली और ठीक ढंग से प्रयोग किया है।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैंने दूसरा प्रश्न रखा, मैंने कहा है कि आपकी पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों ने एक साल में 3–3, 4–4 ट्रांसफर्स एक एक अध्यापक के किए हैं। आपके द्वारा किये गये ट्रांसफर्स का मुझे नहीं मालूम है कि कितने किए या नहीं किये। हमने जो बात कही उसका कोई जवाब नहीं दिया।

(व्यवधान)

क्या आप उन विकास अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे ? एक एक साल में एक एक अध्यापक के 3-3, 4-4 ट्रांसफर्स करते हैं वे आपको ही देखकर करते हैं।

श्री सभापति : नेक्स्ट आइटम। श्री राम नारायण चौधरी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तुत विषय

सदन में मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार समितियों का गठन

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सूचना दी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस विधान सभा के पहले सत्र में यह घोषणा की थी कि इस विधान सभा में 1962 से 1977 तक जिन मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे उनके बारे में वह सदन की एक कमेटी बनायेंगे और उससे जांच करवायेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि 3-4 कमेटियां मुख्य मंत्री ने बनाई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन कमेटियों को कौन कौन से मुद्दे दिए है ? इन कमेटियों को आपने किन नियमों के तहत बनाया है ? आज तक इन कमेटियों पर जो खर्चा हुआ है वह किस आधार पर हुआ है और बजट के कौन से मद से उठाया है ? क्या आपने इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था की है ? इस संबंध में जो आपने आदेश दिए हैं उनके तहत इस सदन की कमेटी आपने अध्यक्ष से बनवाई है या आपने बनाई है ? यदि आपने बनाई है तो सदन की कमेटी सरकार के आदेश से कैसे काम करेगी ? यह कमेटियां कहां काम कर रही हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, विधान सभा के प्रथम सत्र में मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि सन् 1962 से 1977 तक उस अवधि में रहे मंत्रियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों से संबंधित जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए थे उनकी जांच सदन के सदस्यों की कमेटी द्वारा की जाएगी। 1962–77 की विधान सभा कार्यवाही के विवरण से सदन में लगाए गए आरोपों का संकलन कर विधान सभा सदस्यों की तीन तथ्यान्वेषण समितियों का गठन विधान सभा की सहमति लेकर 27 जून, 1978 को कर दिया गया। इन समितियों के अध्यक्ष, सदस्यों तथा जिन विभागों की वे जांच कर रहे हैं, की सूचना संलग्न है।

उपरोक्त तीन समितियों पर अब तक निम्न प्रकार से व्यय हुआ है :

1. राजपत्रित अधिकारियों का वेतन व यात्रा भत्ता 4691.10)रु.
2. अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन 2557.15)रु.

अब तक समितियों के अध्यक्षों व सदस्यों के कोई यात्रा भत्ता संबंधी बिल प्राप्त नहीं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हुए हैं परन्तु अध्यक्ष व सदस्यों को उन दिनों के लिए जिन दिनों में वे समिति से सम्बंधित कार्य करेंगे, विधान सभा सदस्यों के अनुरूप ही यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

समितियों पर व्यय शासन सचिवालय के बजट में से किया जा रहा है। समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के पद सचिवालय स्ट्रेन्थ पर संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक समिति के लिए अलग अलग निम्न पद सृजित किए गए हैं :

1.	सचिव	एक
2.	शीघ्रलिपिक	एक
3.	कनिष्ठ लिपिक	एक
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

उपरोक्त पदों में से सिवाय कनिष्ठ लिपिक के, जो उपलब्ध नहीं हुए हैं, सब पद भरे जा चुके हैं। समिति के अध्यक्षों को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके निवास स्थान पर राजकीय व्यय पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है। यदि जांच के लिए अध्यक्ष व सदस्यों को जयपुर नगर से बाहर जाना पड़ेगा तो सरकारी वाहन की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल समिति का कार्यकाल 6 माह का रखा गया है।

उन समितियों द्वारा गवाहों को बुलाने तथा उनकी साक्षी लेने की दृष्टि से उचित यह होगा कि सदन के एक प्रस्ताव पर इन समितियों को अब सदन की समितियां घोषित कर दी जायें।

तथ्यान्वेषण समिति-प्रथम

सदस्य	विभाग
1. श्री सुरेश शर्मा-अध्यक्ष	
2. श्री जीतमल, सदस्य	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व
3. श्री विजय सिंह नदेरा, सदस्य	पथ), सिंचाई विभाग, विद्युत् विभाग,
4. श्री हरिसिंह यादव, सदस्य	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,
5. श्री काशीनाथ, सदस्य	राजस्थान नहर परियोजना।
6. श्री नूरा, सदस्य,	

तथ्यान्वेषण समिति-द्वितीय

1. श्री मूलचन्द सामरिया, अध्यक्ष	गृह, यातायात, जन सम्पर्क, जेल, वित्त,
2. श्री रामेश्वरलाल यादव, सदस्य	आबकारी एवं कर, कृषि, चिकित्सा
3. श्री रामजीलाल महामना, सदस्य	एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, समाज कल्याण,
4. श्री टीकमचंद कान्त, सदस्य	सामान्य प्रशासन, कार्मिक विभाग,
5. श्री माधोसिंह कछवाह, सदस्य	स्वायत शासन, भेड़ व ऊन, उद्योग एवं
6. श्री मदनसिंह दांता, सदस्य	खान।

तथ्यान्वेषण समिति-तृतीय

1. श्री विरदमल सिंघवी, अध्यक्ष	राजस्व, अकाल सहायता, देवस्थान
2. श्री सोपत मल, सदस्य	वक्फ बोर्ड, वन भू प्रबंध, सामुदायिक
3. श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य	विभाग एवं पंचायत, खाद्य, सहकारिता
4. श्री ईश्वरचंद्र, सदस्य	एवं शिक्षा विभाग।
5. श्रीमती श्यामा कुमारी मेंगर, सदस्या	
6. श्री अमृतलाल परमार, सदस्य	

श्री रामनारायण चौधरी : स्पष्टीकरण के तौर पर आपने इन तथ्यान्वेषण कमेटियों के बारे में बताया जिनको आपने नियुक्त किया है। आपने आगे बताया है कि विधान सभा के नियमों में परिवर्तन करके इनको सदन की कमेटियों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो, सभापतिजी, मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि सदन में केवल सत्ता पक्ष ही आता है या सारे माननीय सदस्यों से मिलकर सदन बनता है? सदन की कमेटी बनाने का अधिकार नियमों के तहत सिर्फ अध्यक्ष को है। आज तक कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत मुख्य मंत्री या सरकार सदन का नाम लेकर एक ही पार्टी के सदस्यों की कमेटी बना सकती हो। इस कमेटी का जो स्वरूप है, उसके लिए आप स्पष्टीकरण दें कि यह किस प्रकार से सदन की कमेटी हो गई? केवल उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को शामिल कर लिया, उन्हीं को चैयरमैन बना दिया। आपने कहा कि नियमों में और परिवर्तन करेंगे, आपकी न्यूमरीकल स्ट्रेंथ है, आपको परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्या आप इस तरह स्वस्थ डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स कायम कर रहे है? आप विपक्ष के नेता रहे है

आपने कन्ट्रीब्यूट किया है सदन की प्रोसीडिंग्स को सदन की परम्पराओं को क्या आप महसूस करते हैं? आप अपने सीने पर हाथ रखकर बता देंगे तो हमें खुशी होगी। आप ऐसा नाटक क्यों रच रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। सदन के माननीय नेता ने एक बात कही कि अध्यक्ष की राय लेकर मैंने इन कमेटीज का निर्माण किया। सारा प्रोसीजर जो राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के चैप्टर 24 और पेज 67 पर है, इसमें एक भी जगह पर आप इस तरह की कमेटी के बारे में नियम बता दीजिये कुछ कमेटी आलरेडी हैं जैसे हाउस कमेटी है सब आर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी है, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी है। सचिवालय यह सूचना सदन की मेज पर रखे कि स्पीकर ने किस दिन आपको कन्सेन्ट दे दी। वह आर्डर आप सदन की मेज पर रखें। आपने स्पीकर साहब से ही आज्ञा मांगी कि मुझे यह कमेटी बनानी है। यह सारा ब्रीच आफ प्रिविलेज है कि स्पीकर साहब का नाम लेकर कमेटी बनाने की घोषणा कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपने जो जानकारी चाही है उसके बारे में रूल कोट किया है उसके तहत इस सदन की समिति नहीं है। यह सिर्फ माननीय नेता महोदय ने स्पीकर साहब की राय लेकर बनाई है। अभी यह सदन की समिति नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो रूलिंग दी उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन माननीय नेता महोदय ने यह बात कही।

श्री सभापति : यह मन्शा होगी आगे करने की।

श्री मूलचन्द डागा : वह बात दूसरी है कि आगे करने की मंशा होगी। जो कमेटी बनी है यह खजाने का दुरुपयोग है। जो आप खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं इसकी ऑथोरिटी नहीं है आपको।

श्री कौशल किशोर जैन : आपने दुरुपयोग किया उसकी जांच है यह।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान के खजाने को तो लूट लूट कर खा गये आप।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, मैं एक कमेटी का मेम्बर हूं। ऐसी बात नहीं है कि कमेटी के मेम्बर वही है जो कि उनकी हुकूमत के हैं। हमने यह आब्जेक्शन पहले भी उठाया था उस समय भी यह स्पष्टीकरण दिया था कि क्योंकि आप लोग सदन से संबंधित है आप भाग ले सकते हैं लेकिन पैसा नहीं देंगे। हमने इतना जरूर किया कि 62 से लेकर…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदनसिंह दांता : आपने जो आरोप लगाये हैं कि इस पक्ष के सदस्यों को नहीं लिया तो आपके पक्ष वालों को लेंगे तो उस रोज हम स्तीफा दे देंगे। जब आपके मुख्य मंत्री के ऊपर आरोप हैं, जब आपके और मिनिस्टरों पर आरोप हैं तो क्या आपको ही लेंगे। आप थानेदार के लिए कहते हैं कि थानेदार को वहां नहीं रहने दिया जाये इसलिए कि वह केस को बिगाड़ेगा तो आप वहां रहोगे? सबके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। कोई मिनिस्टर का लड़का गाड़ी लेकर भाग गया…

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति जी, श्री मदनसिंह जी तो भावना में बह जाते हैं हमारे पक्ष के लोग तो श्री मोरारजी भाई बैठे हैं, हमारे पक्ष के लोग तो रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम आपके पास बैठे हैं और हमारे पक्ष के जो दस साल से हैं वह आपके पास है गृह मंत्री जी इसलिए हमारे पक्ष के बारे में इतना कठोर डिसीजन कर लेंगे उस दिन जनता पार्टी का राज्य ही नहीं रहेगा।

श्री मदनसिंह दांता : इसके ऊपर आपसे न्याय करवायेंगे? इन्दिरा जी और जोशी जी से न्याय करवायेंगे?

श्री ईश्वरचन्द्र : यह तथ्यों के अन्वेषण से घबराते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हम तो चाहते हैं खूब जांच करो। भैरोंसिंह जी के भाषण पढ़ो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त हुई।

श्री दूलाराम : सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय सदस्य ने जो कहा है यह बात तो सत्य है लेकिन कई सदस्य ऐसे हैं जो मंत्रिमण्डल में नहीं रहे और इस विधान सभा में नहीं आये। क्या उनको नहीं लिया जा सकता है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित भी करता हूं ।

श्री सभापति : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हिन्डौन तशरीफ ले गए थे । उदयपुर में भी जो घटना हुई उसका कल जिक्र किया था । उसके बाद में अध्यक्ष पद से कहा गया कि इसके बारे में स्टेटमेन्ट दें और चर्चा हो जायगी । तो मेरा सवाल यह है कि आप वह कब लेंगे ? लेंगे या नहीं लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लेजिस्लेटिव बिजनेस पास हो जाये, उसके बाद स्टेटमेन्ट दे देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : पहले यह काम होना चाहिए, मेरा यह निवेदन है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापति जी, कल जब इस बात पर बहस हो रही थी उस समय कहा गया था कि टिड्डी दल के बारे में भी कल आधा घंटे की बहस होगी । जो दुर्घटना हुई उसके बारे मे भी कुछ संकेत था । आधे घंटे की चर्चा नहीं हो तो जीरो आवर के बाद में स्टेटमेंट पढ़े जाते हैं या आधे घंटे की चर्चा के बाद में होते हैं । विधायी कार्य बाद में होता है ।

श्री सभापति : सरकार की इच्छा पर है । जो निर्धारित बिजनेस है उसको पहले लें ।

श्री मथुरादास माथुर : आपका टाइम तो 5 बजे तक का है . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम स्टेटमेंट देंगे लेजिस्लेटिव बिजनेस पास हो जाने दो ।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978
परिनियत संकल्प

श्री सभापति : माननीय श्री डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान्, "यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 78) को अस्वीकार करता है ।"

श्रीमान्, आर्डिनेंस के बारे में मैंने पहले भी बात कही है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सदन के नेता, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस प्रकार आर्डिनेंस जारी कराया । यह सरकार, जो अनियमिततायें करने वाली सरकार है, इस बात को त्यागे । मैं इसलिये आपका ध्यान आर्डिनेन्स के जो रीजन्स बताये गये हैं उनकी ओर आकर्षित करता हूं :

"The term of the first Lokayukta ended on the 27th day of August, 1978. An appointment of Lok-

(श्री मूलचन्द डागा)

ayukta can be made only after consultation with the Chief Justice of the High Court and the Leader of the opposition in the Legislative Assembly."

मैं इन शब्दों की ओर माननीय सभापति के द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं....

Due to non-availability of sufficient time it was difficult to complete the formalities with regard to the appointment to the successor or the first Lokayukta.

श्रीमान, 27-8-78 के रोज लोकायुक्त की सेवा का पांच साल का समय समाप्त होता था। इस एक्ट का सेक्शन 5 है उस के अन्दर साफ है—

"Every person appointed as the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office."

यह जनता पार्टी की सरकार 14 महीने पहले, 15 महीने पहले यह आर्डर नहीं निकल सकी। 15 महीने तक यह सरकार चली। राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिह शेखावत यह रीजन्स दे रहे हैं—

"Due to non-availability of sufficient time....".

हमारे पास समय नहीं था इसलिए लोकायुक्त अपाइन्ट नहीं कर सके। इन्होंने लोकायुक्त का अपोइन्टमेंट नहीं किया यह लोकतन्त्र की हत्या की है। इस सारे बिल की स्कीम को खतम कर दिया। श्रीमान, लोकायुक्त का अपाइन्टमेंट होता वह चीफ जस्टिस को और लीडर आफ दी अपोजीशन को कन्सल्ट करके तो हम कहते कि इन्डिपेंडेंट व्यक्ति का अपाइन्टमेंट किया गया है। आज समय पर मुख्य मंत्री जी निकल गये क्योंकि उनका आर्डिनेन्स है। अब आप देखिये उन्होंने क्या प्रावधान किया है—

"For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta and one or more persons to be known as the Up-Lokayukta or Up-Lokayuktas."

"Provided that the Lokayukta shall be appointed after consultation with the Chief justice of the High Court and the leader of the opposition in the legislative assembly or, if there be no such leader, a person elected in this behalf by the members of the opposition in that House in such manner as the Speaker may direct."

श्रीमान, लोकायुक्त की जो स्कीम थी, मैंने सोचा कि बिल आ रहा है तो चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता की सलाह से नियुक्त लोकायुक्त द्वारा मिनिस्टर की इन्क्वायरी हो सकती है। एक साधारण आदमी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत कर सकता है लेकिन इन्होंने क्या किया ?

(श्री मूलचन्द डागा)

उस समय विधान सभा बन चुकी थी, 18–7–77 के दिन हमारे विरोधी दल के नेता, माननीय परसरामजी मदेरणा थे और वे यहां पर थे लेकिन एक साल के बाद आज क्या कहते हैं ? मैं कहता हूं, जिन्होंने ग्राडिनेन्स जारी कराया है उन्होंने गलत बयानी की इस में कहा है :

"Due to non-availability of sufficient time...."

यह राजस्थान सरकार तबादला करने वाली सरकार है इस सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है । इस सरकार ने 14 महीने के बाद लोकायुक्त नियुक्त किया है । इस अधिनियम की यह मन्शा थी कि भ्रष्ट जो मंत्री हैं, जो भ्रष्ट काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी एक इन्डिपेन्डेन्ट आदमी जांच करे और उनको दण्डित किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले और जय प्रकाश बाबू का नाम लेने वाले लोग और समग्र क्रांति लाने वालों ने यह ग्राडिनेन्स जारी किया। जो स्कीम थी वह खतम कर दी और लाकर बैठा दिया डी. पी. गुप्ता को। वे क्यों आये, उसकी बात फिर करूंगा। शशि भूषण हैं उनकी बेटी से इनके बच्चे का रिश्ता होने वाला है ....

श्री ईश्वरचन्द्र : सभापति महोदय, इस बात का क्या प्रमाण है ? उन्हें गलत आरोप लगाने से आप तुरन्त रोकें।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : ऐसे वाक्य का उपयोग.....

(व्यवधान)

अपने शब्द वापस लीजिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र : किसके लड़के की शादी, किससे हो रही है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप ला मिनिस्टर के खिलाफ कह सकते हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं कह सकते। It is wrong practice.

श्री मदनसिंह दांता : धारा 197 उठाइये....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : शांति भूषण के लड़के की शादी गुप्ता साहब की लड़की के साथ होने वाली है इसलिये उनको प्लीज करने के लिये लोकायुक्त का चार्ज दे दिया है, it is a direct attack on Justice D. P. Gupta. न्यायाधीश के ऊपर इस सदन में कुछ कहना, इस सदन की गरिमा के विपरीत है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि उन वाक्यों को इरेज करें।

श्री मूलचन्द डागा : जो सरकार 14 महीने तक मौन रहे और 26 तारीख को उसको अपाइन्ट करें, एक दिन पहले....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरे एतराज पर पहले...

श्री परसराम मदेरणा : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एतराज किया है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है । डी. पी. गुप्ता हाईकोर्ट जज नहीं । उनकी ड्यूटी लोकायुक्त की है । हाई कोर्ट जज के सम्बन्ध में एतराज हो सकता है। यह जो अथॉरिटी है इस

(श्री परसराम मदेरणा)
अथॉरिटी का अपाइंटमेंट मेलाफाइड है या नहीं इस पर चर्चा हो सकती है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह नहीं है, सिर्फ एक मिनट लूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : Under what rules he is raising the objection ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा, श्रीमान् यह कहना है कि सरकार ने न्यायाधीश डी. पी. गुप्ता को उनके न्यायाधीश होने के कारण नियुक्त किया है; लोकायुक्त की नियुक्ति तो उसके बाद में है । आपने अभी कहा है कि ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है जिसके सम्बन्ध लॉ मिनिस्टर से होने वाले हैं· · ·

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । माननीय डागा जी ने· · ·

श्री मूलचन्द डागा : बस, जो आपके मन में है वह बात आ जानी चाहिये ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अभी माननीय डागा जी ने और माननीय परसराम जी मदेरणा ने जो रेफरेन्स दिया है डी. पी. गुप्ता साहब का · · ·

श्री मूलचन्द डागा : आप वकालत कर चुके हैं उनके नीचे, शशि भूषण जी के नीचे आप काम कर चुके हैं। You have remained his junior.

श्री दिग्विजय सिंह : शशि भूषण नहीं शांति भूषण है ।

श्री मूलचन्द डागा : हां, शान्ति भूषण कहिये । अब कहिये ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में हम लोग किसी जज के सम्बन्ध में चर्चा नहीं उठा सकते हैं चाहे वह हाईकोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, यह नियमों में स्पष्ट है, मैं आश्वस्त हूं । श्रीमान्, डी. पी. गुप्ता साहब का अपाइन्टमेंट इन एडीशन टू हिज ओन ड्यूटीज हुआ है । इसलिये वे हाई कोर्ट के जज रहते है, he does not cease to be a High Court judge. किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन उन पर होता है तो जो हम लोगों की परिधि है वह निस्सन्देह समाप्त हो जायगी । इसलिये, माननीय सदस्य रामकृष्ण दास जी ने जो एतराज उठाया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं निवेदन करूं कि माननीय डागा जी थोड़ी गम्भीरता से कहें तो अधिक उपयुक्त होगा । उन्होंने कहा है कि मैं शांतिभूषण जी का जूनियर रहा हूं । यह बात गलत है कि ऐसे कोई रिश्ते की बात आई है· · ·

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं नहीं कहता वे भी गुप्ता हैं और ये भी गुप्ता हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : This is highly objectionable.

श्री मदनसिंह दांता : Not at all.

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सदन में मुझे भी उतना ही अधिकार है जितना माननीय डागा जी को है। जो मैंने आपत्ति पेश की है वह कोई जातिवाद के लिये नहीं की है। No member has a right to criticise a sitting judge.

श्री सभापति : भाषण जारी रखें...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : संविधान की धारा 194 के नीचे...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति जी, इस सदन में नाम लेने की जो परम्परा चल रही है वह संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध है। माननीय सदस्य किसी को सम्बोधित करते हैं तो संसदीय शिष्टाचार यह है कि उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी का नाम लिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय डागा जी शिष्टाचार सीख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सीरियसली ले रहा हूं। मैं भी इसकी वकालत करता रहा हूं कि नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को एतराज न हो, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा डी. पी. गुप्ता साहब को...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जुडिशियल आदमी का नाम इस तरह ले सकते हैं कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर हुई है, इस तरह कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, द्वारकाप्रसाद गुप्ता, लोकायुक्त का अपाइन्टमेंट किया गया है, मैं यह कह रहा हूं।

पहले तो इस एक्ट, जो बनाया था, में यह प्रावधान रखा था कि लीडर आफ अपोजीशन और हाई कोर्ट जज को कन्सल्ट करके लोकायुक्त बनाया जाय। फिर सैक्शन 5 यह कहता है कि टर्म पांच साल से अधिक नहीं होगी। पहले कोई प्रोवीजन नहीं था कि मियाद बढ़ाई जाय तो सैक्शन 5 में यह मालूम था टर्म पांच साल में खतम होती है तो 14 महीने तक यह निर्णय क्यों नहीं ले सके? आज आप यहां आर्डिनेन्स लेकर आये हैं और आर्डिनेन्स में रीजन्स दिये हैं अर्जेन्सी और इमर्जेन्सी थी। बहुत बड़ा जरूरी काम था और यह था, बिना इसके रुकावट हो जायेगी। इसमें लिखा है :

"Due to non-availability of sufficient time."

मैंने इसलिये एतराज किया कि 14 महीने तक यह सरकार बैठी रही। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने लोकतन्त्र की समर्थक जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहले तो सारे जितने हमारे प्रधान थे, उनको हटाया, वे भी खतम कर दिये...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोकतन्त्र पर भाषण हो रहा है या लोकायुक्त पर।

श्री मूलचन्द डागा : यह उसी का पाठ है। जहां जहां लोकतान्त्रिक संस्थाएं थीं, उनको हटाया। फिर आपने क्या किया? नगर सुधार न्यास बनाये। संसद सदस्य, श्री राम किशनजी ने एक वक्तव्य दिया सारे नगर सुधार न्यासों पर...

(व्यवधान)

आपका सुधार हो रहा है।

तो उन्होंने यह कहा कि सारे नगर सुधार न्यासों में अपने आदमी नोमीनेट कर दिये। नोमीनेट किसको किये? सारे घटकवाद के व्यक्ति हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड के श्री द्वारका प्रसाद पुरोहित अध्यक्ष थे, उनको हटाया और उनको हटाकर हुक्मानी को लाये। कोई न कोई इनका आदमी आना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं ये सारे आंकड़े निकल चुके हैं लिन्क में कि घटकवाद पनप रहा है..

(व्यवधान)

आप तो पीछे रह गये हैं, इस दौड़ में नारायण सिंह जी, अब उठने की जरूरत नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : फिर आपने नाम लिया।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें एक घटक बहुत तेज है। वह घटक अपनी तरकीब से पहले अध्यापकों में घुसा। माननीय ललित किशोर जी ने कह दिया कि मालवीया इंजीनियरिंग कालेज में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया और जो रसायन शास्त्र के वेत्ता थे, उनको मुकर्रर कर दिया। पहले तो विद्यालयों में घुसे और फिर विश्वविद्यालय में घुस गये। उन्होंने जगह जगह पर, सरकारी शासन जहां जहां है वहां घुसने की कोशिश की। अब क्या किया, एक बड़ी बात है उन्होंने कहा हमने अपाइन्टमेंट किया। यह अपाइन्टमेंट बिल्कुल इल्लीगल है। मैं बताता हूं कि कागज के आते ही अध्यक्ष महोदय को एक लैटर लिखा। मैंने कहा वे दोनों कागज सदन की मेज पर रखें जिससे उनका अपाइन्टमेन्ट हुआ है। Papers should be placed on the table of the House. तो उन्होंने आर्डर दे दिया। यह मेरे पास कापीज हैं। इस कापी को चैलेन्ज करते हैं? इसमें क्या लिखा है? इन्होंने पहले अपाइन्टमेंट किया लेकिन पहले सवाल यह था कि लैटर लिखना था हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हम अपाइन्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है–25 अगस्त, 1978 को लैटर लिखा क्योंकि 26 को अपाइन्टमेंट होना है :

"in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of Rajasthan Lokayukta (Amendment) Ordinance, 1978."

तो श्रीमान, यह आर्डिनेंस निकला। इस आर्डिनेंस के अन्दर कहीं मुझे बता दो कि सैक्शन 3 के अन्दर चीफ जस्टिस की राय ली जावेगी? यह प्रोवीजन हो कहीं तो बता दो मुझे। इसके अन्दर कहीं नहीं है। उसमें क्या कर दिया कि एक दिन में चीफ जस्टिस को कागज भेज दिया और कर दिया।

"In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section

(श्री मूलचन्द डागा)
3 of the Rajasthan Lokayukta (Amendment) Ordinance, 1978 I, I. C. Honniah Chief Justice of Rajasthan, nominate Mr. Dwarka Prasad Gupta, a Judge of the Rajasthan High Court to act as Lokayukta in addition to his own duties with effect from the date he assumes the charge of his duties."

श्री मदनसिंह दांता : You are challenging the words of the High Court Judge

श्री मूलचन्द डागा : यह इनको बता रहा हूं। ये बतायें कि कौन से सैक्शन के नीचे किया है, फिर मैं उसका जवाब दूंगा उनको क्यों लिख दिया कि उनको नोमीनेट करने की राय दें ? उन्होंने एडीशनल ड्यूटीज करने के लिए अपाइन्टमेंट का आर्डर कर दिया। मुझे बड़ा दुःख है कि हाई कोर्ट के अन्दर भी आज के दिन इस तरह के जजेज होते हैं, सारे अखबारों में छपता है कि आजकल हाई कोर्ट के जजेज भी कौन लिए जाते हैं। उसमें भी राजनीति घुस गई, न्यायालयों में राजनीति घुस गई, लोकायुक्त के घर में घुस गई, हाउसिंग बोर्ड में घुस गई, विश्वविद्यालयों में घुस गई। यह सारा मामला है। यह जनता पार्टी की सरकार अपने आपको ले डूबेगी...

श्री दाऊदयाल जोशी : यह घुसाई तो आपने ही है।

श्री मूलचन्द डागा : हल्ला मचा मचा कर अपनी गलतियों को मत छिपाओ। हल्ला करने से गलती नहीं छिपेगी। इन्होंने गलती की है साहब। क्यों विधि मंत्री जी, आप तो काफी प्रवीण विधि वेत्ता हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मुझे दे दो, मैं पढ़ लूं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी कापी ही चली जाय आपको दे दूं तो। यह टेबुल आफ दी हाउस पर रखा हुआ डाकूमेंट है। कापी आपको गवर्नमेंट दे सकती है।

I got it from the Hon'ble Speaker and I will put it on the table of the House

(4.40 म.प.)

(श्री मंसूर अली, सभापति, पीठासीन)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का विधायी कार्य पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधायी कार्य पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जावे ?

(स्वीकृत)

विधायी कार्य पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

Page No 111

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त, (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री मदन सिंह दांता : We won't get time now.

श्री सभापति : मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आज सदन का आखिरी दिन है और अभी दो विधेयक बाकी पड़े हुए हैं। बहुत ही जरूरी बोलना अगर माननीय सदस्य समझें तो बोल सकते हैं; उनको रोकने का मेरा इरादा नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी हो तो बोल लें अन्यथा नहीं बोलें और ब्रीफ में बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : अगर मैं इर्रेलेवेन्ट बोलूं तो आप रोक दें। मैं उसी समय रुक जाऊंगा।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य क्या छः घण्टे तक बोलते रहेंगे ?

श्री सभापति : मैं इर्रेलेवेन्ट की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आज की लिस्ट में जितने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, अगर सभी बोलें तो रात का एक बज जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा विश्वास है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम अपने कर्त्तव्य को पूरा अदा नहीं करेंगे।

"In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 3....

इसके अन्दर अपाइन्टमेंट की कहीं पावर्स नहीं हैं। कहीं नहीं हैं। यह इन्होंने आर्डिनेंस का हवाला दिया और फिर क्या किया है साहब:

"a Judge of the Rajasthan High Court, to act as Lokayukta......

इसमें केवल इनकी कंसेंट लेने का सवाल था कि भाईजी हाई कोर्ट का जज है; कह दो तो इसको हम लगा देंगे। उन्होंने कहा, आज से हम छुट्टी देते हैं तुम ड्यूटीज अदा करो। पहले कह दिया गवर्नर को अपाइन्टमेंट करने की पावर है ..

श्री सभापति : आप अपने आपको कैसे कोरोबोरेट कर सकेंगे कि पहले ही कह दिया था।

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन की मेज पर रखी हुई कापी है जो मुझे स्पीकर महोदय ने आज ही दी है। रूल के अन्दर वह डाकूमेंट सदन की मेज पर रखा गया है, वह मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। गवर्नमेंट का डाकूमेंट है और गवर्नमेंट ने आज दिया है। यह आदेश है 26 अगस्त, 78 का, यह मेरे घर का आर्डर नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, आपसे रिक्वेस्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : जब 25 तारीख को कहते हैं तो 26 तारीख के रोज वह लिख रहे हैं :

"Under clause (c) of sub-section (2) of section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973, as amended by the Ordinance No. 13 of 1978, the Chief justice of the High Court of Judicature for Rajasthan, on a request of the Governor of Rajasthan, has nominated justice Shri D.P. Gupta, Judge of that High

(श्री मूल चन्द डागा)

Court, to perform the duties of Lokayukta, in addition to his own duties, with effect from August 28, 1978, until some other person appointed under section 3 of the Act enters upon such office."

इन्होंने 25 तारीख को लिखा और उन्होंने 26 तारीख को यह दे दिया। आपको एक दिन के अन्दर आदमी दे दिया, न कंसल्टेशन का सवाल, न कोई लिस्ट दी है। मैं सही मानता अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दो तीन आदमियों की लिस्ट देता, वन, टू, थ्री। मैं कहता हूं कि फिर इन्होंने क्या किया है ? एक तो हमारे लोकतन्त्र की हत्या उस रूप में की कि हमारे लीडर आफ दी अपोजीशन को कंसल्ट नहीं किया। यह सारा एक्ट के खिलाफ एक्शन लिया है, यह किसी कानून के अन्तर्गत नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस आर्डिनेंस को ठुकरा देंगे, इसको पारित नहीं करेंगे। अब इन्होंने क्या नई बात की ? मैं बहुत जरूरी बात सदन के सामने लाना चाहता हूं कि लोकायुक्त कौन नहीं बन सकता। यह सैक्शन 4 में था कि लोकायुक्त वह नहीं बन सकेगा जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट है, मेम्बर आफ दी असेम्बली नहीं बन सकेगा। जो जज हो if he holds any office of profit, तो यह जज भी नहीं बन सकता है क्योंकि वह आलरेडी सर्विस में था। और किन को नहीं बना सकते, सैक्शन...

श्री सभापति : If he is connected with a political party.

श्री मूलचन्द डागा : आपको और मेरे को तो कभी बना ही नहीं सकते।

(व्यवधान)

इनमें तो घटकवाद का प्रसार हो रहा है, काम नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे तीन मिनट दे दीजिये। After that I will conclude.

इन्होंने क्या किया कि वी को खतम किया। अब मैं कहता हूं कि माननीय द्वारका प्रसाद गुप्ता हैं उनको क्यों लगाया है ? मुझे और आपके लिये कानून क्यों नहीं बना दिया, एम.एल.एज. के लिये रियायत क्यों नहीं कर दी ...

श्री रतन लाल वर्मा : आप में योग्यता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आप में तो योग्यता है। माननीय रतन लाल जी को लगा देते तो बहुत अच्छा था।

सवाल यह है कि इन्होंने पर्टीकूलर हाईकोर्ट के जज को ऑफिस आफ प्रोफिट को होल्ड करने वाले जज को क्यों लगाया जिसके लिये कायदे में मना है, कानून में मना है ? एक दिन में आर्डिनेंस निकाल दिया और उस पर दस्तखत करने वाले राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। मुझे दुःख इस बात का नहीं है कि आर्डिनेंस निकला वह तो निकलते रहते हैं लेकिन दुःख इस बात का है कि भैरोंसिंह शेखावत जो अपने आपको

(श्री मूलचन्द डागा)
लोकतन्त्र का बड़ा हिमायती बताता है, बड़े विशाल पैमाने पर प्रचार करता फिरता है हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक, इस प्रकार का बिल लावे जिसमें लोकायुक्त जैसी संस्था को, जो पवित्र संस्था थी, इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन को खतम कर दिया। उसने अब क्या किया? ये बूढ़े हो जाते हैं इसलिए शायद तीन साल रखा। पहले पांच साल था जब अपाइंटमेंट हो जावे रिटायर्ड होने के बाद। अब तीन साल क्यों रखा? हम भी तीन साल तक रहें या नहीं रहें खुदा न खास्ता तो इसका समय भी तीन साल कर दिया और यह किया कि हम चाहेंगे जिसको मुकर्रर कर लेंगे। हर आदमी, जिसकी अच्छी तन्दुरुस्ती है, पांच साल तक रहना चाहता है। इन्होंने इसकी टर्म तीन साल की रखी है। क्यों रखी है? यह रीजन दिया है हम नहीं चाहते हैं रिटायर्ड आदमी ज्यादा समय रहे। इन्होंने बड़े आदमियों को दुबारा लगाया है। सेक्रेटरी को लगाया है। उम्र तक बढ़ा दी है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तीन मिनट पूरे हो गये।

श्री मूलचन्द डागा : आप थोड़ा धैर्य तो रखो। दो मिनट हुए हैं। एक मिनट रह गया है।

इन्होंने क्या किया? एक नई कारगुजारी की। यह कारगुजारी यह की कि इस डी. पी. गुप्ता को बैक डोर एन्ट्री कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार के जो हमारे माननीय विधि मंत्री जी हैं, और जो सूर्यनारायण जी हैं इनके सम्बन्ध बने रहें, इनका प्रेम भाव बना रहे इनके कारण डी. पी. गुप्ता का अपाइन्टमेंट इल्लीगल हुआ है। हाई कोर्ट के जस्टिस ने लिखा है वह भी इल्लीगल है। जो अपाइन्टमेंट उनको भेजा गया है वह हमारे सारे कानून और लोकतन्त्र को ताक में रख कर भेजा गया है। जितने भी कानून को समझने वाले लोग हैं, वे इसको कन्डम करेंगे। इस प्रकार का कानून बनाने के लिए हमारी सहायता ली जाए, मैं समझता हूँ कि वह गलत है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैंने इन्ट्रोडेक्टरी स्पीच दी है। इसके क्लाज के कन्सीडरेशन के टाइम में बोलूंगा और थर्ड रीडिंग में भी बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, मैंने भी परिनियत संकल्प दिया है।

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

जैसा कि, माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि चार अक्टूबर से यह सत्र आरम्भ हुआ था। सत्र प्रारंभ होने के

(श्री परसराम मदेरणा)
उपरान्त क्वेश्चन आवार के बाद आर्डिनेन्स सदन के पटल पर रखे जा रहे थे। तो पहला ही आर्डिनेन्स जो मुख्य मंत्री ने सदन के पटल पर रखा था तो लीडर आफ अपोजीशन ने उस पर एतराज किया था कि यह सरकार आर्डिनेन्स के जरिए कानून में संशोधन करना चाहती है और लेजिस्लेचर की पावर को कर्टेल करना चाहती है। तब हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बड़े गर्व के साथ यहां पर कहा था कि तत्कालीन सरकार के एक्ट, अधिनियम में बहुत सारी खामियां थीं और हम उस खामी को दुरुस्त कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने इस आर्डिनेन्स को ध्यान से पढ़ा है और पढ़ने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस सरकार को इसकी अदूरदर्शिता का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए जब सरकार को यह मालूम हो गया था कि वर्तमान लोकायुक्त की टर्म खतम हो रही है, सैक्शन पांच में इसका उल्लेख है कि लोकायुक्त की पांच साल की टर्म होगी और वह पांच साल की टर्म खतम हो रही है तो सैक्शन 3 में एक प्रोसीजर दे रखा है उस प्रोसीजर को 27/26 तारीख को लागू किया जाना चाहिये था और इसके अनुसार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लीडर आफ दी अपोजीशन को कन्सल्ट किया जाना चाहिये। आपने ऐसा क्यों नहीं किया जब एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि एक लोकायुक्त को नियुक्त करने का यह प्रोसीजर है ? परन्तु उस प्रोसीजर के ऊपर यह सरकार सोती रही ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : ध्यान नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार सोती रही और फिर यह आर्डिनेन्स लाई। समय खत्म हो रहा था तो समय पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? जो आर्डिनेन्स जारी करने के कारण दिये हैं वे तर्क संगत नहीं हैं। यह कहा कि इनकम्बेन्ट की टर्म समाप्त होने जा रही है इसलिये हमको यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा है। इसके जरिये हम सैक्शन 5, 3, 2 को अमेन्ड कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सब से पहले तो इस आर्डिनेन्स को जारी करने को मैं यों आपत्तिजनक मानता हूं कि जिस दिन चार तारीख को यहां पर आर्डिनेन्स रखे जा रहे थे उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था तत्कालीन सरकार ने कानून में खामियां रख दी हैं और उनको दुरुस्त करने के लिये यह लाया गया है। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री का यह आरोप, जो तत्कालीन सरकार पर था, बेसलेस है, निराधार है। वह खुद कुम्भकरण की तरह सोते रहे। सैक्शन तीन के अन्दर उनको कन्सल्ट करना चाहिये था। पहले नाम सलेक्ट करते, चीफ जस्टिस को कन्सल्ट करते, लीडर आफ दी अपोजीशन को कन्सल्ट करते उसके बाद गवर्नर को रेफर करते। इस प्रोसीजर से नियुक्ति करते तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होती। गलती तो खुद ने की और दोषारोपण तत्कालीन सरकार पर कर रहे हैं...

श्री मूलचन्द डागा : लोकतन्त्र की हत्या की है। हत्यारे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें, सभापति महोदय, लीडर आफ दी अपोजीशन को कन्सल्ट नहीं किया गया। चीफ जस्टिस को कन्सल्ट नहीं किया गया। अपनी गलती को छिपाने के लिये सरकार ने यह रास्ता निकाला है आर्डिनेन्स का। आर्टिकल 213 के तहत लेजिस्लेचर की पावर गवर्नर को दी है। उसका प्रयोग करके बहुत ही गलत परम्परा स्थापित की गई है।

मेरा तीसरा एतराज, सभापति महोदय, यह है कि पूरा का पूरा यह अध्यादेश इस हाउस की लेजिस्लेटिव काम्पिटेन्स के बियान्ड का है। सभापति महोदय, यह कैसे है, यह सुनिये। इस हाउस को इस लेजिस्लेशन का पावर नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में आरग्युमेंट यह है कि यह हाउस उन्हीं विषयों पर लेजिस्लेशन कर सकता है, जिन मैटर्स पर यह लेजिस्लेशन कर सकता है, उसका उल्लेख हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 246 में है। यह स्टेट और स्टेट की कांक्रिट लिस्ट के अन्दर साफ है कि किसी भी हाईकोर्ट के जज को एडीशनल ड्यूटी असाइन की जाएगी, Under Constitution the appointment of High Court Judge lies with the President of India हाईकोर्ट में जज का अपाइन्टमेंट प्रेसीडेन्ट आफ इण्डिया करता है तो हाई कोर्ट के जजेज की ड्यूटीज का लेजिस्लेशन करने का किस को राइट है। लिस्ट एक के अन्दर केवल यह राइट पालियामेंट को है, बोथ दी हाउस आफ पालियामेंट को है। इसलिये आपने हाई कोर्ट के जज को यह जो एडीशनल ड्यूटी असाइन की है, इसमें आपने आर्टिकल 246 का उल्लंघन किया है। आर्टिकल 246 के अनुसार यह आर्डिनेन्स अल्ट्रा वायरस आफ कान्स्टीट्यूशन है। यह सदन काम्पीटेन्ट नहीं है इसका लेजिस्लेशन करने के लिये यह सदन काम्पीटेंट नहीं है और आर्टिकल 213 के नीचे गवर्नर को लेजिस्लेचर की पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऐसा आर्डिनेन्स जारी करें, उस प्रकार का कोई आर्डिनेन्स हो, उसका लेजिस्लेशन पास करने के लिये स्टेट लेजिस्लेचर काम्पीटेन्ट नहीं है। यह उसकी काम्पीटेन्सी में नहीं आता है यह इस बिल को पारित नहीं कर सकता है। एक्ट नहीं बना सकता है यह आपका आर्टिकल 213 है, उसको देख लीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह ठीक है जो आप कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा आर्डिनेन्स निकलने के बाद, आर्डिनेन्स निकल जाय, लेकिन प्रोमुलगेट होने के बाद लेजिस्लेशन करने की काम्पीटेन्सी इस लेजिस्लेचर की नहीं है। इस प्रकार से यह आर्डिनेन्स वाइड है।

दूसरा मेरा आरग्युमेंट यह है कि यह जो आर्डिनेन्स आपने निकाला है। इसका सदन को कोई राइट नहीं है, कोई काम्पीटेन्सी नहीं है और अगर सदन को कोई काम्पीटेन्सी नहीं है तो, सभापति महोदय, आर्डिनेन्स को रिजेक्ट किया जाय।

मेरा दूसरा पाइन्ट यह है कि सेक्शन 5 (सी) के अन्तर्गत यह है :

"(c) where the office of the

(श्री परसराम मदेरणा)

Lokayukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office and there is no Up-Lokayukta, by a Judge of the High Court of Judicature for Rajasthan nominated by the Chief Justice of that High Court on a request of the Governor."

गवर्नर ने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की कि हाई कोर्ट के जज को नोमिनेट किया जाय। गवर्नर की रिक्वेस्ट के ऊपर नोमिनेट करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नोमिनेट करने का क्राइटेरिया इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। यह तो क्लीयर था कि किस तरह से अपाइन्ट होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या गाइड लाइन्स होंगी। बिना किसी गाइड लाइन्स के, बिना किसी क्राइटेरिया के ये इस प्रकार के पावर्स आर्डिनेन्स में एक्सरसाइज किये गये हैं यह डिस्क्रिमिनेटरी है और यह आर्टिकल 14 को हिट करते हैं। तो यह डिफेक्टिव है इसलिये यह सदन इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आप तो बार-बार घंटी बजा रहे हैं।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि आपके आरग्यूमेंट समाप्त हुए।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा दूसरा पाइन्ट यह है-

Section 3 is for appointment of Lokayukta, Section 4 prescribes disqualifications, Section 5 is regarding the term.

इन आब्जेक्ट्स के लिये जो मेन धाराएं थीं ये सैक्शन 3 और सैक्शन 4 हैं। इस आर्डिनेन्स के जरिये इन्होंने सैक्शन 1,3,4 और सैक्शन 6 को इनएप्लीकेबल बनाया है। इन सैक्शन्स को इनएप्लीकेबल बनाने के बाद जो प्रिंसिपल एक्ट है-इसका हार्ट एण्ड सोल है वह निकालकर बाहर फेंक दिया गया यानि कलेजा निकाल लिया आपने। तो फिर यह आर्डिनेंस तो एक मरी हुई लाश है। इस प्रकार अमेन्डमेंट के द्वारा प्रिंसिपल एक्ट, जो मेन एक्ट है, इसके हार्ट एण्ड सोल को निकालने के बाद राज्य सरकार ने मेन और प्रिंसिपल एक्ट को खोखला बना दिया है। इसलिये यह सदन इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करे।

माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 5 में इन्होंने 5 साल को 3 साल किया है जिसका कारण रिटायरमेंट का दिया है यानि 5 साल में कहीं वह इन्फर्म नहीं हो जाय तो लोकायुक्त को आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यह जो सैक्शन 6 है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि रिमूवल के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुख्य मंत्री महोदय सबक दे रहे हैं इसको कि कोई चेन्ज नहीं कर सके। इसमें मजबूरी की क्या बात है? इन्होंने जो आर्डर निकाला है, सभापति महोदय, अभी मैं उस आर्डर को पढ़ता हूं-एक आर्डर के द्वारा नोमीनेट किया है पर्टीक्यूलर व्यक्ति को, और ये हैं जस्टिस गुप्ता। उसके साथ में आर्डर निकाला दूसरा, वह निकला है डिपार्टमेंट आफ पर्सनल से और डिपार्टमेंट

(श्री परसराम मदेरणा)
आफ पर्सनल से जो आर्डर निकला है उसकी लास्ट टू लाइन पढ़ना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आर्डर को रेफर कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आर्डिनेन्स भी तो लोकायुक्त का है।

श्री सभापति : The order is in execution of this Ordinance.

श्री मूलचन्द डागा : और वह आर्डर गलत निकला।

श्री सभापति : आपका संकल्प तो यह है कि इस आर्डिनेंस को रिजेक्ट किया जाय, तो वह आर्डर इसके एग्जीक्यूशन में है।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री सभापति : मैं यह अर्ज कर रहा हूं–the order is in execution of this Ordinance.

श्री परसराम मदेरणा : But without that order how can the Lokayukta be appointed.

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, आपका कहना बिल्कुल सही है....

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो आर्डर चीफ जस्टिज के द्वारा नोमीनेशन का है वह है :

"In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Lokayukta (Amendment) Ordinance. 1978...."

माननीय सभापति जी, यहां सैक्शन 3 का उल्लेख है :

"I, I.C. Honniah, Chief Justice of Rajasthan, nominate Mr. Dwarka Prasad Gupta...."

यह सिर्फ नोमीनेट करने का है।

अभी उप लोकायुक्त के सम्बन्ध में दूसरा इसमें किया है। लेकिन इस आर्डिनेन्स में सैक्शन 3 का सब सैक्शन (2) कोई है ही नहीं और अगर कोई नहीं है तो इस प्रकार जो नोमिनेट सैक्शन 3 में किया गया है वह अवैध है वह केवल सैक्शन 4 के सब सैक्शन (c) के तहत हो सकता था। जो यह किया गया है वह गलत किया गया है। आर्डर दूसरे का फ्रेम नहीं होगा। दूसरे में जो आर्डर निकाला है चूंकि चीफ जस्टिस नोमीनेट करता है on the request of the Governor.

"...may, by similar warrant appoin Up Lokayukta...."

...जो आर्डर निकाला है यह डिपार्टमेण्ट आफ पर्सनल का है। सैक्शन 2 में दिया है–

"under section 3" the words, letter and figures "and shall also include a person nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 5" shall be inserted.

जब यह अमेण्डमेण्ट एक्ट में किया है, इसका मतलब यह है कि अथोरिटी इस मामले में असमर्थ है। कोई भी डिप्टी सेक्रेटरी आर्डर निकालता है वह गवर्नर का आर्डर नहीं है तो वह इल्लीगल आर्डर है। इसलिए

(श्री परसराम मदेरणा)
जो व्यक्ति आज इस तरह के आर्डर से लोकायुक्त बनकर बैठा हुआ है वह गलत है। यह आर्डिनेन्स डिफेक्टिव है। जैसा कि गवर्नर ने 3 तारीख को आर्डर निकाला जब कि बनेड़ा से चुनकर आने वाले माननीय सदस्य ने शपथ ग्रहण की थी वह आर्डर स्पष्ट था। आपने सुना होगा बेरी कमीशन के बारे में। जो अलाटमेंट आर्डर्स निकाले हैं उन सबके मामले में बेरी कमीशन ने माना है वह यह है कि यह आर्डर गवर्नर की तरफ से होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने नोमीनेट किया वह आर्डर गवर्नमेण्ट के नाम से निकाला गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर। चूंकि यह कानून चेलेंज किया गया है इसलिए यह सारा मामला सबजूडिस है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं····

श्री मूलचन्द डागा : This is no point of order. यह क्या आब्जेक्शन है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा मतलब यह है कि जो सबजूडिस मैटर होता है, उस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मदेरणा साहब यह सब्जेक्ट सबजूडिस है–but this House is not going to take a decision whether that order was right or wrong.

(व्यवधान)

This House is discussing the ill it self.

श्री बजरंगलाल शर्मा : पुराना कानून ही चेलेंज किया गया है।

श्री सभापति : The House can very well discuss.

एक माननीय सदस्य : Right, Sir.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने एतराज किया है। जहां तक आप कर रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री परसरम मदेरणा : हाउस में सही बात रख रहा हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, लीगल पोजीशन यह है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय मदेरणा जी।

श्री किशनसिंह भाटी : रिट एडमिट होने के बाद ही सबजूडिस होता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात सुन ली है। इस पर मैंने जो सही समझ में आया है, वह डिसीजन ले लिया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने जो कहा है ....

श्री सभापति : आपने यह कहा है कि इस मैटर पर हाई कोर्ट में रिट चल रही है यह सबजूडिस है। मैंने कहा है, यह जिस रूप में चल रहा है--

There is no conflict between the matter which is subjudice and the matter taken in the House.

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, मदेरणा साहब ने यह बात कही है कि अभी रिट एक्सेप्ट नहीं हुई है। यह कहा है, यह मेरे रेफरेंस से कहा है। कोई भी मैटर सबजूडिस तभी हो जाता है, जब आप अपील पेश कर देते हैं।

The moment it is filed in the court, the matter becomes sub-judice. A writ is filed in the court, whether it is admitted or not, it becomes a property of the Court and its matter is sub-judice.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं यह समझता हूं कि--

the matter becomes subjudice only when the writ is admitted in the Court; otherwise anybody will just file a writ and the matter will become sub-judice.

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सभापति महोदय, अगर यह मैटर सबजूडिस है तो यह नहीं आना चाहिए था।

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी रिट हो, इस हाउस को सोवरिन पावर है, लेजिस्लेशन करने की। हम इसलिए नहीं आते हैं कि हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। आर्डिनेंस आया है, इस पर 213 में ही चर्चा हो रही है। इस पर विचार करने को यह हाउस काम्पीटेण्ट है। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था यह आर्डिनेंस आर्टिकल 243, 213, 214, 166 को ईज करता है। अल्ट्रा वायरस कान्स्टीट्यूशनली है। सभापति महोदय, यह आर्डिनेंस ऐसा है अगर यह चैलेंज हुआ, किसी कोर्ट में गया तो यह स्ट्रक डाउन होगा इसीलिए अर्ज किया है कि सदन इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य रामकृष्ण दास गुप्ता बोलना चाहते हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं बोलना चाहता हूं, एक मिनट।

श्री सभापति : खतरा यही है, आपके बोलने में।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।" माननीय सभापति जी, प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि न्यायाधीश को नियुक्त करना कानून सम्मत है या नहीं। मैं आपके समक्ष यह निवेदन करूंगा कि अगर न्यायपालिका की इम्पार्शियलिटी कायम रखनी है तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
कोर्ट के न्यायाधीश को सेवा में नियुक्त होने के बाद किसी भी अन्य कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। 1954 से लेकर आज तक कांग्रेस सरकार ने इस राय को नहीं माना है। आज यह खुले आम आरोप लगाया जाता है। जब भी किसी न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति का समय नजदीक आता है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस बारे में नहीं कहा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: मैं उसी के बारे में कह रहा हूं।

एक न्यायाधीश को न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति देने के बाद कोई और कार्य नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी इम्पार्शियलिटी पर लोगबाग उंगली नहीं उठा सकें। आज हमारे समाज में, हमारे राज्य में और हमारे देश में यह आम विश्वास पैदा हो गया है कि जब भी किसी न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति का समय नजदीक आता है तो सरकार के आगे-पीछे घूमकर ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाती है जिससे कि वह तीन साल या पांच साल और काम कर सके। इसलिए इस मौके पर अपने विचार रखना चाहता हूं कि जो एडीशनल ड्यूटीज न्यायाधीश महोदय को दी गई हैं, हालांकि लोकायुक्त का कार्य भी न्यायाधीश का कार्य है, उनको अन्य कार्य नहीं दिया जाय। यहां पर मुख्य न्यायाधीश महोदय को वाइस चांसलर का पद दिया गया उसके बारे में भी इस हाउस में और इस हाउस के बाहर एतराज किया गया। जो उस पद की गरिमा और महत्व है उसको राजनीति से प्रभावित नहीं करें।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी, मैं अपनी जानकारी के लिए एक बात जानना चाहूंगा हाई कोर्ट का जज एडीशनल वर्क करेगा क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) एडीशनल वर्क नहीं करेगा।

श्री मूलचन्द डागा : एक बंगला मिल गया ठहरने के लिए तीन हजार रुपये महीने का, जोधपुर में दिया गया है गवर्नमेन्ट का, और दूसरा बंगला और है।

श्री सभापति : माननीय रामकृष्णजी, आप समाप्त कर चुके ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आधा मिनट और लूंगा।

अतः मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम अपने राज्य में यह परम्परा पैदा नहीं करें। किसी भी वर्तमान न्यायाधीश को या सेवा निवृत्त न्यायाधीश को ऐसा पद नहीं दें जिससे लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

(श्री मथुरादास माथुर)

सभापति महोदय, जो यह आर्डिनेन्स है इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी, जो प्रभारी मन्त्रीजी हैं, से यह कहना चाहता हूं कि कई कानून बनाये भी हैं, देखे भी हैं, मगर इस तरह का बैड लॉ या आर्डिनेन्स मेरी जिन्दगी में आज तक सामने नहीं आया। मुझे इस बात को कहने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है। मैं चार बातें रेज करना चाहता हूं इस आर्डिनेन्स के सिलसिले में। पहली बात तो यह है कि यह लेजिस्लेचर इनकाम्पीटेण्ट है किसी हाईकोर्ट के जज को एम्प्लाय करने के लिए। हाईकोर्ट जज की नामजदगी, उसका अपाइन्टमेण्ट कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया, संविधान की धाराओं के तहत होता है। यह लेजिस्लेचर किसी हाई कोर्ट जज को अपाइन्ट नहीं करता, न किसी बारे में·····

श्री सभापति : आपसे मदालखत हो जायगी यह अपाइन्टमेन्ट ऐज् ए जज नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट जज को दूसरी एकस्ट्रा ड्यूटीज देने के बारे में यह लेजिस्लेचर इनकाम्पीटेन्ट है। वहां से हट जाय और कमीशन का काम करे यह बात तो समझ में आ सकती है। मुझे एक भी मिसाल मुख्य मन्त्री जी और लॉ मिनिस्टर साहब तो दें कि हाई कोर्ट जज का कार्य करते हुए विजिलेन्स कमीशन का या और किसी कमीशन का कोई एक्स्ट्रा काम किया हो। हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसा हुआ हो तो आप बता दें। इसलिए यह तो लीगल बात है जो मैं कह रहा हूं।

दूसरी बात प्रोपराइटी के बारे में है। इसमें यह एतराज है कि हाई कोर्ट की इण्डिपेण्डेन्स को कायम रखना चाहते हैं और राजस्थान में जज रिटायर होते हैं उनको नौकरी देते हैं। इससे हाई कोर्ट की, जुडिशियरी की इण्डिपेण्डेन्स नहीं रहेगी। यह एक तरह से उनके काम में इण्टरफियरेन्स है। जिस हाई कोर्ट जज और चीफ जस्टिस को मालूम है कि रिटायर होने के बाद नौकरी मिल जायगी तो वह एक्जिक्यूटिव को खुश करने की कोशिश करेगा। इसलिए जुडिशियरी की इण्डिपेण्डेन्स रखने के लिये यह तरीका जो आप अडाप्ट कर रहे हैं वह गलत है। कभी-कभी तो हो सकता है लेकिन जितने भी जज रिटायर होते हैं, इन सबको कमीशन में लगा रहे हैं। बेरी कमीशन, कानसिंह कमीशन, कानसिंह कमीशन क्या है, काम से कमीशन एक्ट के तहत काम कर रहा है? सिर्फ पोस्ट आफिस है, शाह कमीशन को इन्फार्मेशन देता है। हाई कोर्ट जज अगर इस हद तक आते हैं तो let them do it. लेकिन हमको इसकी हैसियत कम नहीं करनी चाहिए नहीं तो हाईकोर्ट की प्रेस्टिज गिर जायगी।

अब तो वर्किंग जज हैं उनको कह दिया कि तुम विजिलेन्स का काम किया करो, कुछ और दूसरे काम भी बता देंगे। इसलिए हम इस बिल को पास करने के लिए काम्पीटेण्ट नहीं हैं कि उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज देकर एम्प्लाय करें। तो प्रोपराइटी के पाइन्ट ऑफ व्यू से भी सहमति नहीं होनी चाहिए।

दूसरा पाइन्ट यह है कि यह अमेण्डिंग आर्डिनेन्स है और बिल है, अमेण्डिंग बिल के अन्दर, सभापति महोदय, आप जानते हैं हम तरमीम पेश करते हैं कोई उसकी भी परिधि

(श्री मथुरादास माथुर)

होती है। इस आर्डिनेन्स के जरिये जो ओरिजिनल एक्ट पास किया था उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप पूरा ही डिमोलिश कर दो, यह कोई नार्मल लेजिस्लेचर नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी और लॉ मिनिस्टर साहब सुन लें यह नार्मल लेजिस्लेशन नहीं है। हमारे और आपके नेगोसियेशन से यह चीज इन्क्लूड की गई है ओरिजिनल एक्ट में कि लीडर आफ अपोजीशन को भी कन्सल्ट किया जायगा, वह नहीं है तो कौन सा रास्ता निकाला जायगा वह भी उसमें दिया हुआ है। फिर चीफ जस्टिस से कन्सल्ट करेंगे और लीडर ऑफ हाउस से करके, गवर्नर अपाइन्टमेन्ट ऑर्डर देगा। यह जो ओरिजिनल, बेसिक लॉ है उसको आपने खूंटी में टांग दिया। आपको परेशानी यह हुई कि आपका आदमी था, लोकायुक्त था वह रिटायर हो गया उसकी टर्म खतम हो गई। आप दूसरा आदमी मुकर्रर कर सकते थे और नहीं किया तो नहीं किया। अब 10-15 दिन, महीने भर वह पोस्ट खाली पड़ी रह सकती थी। मुख्य मंत्री ने कहा पोस्ट खाली नहीं रहेगी। मुख्य मंत्री ने कहा, वह चार्ज किसको दें? अगर लोकायुक्त का कल हार्ट फेल हो जाए, मर जाए तो चार्ज कौन लेगा?

श्री भैरोंसिह शेखावत: कर दिया इन्तजाम।

श्री मथुरादास माथुर: वह गलत किया है। यह कोई गवर्नर नहीं है कि वैक्यूम नहीं रह सकता, मुख्य मंत्री नहीं है कि वैक्यूम नहीं रह सकता, उसने तो काम भी कुछ नहीं किया। आपकी इकानामिक सेविंग होती। क्या ऐसी जल्दी थी, कितने केसेज पेंडिंग थे जो उन्होंने नहीं निपटाए? सरक्यूशस वे में जाकर जबर्दस्ती आपने कानून को तोड़ मरोड़कर अध्यादेश के रूप में पेश कर दिया। अगर कोई अमेंडिंग आर्डिनेन्स है, बेसिक लॉ में, जो लॉ बाई नेगोसिएशन्स, बाई डिस्कशन, की बेसिक फिलोसफी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: कहां है ऐसा प्रोवीजन? बताइए।

श्री मदन सिंह दांता: लॉ की पहली मन्शा है anything which you can do in a direct way, you should not do in indirect way.

श्री बजरंगलाल शर्मा: केशवानन्द भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट को डिफाइन किया है। Amendment does not mean repeal, it does not mean the crushing down of the basic structure of the Act. The amendment can be used only for the purpose of making certain changes which do not disturb the basic foundation of the law.

श्री मथुरादास माथुर: And the independence of judiciary is a basic structure of the Constitution of India.

श्री परसराम मदेरणा: Amending law cannot destroy the basic structure and foundation of the principal Act.

श्री किशनसिंह भाटी: Which you had destroyed.

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कोट कर दिया कि Amending law cannot destroy the basic structure of the principal Act जिसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं मुख्य मंत्री ने उसे डेस्ट्रॉय कर दिया। विधि मंत्री, आप तो उनको राइट एडवाइस देते।

तीसरा, मेरा ऐतराज है कि अब एक्ट के तहत अपाइंटिंग अथोरिटी गवर्नर है, आपने गवर्नर के लिए कोई डिस्क्रिशन नहीं रखा तो यह बैंड लॉ है। आपने चीफ जस्टिस को अथोरिटी दे दी और अपाइन्टमेंट आर्डर जो आपने निकाला है उसमें आपने लिखा है :

"..sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Lokayukta (Amendment) Ordinance, 1978.."

मुझे आप बतायें खुदा के वास्ते, सैक्शन 3 में सब-सैक्शन (2) कौन सा है ? हुक्म गलत निकलवाया, गलत कानून बनाया और फिर आकर हम से कह रहे हैं कि हम अप्रूव कर दें। बहुमत के आधार पर कुछ भी कह दो लेकिन कानून में बहुमत नहीं होता है, कानून तो कानून होना है। इसलिए मुख्य मंत्री जी, आप भी कानून समझने की कोशिश करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे आप कोई सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं।

श्री सभापति : इसमें सब-सैक्शन (2) नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं बताऊंगा।

श्री मूलचंद डागा : सभापति ने आपसे सवाल पूछा है। आप खड़े होकर उत्तर दें। This is against the rule. यह क्या बैठे बैठे सभापति को जवाब देते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सारी जिम्मेदारी आपने ले रखी है।

श्री मूलचंद डागा : नियमों का तकाजा है, खड़े होकर बोला जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : इस अध्यादेश के क्लाज 2 में आखिर में आपने कहा है :

the words, letters and figures "and shall also include a person nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 5" shall be inserted.

अब सैक्शन 5 मेरे पास मौजूद है, सब-सैक्शन (2) मौजूद है, सब-सैक्शन (2) में क्लाज (c) नहीं है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आप वापस पढ़ें, अमेंडिंग आर्डिनेन्स।

श्री मथुरादास माथुर : अमेंडिंग आर्डिनेन्स में क्लाज 2 में लिखा हुआ है :

the words, letters and figures "and shall also include a person nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 5" shall be inserted.

ओरिजनल एक्ट में सैक्शन (c) है नहीं, यह गलती है। ये दो गलतियां आप एक्सप्लेन कर दें।

(श्री मथुरादास माथुर)

चौथा पाइन्ट लोकायुक्त की सदन में रिपोर्ट आने के बाद उसकी हम खाल खींच सकते हैं, we can critised him, we can attack him. आपने लोकायुक्त की दो शकलें कर दीं। एक नरसिंह अवतार पैदा कर दिया। एक शकल हाई कोर्ट जज की, आधा माथा यह हो गया, और आधा लोकायुक्त का। हम अटेक करेंगे तो कहेंगे कि हाई कोर्ट जज पर अटेक हो रहा है, यह उसका प्रिविलेज है यह और बीमारी हो गई। इसका मतलब आपके मंत्रियों के खिलाफ शिकायत हो, हम उस रिपोर्ट को क्रिटीसाइज करें लोकायुक्त को तो सवाल आएगा कि वह हाई कोर्ट जज है इसलिए क्रिटीसाइज नहीं कर सकते, उसका प्रिविलेज है। फिर लोकायुक्त क्यों रखते हैं? क्यों खर्चा करते हैं? काम उसके पास है नहीं। आपने लोकायुक्त व हाई कोर्ट जज दोनों इन्स्टीट्यूशन्स को खराब कर दिया खराब कौन से कानून से करवाते हो?

श्री मदन सिंह दांता : पुलिस एक्ट में से धारा 197 हटा दें तो इन सब पर केसेज चलें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय डागा साहब, मदेरणा साहब व माथुर साहब ने एक जैसा ही संदेह व्यक्त किया है···

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एतराज है छोटा सा। जो आपके सामने अध्यादेश है उसके इन्चार्ज मुख्य मंत्री हैं। उसमें लिखा है भैरोंसिंह शेखावत, और पायलेट विधि मंत्री कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : Every member has a right to take part in the debate.

श्री मथुरादास माथुर : लॉ का मामला है। भैरोंसिंह हुक्म दे सकते हैं लेकिन कानून का मामला आप ही करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मदेरणा साहब ने संविधान का प्रश्न उठाया और तीनों माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं कि इस संशोधन से शायद न्यायालयों की गरिमा गिरे या जो हाई कोर्ट जजेज हैं उनके अनुरूप यह कार्य नहीं है। सरकार ने यह संशोधन इस कारण प्रस्तुत किया क्योंकि पेरेंट एक्ट में कन्टीजेंसीज के लिए कोई प्रावधान नहीं था, अगर आकस्मिक लोकायुक्त का टर्म समाप्त हो, कोई ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाए कि वह पद खाली हो तो किस प्रकार से वह भरा जाए इसका कोई प्रावधान नहीं था, यह कानून में प्रारंभ से लेकूना रहा है। और इस लेकूना के रहने के कारण तत्परता से इसको किया जाये इसलिए आर्डिनेन्स प्रस्तुत किया गया। हमारी कोई मंशा आर्डिनेन्स के द्वारा कानून को बदलने की नहीं है। आपने जो स्वयं लेकूना छोड़ा है उसको दूर करने की चेष्टा की गयी है···

श्री मूलचन्द डागा : यह रीजन्स में कहां है? और यह कैसे पूरा हो रहा है? आप क्या उत्तर दे रहे हैं? Will you please point out any section?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं उनको तो इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए थी कि इस सरकार ने लोकायुक्त के नामीनेशन के अधिकार को अपने पास से हटा दिया...

श्री मथुरादास माथुर : बल्कि जो हमारे अधिकार थे वह छीन लिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आ रहा हूं उस पर, आप सुन तो नहीं रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सीधे ही कह दो कि सलेक्ट कमेटी को भेज दो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो अमेन्डिग बिल है उसके अन्तर्गत मुख्य न्यायाधिपति को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह जिस न्यायाधीश को उपयुक्त समझे टेम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट के लिए नियुक्त कर दें।

मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मथुरादास जी ने यह शंका व्यक्त की कि सारे के सारे पेरेन्ट एक्ट को हमने समाप्त कर दिया और अमेन्डिग के द्वारा कोई स्वीपिंग चेन्ज ला रहे हैं। उनका कथन एक्ट और अमेन्डिग बिल को पढ़ने से सही नहीं उतरता। यह टेम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट है। ऐसी परिस्थिति में जब तक कि हम लोग लोकायुक्त की सम्पूर्ण रूप से स्थाई नियुक्ति नहीं कर दें...

श्री मूलचन्द डागा : आप कब तक कर देंगे यह बता दें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं बता दूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : स्थाई नियुक्ति करने के अधिकार को नहीं छीना है।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो बिल ले आये आर्डिनेन्स का।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 8 साल में आपको क्या एतराज है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने औरिजिनल एक्ट में तो प्रोवीजन नहीं रखा।

श्री मूलचन्द डागा : जो हमने मुद्दे उठाये उनका जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसे कैसे कार्यवाही चलेगी। आप सुन लीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि सरकार का ऐसी इन्डिपेन्डेन्ट बाडी की नियुक्ति में कम से कम हाथ है। जब तक मुख्य न्यायाधिपति से पूछकर उनके नामीनेशन को सरकार स्वयं स्वीकार करती है तो मैं समझता हूं कि आप जो माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के हैं उनको इसका स्वागत करना चाहिए था। मेरे विचार से इससे अच्छा कोई अरेन्जमेन्ट नहीं हो सकता।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

जहां तक माननीय डागा जी ने मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा प्रसारित आदेश के संबंध में टिप्पणी की और माथुर साहब ने भी उसको दोहराया··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब तो रिपीटीशन ही करते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह जो सैक्शन 3 लिखा हुआ है यह महत्वपूर्ण है··

श्री मूलचन्द डागा : This has been placed on the table of the House. मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो ग्राथेन्टिक कापी होती है वही ग्राती है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बिल्कुल। ग्रापकी बात सुन ली। उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : यह अल्ट्रा-वायरस है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई अल्ट्रा-वायरस नहीं है। कानून को शायद माथुर साहब भूल गए होंगे या हो सकता है वकालत छोड़ने के बाद कुछ याद नहीं होगा··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वकालत उन्होंने की नहीं, वकालत इनकी चली नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रगर किसी एक्ट के अन्दर किसी ग्रधिकारी को कोई ग्रधिकार दिए हुए हैं। उन ग्रधिकारों के ग्रन्तर्गत वह कोई कार्यवाही करते हैं ग्रौर किसी लेख के ग्रन्दर गलत उल्लेख हो जाता है तो क्योंकि उस कानून में वह ग्रधिकार मौजूद हैं इसलिए आपत्ति नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस को ग्रधिकार है वह किसी भी जज को गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर नामीनेट कर दे। उन्होंने नामीनेट कर दिया ग्रौर सैक्शन 5 की जगह सैक्शन 3 लिखा गया टाइपिंग एरर से तो उसमें कोई ग्रनर्थ नहीं होता उसके ग्रौचित्य के ऊपर।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी सरकार की काम्पीटेन्सी नजर ग्राती है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह सरकार से जारी हुआ नहीं है।

दूसरा प्रश्न उठाया ग्रापने, मैं उसके संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो पर्सनल विभाग है उसके द्वारा यह विधिवत तरीके से प्रसारित किया हुग्रा ग्रादेश है ग्रौर गवर्नर का हवाला इसमें मौजूद है।

"Under clause (c) of sub-section (2) of section 5 of The Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973, as amended by the Ordinance No. 13 of 1978, the Chief Justice of the High Court of Judicature for Rajasthan, on a request of the Governor of Rajasthan . . . ..''

इसका हवाला मौजूद है। नामीनेशन क्योंकि चीफ जस्टिस ने किया है ग्रौर गवर्नर ने रिक्वेस्ट की है तो उसका प्रसारण बिल्कुल सही तरीके से किया गया है।

श्री सभापति : सैक्शन 5 सब-क्लाज (c) है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जी हां, मैं पढ़ देता हूं।

"(c) where the office of the Lokaukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office and there is no Up-Lokayukta, by a Judge of the High Court of Judicature for Rajasthan nominated by the Chief Justice of High Court on a request of the Governor."

तो यह इसके अन्दर मौजूद है। यह विधिवत् प्रसारण है।

श्री मथुरादास माथुर : 5 (c) कहां है ?

श्री सभापति : आपका कहना यह है कि जो कापी सक्यूंलेट की गयी है उसमें 5(c) नहीं है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कापी तो हमारे पास भी वही है।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो बिल पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। यह बिल है और इस बिल के साथ एक्सट्रेक्ट दिया हुआ है उसमें गलती से रह गया होगा प्रिंटिंग में।

श्री मूलचंद डागा : आर्डिनेन्स निकालने के बाद आर्डिनेन्स के नीचे होना चाहिये और आप रेफर कर रहे हैं बिल को।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आर्डिनेन्स को सुन लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : आर्डिनेन्स का क्लाज 5 है क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां, है।

श्री परसराम मदेरणा : आर्डिनेन्स में क्लाज 4 तक ही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय मदेरणा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं यह जो प्रसारित किया हुआ है 'र्सनल विभाग के द्वारा...

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूछ रहा हूं आर्डिनेन्स में सैक्शन 5 है क्या ?

Administrative Secretary of the Personnel Department is coming to your rescue.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपको बता देता हूं। यह जो आर्डर जारी किया गया है :

"Under clause (c) of sub-section (2) of section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973, as amended by the Ordinance No. 13 of 1978 . . ."

अब आर्डिनेन्स देख लीजिए।

श्री सभापति : Clause (c) is also a part of the Bill which we are going to pass, जिस आर्डिनेन्स को हम अप्रूव करने जा रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर

Page No 128

(128)

(श्री परसराम मदेरणा)
आपके पास चीफ जस्टिस के नामीनेशन का आर्डर होता तो ज्यादा अच्छी तरह से समझते। आर्डिनेन्स का क्लाज 4 है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं that is for amendment of section 5 of the Act. Whereas the Chief Justice has made reference to section 3 of the Ordinance.

श्री मूलचन्द डागा : साहब बिल तो तब होता है जब सदन में पेश होता है। क्या बात कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आप बिराजिये, एक मिनट आप बिराजिये।

"in section 5 of the principal Act."

फिर उसमें (C) उन्होंने यह पढ़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : (c) किस का?

श्री सभापति : सैक्शन 5 का।

श्री मथुरादास माथुर : आर्डिनेंस में है तो आर्डिनेंस ले लीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दोनों को मिलाकर पढ़िये।

Act 73 as amended by the Ordinance.

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे सुनिये कृपया··

श्री मदनसिंह दांता : किस चीज की कमी पूर्ति कर रहे हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : प्रिन्सिपल एक्ट का उल्लेख नहीं किया है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिन्सिपल संक्शन में लिखा नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हजारों रूलिंग मिल जायेगी, सुप्रिम कोर्ट की····

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय विधि मंत्री जी, being a Law Minister, you are defending the errors of the judges

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आपकी बात मेरी समझ में आ गई। जैसा मेरे से बन पा रहा है मैं जवाब दे रहा हूं। आप सन्तुष्ट नहीं होंगे तो नहीं होंगे। उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप असेम्बली सैकेट्री को सैटिसफाई कर दीजिये। जो उन्होंने सर्क्यूलेट किया वे उसमें नहीं है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आप एक बात क्यों नहीं समझते even if the order is wrong, we are 150,

श्री मथुरादास माथुर : We know that you are 150 and, therefore, we go away.

श्री मूलचन्द डागा : आप मेजोरिटी से पास कर दो।

श्री मदनसिंह दांता : 150 can go against the Constitution ?

यही तो लड़ाई थी वहां । मेजोरिटी के खिलाफ कोई काम कर रहा था उस वक्त देश को भड़काया था । आज भी हम बाहर जनता को भड़कायें ? If you want to do this, we leave The House and leave it for you.

श्री बजरंग लाल शर्मा : पहले कोई कसर रखी क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो फिर इस बहस को खतम ही करो 150 की ।

श्री मथुरादास माथुर : You are going against the Constitution of India because you are 150.

गलती रह गई, क्लेरिकल एरर है । चोरी और सीना जोरी । फिर कहें, हम गलत हैं । Let the Law Minister come out with a confession.

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : हमारे विधि मंत्री जी से रोज-रोज माफी मंगवाते हैं···

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मदेरणा साहब ने एक प्रश्न उठाया that this is beyond the purview of legislation by this House.

यह आपका जो नजरिया है बिल्कुल गलत है । यह सदन हाई कोर्ट के जजेज के मैटर्स के संबंध में कोई लेजिस्लेशन नहीं ला रहा यह सिर्फ एक पद, जो रिक्त है या जो पद इस एक्ट के द्वारा क्रियेट किया गया है, पर हाई कोर्ट जजेज अपाईंट हो सकते हैं उसके लिये यह आवश्यक है ।

श्री मथुरादास माथुर : Why don't you appoint the President of India for this job ? You are competent.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसलिये यह कहना कि यह सदन की काम्पीटेंन्स के बाहर है उससे मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता और विनम्र शब्दों के साथ निवेदन करूं कि माननीय मदेरणा साहब का दृष्टिकोण भिन्न. .

श्री खेतसिंह राठौड़ : रिट का फैसला होगा तो मालूम पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : उलटा फैसला हो जायेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : And we will be party as legislators.

श्री परसराम मदेरणा : आपका जो नजरिया है वह गलत है शांति भूषण के असिस्टेंट का यह व्यू नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : I will have a right of reply.

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय माथुर साहब ने एक मुद्दा उठाया कि nomination by the Chief Zustice;

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

का कोई क्राईटेरिया फिक्स नहीं है। तीन-चार मुद्दे और उठाये, 3,4,5 और 6 इनफ्रेक्चुअस कर दिये। मदेरणा साहब ने अध्ययन किया होगा। इसमे अच्छा और क्या क्राईटेरिया हो सकता है कि जिस आदमी को प्रेसीडेंट आफ इण्डिया ने इस लायक समझ कर हाई कोर्ट का जज बनाया है वह इम्पार्शियल रहेंगे। इन्हीं मे से एक को मुख्य न्यायाधिपति अपनी मर्जी से अपाईंट कर दें। इसके अन्दर कोई क्राईटेरिया और है नहीं। पहले से एक पद लगा हुआ है उसका है बाकी के जो सैक्शन्स हैं इन्फेक्चुअस किये गये हैं। वे इसलिये किये गये हैं कि अगर हाई कोर्ट जज अपाइंट किया जाता है एडीशनल चार्ज लिया जाता है, वह मान लीजिये, तो यह जो एडीशनल चार्ज दिया जाता है स्वतः हट जाएगा। कोई मन्शा इस प्रकार की नहीं है कि एक्ट को सरकम्सक्राइब किया जाये। मैं माननीय मदेरणा साहब से अपेक्षा करता था कि इस सारे एक्ट को पढ़ते· · ·

श्री मथुरादास माथुर: You are polluting the High Court.

(5.58 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): इस सम्बन्ध मे कुछ तो कानूनी मुद्दे उठाये है, माथुर साहब, डागा जी और मदेरणा साहब ने, उनका उत्तर विधि मन्त्री जी ने दिया है। कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाये हैं जिन मुद्दों के सबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है।

लोकायुक्त का कानून जिस समय बनाया गया था उसकी भूमिका में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के चैयरमैन वर्तमान प्रधान मंत्री मोरारजी भाई थे। उसमें लोकायुक्त और लोकपाल इस प्रकार की दो संस्थाओं का गठन करने के संबंध में राज्य सरकारों को अलग अलग सुझाव दिये। उन सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया था। जिसके आधार पर भ्रष्टाचार को किस प्रकार से कम किया जाय, उस सम्बन्ध में कई सिफारिशें आई। जिस समय कानून बना, उस समय मैं राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं था लेकिन मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जिस समय कानून बना उस समय सदन के विरोधी पक्ष के नेताओं ने यह सन्देह प्रकट किया था कि उसकी उपयोगिता नहीं होगी। जिस समय कानून बना उसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति शिकायत कर सके, शिकायत करने के लिए जितने प्रमाण चाहिए उतने प्रमाण जुटा सके और शिकायत करने के साथ साथ कानूनी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले इसके सम्बन्ध में कुछ प्रावधान थे, उन प्रावधानों के कारण इस कानून का उपयोग किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं हो सका। जिस समय चर्चा हुई उस समय को प्रोसीडिंग्स को मैंने देखा था। कई माननीय सदस्यों ने इस कानून को इफेक्टिव बनाने के प्रस्ताव रखे थे लेकिन आज जो बहुमत की चर्चा करते हैं उनको बहुमत के आधार पर इस कानून को पंगु बनाया। आज इस कानून के जरिये कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

अब उसके बाद इसमें क्या संशोधन किया जाय, इस प्रश्न पर हमें भी गम्भीरता से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विचार करना था। लोकायुक्त ने भी कई रिपोर्ट्स इस सम्बन्ध में भेजीं, केवल इसी सरकार को नहीं पिछली सरकार को भी कई सुझाव दिये थे और सुझाव देकर इस कानून को इफेक्टिव बनाने की मांग की थी। मेरी भी, जो अभी सेवा से रिटायर हुए हैं श्री दुआ साहब, उनसे इस प्रकार के कानून को किस प्रकार इफेक्टिव बनाया जाय, बात हुई। इसी बीच जनता पार्टी अपने कमिटमेंट के अनुसार लोकसभा में लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत करने को तैयार हुई और लोकपाल विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया। राज्य विधान सभा का यह विचार था कि लोकपाल का कानून पास हो जाय, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था रहती है—संसद और राज्य सभाओं में किस प्रकार के सुझाव देते हैं, वह सुझाव देने के बाद पूरा एक सक्षम कानून बनाया जाय और उसकी प्रतीक्षा की जाय। उसके बाद जो संशोधन करने के हैं, वे किये जायें। लोकसभा में कानून प्रस्तुत किया गया लेकिन वह समयाभाव के कारण पास नहीं हो सका।

मेरा ऐसा विचार था कि श्री दुआ साहब जब तक लोकायुक्त हैं, उस समय तक ही कानून बन जाय और उसी समय में हम किसी-न-किसी प्रकार संशोधन कर दें लेकिन उस समय सम्भव नहीं हुआ। इसमें यह व्यवस्था नहीं थी कि चार्ज किसको दिया जाय। चार्ज के लिए जैसा यहां सुझाव दिया गया कि किसी डिप्टी सैक्रेटरी या सैक्रेटरी को दिया जा सकता था उस सुझाव का मतलब यह था कि इस सदन में चर्चा करते कि लोकायुक्त की व्यवस्था को खण्डित करने के लिए यह किया है ताकि जनता पार्टी के लोगों की शिकायत लोकायुक्त के पास न जाय, इसलिए इसे पेंडिंग रखा और किसी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की।

अगर आज लोकायुक्त के स्थान पर उप-लोकायुक्त की व्यवस्था होती तो उनको ही चार्ज देने की व्यवस्था होती और आज यहां चर्चा का विषय नहीं बनता। इसमें मेण्डेटरी प्रोविजन था लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है तो उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति होनी चाहिये। यह मेन्डेटरी कानून जब से बना है तब से है—जनता पार्टी ने किया हो, ऐसी बात नहीं है। कानून जब से लागू हुआ है तब से मेन्डेटरी प्रोविजन है। 1972 में उपलोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, 73 में नहीं हुई, 74—75 में नहीं हुई और 76 में नहीं हुई, 77 में नहीं हुई—77 तक आप विराजमान थे। 77 तक आपने उस मेन्डेटरी प्रोविजन का ध्यान नहीं रखा। मेरी आरम्भ से ही मान्यता रही है कि इस प्रकार के कानून से राहत नहीं मिल सकती है। एक लोकायुक्त नियुक्त किया और फिर उसके बाद उप-लोकायुक्त नियुक्त करें, खर्चा करें और उसका परिणाम नहीं निकले तो फिर उप लोकायुक्त की आवश्यकता नहीं है। मेन्डेटरी की जगह इसको ऐच्छिक बना दिया। यह और बनाने के लिए अधिक खर्चा करते।

इन सारी व्यवस्थाओं के अनुसार अब कई माननीय सदस्यों ने और खास तौर से माननीय माथुर साहब ने कहा कि जजेज को दूसरे कामों पर लगाने से उनकी इन्डिपेंडेंसी खतम होती है। मुझे इस बात की तो खुशी है कि वे कई बातों को स्वीकार करते हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन 15-20 वर्षों के निकल जाने के बाद स्वीकार करते हैं। आज सही नहीं मानते हैं, इसको 15 वर्ष निकलने चाहिये उसके बाद सही मान लेंगे। अब आपकी कितनी सीमा है, यह तो आप ही जानें। आज आप जजेज की नियुक्ति की बात करते हैं, जनता पार्टी को कोसने की बात कर रहे हैं, यह तो बता दें, आपने कितने जजों को नियुक्त किया....

श्री मथुरादास माथुर : किसी जगह नहीं किया, रिटायर होने के बाद किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेरी साहब क्या थे ?

श्री मथुरादास माथुर : एजीशनल ड्यूटी नहीं थी। इन एडीशन टू हिज ओन ड्यूटीज नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसके भी रीजन्स बताऊंगा। आज तो सब तरह के उपदेश दे रहे हैं कि जजेज को नियुक्त नहीं करना चाहिये, सेवा निवृत्त जजेज हों, उनको नहीं करना चाहिये लेकिन 20 साल तक आपने विपरीत काम किया है और आज भी आप विपरीत काम ही कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप भी तो विपरीत काम ही कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : दोनों ही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही बंगाल में हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बंगाल की बात नहीं है, आप तो कर ही रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा कहने का मतलब यह है कि यह बात सही है सिद्धान्तः जो आप कह रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इमर्जेंसी में जो अन्याय किया गया है आज उसकी यदि इंडिपेन्डेन्ट लोगों से जांच नहीं कराई जाती तो आपको विश्वास नहीं होता और आप उस बात को मानते नहीं। यदि किसी तीसरे आदमी को नियुक्त कर दिया जाता तो आप कहते सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, हाई कोर्ट का जज नहीं है और उसने एडमिनिस्ट्रेशन से प्रभावित होकर किया है या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई प्रलोभन देकर कराया है। आखिर जजेज इंडिपेन्डेन्ट हैं।

किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा सरकार ने नियुक्त किया है इसलिये कोई पक्षपात किया है। जब हम भी विरोधी दल में बैठते थे तो जजेज की इंडिपेन्डेन्सी पर और उनकी निष्ठा पर, चाहे वह रिटायर्ड हों या चाहे वह सेवा में हों, किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं किया। अब आप कहते हैं एडीशनल जज बनाया है। मैं सारे आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन लगभग तीन साढ़े तीन लाख का खर्चा इस इंस्टीट्यूशन पर होता है। जो लोकायुक्त की रिपोर्ट को देखते हैं उससे पता लगा। मैंने राजस्थान की जनता का तीन, साढ़े तीन लाख रुपया बचा लिया तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? यह बचा लिया तो कौन सी आपत्ति आ गई? आज सेवा निवृत्त या बाकी किसी की नियुक्ति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
होती पांच वर्ष के लिये, जिसको संशोधन करके तीन वर्ष किया, ग्राज तनख्वाह भी देनी पड़ती ग्रौर काम कुछ नहीं होता। ग्राज भी यह समझें कि श्री डी. पी. गुप्ता साहब को नियुक्त करने के बाद हमारे किन्हीं मन्त्रियों के मामले पेंन्डिंग पड़े हों, यह भी बात नहीं है। न तो पहले वाले मन्त्रियों के आरोप लगे ग्रौर न इन मन्त्रियों के ग्रारोप लगे ग्रौर न इन मन्त्रियों के ग्रभी तक ग्राये हैं। इनको सैक्शन 12 में रिपोर्ट करनी पड़ती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्रायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये इस कानून में संशोधन करना पड़ता है। मेरे दिमाग में भी है ग्रौर सरकार भी यह सोच-कर चलती है कि लोकपाल का बिल पास हो जाय, उसमें क्या व्यवस्था हो रही है उसको देखते हुये ही इसमें संशोधन करना है तो किया जाय ग्रौर ग्रगर वहां संशोधन नहीं हुग्रा तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम संशो-धन करेंगे कि किस प्रकार यह इफेक्टिव हो। ग्रब मैं समझता हूं इतनी बात कहने के बाद जो माननीय परसराम जी ने ग्रौर माथुर साहब ने प्रस्ताव रखा है, उसको वापस ले लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जो मुद्दे उठाये हैं, उनका एक का भी जवाब नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं दिया तो ग्राप वोट मत दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रापका यह स्टाप गेप ग्ररेन्जमेंट कब तक रहेगा? जनरल भाषण दे दिया, हमारे मुद्दों का जवाब नहीं दिया। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं ग्राया।

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी, यह ग्रावश्यक नहीं है।

ग्रब इस संकल्प पर मतदान कराना है—प्रश्न यह है कि विधेयक के सम्बन्ध में जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(ग्रस्वीकृत)

संकल्प ग्रस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : I have got every right to speak.

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सवाल यह था, ग्रभी ग्रापने बड़ी ग्रच्छी बात कही कि मैं ग्रार्डिनेंस पर, इसके रीजंन्स पर ग्राग्यूमेंट कर रहा था। मुझे यह मालूम नहीं था। हमारे सदन के नेता ग्रौर मुख्य मंत्री खड़े हुए, वे बेसिक मुद्दों, जो हमारे उठाए हुए थे, का हमें जवाब दे देते तो हमें संतोष हो जाता। मैंने कई बार कहा है कि हमारे सदन के नेता इस प्रकार की बातें रखते हैं कि बात कुछ है ग्रौर ग्राप उत्तर कुछ का कुछ दे देते हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)
बातों का समां बांध देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बहुत वोट हैं।

(व्यवधान)

अब मेरा सवाल यह था कि पहले का लोकायुक्त बिल बना हुआ है जिसको लोकायुक्त बनायेंगे वह लीडर आफ दी अपोजीशन को कंसल्ट करके बनायेंगे। दूसरा सवाल यह है कि आप इस प्रकार से जब भी बनायेंगे तो लीडर आफ दी अपोजीशन से पूछ कर बनायेंगे। सेक्शन 3 में साफ लिखा हुआ है। आप 14 महीनों तक क्या करते रहे ? अगर कानून को गलत पाया था तो 14 महीनों में रिपील क्यों नहीं कर दिया ? मैं कहता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि यह कानून बिल्कुल निकम्मा था, कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था उससे सहमत नहीं थे तो आप एक स्ट्रोक आफ पैन से रिपील कर देते···

श्री ओंकारलाल चौहान : He is repeating the same argument.

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या करेंगे, मैं तो अपनी बात कहूंगा। ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो ज्यादा टाइम लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको राइट है कि आप बोलें, आप बिल को डिस्कस करें लेकिन पहले डिबेट हुई है उसमें जो मुद्दे उठा चुके हैं, अगर उन्हीं मुद्दों को रिपीट करेंगे तो वह नहीं कर सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो यों ही मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अब मेरा तीसरा सवाल यह है कि अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वह बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। हमने कहा कि लॉ का पर्पज यह नहीं था। आपने बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया अमेंडमेंट करके। मैंने दूसरी बात यह कही कि जैसा आपने अपने भाषण में कहा, गलत मानते हैं तो आप रिपील कर दीजिए। तीसरी बात यह है कि डी. पी. गुप्ता को आर्टिकल है 220 के नीचे एडीशनल ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। इन सब का आपने जवाब नहीं दिया। इनको इमाल्यूमेंट दे दिए। राजस्थान के हाई कोर्ट के जज के नाते एक बंगला दे दिया जोधपुर में वहां रह रहे हैं। ज्यों ही यहां पर लोकायुक्त मुकर्रर हुए उनको एक बंगला और दे दिया वैल फर्निश्ड। आप तो खर्चा कम करने की बात कह रहे थे। मैंने यह बात कही कि आपको मुमानियत थी कि हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि आफिस आफ प्रोफिट जिनका है उनको नहीं कर सकते। आप किसी एम. पी. को कर देते, किसी एम. एल. ए. को कर देते, बेचारा कोई हार गया है उनको कर देते तो जरूरत नहीं थी कानून में अमेंडमेंट करने की। हमारे मंत्री बैठे हैं, इनमें से कोई चला जाता लोकायुक्त बन कर, अच्छी तनख्वाह मिलती है, वे चले जाते। हमारे मंत्री भी बूढ़े हैं समझदार हैं लेकिन ये नहीं गए। माननीय डी.पी. गुप्ता को क्यों लिया गया है, यह बराबर कह रहा हूं। गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की इसकी सदन की मेज पर रखने की हमने

(श्री मूलचन्द डागा)
मांग की ....

(व्यवधान)

हमने गवर्नमेंट को यह रिक्वेस्ट की, हम लॉ बनाते हैं, वह रिक्वेस्ट कहां है ? रिक्वेस्ट आफ दी गवर्नमेंट चीफ जस्टिस के नाम से है वह बताइये। वह नहीं हैं तो, श्रीमान्, सारा कानून बिना मतलब का है। कानून को गलत समझ रहे हैं····

श्री गुल मोहम्मद : आज सदन का आखिरी दिन है, अब तो बहुत हो चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : चरण चुम्बन कर लो, सब नेताओं के गीत गाओ···

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : गीत गाने के लिए तो आप ही बहुत हैं, हम तो गाते नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपको मंत्री नहीं लेने वाले हैं। आप भले ही कहो, आपको मंत्री नहीं लेने वाले हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : हम सब मंत्री हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लोकायुक्त के अध्यादेश पर जो बहस हो रही थी, जो बिल आया है मेरी मान्यता इस बारे में····

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय वर्मा साहब, डण्डा रखते थे वह कहां गया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरी मान्यता इस बिल के बारे में यह है, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा, जब से पिछले पांच छः सालों से यह लोकायुक्त का पद हमने बनाया है, इसका निर्माण किया है और जब से बिल बनाया है किसी एक मंत्री के खिलाफ कोई भी एक कार्यवाही नहीं हुई। कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह प्रदर्शन तो पिछली सरकार का था। हमारी सरकार भी उस लीक से हटना नहीं चाहती, हमको बड़ा डर है। बंगाल में क्या हुआ, मुझे पता नहीं है। मगर इस हाउस के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जाकर देखा है, वे वहां पर गए थे। इन जजेज को रिटायर होने के बाद कमीशन में बिठाते हैं यह भी गलत है। अगर इन्हीं की परिपाटी को आप चालू रखते हैं तो फिर आप इनसे अच्छे नहीं हो सकते। जो आदमी जिस बात की बुराई करे वही बुराई खुद ग्रहण कर ले तो उससे भी ज्यादा खराब साबित होता है····

श्री मूलचन्द डागा : हमारे से भी खराब है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो एक बात तो साफ है। जब आप कहते हैं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, this is an experiment तो आप तो कम से कम मेहरबानी करके इसको खतम कर दो। देश की जनता में इतनी सूझ बूझ आ गई है, वह खुद सजा दे देगी। आपका लोकायुक्त सजा दे या नहीं दे, आपका जज सजा दे या नहीं दे, आप कितने पार्शल हैं और इम्पार्शल हैं छोड़िये इन सारी बातों को, आज हिन्दुस्तान की जनता जागरूक हो गई है। अगर आपका जज या लोकायुक्त कुछ नहीं करेगा तो उसमें इस बात की बुद्धि है, उसमें इस बात का भरोसा है। जनता पर भरोसा कीजिए, जनता की अदालत

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सबसे ज्यादा सुप्रीम है जिसने हुकूमत को बदल दिया है। जो हमेशा आकाश में उड़ते थे उनको मिट्टी चटा दी इसी जनता ने। इसलिए मैं कहता हूं कि यह लैंड आफ दी लॉ है। अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आई तो आप हाई कोर्ट में रेफर कर दीजिए। यह सरकार, भूखी-नंगी राजस्थान की जनता का पैसा खर्च कर रही है। बंगले और कोठियों पर क्यों खर्चा कर रहे हैं? आप छोड़िये उस ट्रडीशन को, क्या दिक्कत है। जनता देख रही है आपके कारनामों को। जनता ने देखा है कांग्रेस के कारनामों को भी। वह आपको भी सजा देगी। वह नहीं बख्शेगी आपको भी, वह न बंगाल को बख्शेगी और न आपको बख्शेगी। बंगाल के नाम पर तिरना चाहें तो नहीं तिरने देगी। वह देख रही है, बंगाल को भी देख रही है, आपको भी देख रही है। यू. पी. को भी देख रही है, बिहार को देख रही है, काश्मीर और मद्रास को भी देख रही है। इसलिए मेहरबानी करके आप एक लाइन से इनको हटाइये। इससे हमारा भला होगा, राजस्थान के लोगों का भला होगा। इन लाखों रुपयों का दूसरी जगह पर उपयोग कीजिए। अन्त्योदय में लगाइये। जिस आदमी के पास एक बंगला है उसको दो कर रहे हैं। जिसके पास दो बंगले हैं उसको तीन कर रहे हो। अगर आपके पास पैसा है और आपको एम्प्लायमेंट ही देना है तो बेरोजगारों को दीजिए। मेरा सुझाव है कि बिना किसी हिचक के इसको छोड़िये, इनको जिसमें आज तक कुछ नहीं निकला आगे क्या निकलेगा। आप क्या निकालोगे इससे, कुछ नहीं निकलने वाला है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस सारे लोकायुक्त की व्यवस्था को छुट्टी दीजिए।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त बिल जो लाया गया है, यह ख्वामख्वाह का खर्चा है। मैं तो कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के जो मामले हैं, उनके मामलों का फैसला तो चुनाव से हो जाता है। वह तो पहले ही हो गया है, उनको सजा मिल गई है। कांग्रेस सरकार ने इस संस्था को खड़ा किया उस समय से आपने देखा है कि कुछ मिला नहीं। लेकिन उनका फैसला जनता ने कर दिया और अब भी वापस थोड़ा थोड़ा करके कर रही है। कानून लगा दिया लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। यह ख्वामख्वाह का जनता पर खर्चे का भार है। इस भार को कम करने के लिए आयुक्त वगैरह के ये पद खतम करने चाहिए। इससे लाभ ही होगा जनता को। नुकसान होगा तो राज्य को होगा। इसलिए इस बिल के मैं विरोध में हूं।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, हर कानून को बनाने के लिए कोई मंशा होती है। मंत्रियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई चीज बनती है तो मेरा यह निवेदन है और पहले भी मैंने एक सुझाव दिया था, दस वर्ष पहले भी सुझाव दिया था, अब दस वर्ष बाद मानते हैं कि फलां सदस्य ने उस वक्त कोई बात कही थी, यह सही थी। वह यह है कि पुलिस एक्ट की धारा 197 को निकाल दो। यह जो प्रोटेक्शन है वह अंग्रेज दे रहे थे। यह प्रोटेक्शन हटता है तो हाई कोर्ट में मंत्री को भी जाना पड़ेगा। आई. जी. को भी जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को भी जाना पड़ेगा।

(श्री मदनसिंह दांता)

यह निकल जाता है तो आप कहेंगे सब इस तरह से मुकदमें लड़ेंगे ? मेरा कहना यह है कि धारा 197 को आप हटा दीजिये तो इस प्रकार आपको आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पढ़ लेना 197 को, पुलिस एक्ट की एक धारा है। अगर इसको निकाल देते हैं तो इन आयोगों की आपकी जरूरत नहीं होगी।

श्री सभापति : यह आप क्या कह रहे हैं ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : इसका आल्टरनेटिव दे रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपने शायद यह एक्ट नहीं पढ़ा है। जैसा कि आपके प्रधान मंत्री ने भी कहा है, यह चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। तीस साल तक कांग्रेस सरकार के समझ में नहीं आई। गांधीजी की सौगंध आप खाते हैं वह भी धोखा है। जिस फिलोसफी को मैं जानता हूं, उस फिलोसफी में प्रजातन्त्र होता है। आप नहीं समझें तो मेरा दोष नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी इनको और खास तौर से लॉ मिनिस्टर को समझाने की कोशिश की है क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने इसको पढ़ा नहीं है। कानून मंत्री जी ने यहां पर बताया कि यह स्टाप गैप है। स्टापगैप अरेन्जमेंट है तो इसकी जो गाइड लाइन की बात कही है, उसकी जरूरत क्या है। किसी भी जज को प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया नोमीनेट करता है, उसकी काबलियत के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, शंकाएं क्या थीं ? जब आपने स्टाप गैप्ट की बात कही तो कानून आपने पढ़ा है, आपको कानून की सलाह मान लेनी चाहिए थी। माननीय कानून मंत्री जी, आपका यह जो आर्डर है, सैक्शन 5–(i) इसको इनएप्लीकेबल करेंगे। तो यह पांच–ए क्या है ? क्या आप बता सकते हैं ? 5–(ii) को क्यों बनाया है ? 5(iii) को, 5(v) को इनएप्लीकेबल कर रहे हैं। पांच से तीन साल कोई रिडक्शन आपने किया है और इसके लिए यह अमेन्डमेन्ट आप लाए है। इस अमेन्डमेन्ट को लाने के बाद इसको भी आपने एप्लीकेबल बनाया है। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे कानून मंत्री हैं। इससे ज्यादा और क्या बात होगी पांच से तीन साल आपने किए और फिर इसको इनएप्लीकेबल आप कर रहे है। जब अमेन्डमेन्ट तीन साल का किया है, पांच से तीन साल किया है तो फिर इसको इनएप्लीकेबल कैसे कर रहे हैं।

तीसरा आप लोक आयुक्त का एडहॉक अपाइन्टमेन्ट कर रहे हैं। इसके बारे में कोई क्लाज लागू नहीं होगा। एडहॉक अपाइन्टमेंट में कोई टर्म लागू नहीं होगी। यह कानून की स्थिति है–अपाइन्टमेन्ट का जो आर्डर है वह बहुत क्लीयर है।

"to perform the duties of Lokayukta after August 1978 some persons appointed under clause 8."

इसका मतलब यह हुआ कि इस स्टाप गैप के अन्दर दस साल तक आप किसी का अपाइन्टमेन्ट नहीं करें तो उसकी कोई टर्म नहीं है। दस साल तक उसकी टर्म हो जाएगी और उसको रिमूव करने के लिए सैक्शन को आपने इनएप्लीकेबल कर दिया

(श्री परसराम मदेरणा)
है । 3,4,5 को आपने एप्लीकेबल बनाया है तो आपने हाई कोर्ट के जज को क्यों रखा है ? सैक्शन 6 को इनएप्लीकेबल बना कर के आपने जो कुछ अमेन्डमेन्ट किया है, यह एबसोलूटली आर्बीट्रेरी है क्योकि इस आर्डर के सैक्शन 5–(i) को इनएप्लीकेबल किया है। उसकी कोई टर्म नहीं है । वह दस साल तक कन्टीन्यू कर सकता है । क्लाज 5 आपने रिपील के लिए कहा है । इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लॉ मिनिस्टर ने बिना प्रिन्सीपल एक्ट को पढ़े हुए गाइड लाइन दी है और चीफ मिनिस्टर को मिस लीड किया है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि गाइड लाइन की बात कह रहे थे । इसलिए कह रहा था कि किसी भी आदमी को जब आप नोमीनेट करने की पावर दे रहे हैं, अनलिमिटेड किसी को अपाइन्टमेन्ट दे रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न्याय मंत्री जी, आपने नम्बर चार को ही नोमीनेट क्यों किया ? चीफ जस्टिस को गाइड लाइन देते तो जो नम्बर दो पर होता उसको नोमीनेट करते । नम्बर चार को ही नोमीनेट क्यों किया है ? जब इन्टरफियरेन्स की बात कह रहा हूं हाई कोर्ट के जजेज के सम्बन्ध में, वे जज रहते तो अच्छी बात थी परन्तु हाई कोर्ट के जज के साथ एडीशनल ड्यूटी दे दी । एडीशनल ड्यूटीज दी है । मेरा निष्कर्ष यह है कि हाई कोर्ट के जज को जब आपने एडीशनल ड्यूटीज दी है, हाई कोर्ट के जज का अपाइन्टमेन्ट आर्टिकल 217 से लेकर 247 तक है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई लेजिस्लेशन आप ला नहीं सकते हैं । जब ला नहीं सकते हैं तो यह लेजिस्लेशन हम ला रहे है और यह हमारी काम्पीटेन्सी के बाहर है । अनकान्स्टीट्यूशनल है । इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि सैक्शन 5 को आप इनएप्लीकेबल कर रहे है, सब मामला एडहॉक रखा है, एडहॉक अपाइन्टमेंट किया है, कानून जो कुछ बनाया गया है या तो आपने इसको पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो इसको समझा नहीं है । आपकी समझ के काबिल नहीं था तो लॉ डिपार्टमेंट के लोगों से सलाह लेते । सलाह लेने में आपकी गलती रही । जो गलती रही है वह जबर्दस्त गलती रही है । मैंने यह कहा था कि यह जिस फार्म में आ रहा है सदन में आर्टिकल 246 को आप इग्नोर कर रहे हैं । यह जो बिल आ रहा है वह आर्टिकल 166 और 213 को हिट कर रहा है । यह आर्टिकल 14 को हिट कर रहा है । यह अल्ट्रावायरस आफ दी कान्स्टीट्यूशन है । यह बिल जो आ रहा है, यह लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्स के बियान्ड है और इसको नहीं लिया जाना चाहिये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल के बारे में जो और बातें हैं उनके अलावा सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट जजेज को कुछ ड्यूटीज भी दी हुई होती है, जैसे चीफ जस्टिस गवर्नर के पद को आफिसियेट करते हैं । इस बिल में थोड़ा सा संशोधन कर लिया जाय क्योंकि जहां चीफ जस्टिस को ही पावर दी गई है । इसके बजाय सीनियर मोस्ट जज को अपाइन्ट करें तो जजेज में आपस में कोई बात नहीं रहेगी । जब 10–15 जजेज में से किसी एक को चीफ जस्टिस रिकमण्ड करते हैं तो नेसेसरिली हर ह्यूमन बींग के मन में विचार आता है कि इसे ही अपाइन्ट क्यों किया गया, इसलिये Senior Judge other than the Chief

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

Justice हो जाय। यह मेरा अर्ज करना है। इसलिये भी कि जब कभी भी जजेज के बारे में कोई लॉ बना है, आज की जनता पार्टी इस बात की हामी रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के अपाइन्टमेन्ट में सीनियोरिटी के प्रिंसिपल्स को छोड़ा गया या जहां कहीं भी इसको डिस्टर्ब किया गया तो हार्ट बर्निंग होती है। इसलिये जो जज नोमिनेट होते हैं इनको नोमीनेट सीनियोरिटी के हिसाब से किया जाय तो जजेज में हार्ट बर्निंग का कोई कारण नहीं रहेगा। इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी विचार करें।

दूसरी, विचारणीय बात यह है कि यह एक्ट कोई राहतकारी बन सकता है या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि अगर यह किसी काम का नहीं तो हिम्मत करके हमको इसको रिपील कर देना चाहिये। मुख्य मन्त्री जी ने अपनी बात सदन को कह दी और हमने मान ली कि यह किसी तरह से राहत का इंस्ट्रूमेन्ट नहीं बन सकता अगर यह बेकार है तो यह इन्स्ट्रूमेन्ट जिस तरह से स्थापित किया गया है, इसको धारण किये रहना नहीं चाहिये। बल्कि इसको रिपील करने की कार्यवाही करनी चाहिये। यह भी पिछले 5 साल का अनुभव रहा है कि शायद ही लोकायुक्त ने कोई विशेष काम किया हो। खाली खर्चा हो रहा है। इस सदन में इस घोषणा के मुताबिक कि यह एक यूजलेस लॉ है, यूजलेस इंस्टीट्यूशन डवलप हुई है, इसको हिम्मत करके समाप्त कर देना चाहिये। इन दो बातों पर मुख्य मन्त्री जी विचार करें। हिम्मत करके अपनी मान्यता के मुताबिक काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले कि मुख्य-मंत्री जी उत्तर दें, मैं जानना चाहता हूं कि दो संशोधन हैं—एक जनमत जानने का और दूसरा प्रवर समिति को सौंपने का, क्या ये सदन में पेश नहीं हो रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के संबंध में कई बातों का उल्लेख किया है। पहले तो माननीय सदस्य, जो भोपालगढ़ से आये हैं, का कहना था कि इस संशोधन से इस कानून के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि कानून का बेसिक स्ट्रक्चर यह है कि मंत्रियों, अधिकारियों, सरपंचों, नगरपालिकाओं के अध्यक्षों व अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का आरोप है तो उस आरोप की जांच एक स्वतंत्र संस्थान से करवायी जाय। बेसिक स्ट्रक्चर तो यह है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। हमने कहीं भी यह नहीं कहा है कि मंत्रियों, अधिकारियों, सरपंचों के खिलाफ जांच नहीं हो सकती। जांच कराने का इस कानून का प्रमुख उद्देश्य है और इस प्रमुख उद्देश्य से हम कहीं भी डी-ग्रेड नहीं हुए हैं तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को चेन्ज किया गया है।

कई माननीय सदस्यों ने शक व्यक्त किया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में पहले के कानून में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि लीडर आफ दी अपोजीशन और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाय। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कानून में जो भी संशोधन ला रहे हैं उसके बाद भी लीडर ग्राफ दी ग्रपोजीशन और चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के बाद नियुक्ति दी जायगी। इसमें जैसी भी परिस्थिति बनेगी हमें ग्रमेन्डमेंट करना पड़ेगा, ग्राया हम चीफ जस्टिस को ग्रधिकार दें जैसा कि ग्रापने ग्रौर माननीय विधि मंत्री जी ने कहा है।

फिर माननीय श्योपतसिंह जी ग्रौर बजरंगलाल जी ने कहा, जैसा मैंने स्वयं ने माना है, इस कानून का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसको समाप्त किया जाना चाहिये। इस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रभी हम थोड़ा सा इसमें संशोधन ला रहे हैं बाद में संशोधन लाकर इस कानून को इफेक्टिव कैसे बनाया जाय वह सारी योजना हम सदन के समक्ष संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं लेकिन हम केवल इस प्रतीक्षा में हैं कि भारत सरकार लोकसभा ग्रौर राज्यसभा से कानून पारित करा कर लागू करना चाहती है, हम उस कानून को भी देख लें। उस पर लोकसभा में चर्चा होगी उसके ग्राधार पर इस कानून को कितना इफेक्टिव किया जाय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बजरंग लाल जी, श्योपतसिंह जी, इस कानून का ग्रध्ययन करें कि इसको किस प्रकार इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके लिये सुझाव दें ग्रगर इसकी ग्रावश्यकता नहीं है तो इस पर विचार किया जा सकता है कि यह फालतू का खर्चा क्यों किया जाय। ऐसी परिस्थितियों में, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

(व्यवधान)

मैं ग्रापको पहले ही बता चुका हूं, नवम्बर के महीने में लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। नवम्बर या दिसम्बर में, मेरा विश्वास है कि वह पास हो जायगा। जैसी कि ग्रभी माननीय परसराम मदेरणा ने यह बात उठाई थी कि यह 10 वर्ष भी चल सकता है। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि 10 वर्ष चलाने का इरादा नहीं है। कानून बनाकर हम उसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। यह सरकार को कन्टिन्जेन्सी में ग्राडिनेन्स जारी करने की ग्रावश्यकता पड़ गई। अब इस ग्राडिनेंस का बिल के रूप में विचारार्थ रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पारित तो हम कर देंगे लेकिन बाद में ग्राप कमीशन बिठाग्रो तो क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : इस पर संशोधन रखा गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापका नाम पुकारा गया है ग्राप भूल गये हैं।

खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है। इस पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 3 पर संशोधन है। श्री बंशीलाल सारस्वत बोलना चाहेंगे।

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस कानून के अन्तर्गत 5 वर्ष तक की अवधि तक लोकायुक्त रहा और राजस्थान का इतना पैसा खर्च होने के बाद भी, एक भी मामला राजस्थान का नहीं रखा गया है। जिस समय यह कानून बनाया गया, एक प्रकार का अधिकारी के बारे में विवाद खड़ा हो गया। उप लोकायुक्त या लोकायुक्त के लिये किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं रखा गया, किस प्रकार आदमी नियुक्त किया जाये। इसी प्रकार से उप लोकायुक्त कोई आई. ए. एस. अधिकारी आया तो आपस में सवाल जवाब शुरू हो जायगा। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया, यह दोनों पोस्ट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह शानदार व्यवस्था कायम की गई है उसमें यह प्रावधान रखा जाय तो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त दोनों ही इफेक्टिव पोस्ट हो सकती हैं। इससे बहुत बड़ा नियन्त्रण हो सकता है। हर रोज इस प्रकार के मामले आते हैं। इस प्रकार से बहुत सा काम हल्का किया जा सकता है। यह विवाद था उस समय। अब एक पद को बढ़ाया है इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है कि उपलोकायुक्त और लोकायुक्त दोनों ही पोस्ट रखी जानी चाहिए। आज तक केवल दो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, 1972-73 की और 1973-74 की दो रिपोर्ट्स हैं। जहां तक मुझे पता है, उन रिपोर्ट्स में यह लिखा हुआ है कि एक स्टाफ कार दे दी जाये। मेरा निवेदन है कि एक सामान्य अधिकारी को भी एक स्टाफ कार बख्श दी जाती है। बिना स्टाफ कार के वह कहां जाएगा? किस तरह से किसी केस के बारे में जानकारी करेगा? अगर लोकायुक्त मौके पर जाकर जांच करना चाहता है तो बिना कार के कैसे जायेगा? अगर उपलोकायुक्त के लिये नहीं हो तो लोकायुक्त के लिये हो। लोकायुक्त के काम का बंटवारा उपलोकायुक्त के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे महत्व के कार्यों को लिया जाकर जनता सरकार की नीति को कार्यान्वित कराया जा सकता है। इसलिए मैंने संशोधन पेश किया है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों ही पोस्ट के लिये रखा जाये।

मैं निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

3 (1) मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रतिस्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति "लोकायुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा ....

...........कर सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लोकायुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति और एक उप लोकायुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा और आवश्यकता होने पर वैसे ही वारंट द्वारा उप लोकायुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले और व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा" प्रतिस्थापित की जाय।

(2) मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के वर्तमान परन्तुकों के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक और जोड़ा जाये :-–

परन्तु यह और भी कि :—

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

(1) ऐसा पद धारण करने वाला व्यक्ति उच्च-न्यायालय के न्यायाधिपति के पद धारण करने की योग्यता रखता हो, और

(2) जिसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं। अधिक कहने की आवश्यता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको वापस लेंगे या प्रेस करते हैं ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : जैसा कि मुख्य मन्त्री जी कह चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 3 पर संशोधन वापस ले लिया गया है, इसलिए मतदान की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : No. No. विथड्रा नहीं किया है।

श्री मूलचन्द डागा : He has not withdrawn.

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई विथड्रा कर लेता है।

श्री रामनारायण चौधरी : Without our consent he cannot withdraw the amendment. He should get the permission to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर राय ले लेता हूं।

क्या सदन की सहमति है कि जो संशोधन अभी रखा गया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

श्री रामनारायण चौधरी : He is withdrawing.

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय बंशीलाल सारस्वत ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है‥

श्री रामनारायण चौधरी : Let him withdraw.

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन विथड्रा कर लिया गया है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 पर श्री बंशीलाल सारस्वत का संशोधन है। क्या वह बोलना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सिफारिश कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव पेश ही नहीं किया है, खण्ड 4 पर।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 5 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि पर कोई संशोधन नहीं है, फिर भी मैं सदन की राय के लिए इसको रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

अब प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि इसको पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 का विरोध करता हूं और सदन से मांग करता हूं कि इसे पारित नहीं किया जाए।

जो संशोधन मुख्य मंत्री लाये हैं और जिस संशोधन के द्वारा सदन का समय जाया किया गया है, देश के खजाने का नुकसान किया गया है, उस पर मुझे चिंता है। मुख्य मंत्री फर्मा रहे हैं कि यह स्टाप-गैप अरेंजमेंट है, उनके मन में आ गया इसलिए यह संशोधन ले आए। मान्यवर, आप मुलाहिजा फर्मायें कि 5 साल का टर्म था जिसके लिये मुख्य मंत्री दलील देते हैं कि लोकायुक्त आम तौर पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज या दूसरे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स में से नियुक्त होते रहे हैं और उनमें से होंगे। इस दलील के साथ 5 साल का टर्म घटाकर तीन साल का किया है। आज हमारे प्रधान मंत्री 83 साल के हैं, वित्त मंत्री 76 साल के हैं। जब देश का संचालन 83 साल का व्यक्ति कर सकता है, राजस्थान के फाइनेन्सेज को 76 साल का व्यक्ति चला सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता 70 साल के नीचे का व्यक्ति किस प्रकार लोकायुक्त का काम नहीं कर सकता। यह इस प्रकार की लचर दलील है जिसमें औचित्य, दम और ताकत नजर नहीं आती है।

मुख्य मंत्री फर्मा रहे हैं कि आप लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की कि कार्यभार कौन संभाले। मान्यवर, मुख्य मंत्री आयेंगे और जायेंगे, आप किसको चार्ज देकर जायेंगे ? आपने दो राज्य मंत्रियों से त्याग-पत्र लेकर उनको घर भिजवा दिया, उनसे चार्ज किसने लिया था ? यह लोकायुक्त व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के कार्यों का निरीक्षण करता है, उनके कामों

(श्री रामनारायण चौधरी)

को जांच करता है, उनके खिलाफ शिकायतों का निरीक्षण करता है और वह फिर गवर्नर को रिपोर्ट देता है। वह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि चार्ज हैंड ओवर करे और लिखा पढ़ी करे। यह गरिमापूर्ण पद है, आपने तो उसको कलेक्टर का पद बना दिया जो ए.डी.एम. को चार्ज देकर चला जायेगा। यह महान पद है, लोकतंत्रीय व्यवस्था में पहला पद है। इस पद के गौरव व गरिमा को आपने गिराया है।

दूसरे, मैं इस कारण इसका विरोध कर रहा हूं कि हाई कोर्ट जज को आपने लोकायुक्त बनाने का प्रस्ताव किया। हाई कोर्ट का सिटिंग जज, ईविन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गवर्नमेंट से बड़ा नहीं है। तीन करोड़ लोगों के इस प्रदेश के भाग्य का संचालन सरकार करती है उस संचालन का विश्लेषण चीफ जस्टिस करेगा, मुख्य मंत्री आपको शर्म आनी चाहिये। तीन करोड़ जनता के ऊपर आपने हाई कोर्ट जज बिठाया है। आज आपकी सिफारिश पर जिसकी नियुक्ति होती है, आपकी कलम से जिसकी नियुक्ति होती है वह राजस्थान की तीन करोड़ जनता के ऊपर नहीं है। ठीक है जुडिशियल असेसमेंट में, जुडिशियल डिसीजन्स में हम हाई कोर्ट की सत्ता को चुनौती नहीं देते लेकिन लोकायुक्त का जो अस्तित्व है, उसकी गरिमा व महानता है, उसको आप गिरा नहीं सकते.....

(व्यवधान)

आप कमिटेड जुडिशियरी की बात करते हैं, आपने जुडिशियरी का सत्यानाश कर दिया। जिस प्रकार आपने चन्द्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनाकर इस गरिमापूर्ण पद का ह्रास किया है, आपने चीफ जस्टिस की नियुक्ति के अन्दर जो तरीका अख्तियार किया, हिन्दुस्तान तो क्या संसार की किसी जुडिशियरी में नहीं.....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। यह तरीका विरोधी दल के नेता प्रस्तुत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : आन ए पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, आप सदन पर आसीन थे जब पिछले सत्र में चंद्रचूड़ साहब के लिये कुछ शब्द विधि मंत्री ने कहे थे और आपने एक्सपंज करने के आदेश फर्माए थे। आज विरोधी दल के नेता ने जिस प्रकार के शब्द भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के बारे में कहे हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने चीफ जस्टिस पद के खिलाफ और उनकी गरिमा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आपके लॉ मिनिस्टर ने उनकी नियुक्ति के बारे में जो प्रक्रिया अपनाई उसका मैं घोर विरोध करता हूं....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने कहा, उनको चीफ जस्टिस बनाकर उस पद की गरिमा गिराई है।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने प्रक्रिया पर आपत्ति की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने स्पष्ट कहा है कि श्री चंद्रचूड़ की नियुक्ति करके जुडिशियरी की गरिमा को घटाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : जिस तरीके से चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस आफ इंडिया बनाकर आपने जुडिशियरी का सत्यानाश कर दिया .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसिडिंग्स देखूंगा...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : 'गरिमा को कम किया है,' को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री राम नारायण चौधरी : कहां निकाल दिया जाए ? यह विधान सभा की कार्यवाही चल रही है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हर बात में कहते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही चलने नहीं देंगे...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी सरकार ने जुडिशियरी का सत्यानाश कर दिया। यह कौन सा तरीका है ? जो लोग रिटायर हो गए उनसे राय लेकर चीफ जस्टिस बना रहे हैं ? ऐसा आज तक नहीं हुआ। चीफ के मातहत जजेज से पूछा कि क्या चंद्रचूड को चीफ जस्टिस बनाया जाए या नहीं ? तमाम चीफ जस्टिस के पास पत्र आए। उनकी राय के आधार की प्रक्रिया अपनाकर जो चीफ जस्टिस बनाया गया, उससे तमाम जुडिशियरी की जो परम्परायें थीं, प्रक्रियायें थीं, सबको आपने खतम कर दिया।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य ने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे चीफ जस्टिस के पद की गरिमा गिरी हो। उन्होंने तो और प्रोटेक्ट किया है सपोर्ट किया है कि इतने बड़े जज को ऐसे नीचे पद पर लगाया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, कोई खण्डित नहीं की। कहने का हक है कि जुडिशियरी को करप्ट किया है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधीदल के माननीय नेता द्वारा जुडिशियरी की महिमा और गरिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है। विरोधी दल के नेता होने के नाते उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कोई जरूरत नहीं है वापस लेने की।

श्री भंवरलाल ऐरन : प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिये जायें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : सुपरसीड किसने किया है यह माननीय रामनारायणजी नहीं जानते, कांग्रेस वालों ने किया है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री रामनारायण चौधरी : परम्पराओं के खिलाफ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग देख लूंगा। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर कमेन्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रक्रिया और नियुक्ति के बारे में जो भाव हैं, डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं, व्यक्त कर सकते हैं। फिर भी मैं प्रोसीडिंग्ज देख लूंगा और जो भावना व्यक्त की है वह किसी के करेक्टर पर रिफ्लेक्ट करती है तो···

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो निर्णय सुना दिया।

श्री उपाध्यक्ष : निर्णय नहीं सुनाया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, छठी विधान सभा का उद्घाटन हुआ तब माननीय परसरामजी विरोधी दल के नेता थे। वे उठते थे तो मेरा मानना है कि हम सम्मान के साथ सुनते थे। मैं माननीय रामनारायणजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन्हीं परम्पराओं को कायम रखें।

(व्यवधान)

जब से माननीय रामनारायणजी विरोधी दल के नेता हुए हैं—

श्री मदनसिंह दांता : तब से विरोधी दल का मोरल बढ़ा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आसन की तरफ से भी उनके व्यवहार को···

(व्यवधान)

प्रूफ किया जा चुका है।

श्री मदनसिंह दांता : अभी तो इन्दिरा आयेगी।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं यह निवेदन करूंगा कि विधायकों के लिए प्रशिक्षण की योजना है। उसके अन्दर विरोधी दल के माननीय नेता को प्रशिक्षण के लिए भिजवाने की कृपा करें तो ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमको प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। मैं आपको प्रशिक्षण दे सकता हूं

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन मुख्य मन्त्रीजी लाये हैं, जब यह विधेयक बना था

(श्री रामनारायण चौधरी)

और विधायकों की संहमति के लिये आया था, उस समय मुख्य मन्त्री स्व. बरकतुल्ला खां जी थे, मैंने कहा था आप मन्त्रिमण्डल के ऊपर व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह कोई लोकतन्त्रीय व्यवस्था नहीं है। यह मैंने विधायक की हैसियत से कहा था आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिये। केवल 11 आदमी की जो टीम है उसको आप इण्टीग्रेटी नहीं मान सकते और एक आदमी को बिठाकर कुछ करना चाहते हैं, मैं इस सिद्धान्त के खिलाफ हूं। मैं लोकतन्त्र में विश्वास करता हूं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लोकतन्त्र के हत्यारे....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मेरी मुख्य मंत्रीजी से व्यक्तिगत मित्रता है। मेरे गांव में जाकर उन्होंने कहा कि रामनारायण जी चौधरी आ गये तो कटघरे में खडे होंगे, जेल जायेंगे। मेरे लिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पडता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरा लोकतन्त्र में विश्वास नहीं होता तो, मान्यवर, 11 हजार वोटों से नहीं जीतता।

(व्यवधान)

मेरी पूरी आस्था है लोकतन्त्र में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इण्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, जो लोकतन्त्र की बात करते हैं, माननीय बजरंग लाल जी, ईश्वरचन्द्रजी भटनागर और श्रीमती उजला अरोड़ा....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं निश्चित कह सकता हूं आप बाहर खडे दिखाई देंगे।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : 82 के चुनाव में आप नहीं होंगे, लिख लीजिये डायरी में।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : लोकतन्त्र की हत्या..

(व्यवधान)

इन्दिराजी के लिए ऐसी बातें करते हो। आज बाजपेयजी आपके यह बात कहते हैं, लोगों को....

(व्यवधान)

मैं इन दोनों से जीत कर आया हूं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता माननीय चौधरी साहब यदि हाउस की परम्पराओं का ध्यान रखते....

श्री परसराम मदेरणा : जवाब दे रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री परसराम मदेरणा : हमने तो अभी इस पर अपनी बात ही नहीं कही।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978, जो सदन के सामने विचाराधीन है, का घोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको रद्द किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो यह बिल जनता सरकार लाई है यह किसी भी लॉ के स्टेन्डर्ड से गरिमापूर्ण नहीं है। विधि मंत्री जी का यह कथन कि इस अधिनियम को तत्कालीन सरकार ने पंगु रखा है और उनकी यह राय है कि इसमें लेकूना छोड़ा गया था उसको दूर किया जा रहा है। यह दोनों ही बातें माननीय विधि और न्याय मंत्री जी आपकी गलत हैं। आपने मुझे गलत बताया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए आपको गलत बता रहा हूं, आप मुझे बताइये कि इस एडहॉक अरेन्जमेन्ट के लिए सैक्शन 3 में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक जो आर्डर निकालने की बात है उसकी क्या आवश्यकता है ? सैक्शन 5 के अन्दर 5 से 3 साल की टर्म रिड्यूस करने की बात कही है यह कौन सी बुद्धिमानी की बात है ? मेरा मतलब यह है कि आपने इस कानून को नहीं पढ़ा। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं ? इन दोनों बातों का मतलब यह होता है, मान लें कि आपका पर्पज इस आर्डिनेन्स के अन्दर लोकायुक्त की नियुक्ति का था तो वह नहीं करके आपने दूसरे अमेन्डमेन्ट्स किये हैं जिन अमेन्डमेन्ट्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस एडहॉक अरेन्जमेन्ट के लिए आपका जो पंगु बना हुआ अधिनियम है इसमें मुख्य मंत्री जी ने दो अमेन्डमेन्ट किये हैं। सैक्शन 9 में :

"Every complaint shall be made in such form and shall be accompanied by such affidavits as may be prescribed......"

सैक्शन 13 (ए) के अन्दर जो फाल्स कम्पलेन्ट पर प्रासीक्यूशन का 3 साल का रखा है उसको हटाकर 3 दिन की सजा रख देते तो इस पंगु अधिनियम में जान आ जाती। जब आपको अमेन्डमेन्ट ही करने थे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। अगर तत्कालीन सरकार ने गलती की तो आपको स्वयं को दुरुस्त कर देनी चाहिये थी और दुरुस्त करके जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि या तो रिपील करते और रिपील नहीं करते तो ज्यादा अमेन्डमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ यह दो अमेन्डमेंट ही कर देते। 13 (ए) में 3 साल की जगह 3 दिन कर देते और एक सैक्शन 9 में करते। यह आपका अधिनियम जानदार हो जाता तो आपके पास कम्पलेन्ट्स के ढेर लग जाते। कानसिंह कमीशन और वेरी कमीशन के सामने जितने केसेज हैं उससे कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते। यह अमेन्डमेंट नहीं करके पिछली सरकार पर दोषारोपण किया है। मैं समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री जी ने कानून को समझा ही नहीं और इसलिए आप यह कानून ले आये। थोड़े से अमेन्डमेन्ट्स से यह कानून इफेक्टिव हो जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के तृतीय वाचन पर माननीय सदस्य श्री परसराम जी मदेरणा ने कुछ सुझाव रखे हैं और रामनारायण जी चौधरी ने भी, sorry, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ सुझाव रखे हैं ·····

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, विरोधी दल के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री खेतसिंह जी, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, दम ठोक ठोक कर बोल रहे हैं, मैं यह भी जानता हूं कि विरोधी दल के नेता को भी बदलने की कार्यवाही चल रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हमारी आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तो हित में ही है माननीय रामनारायण जी विरोधी दल के नेता बने रहें।

श्री मथुरादास माथुर : हमने तो सुना था कि आप इनको लोकायुक्त बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जजेज की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गयी। मैं सारी बातों की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, यह सदन, राजस्थान की जनता और देश की जनता जानती है कि लोकतन्त्र का हामी कौन है और जुडिशियरी के ऊपर किसने अंकुश लगाया, जुडिशियरी पर किसने प्रतिबंध लगाया और जुडिशियरी को किसने डीमोरेलाईज किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पुरानी बातें छोड़ो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तो ताजा ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे खुशी है कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य उनको पुरानी बात कहकर स्वीकार कर रहे हैं। यह ठीक है कि बात पुरानी है···

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात पुरानी वह करे जिसके घर में घाटा हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी तो दुतरफा चाल चल रहे हैं··

श्री मदनसिंह दांता : क्यों मन्त्रिमण्डल मे ले रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दूसरे ग्रुप में चले गए और दूसरा ग्रुप इस बात का हामी है कि देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। अब वह गये या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन जाने की तैयारी में हैं या चले गये···

श्री मथुरादास माथुर : आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो माथुर साहब यह भी याद रखो कि वह आ रहे हैं तो चले भी जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके चक्कर में नहीं आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे चक्कर में नहीं लूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि···

श्री मथुरादास माथुर : यह कह कर दिल को बहला रहे है कि अब वह जा चुके हैं, अब आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब एक बात में सावधानी रखना कि यह आते आते वापिस भी चले जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उस समय आप पकड़ लेना।

श्री मदनसिंह दांता : तो क्या होम मिनिस्टर से भी इसी बात की अपेक्षा करते हैं कि यह भी आ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आने जाने की बात तो ठाकुर साहब आप मत पूछें।

श्री मदनसिंह दांता : मैं तो छोड़ गया तो उसके बाद आया ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि अच्छी बात होती कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इनकी नियुक्ति का उल्लेख नहीं होता। आखिर इन बातों को बार-बार करने से हम क्या करना चाहते हैं ? एक बात तो सब को मालूम है कि जस्टिस चन्द्रचूड़ की नियुक्ति हुई उसमें किसी प्रकार का सन्देह व्यक्त नहीं किया। सीनियर मोस्ट जज थे और सीनियर मोस्ट होने के नाते वह हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस बने। आज हम यह कह कर चलें कि उनकी नियुक्ति से सारे जुडिशियरी की गरिमा चली गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी प्रोसीडिंग्स को देखेंगे और फिर निर्णय देंगे लेकिन माननीय सदस्य स्वयं विचार कर लें कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने का क्या अर्थ होता है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि इस कानून को रिपील कर दिया जाना चाहिये ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : डेमोक्रेसी ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डेमोक्रेसी भी थी। शेलत, ग्रोवर, हैगड़े इन तीनों को सुपरसीड किया गया था ...

श्री मूलचन्द डागा : अब भी किया गया है। मोरारजी ने भी किया है।

श्री राम नारायण चौधरी : हमारी बात को मानिये। इस डिबेट को डिस्कशन पर रख लिया जाये कि चीफ जस्टिस आफ इण्डिया ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोधी दल के नेता की यह जिम्मेदारी भी होती है कि जिस मामले की चर्चा की जाये, वह मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है ? यह जिम्मेदारी आप की है और कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठाये तो मैं समझता कि शायद नये आये हैं लेकिन आप खुद कह रहे थे कि आप पुराने सदस्य हैं। मैंने भी देखा है आपको हाउस में। आप जैसे सदस्य कहें कि चीफ जस्टिस आफ इण्डिया की इस सदन में चर्चा की जाये तो आश्चर्य होता है आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। अभी आप गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। विचार करने के बाद इस प्रकार की बात कहें।

दूसरी बात कही गई इस कानून को रिपील कर दिया जाय। रिपील करने का मतलब यह है लोकायुक्त के पद को बिलकुल समाप्त किया जाये। इसके कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये लेकिन इसके साथ-साथ यह कहा कि इफैक्टिव नहीं बना इसलिये इसको रिपील कर दिया जाये। आप तो यह कहते हैं कि इस कानून को रिपील कर दिया जाये ...

श्री राम नारायण चौधरी : कौन कहता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहते हैं।

श्री राम नारायण चौधरी : आगे मैं बात कहने वाला था कि मैं सिद्धांततः इसके खिलाफ हूं। आज की परिस्थितियों में मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)
आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसको रिपील नहीं करना चाहिये था। अगर हम रिपील कर दें तो मिसअन्डरस्टेन्डिग पैदा होती है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स में ऐसा प्रावधान है कि इस कानून को आउटराइट रिजेक्ट करने पर थर्ड रीडिंग में बोल सकते हैं। रिपील करने की बात पर थर्ड रीडिंग पर बोलने का कोई सवाल ही नहीं है।

परसराम जी ने दो सुझाव दिये। दो संशोधन कर दें। एक संशोधन तो कम्प्लेन्ट गलत पाने पर सजा है, उसका समय कर दें। दूसरा एक सुझाव और दिया कि इसका पंगुपना समाप्त हो। मैं इस सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि सुझाव इतना ही नहीं, सुझाव इस बात का भी है कि लोकायुक्त को इफेक्टिव बनाने के लिये इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सीज के लिये इन्तजाम किया जाये। कई लोग ऐसी भी मांग कर रहे हैं कि यह पर्याप्त नहीं है एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट, पब्लिक ग्रीवेन्सेज कमिश्नर या इस प्रकार की और व्यवस्था हो जो शिकायतों की जांच करवा सकें। इसमें सजा का प्रावधान भी है वह भी कड़ा है। शपथ-पत्र की शर्तें ऐसी हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। 5 वर्षों तक भी शिकायतों की जानकारी मिलती हो तो उसकी जांच कराई जाये यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया गया।

अब राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1978।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 परिनियत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह सदन "श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1–8–78 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को अस्वीकार करता है।"

स्टटेमेंट आफ ओबजेक्ट एण्ड रीजन्स में यह लिखना जरूरी नहीं था कि युवकों की उच्चाकांक्षाओं को तुष्ट करने के लिये मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना समुचित समझा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो अमेंडमेंट किया है उस एमेंडमेंट को किस प्रकार से आपने लागू किया है ? इस कानून के अन्तर्गत जो रूल्स बनाये जाते थे वह सेक्शन 297 के अन्तर्गत गजट में पब्लिश होने के एक महीने बाद लागू होते थे–

"All the rules made under this Act shall be published in the official Gazette and such rules shall have force of law after one month

(श्री मूलचन्द डागा)

from the date of such publication.'' पहले यह बिल्कुल ठीक बात लिखी थी कि नियम जारी होने के एक महीने के बाद वे लागू होंगे। आपने एक महीने के प्राविजन को हटा दिया। आपने रख दिया कि गजट में रूल्स प्रकाशित कर दिये जायेंगे। गांव में या एक कौने में जहां नगरपालिका है, गजट 12 दिन बाद पहुंचता है। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में नहीं है फिर भी आपने इसको हटा दिया। दरअसल आपको मालूम नहीं पड़ता है, आपने क्या लिख दिया? सारे नियम और उप नियम टेबल आफ हाउस में ले डाउन होने चाहिये और उन पर चर्चा होनी चाहिये। इस कानून के अन्तर्गत जो नियम बने हैं वह इस संशोधन के अनुसार आपने जैसे ही नियम बना दिये, गजट में पब्लिश हो गये, वे लागू हो जायेंगे। आपका गजट निकलता है, नियम बनने के बाद उसे किसी ने 15 दिन बाद देखा क्या फर्क पड़ता है, पब्लिश होते ही लागू हो जायेगा। पहले नियम गजट में पब्लिश होने के एक महीने बाद लागू होते थे इसलिये मेहरबानी करके आप देखें।

दूसरा, आपने वार्डों के लिये किया कि 21 दिन के अन्दर गजट में निकालेंगे। आखिर आप प्रोसीजर क्या करना चाहते हैं? जब वार्ड्स का डीलिमीटेशन हो जाता है तो गजट में छपता है। म्युनिसपैलिटी क्षेत्र में गजट 15 दिन बाद, 10 दिन बाद पहुंचता है, तो जो आब्जेक्शन करना चाहते हैं, जैसा माननीय सदस्य, जो मकराना से आये हैं, कहा था कि वार्ड गलत बनाये गये, कोई आॅब्जेक्शन करना चाहता है उसको समय मिलता नहीं है। आपका आर्डर पब्लिश होता है उसके पब्लिश करने के लिये आपने 30 दिन की जगह 21 दिन कर दिया। आप क्या अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में नहीं है। पाली के अन्दर वार्ड्स का मानों गजट में आया, मैं आब्जेक्शन पेश करना चाहता हूं बिफोर दी कलेक्टर तो कम से कम एक महीने का टाइम तो दिया जाये। रीजन्स कुछ नहीं। एक जगह, कहीं म्युनिसिपैलिटी नहीं हैं। वहां म्युनिसिपैलिटी बनाई है आप कहते हैं एक महीने में कर दो। साहब पहले जिक्र हुआ है कि कई बार हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, गजट कब पहुंचता है..

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पदासीन)

मेरे खयाल से आपको मालूम पड़ता है। आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं for the promulgation of the Ordinance, इसमें तो यह बात छुपा दी, एक बात भी मेन्शन नहीं की। और क्या लिखा है, म्यूनिसिपल इलेक्शन जल्दी आने वाला है। तो क्यों इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाते हैं? म्युनिसिपल लॉ में चेयरमैन का डाइरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये। म्युनिसिपल लॉ में यह संशोधन करना था कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं हो। जो जनता पार्टी का घोषणा-पत्र था उसमें कहा था कि जनता पार्टी के आते ही यह खतम कर दिया जायगा। अब क्या अमेण्डमेंट लाये हैं आप? 14 महीने के बाद यह अमेन्डमेंट लाये हैं और चाह रहे हैं कि उसे यह सदन पारित करे...

एक माननीय सदस्य : न किसी का मूड है..

श्री मूलचन्द डागा : बोलने दे भाई। मालूम है व्हिप लगा हुआ है। पारित करना है।

म्युनिसिपल लॉ में क्या अमेन्डमेंट किये हैं। यह 1959 का एक्ट है। महाराष्ट्र राज्य ने नया बना दिया है, मध्य प्रदेश ने नया बना दिया है। हमारा एक्ट इफेक्टिव नहीं है उसमें अमेन्डमेंट की जरूरत है, आपके घोषणा-पत्र में है। चेयरमैन का डाइरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये, कच्चे झोंपड़ों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। यह कुछ नहीं किया केवल नौकरशाही ने जो दे दिया लिखकर...

(व्यवधान)

आप हंसते हैं, क्या चाहते हैं आप ? चार संशोधन दसरे कर दिये हैं, 18 साल का कर दिया है...

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : वह तो कैसे नहीं मानेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री मूलचन्द डागा : उस प्रकार का लेजिस्लेशन लाते हैं और फिर म्युनिसिपल लॉ में अमेंडमेंट पास कराना चाहते हैं। आर्डिनेन्स के जरिये यह लाया नहीं जा सकता है क्योंकि न इमर्जेन्सी है, न अर्जेन्सी है, न कोई ऐसी बात है कि इसको लागू करने से राजस्थान में जहां-जहां नगरपालिकायें हैं, वहां-वहां उनको नुकसान पहुंचेगा। मालूम नहीं, ये बैठ जाते हैं और कह देते हैं, हां, ठीक है–फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे जो कुछ करें।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : सभापति महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन, श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

श्रीमान सभापति जी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जनतंत्र की दुहाई देकर बनी जनता सरकार अपने बाल्य काल में ही मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है····

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : यह ख्याल है, आपका।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : सभापति जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है लेजिस्लेचर का जो मेन फंक्शन है, विधायी कार्य, उसमें माननीय विधायकों की कितनी रुचि है, यह यहां स्पष्ट दिख रहा है। मुझे मालूम है आपकी पार्टी का व्हिप इश्यू हुआ है कि आपको तो सरकारी पक्ष में हां करनी है। ये सब बिल पास होंगे परन्तु आप हमारी बात को तो ध्यान से सुनियेगा। हमको भी कोई संकल्प देने का कान्स्टीट्यूशनल अधिकार है···

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सदस्य की बात इतनी ध्यान से सुनते हैं कि दिमाग फटने का खतरा है फिर भी माननीय सदस्य दोष लगाते हैं कि सुनते नहीं हैं। संक्षेप में ही आपको बोलना चाहिये...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आदरणीय सभापति जी, एक तरफ महत्वपूर्ण विधेयक लाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पास करवाने की बात रख रहे हैं। फिर मेरे भाषण में व्यवधान डालते हैं, मैं समझता हूं सरकार के प्रति मैंने कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया है केवल मूलभूत मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिलान के लिये संकल्प किया है। मैं चाहूंगा, पूरी निष्ठा से आप सुनें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मूल बिल पर आ जायं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति जी, कम से कम जनता सरकार अपना वायदा एक जगह तो पूरा कर रही है कि म्युनिसिपल एक्ट में मत देने का अधिकार 18 वर्ष के युवा को दिया है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख किया था। अगर भारत सरकार ने पिपुल्स एक्ट में नहीं रखा है तो यह उसकी भूल रही है। परन्तु इसके साथ-साथ मेरा जो आधारभूत सवाल है वह यह है कि जिस व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, उसको मत प्राप्त करने का अधिकार भी है। अगर आप यह समझते हैं कि 18 वर्ष के युवक का विवेक और ज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि मताधिकार का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर सके तो यह निश्चित तौर से आवश्यक है कि उसे स्वयं के लिए वोट मांगने का भी अधिकार है। म्युनिसिपल एक्ट में वोट देने का अधिकार दे रहे हैं 18 वर्ष की युवा पीढ़ी को परन्तु चुनाव में खड़ा होने का अधिकार 21 वर्ष वालों को ही दिया है। इसके पूर्व चुनाव लड़ने का अधिकार भी 21 वर्ष वाले को था और मत देने का अधिकार भी 21 वर्ष वाले को था। जनता पार्टी यह समझती है कि 18 वर्ष के युवा का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि सही और गलत में फर्क कर सके, उम्मीदवारों में फर्क कर सके, पार्टी के मैनिफेस्टों को समझकर मत का सही प्रयोग कर सके तो हमारा मंत्री महोदय से पूर्ण आग्रह है कि कम से कम यह भी संशोधन लाते कि 18 वर्ष का युवक भी चुनाव लड़ने का हकदार है। उस युवा पीढ़ी जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ है, निश्चित मत है कि ऐसी गलत परम्पराओं को भंग करना है। उसका यह भी निश्चित अभिमत है कि यह सरकार स्टेटस को मेन्टेन करने वाली नहीं है, यथा स्थिति रखने वाली नहीं है और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली है। अगर 18 वर्ष का युवा म्युनिसिपल कौन्सिल में आयेगा तो निश्चित रूप से वह उचित धारणाओं पर सोचेगा और किसी प्रकार प्रिजुडिस नहीं रहेगा। यह तो ठीक है कि आपने चुनाव नहीं करवाया। आर्डिनेन्स में लिखा है कि चुनाव होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि अगले चार माह

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

बाद चुनाव करवाये जायेंगे। अगर फरवरी में चुनाव करवाने हैं तो यह सारा नाटक रचने की क्या जरूरत है। इस नाटकीय चुनाव की घोषणा होने के बाद राजस्थान के शहरों में और टाउन्स में हलचल मची हुई है। वार्डों के डिलिमिटेशन क्यों किये जा रहे हैं? वोटर लिस्ट और अनेक बातों के लिए आपने तीन महीने के लिए अननेसेसरी एक्ससाइज करवाई। इसका दण्ड आपको आज नहीं मिलेगा, जब जनता की आंखों में आपकी छवि धूमिल हो जायेगी कि आप अपने वचनों पर कायम नहीं रहे....

श्री गुल मोहम्मद : आप गम्भीरता से सोच दीजिए, हंसने की बात क्या है?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हंस तो इस लिए रहा हूँ कि आप लोगों के डूबने के दिन आ गये हैं। जिस नाव में आप बैठे हैं, उस नाव में मैं नहीं हूं, इसलिए खुशी है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : यह चुनाव की मीटिंग है क्या?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति जी मेरा यह आरोप है कि यह सरकार बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है...

श्री गुल मोहम्मद : वह तो आप खुद देख लीजिए....

श्री सभापति : आप जितना व्यवधान करेंगे उतनी ही देरी होगी।

श्री रामकृष्ण दास गप्ता : यह, श्रीमान्, नयोजित षड्यंत्र है, जो मेरे कहने का ढंग है, जो मेरे दिमाग में विचार हैं उनको किसी तरह से खण्डित किया जावे...

श्री गुल मोहम्मद : तो आपको मेन्टल हास्पिटल भेज दें?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर आपने विधान सभा को इसी ढंग से ट्रीट किया तो मुझे हो नहीं, दो सौ विधायकों को हास्पिटल भेजेंगे आप।

श्री गुल मोहम्मद : आप संतुलन मत खोइये।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैंढक जैसे पानी में कूदता है वैसे आप क्यों कूद रहे हो?

(व्यवधान)

You sit down.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें। व्यवस्था रखें मेहरबानी करके, आप ट्रेजरी बैंचेज पर बैठते हैं, you should have the patience to hear him.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं पूर्ण रूप से गम्भीरता से अपने विचारों को रख रहा हूं, माननीय मंत्री जी यह फील करेंगे, आप मेरे विचारों को ध्यान से सुन रहे थे।

आपने 18 वर्षीय युवा को वोट देने का अधिकार दिया है, यह आपने बिल्कुल सेंट-पर्सेंट ठीक किया है। इण्डियन मेच्योरिटी एक्ट में प्रोविजन है, इण्डियन एवीडेन्स एक्ट में प्रोविजन है कि 18 वर्ष का व्यक्ति शपथ लेकर बयान दे सकता है। 18 वर्षीय युवक अपनी इच्छा से शादी कर सकता है तो उसके अनुसार ही वोट देने का अधिकार देने के लिए यह कानून बनाया है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : He is repeating. बात को दोहरा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करिये; कृपया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं पाइन्ट टू पाइन्ट बोल रहा था पर इनकी नजरों में तो इस विधान सभा को नौटंकी समझ रखा है। इनके दिमाग में तो यह है कि यह नौटंकी है। माननीय सभापति महोदय, आप अगर यह चाहते हैं कि बिना चर्चा के, बिना पूरी चर्चा किये ही, बिना गम्भीर विवेचन के ही इसको पास कर दिया जावे तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : आप सुझाव दीजिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : कोई भी विधायक खड़ा होकर के यह कह है कि मेरा यह तर्क ठोस नहीं। आपने जो सुधार करके, अमेंडमेंट करके यह प्रोवीजन किया है कि 18 वर्षीय व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा तो मैं कहता हूं कि 18 वर्ष के व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार क्यों नहीं देते है।

श्री रतन लाल वर्मा : वह भी दिन आ जायगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने जो कहा कि सम्भवतः चुनाव की प्रक्रिया को टाल कर, जनवरी, फरवरी के अन्दर चुनाव होने की सम्भावना कह करके जो राजस्थान की जनता का समय और काम, उनकी बुद्धि का ह्रास किया है आपने आर्डिनेंस निकालकर यह कहा कि चुनाव होने वाला है तो मैं पूछता हूं कि आर्डिनेंस निकालने की क्या जरूरत थी ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जवाब दे देंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चुनाव होने के नाम पर आर्डिनेंस निकाला। जब चुनाव होने का समय आया तो कह दिया कि चुनाव नहीं होंगे। आपको स्वयं अपना आर्डिनेंस विथड्रा करना चाहिए था। जिस कारण से आर्डिनेंस इश्यू किया, जब वह पर्पज ही आपके कथनानुसार कायम नहीं रहा तो यह आर्डिनेंस ही आटोमेटिकली आप लोगों को विथड्रा करना चाहिए था। इसकी जगह ऐसा बिल ला करके उसको सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर देते। इस पर सलेक्ट कमेटी में अच्छी तरह से विचार होकर ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें बार बार अमेंडमेंट नहीं करना पड़े। श्रीमान् सभापति महोदय, आप देखिए, दो महीने की जगह एक महीने का समय महज इसलिए किया कि हमें नवम्बर के माह में चुनाव कराने हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर आवागमन की, संचार साधनों की जिस प्रकार की सुविधा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से एक माह का समय कम है। नियम और सूचनायें घोषित होने के बारे में जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि डाक ही 15 दिन बाद पहुंचती है। तो उसके लिए आप पूर्ण समय नहीं दें तो चुनाव प्रक्रिया के विषय में सफिशियेंट टाइम के देने का मतलब यह है कि चुनाव की फ्री एक्सरसाईज पर, लोगों के अधिकार पर इनडायरेक्टली बंधन लगाना है।

तीसरी बात, श्रीमान्, मैं यह चाहूंगा कि जब चुनाव करवाय, तब यह कदम उठायें कि राजस्थान के अनेक शहरों के म्युनिसिपल बोर्ड्स, कौंसिलों का गठन सुनियोजित ढंग से किया जावे। मैं माननीय विधि मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि झुंझुनूं और सीकर

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

जिले के अन्दर एक पिलानी जगह है। वहां पर पिलानी और विद्या विहार दो म्युनिसिपल बोर्ड हैं। विधि मंत्रीजी को खुद को याद है कि ग्रामीण लोगों ने मांग की थी फिर भी 1959 में पिलानी और विद्या विहार को बिडलाजी के कहने से अलग किया गया। उस समय हमारे आज के मुख्य मंत्रीजी ने इसका पूरे जोर से विरोध किया था। पिलानी जैसे कस्बे के अन्दर, गांव के अन्दर म्युनिसिपल बोर्ड अलग से कायम करना गलत है। जब आज हमारी सरकार है और हमारी सरकार के मुख्य मंत्री, भैरोंसिंह जी हैं, जो कि अपोजीशन के नेता थे उस समय इन्होंने खुद ने इसका विरोध किया था तो अब समय आ गया है कि उस गलत बंटवारे को ठीक करके इन दोनों को एक किया जावे। आप समाजवाद की बात करते हैं फिर भी आप पिलानी और विद्या विहार को अलग रख कर बिडलाजी की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल कार्य करें तो मैं समझता हूं कि कम से कम यह उचित नहीं है। आप स्वयं विधि मंत्रीजी हिम्मत वाले पुरुष हैं और जैसा कहते हैं वैसा कर गुजरते हैं।

इसी तरह से अन्त में बीकानेर की जैतसर म्युनिसिपल कौंसिल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले 25 सालों से बीकानेर नगरपालिका के अन्दर गंगासर, बीनासर नगरपालिकाओं को मिलाने का हर चौथे साल नोटिफिकेशन निकलता है। जनता की आपत्तियां ली जाती हैं परन्तु ऐसे वक्त पर जब सरकार का फैसला देने का समय आता है तो फाइल को दफ्तर दाखिल किया जाता है। इस बार भी गंगासर और बीनासर बीकानेर के उपनगर बन गए हैं। वहां की छः हजार साल की चुंगी आती है लेकिन चुंगी की वसूली में म्युनिसिपैलिटी को नौ हजार का खर्चा करना पड़ता है। किस की वजह से नहीं हो रहा है? न तो इस इलाके का विकास हो रहा है, ये इलाके पिछड़े हुए हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : How it is relevant?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप खड़े होकर कहिये। मैं जो कह रहा हूं it is relevant.

आपने आर्डिनेंस के जरिये डी-लिमिटेशन के लिए एक्ट में लिखा है। मेरा मुद्दा वार्डों के डी-लिमिटेशन पर है जो आपने आर्डिनेंस के अन्दर रखा है। इसलिए बीकानेर कौंसिल में गंगासर, बीनासर को मिलाइये और पिलानी और विद्या विहार को एक करिये। ये फाइलें पेंडिंग हैं। मैं चाहूंगा कि आगामी चुनाव होने के पहले आप उस पर फैसला लेकर इन छोटे छोटे ग्रामों को शामिल करें। आप बात करते हैं डी-लिमिटेशन की और मैं म्युनिसिपल कौंसिल, बोर्ड्स की सीमाओं के पुनर्गठन के बारे में आधारभूत बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय अच्छे वकील रह चुके हैं और अपने आपको विटी मानते हैं, वे मेरे तर्क को समझेंगे। मैं आपको समझा रहा था कि आपमें क्या कमी है जो कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रहे हैं आप लोग, मैं इसकी बात नहीं करता....

(व्यवधान)

आप लोगों ने इन असेम्बलीज को नाटकघर करवा दिया है। आपने आर्डिनेंस निकालने की पावर को नाजायज यूज किया है....

श्री मदनसिंह दांता : I object to it. On a point of order.

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस सदन को नाटक घर बना दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का यह आशय नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : जब अखबार वाले इतना सा लिख दें तो इतना शोर मचाया जाता है और माननीय सदस्य सदन को नाटक घर बता रहे हैं...

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब तो यह है कि जो यह आर्डिनेन्स निकाला है, आर्डिनेन्स निकाल कर असेम्बली को बाय पास किया जा रहा है।

श्री रतनलाल वर्मा : हम खुद कांच घर में बैठ कर दूसरो के घर पर पत्थर फेंक रहे हैं?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने जो कुछ कहा है, वह असेम्बली की गरिमा, प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए कहा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसमें लिखा है

"Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for him to take immediate action, the Governor promulgated the Ordinance..."

श्रीमान्, यह स्पष्ट लिखा है, इसमें यह कहा गया है। आर्डिनेन्स निकालने को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। राज्यपाल जैसे महती संस्था को इन्होंने रबर स्टाम्प बना दिया है। यह राज्यपाल जैसे पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। 6-6 महीने तक इन्होंने असेम्बली का सेशन नहीं बुलाया। मीटिंग काल नहीं की। कांस्टीट्यूशनली प्राविजन है इसलिए असेम्बली की एक दिन पहले मीटिंग काल करेंगे। एक दिन पहले सेशन को काल करेंगे और दूसरे तरफ मेरे जैसे तुच्छ विधायक यहां पर, सदन में अपने विचार रखें, अपनी राजस्थान की जनता के दुख-दर्द को यहाँ पर रखें, उसको विचार व्यक्त नहीं करने दें। आप चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं, आज जल्दी से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जिन कारणों से आपने यह आर्डिनेन्स निकाला है, वे कारण आज एग्जीस्टेंन्स में नहीं हैं। इसलिए मेरा यह परिनियत संकल्प है कि इस आर्डिनेन्स को खारिज किया जाए और सरकार को सबक सिखाया जाए। आपके सामने इसका उदाहरण है। श्री मधु लिमये का उदाहरण आपके सामने है। वे जनता पार्टी के महामंत्री हैं। उन्होंने पार्लियामेन्ट में बगावत की। बगावत की आवाज उठाकर उस बिल को वापस लेने के लिए मोरारजी देसाई जैसे स्ट्रांग आदमी को बाध्य कर दिया। हमारे जो माननीय मंत्री है वे इसके विरुद्ध नहीं हैं। आप दबाव डालिए इसको वापस लेने के लिए।

श्री सभापति : श्री मथुरा दास माथुर !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन !

(श्री सभापति)
(अनुपस्थित)

श्री प्रभारी मंत्री ।

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, जनता सरकार जब से शासन में आई है तब से एक अभिलाषा और आकांक्षा यही रही है कि प्रदेश में, देश में प्रजातन्त्र को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। प्रजातन्त्र का मूल्य बढ़ाया जाए और जितना अधिक व्यापक जनतन्त्र को बनाया जा सके, बनाया जाए। इस संदर्भ में जब जनता सरकार गठित हुई तो उसके बाद पहला कदम यह उठाय कि तेरह वर्ष से जो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे···

श्री मूलचन्द डागा : इसकी कहां रिलेवेन्सी है·····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I am trying to pay him in the same coin.

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : Reference can be given. यह रेफरेन्स है।

श्री ईश्वर चन्द्र : पंचायतों का उदाहरण दिया तो इसमें कौन सी इर्रेलेवेन्सी है ?

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री। No interruption, please.

श्री भंवर लाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंचायतों के चुनाव तेरह वर्ष से नहीं हुये थे। इनके चुनाव कराये गये। मतलब यह है कि हमने मतदाताओं को मत देने का अधिकार दिलाया। इसके बाद नगरपालिकाओं के चुनाव सामने हैं। जनता सरकार की इच्छा है कि यह अधिकार अब जल्दी से जल्दी जनता को दिया जाए। इसको व्यापक बनाने के लिये अब तक जो आयु की अवधि है केवल 21 वर्ष का ही मतदाता हो सकता है, उसको और घटाकर जो 18 साल का नौजवान है उसको यह अधिकार दिया जाय जिससे हमारे प्रजातन्त्र की जड़े मजबूत हों। हमारा नागरिक 18 साल की आयु से प्रजातन्त्र में भाग ले, चुनाव में भाग ले, समझे और आगे आवे। मैं पहले समझता था कि जो हमारे कांग्रेस के बन्धु हैं, जो विरोधी दल के सदस्य है वे प्रजातन्त्र को पसंद नहीं करते हैं······

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं कांग्रेसी नहीं हूं।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें प्रजातन्त्र की बात कौन सी है ? यह तो भाषण दे रहे हैं। उत्तर नहीं है। जो पाइंट उठाये हैं उनका उत्तर दें। समय क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय डागा जी, आपकी जो व्यग्रता है उसको हम समझ रहे हैं। आपके दर्द को मैं समझ रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सीधा जवाब दें। जनता के दर्द को समझिये। बात कर रहे हैं। उत्तर दीजिये। प्रश्न उठाते हैं उनका कोई उत्तर नहीं मिलता है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास में इनके दर्द की दवा नहीं है। His disease

(श्री परसराम मदेरणा)
is incurable and it has gone very deep.

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके दिल का दर्द यही है कि 18 साल का वोटर हो जाएगा....

श्री मूलचन्द डागा : हमने इसको अपोज नहीं किया है। We have not opposed this point. You are speaking unnecessarily.

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। इनकी सरकार थी तब मैंने यह सुझाव दिया था कि मतदाता की आयु 18 साल कर दी जाए। तो कांग्रेस वालों ने हल्ला करके बिठा दिया था।

श्री मूलचन्द डागा : आज की बात कीजिए।

श्री भंवर लाल शर्मा : सभापति महोदय, अगर इस प्रकार से व्यवधान डालते रहेंगे तो मेरे लिये बड़ा कठिन हो जाएगा जवाब देना....

श्री मूलचन्द डागा : गलत बात कहेंगे तो मैं बार बार कहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो पाली से आए हैं, ने यह पाइंट रेज नहीं किया है।

श्री मदनसिंह दांता : दूसरे माननीय सदस्य ने किया है।

श्री मूलचन्द डागा : किसी ने पेश नहीं किया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह कहा है कि 18 साल वाले को वोट देने का राइट देकर जनता सरकार ने अच्छा काम किया है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति जी, 18 साल की आयु वाला व्यक्ति जब वोट देगा, जिसने अभी दो साल पहले इनके प्रजातन्त्र को देखा है, वह कभी भी इनको वोट नहीं देगा। इसलिये आपके दुख-दर्द को मैं समझता हूं। प्रत्यक्ष रूप से तो ये इसका विरोध नहीं कर रहे हैं परन्तु ये मन ही मन इसको समझ रहे हैं कि ये 18 वर्ष की आयु वाले इनको वोट देने वाले नहीं हैं। आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिये हमको कुछ भी करना पड़ेगा वह करेंगे। जो संशोधन आपको प्रस्तुत किया गया है, आपने उस समय कहा, इसे नहीं देखा। इसमें स्पष्ट है और हमारी भी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करावें। जल्दी कराना है तो प्रक्रिया को कम करना होगा। अध्यादेश का मतलब जल्दी कराना है। 18 साल की आयु करने में विधान सभा के सेशन का इन्तजार करते तो समय अधिक लग सकता था।

हमारी इच्छा यह है कि जनता का अधिकार है, प्रजातंत्र का अधिकार है वह मिले, इस भावना से इसको अध्यादेश के द्वारा पुरस्थापित किया। अब जो यह बिल आ रहा है इसका आपने यह कह कर विरोध किया कि जो रूल्स बनेंगे....

श्री मूलचन्द डागा : बिल तो अभी आयेगा, भाई। मेहरबानी करके थोड़ी ट्रेनिंग लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : रूल्स के लिये यह प्रावधान था, रूल्स लागू कब होंगे ? गजट में छपने के एक माह बाद। सरकार को एक माह का इन्तजार तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं जिनमें समय दिया जा सकता है कि यह नियम फलां तारीख को लागू होगा। आपने जो विरोध किया वह मान्य नहीं है। इसलिये माननीय सभापति महोदय, इनके संकल्प को ड्राप किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1978 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति जी, इन्होंने यह क्रान्तिकारी कदम उठाया होता कि 18 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है तो मैं स्वागत करता। आपने एक तरफ इमर्जेन्सी बताई थी दूसरी तरफ आपने चुनाव आगे कर दिये। मैंने यह कहा कि आपके जो वार्ड्स बनाये जाते हैं वे गजट में साया होते हैं और गजट नगरपालिकाओं में 10-15 दिन बाद पहुँचते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है...

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं, श्रीमान्।

श्री सभापति : जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं उनके नाम बताता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कह रहा था, मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, आप वार्ड्स में अमेन्डमेंट करने के लिये नगरपालिका को 10–15 दिन का समय देना चाहते हैं। मैंने कहा था कि उस पर आब्जेक्शन करने के लिये आपने 30 दिन के बजाय 21 दिन कर दिये। गजट में साया होने के बाद, नगरपालिकाओं में गजट 10–15 दिन बाद पहुंचता है तो 15 दिन का और समय दिया जाय ताकि लोग आपति पेश कर सकें।

दूसरी बात मैंने अर्ज की थी, आपने रूल्स के लिये यह प्रावधान कर दिया कि जो रूल्स गजट में पब्लिश होंगे वे फौरन लागू हो जायेंगे। पहले यह प्रावधान था कि जो रूल्स होंगे वे गजट में पब्लिश होने के एक महीने बाद लागू होंगे। आपने उत्तर दिया कि लिख देंगे कि उस तारीख को लागू होंगे। मैं कहता हूं कि इसमें आपने कौन सा क्रान्तिकारी कदम उठाया ?

दूसरी बात मैंने कही कि जब नगरपालिकाओं में डी-लिमिटेशन होती है उस समय कई केसेज हाई कोर्ट में जाते हैं। आप पूरा समय नहीं देंगे तो आपत्तियां रह जाएंगी।

आप कहते हैं कि इलेक्शन डायरेक्ट हो तो मैं मानता। आप कहते हैं कि प्रशासक

(श्री मूलचन्द डागा)
नहीं लगाया जाय तो मैं मानता। मेरी आपसे विनम्रतापूर्वक अर्ज है आप इन मुद्दों का उत्तर दीजिये। हम तो कहते हैं कि आप ये लाये क्यों हो?

श्री श्योपत सिंह मकासर: माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 18 साल की उम्र करके क्रान्तिकारी कदम उठाया। दूसरा मेरा एतराज है कि पहले दो महीने का पीरियड था उसको एक महीना कर दिया। मैं कहता हूं, अमेन्डमेन्ट लाइये 3 महीने का ताकि जो डिफेक्टिव कानून कायदे हैं, जो कमियां रह गई हैं वे आप दूर कर सकें। मैं मिसाल के तौर पर बीकानेर का सवाल लेता हूं। कल भी माइनॉरिटीज क्लासेज के लोग आये, आपके पास रेमेडी क्या है? ऐसी क्लासेज को अगर आप 3 महीने का टाइम नहीं देंगे तो उनकी ग्रिवान्सेज को कैसे दूर कर सकेंगे? माइनॉरिटीज के दिमाग में एक अननेसेसरिली बात रह जाती है। आखिर कानून लोगों के लिये ही तो। हमको एतराज नहीं है कि 2-3 महीने ले लें, 4 महीने बाद चुनाव करायें मगर सारे लूपहोल्स निकाल दीजिये।

दूसरी बात यह है कि कहीं एक वार्ड 700 का है, कहीं 2100 का। यह एक जगह की बात नहीं है। बहुत सी जगहों पर आपने जो वार्ड्स बनाये हैं वहां इतना डिस्क्रिमिनेशन रह गया है। मेरा तो एलीगेशन है कि सेठों का वार्ड छोटा है और गरीबों का वार्ड बड़ा है। हनुमानगढ़ के वार्ड मैं जानता हूं जहां जो चैयरमैन बनने के उम्मीदवार हैं उनके वार्ड को छोटा रखा और जहां गरीब ज्यादा रहते हैं वहां अन्तर रहता है 2100 का। तो यह सारी ग्रिवान्सेज हाई कोर्ट में जाएगी इसको आप रियलाइज नहीं करते।

फिर तीसरी बात यह है कि पिलानी म्यूनिसिपैलिटी किसी की जागीर है क्या? आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, यह कोई बिड़ला की जागीर है? आपको धन बख्शा या धरती बख्शी जो आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? अगर आप नहीं करेंगे तो आपके और कांग्रेस के शासन में क्या फर्क हुआ? Let the people realise कि यह हमारी सरकार है हमारी बात सुनती है कांग्रेस सरकार हमारी बात नहीं सुनती थी। लोगों में यह भावना को पैदा करनी पड़ेगी वरना अगर हम उस रास्ते से नहीं हटेंगे लोगों के नजदीक नहीं जायेंगे तो लोग भाग जायेंगे। इसलिए, सभापति जी, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमने तय कर दिया कि नवम्बर में नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं किन्तु टाइम दिया जाए ताकि सारी समस्यायें हल कर सकें। मौका दें और जिन अधिकारियों ने वार्ड्स बनायें, भूल से बनाये उनका एक्सप्लेनेशन काल किया जाए। आखिरकार उसका आधार क्या है?

श्री सभापति: कई बातों का रिपीटीशन हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: मैं अपने पाइन्ट्स प्रेस कर रहा हूं।

जो गलत बात हो रही है उसको नहीं होने दें। यह किसी लेमेन ने नहीं बनाया है। वार्ड्स में 725 का फर्क है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? यह कान्सप्रेसी है। इस लिए एक जैसे वार्ड्स होने चाहिए। 100,

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

200 का फर्क रह सकता है अगर किसी गली को बीच में से काटा। मगर टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स तक फर्क हो जाए यह इनजस्टिस है। कोई भी कानून बनायें, अगर आपका कानून राहत नहीं देगा, लोगों की परेशानियां दूर नहीं करेगा तो आपका कानून किसी काम का नहीं चाहे कितनी ही उम्र कम करें। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सोचें और कम से कम तीन महीने रख दें ताकि सारे आब्जेक्शन्स आ जायं, वार्ड्स का रीकान्स्टीट्यूशन करना चाहिए इससे लोगों को जस्टिस मिलेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : श्रीमान्, इस राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) बिल, 1978 के अन्दर धारा 22 व 22 ए लगाकर कुछ पेनल प्रोविजन्स जोड़ दिये गये हैं:

"After section 21 of the principal Act, the following sections 22 and 22 A shall be inserted, namely:—

"22. Making false declaration.— If any person makes in connection with—

(a) the preparation, revision or correction of an electoral roll, or

(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both."

यह जो इन्सर्शन कानून में किया गया है, मैं इसके इन्टेन्शन को चैलेंज नहीं करता कि हमारे यहां जो इलेक्टोरल परोल्स है उनमें 25 पर्सेन्ट ऐसे नाम लिखे होते है जो व्यक्ति मर गये हैं या जो वोट देने के काबिल कानून में नहीं हैं या और किसी कारण से नाम दिखा दिये गये हैं, लेकिन मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे कि जिस राज्य में इल्लीट्रेसी, अशिक्षा इतनी अधिक हो, राजस्थान का भारत की लिस्ट में नम्बर दूसरा या तीसरा है। जहां वोटर्स अशिक्षित हों और जहां वोटर को कानून की जानकारी नहीं हो वहां वह अगर डिक्लेरेशन पर साइन कर देता है और अपना नाम लिस्ट में लिखवाता है या कटवाता है तो ऐसे पेनल प्रोविजन्स रखना, जो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट में नहीं हैं ...

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बार और देख लीजिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : ऐसी व्यवस्था रखना न्यायोचित नहीं है। आगामी 10 साल में हम ऐसा कानून बनायें तो वह उपयुक्त हो सकता है। आज की परिस्थितियों में इस प्रकार का पेनल प्रोविजन रखने का एक ही इन्फरेंस होगा कि जो मतदाता हैं उनमें मानसिक तनाव व भय रहेगा कि वह बोनाफाइडी भी किसी व्यक्ति के नाम के कटवाने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। पता नहीं गलती से नाम कटवा दिया तो एक साल जेल में जाना पड़ेगा। तो, मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि गरीब भोले भाले अशिक्षित जो अधिकांश मतदाता हैं उन पर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

ऐसी मानसिक विपदा न डालें कि वे ऐसा कार्य करने में पीछे रहें कम से कम इस सैक्शन को वापस लेने में मंत्री महोदय को एतराज नहीं होना चाहिए।

दूसरा है सैक्शन 22 ए :

"Breach of official duty in connection with the preparation etc of electoral rolls.-(1) if any Electoral Registration Officer or other person required by or under this Act to perform any official duty in connection with the preparation, revision or correction or exclusion of an electoral roll or the inclusion of any entry in or from that roll, is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall be punishable with fine which" may extend to five hundred rupees.

मेरे ख्याल से यह प्रावधान भी रखना उस मास्टर के खिलाफ है जिस मास्टर को चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, कम समय में अधिक काम करना पड़ता है, एक एक घर जाना पड़ता है। कभी घर मुखिया न होने से उनको आस पास से पूछकर नाम एन्टर करने पड़ते हैं। कोई बोनाफाइडी मिस्टेक करे तो भी उस पर 500 रुपये तक फाइन करेंगे ? एक तरफ वे मांग करते हैं कि हमारी ड्यूटी में यह शामिल नहीं है, इलेक्टोरल रोल्स में हमारी सेवाओं को नहीं लेना चाहिए, दूसरी तरफ जो अध्यापक हमारा कार्य कर रहे हैं उनके लिये 500) रुपये फाइन का प्रावधान रखना अन्याय होगा। यह मेला फाइडी भी हो सकता है कि कुछ अधिकारी या कर्मचारी मिलकर किसी व्यक्ति का जान बूझकर नाम काट दें। परन्तु इलेक्टोरल रोल में अधिकांश गलतियां जो कर्मचारीगण होते हैं उनकी भूल से होती है या जनता द्वारा सहयोग न देने से होती है, या समय कम होने से होती हैं। इस पर 500) रु. फाइन उचित नहीं है। अगर कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन विवेकपूर्ण नहीं कर रहा है, बोनाफाइडी नहीं कर रहा है तो अभी जो सेवा नियम है उनके तहत आप उनको दंडित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध जांच कर सकते हैं . . .

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तो ये जो 22 व 22 ए नई धाराएं इन्सर्ट की जा रही हैं पहली बार, इन पर पुनर्विचार करें, जल्दबाजी में ऐसा कार्य न करें कि गरीब कर्मचारी या मतदाता को बोनाफाइडी गलती के लिए दंडित करें। राजनीति एक ऐसा खेल है कि राजनैतिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए या और किसी कारण से लोगों को तंग कर सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा न हो। मैं समझता हूं, सरकार को अपनी ओर से सैक्शन 22 व 22 ए वापस लेने चाहिए। 18 साल की उम्र का जो प्रावधान है, वह मोस्ट वेलकम है। हमने 18 साल के युवकों को वोट देने का अधिकार दिया है।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय।

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग पर बोल लीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : मैंने पिछले सैशन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि

(श्री अब्दुल अजीज)
नगरपालिकाओं के वार्डों में अनियमितताएं हुई हैं और नगरवासियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि गलतियों को सुधारा जाय। एक वार्ड 700 वोटर्स का और एक वार्ड दो हजार का या 1900 सौ का, यह केवल राजनैतिक आधार पर किसी दल विशेष को हावी करने के लिये किया है। यह गलती हो गई है इसको सुधारना चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब मकराना पधारे थे उस समय भी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि इसको सुधारा जाय।

इसके अलावा इसमें जो 21 वर्ष वाली बात है it should be circulated for three months. आपको कुछ कहने का मौका नहीं रहे। हमारे यहां तो बड़ी अजीब बात है कि जिलाधीश नागौर और एग्जीक्यूटिव आफिसर ने भी राज्य सरकार को सलाह दी है कि वार्डों को सही कर लीजिये। लॉ मिनिस्टर, जो चुनाव मन्त्रीजी भी हैं, ने यहां तक कहा है कि मेरा गला घुट रहा है मैं आपको क्या कहूं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से दरख्वास्त करता हूं कि इस अनियमितता को सुधारें। कल आपके बारे में हाई कोर्ट का रिजल्ट आये तब तक तो आप सुधार लें तो निहायत ठीक रहेगा। आब्जेक्शन के लिये 21 दिन के बजाय मैं तीन महीने रखने की दरख्वास्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मन्त्रीजी !

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय रामकृष्ण दास जी ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं। प्रश्न यह है कि नगरपालिकाओं की जो मतदाता सूची राजस्थान की अब तक है वह विधान सभा की मानते हैं, उससे अब तक काम होता था। इसमें हमने 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया इसलिए अब हम इस सूची को नहीं मानते और हमको एक अलग सूची बनानी पड़ेगी। इसके लिए रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल एक्ट के प्रावधान को इस एक्ट में लिया है। उसमें व्यवस्था है कि जान बूझकर अगर प्रविष्टि गलत की हो या काट दें तो वह दण्ड का भागी है, यह इसमें नया जोड़ा हुआ नहीं है, उस एक्ट के तहत यह सैक्शन है और गलत काम करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। उसको हम इसमें नहीं लेंगे तो, उसको इसमें तो नहीं मान सकते। इसलिए इस एक्ट में उस प्रावधान को जोड़ा है। रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट के सैक्शन को इसमें जोड़ लेते हैं तो फिर कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। उसके सैक्शन 22 और 23 को हमने 31 और 32 यों का यों लिया है, उसको रिप्रोड्यूस किया है।

समय घटाने की बात कही है। सैक्शन 297 का सब सैक्शन (4) है वह कहता है कि–

"All rules made by the State Government under this Act shall be published in the official Gazette and such rules shall have the force of law after one month from the date of such publication."

फिर सैक्शन 6 का एप्लीकेशन आयेगा उसमें लिखा है––

"Not less than two months before the issue of any notification

(श्री भंवरलाल शर्मा)

under section 4 the State Government shall cause to be published in the Official Gazette, and to be pasted in conspicuous spots or proclaimed by beat of drum in the area concerned, a proclamation.

दो महीने तक इन्तजार करना पड़ेगा।

announcing that it is proposed to constitue such local area to be a municipality.."

ड्रम बजाकर भी घोषणा करेगी कि यह परिवर्तन कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह होता नहीं है प्रैक्टिकल में।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब तक नहीं होता था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सात सौ और दो हजार का फर्क है तो इनके ग्रिवेन्सेज को दूर क्यों नहीं करना चाहते हैं, इनको आप क्या रिलीफ देंगे ? आप चुनाव नहीं करवायें तो आपको तकलीफ क्या होती है ?

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मन्त्रीजी !

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें जो प्रक्रिया है उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, फिर हम अलग से भी विचार कर सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कानून दा नहीं हूं, इसलिये एक सवाल पूछ रहा हूं, पीरियड 21 दिन का खतम हो गया तो आप रिलीफ कौन से कानून के तहत देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी किसी दिक्कत या कठिनाई के लिये कानून में परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसकी पालना ठीक तरह से होती है तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले करो और बाद में · ·

श्री भंवरलाल शर्मा : पंचायत एक्ट के रूल्स छपते ही इफेक्ट में आ जाते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मेरे गांव लोसल में ढाणियां हैं, दो झोंपड़े हैं वहां नगरपालिका है · · ·

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें जो माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदासजी ने आपत्ति की है · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने पाइन्ट रेज किया है। अब माननीय मन्त्री महोदय को सुन लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी कठिनाई हो सकती है उसके लिए कानून में तो परिवर्तन नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु संशोधन किया है मैं उनके नाम पुकारूंगा · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी ने नहीं किया है।

श्री सभापति : नाम तो बोलने पड़ेंगे।

(श्री सभापति)

माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री उगमराज मेहता।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं है।

श्री सभापति : प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु माननीय श्री हरिकृष्ण।

(अनुपस्थित)

दोनों प्रस्तावों के मूवर नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लेने हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात का पता लगाया जाये कि यह जानबूझ कर ना करते हैं या यों ही आदत होने से निकल जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : हम जान बूझकर ना करते हैं। सोच समझकर ना करते हैं। आप जो करते हैं, वह हमें मालूम है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978।

माननीय श्री डागा जी।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय, "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जून, 1978 और 10 जुलाई, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 1978 क्रमशः (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1978) और (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

(श्री मूलचन्द डागा)
श्रीमन, एक बात कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

सवाल इसमें एक है । अगर कोई अध्यापक.....

श्री सभापति : इसमें पहला नाम राम कृष्णदास गुप्ता का था ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, सवाल यह है कि जो अध्यापक 16 साल से काम कर रहा है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं इनके बाद में बोल लूंगा । मुझे बोलना है ।

श्री मूलचद डागा : एक टीचर 16 साल तक सर्विस करे । गोल्ड मेडिलिस्ट है, फर्स्ट क्लास, सारा कैरियर रहा है, बी. ए. फर्स्ट क्लास एम. ए. फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है । आपने इस प्रकार का आर्डिनेन्स निकाल कर कहा कि 'Relevant Law' means the Rajasthan Universities Teachers and officers (Special conditions of Service) Act, 1974...

1974 में जो तरीका था, उस पर टीचर्स को लिया जाये । आपने क्या रीजन्स लिखे हैं ।

"But for one reason or the other, regular selection committees in the Universities could not meet to hold regular selection before and after the commencement of the Act."

किस ने मना किया है । एक्ट है, एक्ट में प्रावधान है, तरीका है फिर भी आप रीजन्स दे रहे है । "for one reason or the other."

हम उसको नहीं कर सके हैं इसलिए हम एक नया काम कर देते हैं । नया आर्डिनेन्स ले आते हैं । यह कोई रीजन्स नहीं है । आप रीजन्स देते हैं ।

"... regular selection committees in the Universities could not meet to hold regular selections before and after the commencement of the Act. Therefore, temporary appointments against such vacant posts were made by the Universities. Such appointments have been continuing in some cases for the last ten years."

May be for 18 years मैं तो कहता हूं sixteen years. last eighteen years.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Last 30 years.

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, पहला मेरा यह एतराज है कि आपका एक्ट बना हुआ है । मैंने आपको पहले भी यह बात कही थी । आज भी मैं कहना चाहता हूं, आप राजनैतिक कार्यकर्ता विश्वविद्यालयों और कार्यालयों में घुसाना चाहते हैं । मैंने आपको कहा है, हाउसिंग बोर्ड में आप नोमीनेट करना चाहते हैं । नगर सुधार न्यास में नोमीनेट करना चाहते हैं । आप पर्टीक्यूलर

(श्री मूलचन्द डागा)

एक घटक को पनपा रहे हैं। आपने टीचर्स के मामले में क्या किया आपने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई कौन बैठेगा। शिक्षा मंत्रीजी ने कर दिया तीनों वाईस चांसलर उसके मैम्बर होंगे। उन्होंने स्कीम बनाई है, यह उचित नहीं है। मेरी बात भले ही सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं की जाय, मैं सोच लूंगा कि मैंने अपनी बात कह दी है। वाइस चांसलर, हैड ग्राफ डिपार्टमेंट, ग्रौर डीन ग्राफ फैकल्टी। पहले दो ग्रादमी ग्राते थे तब स्क्रीनिंग कमेटी होती थी। वह संशोधन इण्ट्रोड्यूस करने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी होगी वह स्क्रीनिंग कमेटी क्या काम करेंगी। वह यह करेंगी—

"All temporary lecturers as were appointed as such on or before the 25th day of June, 1975···"

ग्रब 1975 के पहले का है मैंने ग्राप के सामने जिसका नाम सी. पी. त्रिवेदी, उसने 16 साल तक काम किया। इसको न चार्ज-शीट दी न वार्निंग, जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्राया ग्रापने उसको हटा दिया। 16 साल का उसका केरियर है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेण्ट है। No. He should not be turned out.

यह राजस्थान सरकार घटकवाद से पीड़ित है। राजनैतिकों को लाने वाली सरकार होकर विश्वविद्यालयों के ग्रन्दर स्क्रीनिंग कमेटी बना रही है। ग्राडिनेंस पेश कर रहे हैं। बड़े जोर शोर से लाखों रुपये प्रशासन पर खर्च करते हैं। एक ग्रादमी डा. सुराना 5 साल से हैं। एस. पी. जैन, एम. ए., एल एल. एम. हैं।

(व्यवधान)

माफ कीजिए। ग्रापको यह ग्रादत है। ग्रापको पॉइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर रेज करना ग्राता ही नहीं है।

श्री माणकचंद सुराना : सभापति महोदय, माननीय डागा साहब बोलते हैं ग्रौर बार-बार ट्रेजरी बैंचेज की ग्रोर हाथ जोड़ते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने देखा है, ग्रापके नेता महोदय भी हाथ जोड़ते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डागा जी ने हाथ जोड़े हैं।

श्री मूलचन्द डागा : स्क्रीनिंग कमेटी ने ग्रापके एक्ट के खिलाफ भी कर दिया तो उसकी कोई ग्रपील नहीं है।

एक माननीय सदस्य : संशोधन कर दिया है। ग्रभी ग्रा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रब ग्राप बताइये। एट दी इलेवन्थ ग्रावर ग्रापका संशोधन ग्राता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : क्या ग्रमेण्डमेण्ट ग्रा गया है ?

श्री सभापति : ग्रमेण्डमेण्ट ग्रा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : ग्राने दीजिए। क्वेश्चन यह था कि इन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई...

(व्यवधान)

(श्री मूलचन्द डागा)

यार, मुझे बोलने तो दो।

श्री नवनीत पालीवाल : डागा साहब, यार यार कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कारण तो लिखे हुए हैं, रेगुलेशन में लिखे हैं। एक्ट में लिखे हैं। तीन जगह तीन तरह की बनाकर सारे टीचर्स, जो 1975 के पहले के थे, के लिए आपने यह अमेण्डमेन्ड लाकर रख दिया है। हमको भी अमेण्डमेण्ट पेश करने का अधिकार है लेकिन यह जो अमेण्डमेण्ट आया है उसको स्पीकर साहब ने अभी अलाउ कर दिया है तो ठीक है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या क्राइटेरिया था, क्या क्राइटेरिया फिक्स किया था? कौन सा क्राइटेरिया था कि जिसके आधार पर टीचर्स लिए जायेंगे? इतने साल की सर्विस होगी, उनका यह रिकार्ड होगा और उसके इतने मार्क्स होंगे, इन्टरव्यू के इतने मार्क्स होंगे, प्रीवियस एक्सपीरियन्स के इतने मार्क्स होंगे? कोई क्राइटेरिया नहीं है आपका दिया हुआ एक आदमी एक्सपर्ट बैठ गया। आपके एक्ट में अलग रख दिया और आधारों को अलग रख दिया, आपने अपने आदमियों को चुन लिया और दूसरों के लिए कह दिया है कि तुम्हारी सर्विसेज खतम की जाती हैं और तुम सड़क पर जाओ। वह हाईकोर्ट में गए तो मालूम हुआ कि हम कानून ही ऐसा बनाते हैं। श्रीमान्, मैं उस अमेन्डमेन्ट को देखता हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि 'सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाये तो भूला नहीं कहलाता'। अगर अमेन्डमेन्ट अभी सब्यूलेट हो गया है तो मैं अभी आपके सामने निवेदन करूंगा। मैं तो कहता हूं कि आप जो अमेन्डमेन्ट लेकर आये हैं वह ठीक लेकर नहीं आये हैं। आपने नई स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं और इसको इजीली चैलेन्ज किया जा सकता है। आप इस प्रकार के आर्डिनेन्सेज ले आते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जून, 1978 और 10 जुलाई, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 1978 क्रमशः (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1978) और (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

सभापति महोदय, जब मैंने संकल्प दिया था तो जिस बात का अभाव अनुभव हुआ था वह अभी मंत्री जी की ओर से अमेन्डमेंट आ चुका है। मैं अपनी ओर से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक अत्याचार जो कि कांग्रेस शासन में हो रहा था यूनिवर्सिटीज के अन्दर उसको इन्होंने ठीक किया है।

श्री मदनसिंह दांता : और दस मिनट पहले अत्याचार नहीं हो रहा था।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। हालांकि जो मैं अभी कहना चाहता हूं वह इसमें रेलेवेन्ट नहीं है। कालेज के जो लेक्चरार्स 2700 की संख्या में हैं उनमें से करीब 500 लेक्चरार्स टेम्प्रेरी तौर पर काम कर रहे हैं और 200 के करीब आपके पास

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

अभी वैकेन्सीज हैं। तो 500 लेक्चरार्स जो काम कर रहे हैं उन्होंने पांच साल, सात साल और आठ-आठ साल सेवा के निकाले हैं और 1972–73 से उनकी सीनियारिटी फिक्स करने के लिये पी. एस. सी. नहीं बैठ रही है। उन्होंने पोस्टों का एडवर्टाइजमेंट इसलिये नहीं किया, कि यू. जी. सी. की तरफ से पे स्केल आ रही थी। उसको मद्देनजर रखते हुए इनको परमानेन्ट नहीं किया और आज भी 25 पर्सेन्ट से अधिक जो लेक्चरार्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट कालेजेज में वह अस्थाई हैं। आज वह ओवरऐज हो गये हैं उनको नोटिसेज दिये गये हैं कि 15 नवम्बर से उनको सेवा से बाहर निकाल दिया जायगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, यूनीवर्सिटी के टेम्प्ररी लेक्चरार्स की समस्या थी, मिसेज सी.पी. सिंह की और ऐसे ही दूसरों को बाहर निकाला जा रहा है, उसी के आधार पर मैं यह चाहूंगा अपनी सरकार से कि जो टेम्प्रेरी लेक्चरार्स काम कर रहे हैं उनकी सेवाओं को स्थाई किया जाय ताकि जो एक अन्याय अब तक विश्वविद्यालय में होता आ रहा था वह नहीं हो। एक लेक्चरार अपनी तमाम जिन्दगी में हजारों स्टुडेन्ट्स निकालता है। मैं चाहूंगा कि आप अपने इस बिल के विचार-विमर्श के समय में अपने श्रीमुख से कुछ घोषणा करें, उन 500 अस्थाई लेक्चरार्स को स्थाई कर दें तो उनका बड़ा भला होगा यह मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मथुरादास माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। कई वर्षों से विश्वविद्यालय में इस प्रकार के प्राध्यापक काम कर रहे थे जो कि टेम्प्रेरी थे और उनका सलेक्शन नहीं हुआ था उस विचार से यह अध्यादेश लाये थे। इसमें माननीय सदस्यों की शिकायत थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सलेक्शन में नहीं आ सके और रह गये उनके लिये मैंने अब संशोधन पेश कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : 1974 का एक्ट था तो उसको काम में क्यों नहीं लिया और नया क्यों बनाया? यह बताइये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा रखा गया है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय, विचारार्थ प्रस्तुत करें।

विधेयक पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अब तक जो कालेज के अस्थायी प्राध्यापक चल रहे थे उनको आपने स्थायी कर दिया। जो लेकूना रह गया था और जो लोग रह गये थे जोधपुर यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में उनको आपने फिर दुबारा मौका दिया है, यह बहुत अच्छी बात है। यही डेमोक्रेटिक वे हैं और इसी पर हमको चलना चाहिए।

अभी मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूं जो कि रेलेवेन्ट तो नहीं है मगर जब यूनिवर्सिटीज के टीचर्स का कर दिया है तो आपके महाविद्यालयों में 500 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि लगातार पिछले पांच साल, सात साल से टेम्प्रेरी वेसिस पर चल रहे हैं। पिछली सरकार ने यह जरूरी नहीं समझा कि उनको स्थायी किया जाय। अभी यू.जी.सी. ने एक ग्रेड बना कर दे दी और कह दिया कि जब स्थायी किया जाये तो इस क्वालिफिकेशन के आधार पर ग्रेड दी जाये। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस से क्या होने वाला है, जो ओवर ऐज हो जायेंगे, वह कहां जायेंगे वह किसी लायक नहीं रहेंगे। एक टीचर ने जिस स्टूडेन्ट को पढ़ाया, कालेज से वह स्टूडेन्ट आ जायेगा उच्च डिग्री प्राप्त करके जो कि यू.जी.सी. ने तय की है। जिस प्रोफेसर ने उसको पढ़ाया है उस प्रोफेसर को निकाल दिया जायेगा और जो स्टूडेन्ट उसी से पढ़ कर और एम.ए. करके आयेगा उसको रख लिया जायेगा। वह पढ़ाने वाला प्रोफेसर तो ओवर ऐज हो जायेगा। ओवर ऐज होने के कारण क्या वह कहीं गाड़ी के नीचे नहीं आ जाये और उनके एक्सपीरयेन्स का फायदा हमको नहीं मिले तो मेरा निवेदन है कि प्राध्यापकों, जो कि गवर्नमेंट कालेजेज के हैं, को भी स्थाई कर दिया गया तो वह बहुत बड़ा कार्य होगा। इससे सारे इन्टलेक्चुअल में और स्कूल और कालेजेज में आपकी सराहना की जायेगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक मिनट।

श्री सभापति : आपने तो विथड्रा किया था।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मंत्री के समक्ष एक नीति विषयक बात रखी है कि हर विभाग के अन्दर अस्थाई अपाइंटमेंट और एडहाक अपाइन्टमेंट 8-8, 12-12 साल तक चलते रहते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी नीति बनाई जाये कि जितनी रिक्वायरमेंट हैं उन पदों पर समय आने से पहले ही रिक्रूट कर लिया जाये और किसी व्यक्ति का एडहॉक अपाइन्टमेंट नहीं किया जाये। टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट नहीं होने चाहिये। इन्जीनियरस हैं, डाक्टर हैं, उनको पांच-पांच, छः-छः साल तक अपाइन्टमेंट नहीं मिलता है। It is painful. हमारी सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि किसी भी विभाग के अन्दर टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट, जहां तक सम्भव हो, नहीं किया जायेगा। जैसे कालेज एजूकेशन में 2700 लैक्चरर्स के स्थान हैं वहां 700 पोस्टें अस्थाई हैं।25 प्रतिशत से अधिक अस्थाई व्यक्ति काम कर रहे हैं। श्रीमान्, सब विभागों में हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे डाक्टर्स का हो, चाहे लेक्चरर्स का। टेम्प्रेरी न की जाकर स्थाई की जाये।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा प्रस्ताव जनमत जानने हेतु परिचालित करने का है ।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : मैं तो अर्ज करना चाहता हूं पिछले सत्र में जब स्क्रीनिंग कमेटी बनाने की बात थी उस बात के लिये महसूस किया जा रहा था कि आपकी नीति सही नहीं है । स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी आप देखेंगे, 6 आदमी हैं जिनमें अमर सिंह भी है उसको आखिर हाईकोर्ट में रिट करनी पड़ी । यह मैं मानता हूं अपनी गलती को कबूल करना कोई गुनाह नहीं है । कितनी तकलीफ हुई उनको । कितना नुकसान हुआ होगा उनको, उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा । इस प्रकार की आपकी राजनैतिक छाप अच्छी नहीं लगती । इस तरह इलेक्टेड बाडी की स्क्रीनिंग कमेटी, तथा अध्यापकों के लिए एजेन्सी की बात कहते हैं यह उन सबके लिये एक बदनुमा धब्बा छोड़ा है । इसलिये जो कुछ अमेंडमेंट लायें उसका मैं स्वागत करता हूं । उन अधिकारियों को फिर से हकूक मिलेंगे, 5 या 6 हैं उन सबको सेवा में लीजिये । स्टेन्डिंग कमेटी के अधिकार अपने हाथ में लेने की चेष्टा न कीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने जो अमेंडमेंट दिया है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं । मैं यह चाहता हूं कि इस आशय की सूचना गजट में प्रकाशित हो उसके प्रकाशित होने के बाद केवल 30 दिन में कुलपति को अपील कर सकेगा । सभापति महोदय.....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : गजट में आया होने के बाद ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि अपील का प्रोवीजन रखा जाय । यह जो लोग बैठेंगे उनको अपाइन्ट कौन करेगा ।

एक माननीय सदस्य : आपने पूरा पढ़ा?

श्री मूलचन्द डागा : आप थोड़ा सा सुनिये । आपका जो एक्ट है ..

श्री सभापति : बोलने दीजिये कृपया ।

श्री मूलचन्द डागा : स्क्रीनिंग कमेटी की अपील कौन सुनेगा ? आप एक्ट को देखिये । वाइस चांसलर के कारण लोग काफी एग्रीव्ड हैं, जब तक इंडिपेंडेंट लोगों को अपाइन्ट नहीं करेंगे....

एक माननीय सदस्य : चांसलर का है ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी बात को एग्री करें न करें । सुन तो लें । सुनने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री माणकचन्द सुराणा : चांसलर से मतलब वाइस चांसलर नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : करता कौन है । आपका कुलपति केवल दस्तखत करता है ।

श्री माणकचन्द सुराणा : इसको चांसलर ही अपाइन्ट करेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नर के नाम से सारा काम होता है लेकिन वह करता कुछ नहीं है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : बार बार कह रहा हूं, यह विधेयक स्वीकार करवा रहे हैं। आज टीचर्स हड़ताल पर हैं। एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। इनका विरोध कर रहे हैं। ललित किशोर जी चतुर्वेदी के वे गुरु थे बिना क्वालिफिकेशन के उनको बैठा दिया। सारे लोग हड़ताल कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, राम मनोहर लोहिया तिथि के दिन गये थे। मुख्य मंत्री जी, आप को सारी दुनियां का काम करना है तो अच्छा करिये। मैं कहना चाहता हूं अगर अमेंडमेंट दे दिया, हिन्दी के लिये मुझे क्षमा करें, देर लगती है। एकेडेमिक कौंसिल को आपने पावर क्यों नहीं दी ? नाम लेते हैं गवर्नर का, करते हैं श्रीमान् भंवरलाल शर्मा। तो मेरा यह कहना है कि आप अपने हाथ में यह पावर्स क्यों लेते हैं। एकेडेमिक कौंसिल बनी हुई है नियम बने हुए हैं, उनको दीजिये......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, डागा जी, मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, यह अमेंडमेंट मूव नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

जनमत जानने के लिये परिचालित करने या प्रवर समिति को भेजने हेतु प्रस्ताव पर आप बहस करना चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोडा : जनमत जानने के लये दिया था। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी।

श्री सभापति : आप प्रेस कर रही हैं या विथड्रा कर रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोडा : दो शब्द कह कर बैठ जाती हूं।

श्री सभापति : क्या आप इस संशोधन को मूव करना चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोडा : मुझे आपकी इजाजत हो...

श्री सभापति : यह तो आपकी राय पर निर्भर करता है।

श्री मदनसिंह दांता : सवाल पूछ कर विथड्रा करना चाहती हैं।

श्रीमती उजला अरोडा : माननीय शिक्षा मंत्रीजी को एक बात कहना चाहती हूं आपकी इजाजत हो तो। जो स्क्रीनिंग कमेटी की परिभाषा दी गई है उसमें शिक्षा शास्त्री नहीं होना चाहिये, जो पुराने हैं, कितने ही वर्षों से कार्य कर रहे हैं, टर्म के नाते क्या हो, इस पर विचार कर लें। शिक्षा शास्त्री की परिभाषा को निकाल दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : शिक्षा शास्त्री है कहां ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापतिजी, जो आपत्ति की है माननीय सदस्यों ने वह बहुत कुछ तो इससे सम्बन्धित नहीं है। अध्यापकों की कठिनाई है, वह आपने रखी है, उन पर विचार करके निर्णय करेंगे। बाकी जो अध्यादेश है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे पास किया जाय।

श्री सभापति : विचारार्थ लिये जाने के लिये कहें ।

विधेयक पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

क्लॉज बाई क्लॉज । खण्ड 2 श्री बंशी लाल सारस्वत, आप मूव कर रहे हैं अमेण्डमेंट को

(विराम)

इसमें कोई अमेन्डमेंट नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है । श्री बंशीलाल सारस्वत ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : नया अमेन्डमेंट आ गया है । इस स्थिति में मैं प्रेस नहीं करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 और 5 में संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 और 5 स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 और 5 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 6 श्री अब्दुल अजीज कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है खण्ड 6 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 को स्वीकार किया गया ।

खण्ड 7 माननीय शिक्षा मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं खण्ड 7 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

8. अपील – (1) ऐसा व्यक्ति, जिसके लिये धारा 3 और 4 के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति हेतु विचार किया गया, परन्तु 31 अगस्त, 1978 को या इससे पूर्व अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, विश्वविद्यालय के विनिश्चय के विरुद्ध सम्बन्धित

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील पर कुलाधिपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित अपील-समिति द्वारा विचार किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(i) दो शिक्षाविद्, जिनमें से एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा,

(ii) एक विशेषज्ञ जो उस विषय में विशेष ज्ञान रखता हो जिसमें कि अपीलार्थी प्राध्यापक हो।

(3) अपील-समिति, अपीलार्थी को सुनवाई का युतियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, या तो अपील स्वीकार करते हुए या उसे अस्वीकार करते हुए, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगी।

(4) अपील समिति के सदस्यों में असहमति होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा। अपील समिति का विनिश्चय विश्व विद्यालय पर बाध्यकर होगा।

(5) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अपील स्वीकार कर ली गई है, धारा 3 और 4 के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा वह वेतन, भत्ता, वरिष्ठता और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत उन सभी अधिकारों का हकदार होगा जिनका वह हकदार होता यदि अनुवीक्षण समिति ने उसे अस्वीकार न किया होता।

श्री बंशीलाल सारस्वत: सभापति महोदय, यह जो अमेन्डमेंट आया है उसमें मेरा एक अमेंडमेंट है, आप मानेंगे तो नहीं लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं। आप मानें या न मानें, यह तो आपकी मर्जी की बात है। मैं निवेदन कर रहा हूं पूर्व में सन् 1974 का अधिनियम है, उसके अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी होती तो वैसी स्थिति में कोई ज्यादा विवाद का विषय नहीं होता। वाइस चान्सलर उनके द्वारा नोमीनेटेड और उनके अधीन रहने वाले लोग नहीं रहते, इसलिए इस प्रोविजन की जरूरत नहीं होती। उस कानून के अन्तर्गत जो बाडी होती वह अधिक सक्षम और अधिक काम करने वाली बाडी होती। दो शिक्षाविद् की नियुक्ति की जायगी उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, 1974 का जो एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत कान्स्टीट्यूटेड बाडी है उसमें दो शिक्षाविद् रखे गये हैं- एक राजस्थान सरकार द्वारा और एक विश्वविद्यालय द्वारा, इसलिये अस्पष्ट न रहे और दो शिक्षाविदों की पुनः नियुक्ति न की जाय- दो शिक्षाविद् जिसमें एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायगा, 1974 का जो एक्ट है उससे सम्बन्धित जो शिक्षाविद् है - यह अभिप्रेत है।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी उत्तर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा: हमने यह व्यवस्था रखी है उसमें जो सन्देह व्यक्त किया गया है, वह सही नहीं है और फिर बाद में जब जरूरत होगी तो उस समय इस पर विचार करके देख लिया जायगा।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री जी ने जो खण्ड 7 में संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित धारा 7 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधित धारा 7 स्वीकार की गई।

खण्ड 8 और 9 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 व 9 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 व 9 को स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र, नाम और प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र, नाम और प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

श्री राम नारायण चौधरी : सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 जो पारित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मान्यवर, आपने एक संशोधन रखा और सदन से उसे स्वीकार करा लिया। मैं अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी, आपको विश्वविद्यालयों की हालत को सुधारना चाहिये। आज विश्वविद्यालयों की वह हालत हो रही है जो इस प्रदेश में कभी भी नहीं हुई थी। आज आपके विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। आज आपके मुख्य मंत्री जी इस सदन में पुलिस के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं और इधर आये दिन पुलिस विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी तादाद में लगाई जा रही है। जो आज हालत है वह बड़ी खोफनाक है।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जगत में आप जो आमूल चूल परिवर्तन कराने का प्रवचन किया करते थे वह आज आमूल चूल परिवर्तन तो दूर रहा जो हालत आपको सौंपी गई थी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, वह भी न रह कर बदतर हालत हो रही है। आज विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि छात्र असंतोष, छात्र आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज वाइस चांसलर के द्वारा आप यूनिवर्सिटी का संचालन नहीं कर पाए तो आपने एक छोटा वाइस चांसलर और बना लिया। आप क्या करेंगे आगे जाकर ? आप इस तरह के हालात पैदा कर दें कि शायद आपको एक इंसपेक्टर जनरल आफ पुलिस की और व्यवस्था करनी पड़े यूनिवर्सिटी के अन्दर। अब यहां पर राजस्थान सरकार बदली तो उम्मीद यह थी कि आप शिक्षा में

(श्री रामनारायण चौधरी)
आमूल चूल परिवर्तन करके शिक्षा जगत को नई दिशा देंगे, शिक्षा को नया मोड़ देंगे, नई शिक्षा नीति प्रसारित करेंगे, वह नहीं करके आज हालत यह है कि जो हालत थी उससे भी नीचे की तरफ जाना प्रारम्भ हो गया है। मैं, मान्यवर, अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में आपसे जो उम्मीद की गई थी उसमें आपने नाउम्मीद कर दिया और छात्रों ने जो उम्मीदें लगाई थीं, जो अपने भविष्य के बारे में कल्पनाएं की थीं उन सब कल्पनाओं को आपने चकनाचूर कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए निवेदन करता हूं कि इसे रद्द किया जावे।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले तो मैं यह दृष्टिकोण रखता हूं कि कल विरोधी पक्ष के नेता ने जो क्वेश्चन रखा था, उनकी भावनाओं को पूरा किया जावे, उन शिकायतों को दूर किया जावे जो व्यावहारिक बात है। दूसरी बात, मैं यह उम्मीद करता हूं कि उनकी बातों की कद्र करें। तीसरा, आपने जिस तरह से अभी यह समझदारी का काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है उसी तरह से म्युनिसिपल एक्ट में भी अमेंडमेंट करके कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने बात कही है उसका जवाब देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं यह जवाब देना जरूर चाहूंगा कि वहां सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं, कुछ आपके विद्यार्थी जरूर है · · ·

श्री मूलचन्द डागा : आपके विद्यार्थी क्या होते हैं ? विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप और तुम क्या कर रहे हो · · ·

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप वाले विद्यार्थी कौन से हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारे कोई विद्यार्थी नहीं हैं, हमने तो आपको सौंप दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इनको सुन लीजिए।

श्री मदनसिंह दांता : वह आर. एस.एस. के होंगे · · ·

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : विद्यार्थी तो आपके और हमारे, सब एक हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी बातें इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखतीं · · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या फर्मा रहे हैं, कैसे सम्बन्ध नहीं रखतीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है, न कोई संशोधन है और न कोई विचार ही है। जो बातें आपने कही हैं वे अलग तरह की बातें हैं, अलग चिन्तन का विषय है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्या-

(श्री सभापति)

पकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को संशोधित रूप में पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

मुख्य मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

जगर बांध पर हुई नाव दुर्घटना

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, जिला सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जगर नदी पर जगर सिंचाई बांध है। इस बांध का कार्य सन् 1953 में प्रारम्भ किया गया था एवं सन् 1958 में बांध बनाने का कार्य मुख्यतया पूर्ण हो गया था। बांध में सर्वप्रथम 1955 में पानी भरा गया और उसी वर्ष सिंचाई भी प्रारम्भ कर दी गई। इस बांध के पास के गांव जगर, कोटवास व आसपास की ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों को बांध के आर पार आवागमन के साधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जब से बांध का निर्माण हुआ है, पानी का अभाव होने के उपरांत इन गावों के आने जाने का रास्ता भरे हुये पानी में होकर होता है। यह पानी लगभग 9 माह भरा रहता है। बांध से सिंचाई के लिए पानी खोल देने के पश्चात् सामान्यत: माह मार्च व अप्रेल में पानी का स्तर कम हो जाता है और ग्रामीण पैदल ही पानी को पार करते हैं। बांध में पानी जब अधिक होता है तो गांव वाले अपने स्तर पर नाव खरीद कर नाव डाल देते हैं एवं उसके द्वारा ही आवागमन होता है। गांव के लोग हर साल नाव खरीदने हेतु पैसा इकट्ठा करते हैं एवं वही लोग बारी बारी से नाव चलाते हैं। इस वर्ष लगभग गांव के कुछ व्यक्तियों ने पैसा जुटा कर एक नाव मथुरा से खरीदी एवं गांव वालों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने के लिए प्रयोग किया। ऐसा भी विदित हुआ है कि जो व्यक्ति नाव खरीदने हेतु पैसा जुटाते हैं बारी बारी से प्रतिदिन नाव चलाते हैं एवं नाव में बैठने वालों से प्रति व्यक्ति 10 पैसा वसूल करते हैं। यह भी विदित हुआ है कि बांध के एक किनारे से दूसरे किनारे पर एक नाइलोन की रस्सी बांध दी जाती है एवं उसी के सहारे नाव चलाई जाती है जो दूरी नाव द्वारा पार की जाती है 125 गज की है। इस प्रकार की व्यवस्था लगभग 20-22 वर्ष से की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष जो नाव चल रही थी, का राजस्थान रेगुलेशन आफ बोटिंग एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं कराया गया था, न ही इसका कोई लाइसेंस लिया गया था।

दिनांक 10 अक्टूबर, 78 की शाम को ग्रामवासी अपने खेतों पर काम करने के पश्चात् जगर बांध में दुर्घटनाग्रस्त हुई नाव के द्वारा अपने गांव को लौट रहे थे। इस नाव में 30 व्यक्ति सवार थे। जब नाव बांध के बीच में पहुंची तो नाव में यकायक पानी आने लगा जिस पर उसमें बैठे हुए व्यक्ति भयभीत होकर घबराने लगे व नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव डूब गई जिससे 26 व्यक्तियों, जिसमें नाव चलाने वाला भी शामिल था, की मृत्यु बांध में डूबने से हो गयी।

यह घटना दिनांक 10 अक्टूबर को लगभग 6.30 बजे सायं घटी, जिसकी प्रथम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सूचना जगर गांव के श्री किशोरीलाल सरपंच ने हिण्डौन के थाने में दिनांक 11-10-78 को दिन के 9.30 बजे दी। रिपोर्ट प्राप्त होते ही श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, होम इन्सपेक्टर जो उप पुलिस अधीक्षक के अवकाश के कारण सी. ओ. का कार्य कर रहे हैं व श्री बृजमोहन शर्मा कार्यवाहक विकास अधिकारी मय अन्य पुलिस कर्मचारियों तथा डाक्टरों की टीम के साथ घटनास्थल पर जीपों द्वारा प्रस्थान कर गये एवं घटनास्थल पर लगभग 12 बजे दोपहर पहुंचे। इस दल के पहुंचने तक गांव वालों के स्वयं के प्रयत्नों से 25 व्यक्तियों के शव बाध से निकाले जा चुके थे। इस दल के पहुंचने पर नाव को व एक शेष व्यक्ति को, जो नाव के नीचे दबा हुआ था, निकाला गया। मृतक व्यक्तियों में 6 पुरुष, 13 महिलायें एवं 7 बच्चे (14 वर्ष की आयु से नीचे) शामिल हैं। नाव में बैठे 30 व्यक्तियों में से बाकी 4 व्यक्ति बच गये। मृतक व्यक्तियों का मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया गया जिससे यह पाया गया कि इनकी मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई। पोस्टमार्टम के पश्चात् मृतक व्यक्तियों का दाह संस्कार किया गया। जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर को इस घटना की सूचना लगभग 12 बजे दोपहर मिली वे तुरन्त फ्रंटियर मेल से हिण्डौन के लिए रवाना हुए एवं घटना स्थल पर दिनांक 11-10-78 को लगभग 4.30 बजे पहुंचे। उस समय तक मृतक व्यक्तियों का दाह संस्कार सम्पन्न हो चुका था।

इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 245/78, दिनांक 11-10-78 304/ए/280 आई. पी. सी. एवं धारा 14 राजस्थान रेगुलेशन आफ बोटिंग एक्ट, 1956 के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया है।

श्री अब्दुल अजीज : किसके खिलाफ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, इस सारी घटना की जानकारी होने पर मैं स्वयं कल वहां गया और सारी स्थिति देखी। कुदरत की बात है इसमें जो चार व्यक्ति बचे हैं, उनमें एक महिला और तीन बच्चे हैं। एक बच्चे की आयु 8–9 महीने का है। दूसरे बच्चे की आयु तीन चार वर्ष की है और एक बच्चे की आयु 9 वर्ष की है। अब ये जो बच गये वह कुदरत की बात है। 9 महीने के बच्चे वे कहते हैं कि बचाने वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है, उस बच्चे के हाथ में कोई लकड़ी, कुछ घास का भारा जो ले जा रहे थे नाव में उसमें मिली हुई लकड़ियां मिल गई, उसको पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गए।

इस प्रकार दो और बच्चे बच गये। लकड़ियों के सहारे, घास के सहारे वे वहां पर पहुंचे और एक महिला भी घास के ढेर में उलझ गई, इतने में किनारे पर जो लोग खड़े थे, उन्होंने इनको देखा और इनको बचा लिया। सभापति महोदय, यह बहुत ही खेद जनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कल मैं वहां गया था। जाते वक्त मैं साथ में रुपया लेकर गया था। मेरा विचार था कि रुपये का वितरण करूंगा परन्तु वहां जाकर जो दृश्य देखा, त्राहि-त्राहि देखी उसमें मैंने यह उचित नहीं समझा। मेरा साहस रुपये देने का नहीं हुआ। जिस प्रकार की त्राहि-त्राहि

Page No 181

(181)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मची हुई थी, उन लोगों को जो कष्ट हो रहा था, वे यह समझते कि रुपया देकर हमको शान्त किया जा रहा है। इसलिए एस.डी.ओ. और जिलाधीश को मैंने यह निर्देश दिया कि मेरे जाने के बाद जब इन लोगों को कुछ तसल्ली हो जाय तो जितने-जितने की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के अनुरूप, उनकी मांग की पूर्ति करने के लिए, अगर हजार रुपया देने की आवश्यकता हो तो वह दिया जाए, अगर किसी परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला नहीं बचा हो तो उनको 1500/– रुपये तक की सहायता दी जाए। जिनके पास जमीन नहीं है, तो आस पास की जो जमीन है, वह जमीन उसको उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जिस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं, वह हर संभव सहायता दें। जो नाव अभी है उसके स्थान पर इरिगेशन डिपार्टमेन्ट अपनी नाव ले जाकर लगा दे ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई खतरा न हो। इसके लिए हम सब को दुख है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही।

श्री श्रवण लाल : सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 नवम्बर, 1978 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.22 बजे सोमवार, दिनांक 6 नवम्बर, 1978 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची)

क्र.सं.	उद्योगों का नाम	आवंटित प्लाट नं.	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिसवा	वर्तमान स्थिति	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
(1)	मै. अलवर पेन्ट्स एण्ड रामनारायण एण्ड ब्रदर्स, अलवर	1 से 16	72	18	वर्तमान में इस भूमि पर निम्न उद्योग कार्यरत हैं :— (1) मै. विजय आइस फैक्ट्री (2) मै. प्रकाश पल्वेनाइजिंग मील (3) मै. भारत मिनरल एण्ड केमीकल (4) मै. रामा ब्रिक्स (5) श्रीराम मिनरलस (6) मै. प्रकाश पेन्ट्स (7) रामनारायण ब्रदर्स (8) मै. माल्ट मैन्यू. प्रा लि. (9) मै. राजस्थान मिनरल ट्रेडर्स (10) मै हाइवे सर्विस स्टेशन	

			(11) मै. रामा केमिकल इन्ड. ऐटेट के समय रामनारायण एण्ड ब्रदर्स, अलवर को इस भूमि पर पिगमेन्ट, वारनिश एन्ड पेन्ट बनाने हेतु भूमि का आवंटन किया गया था। लीज डीड की धारा 18 के अनुसार अन्य उद्योग स्थापित करने का प्रावधान था।
(2) मै. सुनील सिनचिम प्रा. लि., अलवर	17,18	2–77 एकड़	चालू है।
(3) ,, शंकर आइस फैक्ट्री, अलवर	19 (ए)	–50 ,,	,,
(4) ,, भगवती आयल मील, अलवर	26 (बी)	1–57 ,,	बन्द है।
(5) ,, मुरलीधर एण्ड सन्स, अलवर	20 से 22	8–00 ,,	चालू है।
(6) ,, अलवर केमिकल, अलवर	27	2–50 ,,	,,
(7) ,, खन्ना केमीकल एण्ड मिनरल इन्ड.	26	1–47 ,,	,,
(8) ,, केसका लेबोरेटरीज, अलवर	28	1–50 ,,	वर्तमान में यह उद्योग शहर में कार्यरत है तथा इकाई द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य चालू है।
(9) ,, ग्रीन डीजल, अलवर	29 ए (i)	2–43 ,,	चालू है।
(10) ,, राजस्थान रसायन उद्योग, अलवर	29–ए (ii)	0–28 ,,	,,
(11) ,, सुन्दर सोप फैक्ट्री, अलवर	29 बी	0–46 ,,	,,

Page No 184

1	2	3	4	5	6	7
(12) मै.	तुलसी डेमोस्टिक ऐपलान्सेज, अलवर	30–ए	2–34 एकड़		निर्माण कार्य हो रहा है ।	
(13) „	नागलवाल केमीकल, अलवर	29,30	0–60 „		चालू है ।	
(14) „	जालान फायर ब्रिक्स इन्ड., अलवर	62,63,69 पोर्ट 64,68	11 1/8„		„	
(15) „	भारत इन्ड. ट्रेडिंग कम्पनी, अलवर	39	2	4/5 „	उद्योग बन्द है ।	
(16) „	बेकन फैक्ट्री, अलवर	74 से 81	86 बीघा	6 बिस्वा	चालू है ।	
(17) „	आई. टी. आई., अलवर	23 से 25–26	„	2 „	„	राजकीय संस्थान हैं
(18) „	स्टीम पावर हाऊस, अलवर	49,51,52,19, 53,54,56	„	2 „	„	„
(19) „	पोलीटैक्निकल, अलवर	59	89 „	13 „	„	„
		टोटल 218	–	73 एकड़		

Page No 185

क्र.सं.	उद्योग का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	क्या उद्योग उत्पादनरत अथवा निर्माणाधीन है।	उत्पादनरत उद्योग की स्थिति इस प्रगति पत्र के समय चालू अथवा बन्द	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. अरावली स्वचालित वाहन लि. अलवर	1	1,80,392	उत्पादनरत	चालू	–
2.	,, पालीवाल मिनी स्टील लि.	2	40,000	,,	,,	–
3.	,, लेम्स एण्ड लाईटिंग लि.	3	40,000	निर्माणाधीन	–	
4.	,, विकास वूलन मिल्स प्रा. लि.	7	41,309	,,	–	–
5.	,, राजस्थान बूलेड लि.	8	40,000	,,	–	–
6.	,, आईचर ट्रैक्टर्स (इ.) लि.	9	40,660	उत्पादनरत	चालू	–
7.	,, अरावली इस्पात लि.	10	48,000	निर्माणाधीम	–	–
8.	,, ईश्वर एण्ड कं.	11,12	1,21.600	उत्पादनरत	चालू	–
9.	,, अलवर रिफरेक्ट्रीज प्रा. लि.	ए–13	13,425	,,	,,	–
10.	,, कट्टा केमीकल्स इण्डस्ट्रीज	ए–17	10,000	,,	,,	–
11.	,, नामर केमीकल्स प्रा. लि.	ए–19	18,180	निर्माणाधीन	–	–
12.	,, अरावली केमीकल्स, अलवर	ए–21	10,000	उत्पादनरत	चालू	–
13	,, नलवाया उद्योग	ए–22	10,000	,,	,,	–
14.	,, शील्ड शू कम्पनी प्रा. लि.	ए–23	10,000	निर्माणाधीन	,,	–
15.	,, पल्प प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	ए–25	10,000	कोई कार्य नहीं	–	–
16.	,, मत्स्य ब्रेडिंग वर्क्स	एफ–27	1,500	निर्माणाधीन	–	–
17.	,, कमल फाउण्ड्री	एफ–28	2,000	,,	–	–
18	,, आत्मासिंह एण्ड सन्स	एफ–30	3,500	कोई कार्य नहीं	–	–
19.	,, गुरु नानक इंजिनियरिंग वर्क्स	एफ–31	2,000	,,	–	

1	2	3		4	5	6	7
20.	मैं सिंहल हौजरी इण्ड.	एफ–32	2,000	निर्माणाधीन		चालू	–
21.	,, जैन्सन्स स्टील,	बी–35	8,000	उत्पादनरत		–	–
22.	,, जयशंकर दाल एण्ड बेसन मिल.	बी–36	8,000	,,		,,	–
23.	,, मेलेएबिल कास्टिंग एण्ड इन्जि. इण्ड.	ई–39	5,000	,,		बन्द	–
24.	,, टेक्नोमेक इण्ड.	ई–40	4,191–50	निर्माणाधीन		–	–
25.	,, हिन्दुस्तान ड्रग हाउस	ई–43	4,000	,,		–	–
26.	,, पेम्ब लोड लिफ्टर्स प्रा.लि.	ई–45	4,000	उत्पादनरत		चालू	–
27.	,, संजय प्लास्टिक इण्ड.	एफ–46	2,000	निर्माणाधीन		–	–
28.	,, अग्रवाल ग्लास इण्ड.	एफ–47	2,000	कोई कार्य नहीं		–	–
29.	,, मुरलीधर हरीप्रसाद स्टील रोलिंग मिल	एफ–52ए	1,000	उत्पादनरत		चालू	–
30	,, स्फनिक्स इलैक्ट्रोनिक्स (इ.) लि.	एफ–53	3,120	निर्माणाधीन		–	–
31.	,, ज्ञानेन्द्रकुमार विरेन्द्रकुमार	एफ-56	2,000	कोई कार्य नहीं		–	–
32.	,, बृह्म् एग्रीकलचर कारपो.	एफ-57	2,000	,,		–	–
33.	,, राजस्थान इलेक्ट्रीकल्स	बी-64	7,688	,,		–	–
34.	,, नेक एण्ड कम्पनी	बी-68	8,000	निर्माणाधीन		–	–
35.	,, राजस्थान आइरन वर्क्स	एफ-50	2,000	कोई कार्य नहीं		–	–
36.	,, सिंहल आयरन स्टील फाउन्ड्री	बी-70	8,000	उत्पादनरत		चालू	–
37.	,, स्वास्तिक टूल्स	बी-72	8,000	,,		,,	आवंटन निरस्त कर दिया है।
38.	,, स्वास्तिक मेटल्स कास्टिक	बी-73	8,000	,,		,,	,,
39.	,, राजावत मिनरल एण्ड पेन्ट्स प्रा. लि.	बी-76	8,000	,,		,,	–
40.	,, श्री पारसलीन प्रा लि.	बी-78	8,000	,,		,,	–
41.	,, एम. एम. इण्ड.	बी-69	8,000	निर्माणाधीन		,,	–
42.	,, कृष्णा एण्ड कं.	बी-80	4,980	उत्पादनरत		,,	–
43.	,, राम श्याम तनेजा इण्ड. एसोसियेट्स	ई-81	4,000	,,		,,	–

1	2	3	4	5	6	7
44.	मैं. एस. बी. कैमीकल्स,	ई-83	4,000	उत्पादन	चालू	–
45.	,, यूनाइटेड इंजिनियरिंग वर्क्स	ई-82	4,000	,,	,,	–
46.	,, ओवेराय इण्ड.	ई-85	4,000	,,	,,	–
47.	,, बसन्त पोलिमरस	एफ-90	2,903	,,	,,	–
48.	,, एलवीन इन्जिन वर्क्स	एफ-82	2,275	निर्माणाधीन	–	–
49.	,, राज स्टील वायर प्रो.	एफ-91	2,275	उत्पादन रत	चालू	–
50.	,, न्यू वेज इन्टरप्राइजेज	ई-96	4,000	निर्माणाधीन	–	–
51.	,, मोडरेट इण्ड.	ई-97	4,000	,,	–	–
52.	,, श्री गणेश इण्ड.	ई-98	4,000	उत्पादनरत	–	–
53.	,, लेविता इण्ड.	एफ-103	2,000	निर्माणाधीन	–	–
54.	,, रीम को.	एफ-104	2,275	उत्पादनरत	बन्द	–
55.	,, सुरेश सिमेन्ट पाईप	एफ-105	1,950	उत्पादनरत	चालू	–
56.	,, स्टी फर्नीचर मेन्यू.	एफ-106	2,000	,,	,,	–
57.	,, प्रताप आयल मिल्स	एफ-108	2,000	,,	,,	–
58.	,, स्टारलिंग ड्राफ्ट्स फोरजिन्स	एफ-110	2,000	निर्माणाधीन	,,	–
59.	,, राजस्थान ग्लास कन्टेनर्स	एफ-113	2,250	,,	,,	–
60.	,, मदान गम इण्ड.	एफ-115	4,000	कोई कार्य नहीं	–	–
61.	,, मुकेश इण्ड.	एफ-114	1,950	निर्माणाधीन	–	–
62.	,, अलवर रोलिंग मिल्स प्रा. लि.,	एफ-116	14,000	उत्पादन रत	चालू	–
63.	,, स्वदेशी माल्ट इण्ड. लि.	117	40,000	,,	,,	–
64.	,, नेशनल एयर प्रोडेक्ट लि.	119	40,000	,,	बन्द है	–
65.	,, अमूलक इंजिनियरिंग वर्क्स	124	18,350	,,	चालू है	–
66.	,, कनोडिया एसट्रा बोर्ड प्रा. लि,	130	19,000	निर्माणाधीन	–	–
67.	,, अर्जुन प्लास्टिक लि.	एफ-149	2,000	कोई कार्य नही	–	–
68.	,, यूनिवर्सल सिलेण्डर लि.	197	20,000	निर्माणाधीन	–	–
69.	,, इन्सीलेटर्स इण्ड. सेरेमिक प्रा. लि.	110ए	20,000	कोई कार्य नहीं	–	–
70.	,, एसटिला	201	20,000	निर्माणाधीन	–	–

1	2	3	4	5	6	7
71.	मै. सोनाडिस्ट्लरीज प्रा. लि.	202	20,000	निर्माणाधीन	–	–
72.	,, भारत एलम्स केमीकल लि.	203	40,000	उत्पादनरत	चालू	–
73.	,, राठी अलाइज एण्ड स्टील लि.	204	1,60,000	,,	–	–
74.	,, राठी गेसेज लि.	205	40,000	,,	,,	–
75.	,, माडर्न सिन्थेटिक्स लि.	अलवर, दिल्ली मार्ग	59 एकड़		,,	–
76.	,, भारत ऐलम्स केमी.	203 ए	20,000	कोई कार्य नहीं	–	–
77.	,, सराफ पेपर्स मिल्स लि.	33 एकड़ अलवर–दिल्ली रोड		निर्माणाधीन	–	कोई प्रगति नहीं
78.	,, विजय इलेक्ट्रिक लेम्स	शेड एफ-133	2,000	उत्पादनरत	चालू है	–
79.	,, सालानी पेपर कोब इण्ड.	शेड एफ-137	2,000	निर्माणाधीन	–	कोई प्रगति नहीं
80.	,, हिन्दुस्तान सीमेण्ट टाइल्स	एफ-138	2,000	उत्पादनरत	चालू है	–
81.	,, एम. लखानी एण्ड कं.	एफ-139	2,000	,,	,,	–
82.	,, ओ. पी. इण्ड.	एफ-140	2,275	,,	बन्द है	–
83	,, राजस्थान केमीकल्स लेबोरेट्री	एफ-141	2,275	,,	चालू है	-
84.	,, वायर वे इण्डिया	एफ-142	2,000	,,	,,	–
85.	,, सर्वहितकारी इंजीनियर्स	शेड एफ-143	2,000	निर्माणाधीन	–	कोई प्रगति नहीं
86.	,, पदम इण्ड.	एफ-144	2,000	उत्पादनरत	चालू है	-
87.	,, केमीकल्स इंजीनियर्स एण्ड मैकेनिक	,, एफ-145	2,000	,,	,,	-
88.	,, भारत इण्ड.	,, एफ-140	2,000	निर्माणाधीन		कोई प्रगति नहीं
89.	,, श्रीराम इण्ड	,, बी-77	8,000	उत्पादनरत	चालू है	.
90.	,, भारत लेदर इण्ड.	,, एफ-103 बी	2,000	कोई प्रगति नहीं		–
91.	,, भारत लेदर वर्क्स	,, एफ-104	2,000	,,	–	–

1	2	3	4	5	6	
92.	मै. रामा एंटरप्राइजेज	शेड एफ-183सी	2,000	कोई प्रगति नहीं	–	–
93.	,, श्री गोविन्द ट्रेडिंग कारपोरेशन	,, एफ-183ए	2,000	–	–	–
94.	,, अमलतास इण्ड.	,, एफ-102ए	2,000	,,	–	–
95.	,, टैकनोक्रेट इन्जी. वर्क्स	,, नं.-6	2,000	उत्पादनरत	चालू है	–
96.	,, राजस्थान केमीकल, एण्ड मि. इण्ड.	,, नं.-5	2,000	,,	,,	–
97.	,, श्री केमीकल्स	,, नं.-4	2,000	,,	,,	–
98.	,, प्रोम केबिल इण्ड.	,, नं.-3	2,000	,,	,,	–
99.	,, राजस्थान प्लास्टिक इण्ड.	एफ-141	2,000	कोई प्रगति नहीं	–	–
100.	,, रेजिस्टेन्स ग्रालाइज	शेड न.एफ-140	2,000	उत्पादनरत	चालू है	–
101.	,, लक्ष्मी एल्युनियम इण्ड.	एफ-104 बी	2,000	कोई प्रगति नहीं	–	–
102.	,, मोर मिनरल एण्ड केमी.इण्ड.	एफ-87	2,275	,,	–	–
103.	,, किसान फुट वेयर कं.	एफ-88	2,100	निर्माणाधीन	–	–
104	,, कृष्णा प्लास्टिक इण्ड	एफ-107	1,950	कोई प्रगति नहीं	–	–
105.	,, मैत्री इण्ड.	ई-246	4,000	,,	–	–
106.	,, अग्रवाल पेपर्स एण्ड बोर्ड प्रा.लि.	122	1,000	उत्पादनरत	चालू है	–
107.	,, इलेक्ट्रो ग्लास इण्ड.	एफ-102	2,000	कोई प्रगति नहीं	–	–
108.	,, अग्रवाल दाल मिल्स	बी-37-ए	2,400	निर्माणाधीन	–	–
109.	,, बंसल पाइप लि.	5	40,000	उत्पादनरत	चालू है	आवंटन निरस्त कर दिया
110.	,, अलवर एलायज लि.	6	40,000	निर्माणाधीन	–	,,
111.	,, मान सरोवर स्टील इण्ड. लि.	ए-15	20,000	,,	–	,,

(190)

1	2	3	4	5	6	7
112.	मै. लक्ष्मी स्टील री-रोलिंग मिल्स	ए-16	10,000	उत्पादनरत	चालू है	आवंटन निरस्त कर दिया
113.	,, विनय ग्लास वर्क्स	ए-18	10,000	,,	बन्द है	,,
114.	,, शक्ति प्लास्टिकास्ट	ई-44	4,000	निर्माणाधीन	—	,,
115.	,, एम. सन्स इण्ड.	बी-75	8,000	,,	—	,,
116.	,, शुभ इण्स्ट्रीज	ई-84	4,000	,,	—	,,
117.	,, हुन्सा इण्डस्ट्रीज	एफ-112	2,000	,,	—	,,

1. कुल आवंटित प्लाट 110
2. कुल आवंटित क्षेत्रफल 471.52 एकड़
3. चालू इकाई की संख्या-56 (इनमें से 5 का आवंटन निरस्त कर दिया गया है)
4. कुल बन्द उद्योगों (इकाइयों की संख्या—5)

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर एवं उनके उत्तर

जिला जालौर के अकाल ग्रसित घोषित गांव

81. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):- क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में इस वर्ष कुछ गांव पिछले सावण फसल नहीं होने के कारण अकाल ग्रसित घोषित किए गये थे ? अगर हां, तो कितने एवं कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों के प्रभावित लोगों को मजदूरी उपलब्ध करवाने हेतु कुछ अकाल राहत कार्य भी राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए थे ? अगर हां, तो कब ? मंजूरशुदा कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अकाल राहत कार्य मंजूर करने के बावजूद भी वास्तव मे वे कार्य शुरू ही नहीं करवाए गए एवं उन पर कोई मजदूर तकनीकी अधिकारियों द्वारा नहीं लगवाए गए ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस-किस कार्य पर कितने कितने मजदूर कब कब लगाए गए एवं उन पर कितना कितना खर्चा किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में अकाल राहत कार्य समय पर मंजूर नहीं किए गए जिससे वे शुरू नहीं कराए गए ? अगर हां, तो क्यों ? इसकी जिम्मेदारी किस की है एवं उनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। जून-जुलाई, 78 में जालौर जिले में निम्न राहत कार्य स्वीकृत किये गये थे :-

1. करड़ा झाब रोड
2. चितलवाना झाब सड़क
3. मालवाड़ा जसवन्तपुरा सड़क
4. वी. टी. रोड भाद्राजून तक (थोड़ी दूरी)

(3) उपरोक्त कार्यों में से केवल एक कार्य वी. टी. रोड भाद्राजून माह जून-जुलाई में चला। तथा इस कार्य पर 13882 रुपये खर्चा हुआ। इस कार्य पर भी वांछित संख्या में मजदूर उपलब्ध नहीं हुए। कम से कम 20 व अधिक से अधिक 60 मजदूरों ने प्रतिदिन कार्य किया है। 2 कार्य करड़ा सड़क एवम् चितलाना झाब सड़क हेतु दिनांक 15-6-78 से कैम्प खोले गये किन्तु मजदूरों के न आने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। मालवाड़ा जसवन्तपुरा सड़क का कार्य रोड रोलर की उपलब्धि न होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

(4) इस जिले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से इस क्षेत्र

(अकाल राहत मंत्री)
को अकाल ग्रस्त घोषित किये बिना ही माह अप्रेल में राहत कार्य चलाने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् जिलाधीश ने राहत कार्यों के प्रस्ताव मंगाये जाकर उनको प्रारम्भ कराने के आदेश माह जून में दिए गये थे। उसी माह में कार्य खोल दिये गये।

अजमेर जिले के राहत कार्य

82. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :-क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में इस वर्ष प्रारम्भ किये राहत कार्यों में से अधिकांश कार्य अपूर्ण ही पड़े हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन अपूर्ण कार्यों में से अधिकांश कार्य सड़कों एवं सिंचाई के तालाबों से सम्बन्धित हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन कार्यों के अपूर्ण रहने से न तो इन कार्यों की उपयोगिता सिद्ध होगी और साथ ही जनता को असुविधा (विशेषतः अधूरी सड़कों के कारण) होगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन राहत कार्यों के स्थल पर बड़ी तादाद में गिट्टी, पत्थर आदि पड़े हैं, जिनकी चोरी चले जाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार शीघ्र इन अपूर्ण राहत कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सिंचाई विभाग के मतानुसार अधूरे सिंचाई कार्यों का उनकी उपयोगिता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन अधूरी सड़कों के कारण जनता को कुछ असुविधा हो सकती है लेकिन अकाल राहत कार्यों में कार्य की उपयोगिता के अलावा लोगों को रोजगार प्रदान करना ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एक सीमित समय के लिए ही निर्धारित होता है।

(4) राहत कार्यों पर अवशेष सामग्री के समुचित उपयोग के लिए सहायता विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सहायता विभाग द्वारा सामान्य समय में अपने विभागीय मद से इन कार्यों को पूरा करना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यों को पूरा कराया जाना सरकार के पास उपलब्ध आर्थिक साधनों पर निर्भर करेगा।

मनोहर थाना के सूरजपोल दरवाजे के बाहर की भूमि पर अवैध कब्जे

83. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना):-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मनोहर थाना सूरज पोल दरवाजे के बाहर की भूमि पर जिन लोगों ने अनुचित कब्जा करके मकान बनाये हुए हैं उनके विरुद्ध कब्जे हटाने का राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में तहसीलदार, अकलेरा ने भूमि से कब्जे हटाने के कोई नोटिस पार्टियों को दिये थे और उसकी अपील उन लोगों ने कलेक्टर रेवेन्यू अपीलेट कोर्ट एवं रेवेन्यू बोर्ड को की थी ? उक्त अदालतों का निर्णय क्या हुआ ?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि रेवेन्यू अधिकारी उच्चाधिकारियों के आदेश की पालना करना चाहते थे कि इसी बीच एक व्यक्ति विशेष को राजस्व मंत्री कार्यालय से स्थगन आदेश दे दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि इसी प्रकार के 4 अन्य आदमी भी राजस्व मंत्री की सेवा में उपस्थित हुए थे किन्तु उनको दुत्कार कर भगा दिया गया ? किसी श्री राजू नामक व्यक्ति विशेष को ही राजस्व मंत्री के आदेश किन परिस्थितियों में दिये हैं ?

उत्तर

(1) तहसील अकलेरा से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश दिए गए थे।

(2) जी हां। तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों के विरुद्ध जिलाधीश एवं राजस्व अपील अधिकारी की अदालतों में अपीलें की गईं। अपीलों में बेदखली के आदेश को बहाल रखा गया है।

(3) इनमें से एक मामले में एक व्यक्ति श्री राजमल पुत्र श्री राम प्रताप महाजन ने दिनांक 30-8-78 को एक आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था जिस पर यह आदेश दिये गये कि जिलाधीश मामले की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिन में भेजें एवं तब तक दुकान की सील खोल दी जावे।

(4) यह सही नहीं है। अतिक्रमियों में से केवल दो की दुकानों की तहसीलदार ने धारा 91 की कार्यवाही के तहत सील किया था। राजस्व विभाग के आदेश श्री राजमल के मामले में होने के पश्चात् सील खोल दी गई एवं दूसरे अतिक्रमी की दुकान की सील भी खोल दी गई।

यह आदेश प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर विचार कर ही दिये गए थे।

मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा व झुन्झुनूं से मंडावा सड़क में आई किसानों की भूमि का मामला

84. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा व झुन्झुनूं से मण्डावा सड़क के निर्माण में किन–किन काश्तकारों की जमीन आई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त काश्तकारों में से कितनों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दे दिया गया है और कितनों को देना शेष है ?

(3) राज्य सरकार शेष रहे काश्तकारों को कब तक मुआवजा मुहैय्या कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(?) मुकन्दगढ़ से मण्डावा सड़क के भाग 53 खातेदारान को मुआवजा दिया जा चुका है व 13 खातेदारान का मुआवजा बाकी है।

(१९५)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

झुन्झुनूं मण्डावा सड़क पर भाग 35 खातेदारान को मुआवजा दे दिया गया है तथा 87 खातेदारान को मुआवजा देना शेष है। मण्डावा से बिसाऊ सड़क पर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चालू है।

(3) मुआवजा भुगतान के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी सूचना देने के पश्चात मौके पर जाकर आया है लेकिन खातेदारान उपस्थित नहीं होने के कारण भुगतान शेष रह गया है। शेष रहे खातेदारान को मालूम कर भुगतान करने का प्रयास जारी है और शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा और झुन्झुनूं से मण्डावा सड़क पर अवाप्त की गई भूमि के काश्तकारों की सूची:--

झुन्झुनूं से मण्डावा सड़क

क्र. सं.	नाम काश्तकार
1	2
	1. ग्राम कस्बा झुन्झुनूं
1.	किशाना पुत्र माना कौम कुम्हार सा. देह
2.	भगवाना, गिगला, पि रूड़ा कौम माली
3.	गनी वल्द रहीमा कौम कसाई, सा. देह
4.	बक्षा वल्द पन्ना कौम कुम्हार, सा. देह
5.	महावीर व रामकरण पि. रामसहाय, कौम महाजन नेपालिया, सा. देह
6.	करीम पुत्र जयलाल कौम भूरावि, सा. देह
7.	हनुमाना वल्द मोटा, कौम जाट, सा. देह।
	2. ग्राम सोनसार
8.	दानीया पुत्र नागा, कौम ढाढी, सा. देह
9.	नरसा पुत्र मोटा कौम जाट, सा. देह
10.	मगला, तुलसा पि. धन्ना कौम जाट, सा. देह
11.	चुन्ना, लक्ष्मण पुत्र दुला कौम जाट, सा. देह
12.	किशना वल्द दीपा कौम जाट, सा. देह
13	भैरू, नारायण, सांवला पि. हरदेवा कौम जाट
14.	सांवला पुत्र पूरण 1/2 मूलचन्द, श्रवण, धर्मा पिता लक्ष्मण 1/2, कौम जाट, सा. देह
15.	मनसा वल्द माना कौम जाट
16.	हनुमान पिता मोटा जाट, सा. देह
17.	मैना वल्द हरला कौम जाट, सा. देह

1	2
18.	सांवला राम, मालाराम पि. रामचन्द्र कौम ब्राह्मण सा. देह
19.	पन्ना वल्द दीपा कौम जाट सा. देह

3. ग्राम आबूसर

20. जगनाथ, ओंकार पि. भगवाना कौम ब्राह्मण, सा. देह
21. शिवलाल सिंह पुत्र बृजलाल कौम राजपूत, सा. देह
22. हरदेवा, पन्ना, हुकमा, मुन्ना पुत्र भगवानिया कौम जाट, सा. देह
23. नाथूराम वल्द मेनी कौम जाट, सा. देह
24. नाथूराम पुत्र मोना व पन्नाराम पुत्र मोती कौम जाट, सा. देह
25. कालू पुत्र झाबर कौम चमार, सा. देह
26. बीमा पुत्र खेता कौम जाट, सा. देह
27. आशा, कालू, घड़सी, नाथ, नरमा पि. काला 1/2 मोजा पुत्र रूपा कौम जाट 1/2
28. बालू पुत्र जीवन कौम जाट, सा. देह
29. माना वल्द सुजा कौम जाट, सा. देह
30. तनसुख, चुन्नीलाल व हरदयाल, सागर पि. भोपतराम कौम जाट, सा. देह
31. मु. नारायणी बेवा झाबर कौम जाट, सा. देह

4 ग्राम दुर्जनपुरा

32. गणेशा, भेल्लू, मगला, पि. धर्मा 3/4 हनुमान पुत्र गोपी 1/4 कौम चमार सा. देह .
33. रामकंवार पुत्र बाला कौम जाट, सा. देह
34. अर्जुन, चेता, महादा पि. उदा कौम जाट
35. भागीरथ भगवाना, राजेश्वर पि. नरसा कौम जाट, सा. देह
36. ओमकार, मधा, धोकल व जयकर पि. हीरा कौम जाट
37. दुला पुत्र श्योराम कौम जाट, सा. देह
38. हरदेवा टाकू, चतरू, नराना पि. काना जाट, सा. देह
39. गोपाल बेजा चतर नाराना पि. काना जाट, सा. देह

5. ग्राम दुराना

40. अक्षयसिंह देवीसिंह व रघुवीरसिंह पि. वचनसिंह 1/2 उगमसिंह पुत्र असमान सिंह 1/2 कौम राजपूत, सा. देह

1	2
41.	वालिया पुत्र गंगा कौम जाट सा. देह
42.	भीवा मूला चतरुलाल, हीरा प्रसादा झब्बू पि. चिमना कौम नाई सा. देह
43.	सेतानसिंह चन्दरसिंह, पि. शिवनाथसिंह कौम राजपूत
44.	चतरसिंह डालूसिंह देवीसिंह पि. अमरसिंह कौम राजपूत
45.	रामेश्वर भोरू गुलमारी, सावरमल, बन्शीधर, मुरलीधर, गिरधारी पि. बेजू 1/3 गंगाधर पुत्र सागरमल 1/3 विद्याधर पुत्र मालीराम 1/3 कौम ब्राह्मण
	6. ग्राम दुराना का वास
46.	भोरा पुत्र चेता, असा, रघुनाथा, पि. खेता कौम जाट सा. देह
47.	पूरन पुत्र देवसुख कौम जाट
48.	जोधा पुत्र ज्वाला कौम जाट
49.	परसा पुत्र खेता कौम जाट
50.	खेता पुत्र देवा कौम जाट
51.	नोपा, पन्ना, मूदा पि. रतु कौम जाट सा. देह हि. बराबर
	7. ग्राम हेतमसर
52.	माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी वाके देह। व एहतमाम पुजारी हनुमान पुत्र अर्जुन कौम स्वामी
53.	माफी मन्दिर श्री बालाजी पुजारी श्योकरण पुत्र बालूराम कौम ब्राह्मण सा.देह
54.	माफी मन्दिर श्री बालाजी विराजमान देह व एहतमाम पुजारी श्यामदास चेला सुखदेवदास कौम स्वामी सा. देह
55.	धन्ना वल्द हुकमा कौम जाट सा. जयसिंहपुरा
56.	मुकुन्दा वल्द धन्ना कौम जाट
57.	मुकुन्दा वल्द धन्ना गोमा पुत्र टीकू जाट सा. देह
58.	जोधा वल्द नारायण जाट सा. देह
59.	किशाना बल्द पन्ना जाट सा. देह
60.	रूपा पुत्र नारायण जाट सा. देह
61.	श्योकरण पुत्र कालूराम सा. देह
62.	नारायण हरदेवा, पि. जीसुखराम 1/2 दुर्गा पुत्र मनीराम 1/2 ब्राह्मण सा. देह
63.	दुर्गा वल्द मनीराम सा. देह
64.	जगनाथ पुत्र जीवनराम सा. देह
65.	बजरंगलाल सत्यनारायण पि. जयनारायण ब्राह्मण सा. देह
66.	मालीराम पुत्र खेताराम जाट सा. देह।

Page No 197

(197)

1	2
67.	सुखदेव पुत्र लाला जाट, सा. देह
68.	
69.	गंगाराम वल्द मसाराम जाट, सा. देह
70.	इसरा वल्द खेता जाट, सा. देह
71.	चन्दा वल्द पदया जाट, सा. देह
72.	तारु पुत्र बंगा जाट, सा. चतरपुरा
73.	हरदेवा पुत्र राम, पूरण झाबर पि. लादूराम तारु पुत्र गुगा जाट, सा. चतरपुरा
74.	गोपालसिंह पुत्र मालूमसिंह राजपूत, सा. देह
75.	मोटा पुत्र हुकमा खाती, सा. देह
76.	जगन सूरजा पि. दुल्ला जाट, सा. देह हि. ब.
77.	हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, सा. देह
78.	रामसुख डूरूदाराम पि. सूगाराम जाट, सा. देह
79.	देवीसिंह 1/3 समुदरसिंह 1/3 हनुमानसिंह सगूनसिंह 1/3 पि. छाजूसिंह राजपूत, सा. देह
80.	रूपा पुत्र पोखर चमार, सा. देह

8. ग्राम लूयावास त. झुन्झुनूं

81.	अर्जुन भीवा पि. सोवा जाट सा. देह
82.	हरीसिंह, उदयसिंह, छगनसिंह पि. भूरासिंह राजपूत, सा. देह
83.	हुकमा पुत्र माना जाट, सा. देह
84.	हीरा पुत्र माना जाट, सा. देह
85.	हीरा पुत्र ज्ञाना नायक, सा. देह
86.	भोमसिंह पुत्र मागासिंह राजपूत, सा. देह
87.	ख्याला बीरया पि. पेता कुम्हर, सा. वाहिदपुरा
88.	ग्रसु पुत्र नोपा जाट, सा. देह
89.	कुम्भा, तना पि. दोला जाट, सा. देह
90.	इसरा पुत्र बीरु जाट, सा. देह
91.	मालिया चुनिया पि. मोदा नाई, सा. देह
92.	भवरसिंह नारायणसिंह, बचनसिंह, पैपसिंह हुकमसिंह, मगेजसिंह कल्याणसिंह पि. श्योलालसिंह राजपूत, सा. देह

9. ग्राम वाहिदपुर

93.	गंगाराम अखाराम पि. पूरनमल जाट, सा. देह
94.	मु. इमरती बेवा नोपसिंह राजपूत, सा. देह

1	2
95.	लादूसिंह पुत्र गणपतसिंह राजपूत, सा. देह
96.	धनसिंह पुत्र बालसिंह राजपूत, सा. देह
97.	कालसिंह पुत्र बालसिंह राजपूत, सा. देह
98.	महादा लादू पि. कालु नायक, सा. देह
99.	श्योबक्ष सिंह भागीरथसिंह पि. पूरनसिंह राजपूत, सा. देह
100.	बचनसिंह लालसिंह छीतुसिंह फुलसिंह पि. मुकुन्दसिंह राजपूत, सा. देह
101.	चतरसिंह पुत्र गणपतसिंह राजपूत, सा. देह
102.	छतुसिंह छूलासिंह पि. मुकुन्दसिंह राजपूत, सा. देह
103.	किशनसिंह मूलसिंह राजपूत, सा. देह
104.	चिमनसिंह मूलसिंह हवालसिंह हि. ब.

10. ग्राम श्योपुरा

105.	गोविन्द वल्द लादू जाट, सा. देह
106.	चिमना पुत्र मेरा जाट, सा. देह
107.	नायना पुत्र गोपाल जाट, सा. वाहिदपुरा
108.	जगा पुत्र किशना जाट, सा. देह
109	सुगन सिंह पुत्र भूरा सिंह जाट, सा. देह
110.	बेरीसाल सिंह पुत्र भगवानसिंह राजपूत, सा. देह
111.	फुला दायाद गोदा जाट, सा. देह
112.	भवान पुत्र स्योलाल जाट, सा. देह
113.	कन्या पुत्र 1/2 केसर हरलाल मि. नाइर 1/2 जाट, सा. देह
114.	केसर पुत्र काना जाट, सा. देह
115.	खमला पुत्र बोला जाट, सा. देह

11. ग्राम ढानी जैशियान

116.	डूमरो वल्द पन्ना दरोगा, सा. देह
117.	भागीलाल पुत्र दौलतराम ब्राह्मण, सा. देह
118.	भूरा मूगा पि. मेघा जाट, सा. देह
119.	भूला पुत्र स्योनी चमार, सा. देह
120	परसादी रामलाल हजारी लाल पि. रामलाल ब्राह्मण, सा. देह

12. ग्राम कस्बा मण्डावा

121.	दुर्गा प्रसाद वल्द भागीरथ कौम ब्राह्मण, सा. देह
122.	जैयसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत, सा. देह

Page No 199

(199)

मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा सड़क
(मुकन्दगढ़ से मण्डावा भाग)

क्र. सं.	नाम काश्तकार
1	2

ग्राम मण्डावा

1. ठा. भीमसिंह पुत्र ठा. इन्दरसिंह राजपूत, सा. देह
2. मनीया पुत्र भूथा माली, सा. देह
3. जिनकू पुत्र मोहन धाबाई, सा. देह
4. शियाराम पुत्र गिरजा मालजोशी, सा. देह
5. फूलाचन्द पुत्र सनेहीराज महाजन, सा. देह
6. जयसिंह पुत्र हरिसिंह 1/2 भीवासिंह, पुत्र इन्दरसिंह 1/2 सा. देह
7. टीकमदास पुत्र गंगादास स्वामी, सा. देह

ग्राम मीणावास

8. जैसाराम पुत्र मानाराम चमार, सा. देह
9. कालू पुत्र लाख्या जाट, सा. देह
10. घीसा पुत्र सेवा जाट, सा. देह
11. घरदेवा रूघा मि. रामू जाट, सा. देह
12. जसूराम पु. चिमनराम जाट, सा. देह
13. गणपत पुत्र चेता जाट, सा. देह
14. लादू पुत्र उदा 1/2 अगन प्रेम पि. लिखमा 1/2 जाट, सा. देह
15. गणेशराम पुत्र मन्नाराम जाट, सा. देह
16. इसरा पुत्र सुन्दर जाट, सा. देह
17. दलाराम पुत्र परमाराम जाट, सा. देह
18. भगवाना पुत्र सेडू 1/2 व गणपत पुत्र भोकरा 1/2 माली, सा. देह
9. पोखर थाना जाट, सा. देह
20. गोरा पुत्र सेवा जाट, सा. देह
21. बीदा, सुखा पि. रूपा 2/3 नाथा पुत्र हरदेवा 1/3 जाट, सा. देह

ग्राम दीनवा

2. प्रभूसिंह पुत्र डूगासिंह 2/3 पुत्र जोरा बेवा बगूसिंह 1/3 राजपूत, सा. देह
23. नारायण जीना पि. प्रेमा जाट, सा. देह
24. गोरू पुत्र बालूराम 10—1 माला पुत्र बाला कुम्हार, प्र—6, सा. देह

Page No 200

(200)

1	2
25.	खीवांसिह पुत्र मुकुन्दसिंह राजपूत, सा. देह
26.	चिमना
27.	सागर पुत्र रामू दरोगा, सा. देह
28.	सुरजनसिंह, मूलसिंह मादरसिंह, सिसपालसिंह पि. करणसिंह 1/2 व लालसिंह पु. रामूसिंह 1/2 राजपूत, सा. देह
29.	शेतान पुत्र सूरजा धाबाई, सा. देह
30.	डालूसिंह, करणसिंह देवीसिंह 1/4 चुनसिंह पि. मु. किशनसिंह 1/4 व मालूसिंह पुत्र सुरजसिंह 1/4 व मलूसिंह मु. सुरजनसिंह 1/4 गोपालसिंह पुत्र बनेसिंह 1/4 राजपूत, सा. देह
31.	लादूसिंह पुत्र ओनादसिंह 1/2 व फतेसिंह पुत्र बाचसिंह 1/2 राजपूत, सा. देह
	ग्राम फुसखानी
32.	द्वारका प्रसाद पुत्र सूरजमल जाट, सा. देह
33.	जगन पुत्र बेगा जाट, सा. देह
34.	रेखिया पुत्र गणपत दरोगा, सा. देह
35.	चेता, गोपाल पि. जोध 1/2 सावलिया पुत्र पूरन 1/4 मांगिया पुत्र डेडा 1/4 जाति चमार, सा. देह
36.	सेठ शिवनारायण बेणीराम ट्रस्ट संचालन सेठ खगमलाल नेमानी, सा. चूडी
37.	मंगला पुत्र दौला जाट, सा. देह
38.	कुरडिया पुत्र मोती चमार, सा. देह
39.	केदा पुत्र मेवा जाट, सा. देह
40.	महादेव पुत्र मोती चमार, सा. देह
41.	कालू पुत्र हीरा जाट, सा. चूडी
	ग्राम चूडी उर्फ चतुरपुरा
42.	ओनाडसिंह पुत्र सुरजमसिंह राजपूत, सा. देह
43.	रावतसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत, सा. देह
44.	गोगराज पुत्र पेसाराम ब्राह्मण, सा. देह
45.	रामू पुत्र परसा जाट, सा. देह
46.	द्वारका पुत्र गोरधन महाजन, सा. देह
47.	रामलाल जोदिया दीप मंगला पि. चन्द्रा चमार, सा. देह
48.	वासदेव छोट पि. खेता ब्राह्मण, सा. देह
49.	मदान, भावर, रामेश्वर सागर, सावना, बजरंगा पि. नन्दा खाती, सा. देह
50.	भावर मल अणतराम मुरलीधर पि. बिलाश ब्राह्मण, सा. अजीतगढ़
51.	बद्री प्रसाद, सावरमल, पूरनमल पि. रामेश्वरलाल महाजन, सा. देह
52.	हेमराज पुत्र गणेशराज ब्राह्मण, सा. देह

1	2
52.	गोदराज पुत्र रीखलाल ब्राह्मण सा. देह
53.	मु.जड़ली बेवा किसना व रामलाल पुत्र गणपत ब्राह्मण सा.देह
54.	बालूराम, लादूराम लिक्ष्मण पि. उमड़ा मीना सा. देह
55.	मदनलाल पुत्र सूरजमल महाजन सा.देह
56.	किशारया गणेश पि. पूरना मीना सा. देह
57.	भगवाना पुत्र भूगा मीना सा. देह
58.	बसीरखां पुत्र सुलेमान खां मुसलमान सा. देह
59.	धूली बेवा ईदूशाह फकीर सा. देह
60.	मोहनसिंह पुत्र सुखसिंह राजपूत सा. देह
61.	पीरू साह पुत्र मेरसाह फकीर सा. देह
62.	छोटू पु. हीरा वे भवरा पुत्र मनोहर सिख सा. देह
63.	जसवन्तसिंह पुत्र भूरासिंह राजपूत सा. देह
64.	बलासिंह पुत्र डूगासिंह राजपूत सा.देह

ग्राम अजीतगढ़

65.	सूरजमल गणेश नारायण ब्राह्मण सा.देह
66.	मदनलाल पुत्र सूरज मल महाजन सा.देह

राज्य में गत वर्ष एवं इस वर्ष कायम की गई औद्योगिक इकाइयां

85. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष तथा गत वर्ष में राज्य में कितनी औद्योगिक इकाइयां कायम की गयीं तथा इन इकाइयों में कितने उद्योग स्थापित हुए ?

(2) 1 अप्रेल, 1977 के बाद राज्य में कुल कितने उद्योग स्थापित हुए और उनमें कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

(3) उपरोक्त समय में कितने लोगों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र दिये तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) कितने उद्योग इस काल में जोइन्ट सैक्टर में कायम किये गये तथा कितनी पूंजी का नियोजन हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि उद्योग मंत्री और मुख्य मंत्रीजी पिछले दिनों कलकत्ता गये थे और वहां उद्योगपतियों से मिले ? यदि हां, तो कितने उद्योगपति राज्य में उद्योग लगाने के लिए तैयार हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वृहत् उद्योगों में वर्ष 1977 से अब तक 22 उद्योग स्थापित/विस्तारित किए

(उद्योग मन्त्री)

जा चुके हैं वर्ष 1977 में औद्योगिक लाइसेंस 17 एवं आशय-पत्र 15 नहीं किए। वर्ष 1978 में सितम्बर, 1978 तक औद्योगिक लाईसेन्स 11 तथा आशय-पत्र 21 जारी किए गये। वर्ष 1977 एवं वर्ष 1978 (माह सितम्बर, 78 तक) राज्य में 64 वृहत् उद्योगों के लिए आशय-पत्र (36) एवं औद्योगिक लाइसेन्स (28) मिले सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसी प्रकार एक जनवरी, 1978 से 31 जुलाई, 1978 तक 2570 तथा वर्ष (एक जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977) 1977 में 2593 लघु औद्योगिक ईकाइयों का स्थाई पंजीयन किया गया।

(2) एक अप्रेल, 1977 से 30 सितम्बर, 1978 तक राज्य में कुल 58 आशय-पत्र एवं लाइसेन्स जारी किए गये तथा सितम्बर, 1978 तक 22 उद्योगों में उत्पादन/उत्पादन विस्तार कार्य शुरू किया गया जिनमें कराब 5,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। 1 अप्रेल, 1977 से 31 जुलाई, 1978 तक 4081 लघु उद्योग इकाइयां स्थाई रूप से पंजीकृत है तथा 28,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है।

(3) वर्ष 1977 एवं वर्ष 1978 (माह सितम्बर, 1978 तक) भारत सरकार को कुल 198 प्रार्थना-पत्र, आशय-पत्र। लाइसेन्स/ऊनी एवं सूती धागे) परमिट पाने के लिए सिफारिश कर भिजवाए गए। जिनमें से आशय-पत्र/लाइसेन्स परमिट जारी किए गये। 14 प्रार्थना-पत्रों को प्रथम बार रद्द कर दिया गया, 21 पर भारत सरकार द्वारा कार्यवाही बंद करदी गई तथा 115 प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक भारत सरकार द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। इसी प्रकार एक अप्रेल, 1977 से 31 जुलाई, 1978 तक 7652 लघु उद्योग ईकाईयों को अस्थाई पंजीकरण किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी सुविधाओं की जानकारी दी गई।

(4) संयुक्त क्षेत्र में दो उद्योग स्थापित हुए जिनमें 492–50 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित हुई।

(5) जी हां। कलकत्ता में राज्य का नई औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी दी गई तथा इसके आधार पर कई उद्योगपतियों ने राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम से जानकारी चाही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में मद्य निषेध

86. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.––

(1) क्या आने वाले वर्ष में सारे राज्य में मद्य निषेध हो जायेगा ?

(2) क्या मद्य निषेध नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई समिति बनाई गई है ?

(3) अब तक मद्य निषेध के कारण राज्य सरकार को कितनी आर्थिक हानि हुई है ?

(श्री शिवचरणसिंह)

(4) केन्द्रीय सरकार मद्य निषेध के नुकसान की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को कितनी राशि दे चुकी है ?

(5) अगले वर्ष में नुकसान का क्या अनुमान है व राज्य के किस किस जिले में मद्य निषेध लागू होगा ?

उत्तर

(1) अभी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) अब तक जो हानि हुई है और जो दिनांक 31-3-79 तक होने की सम्भावना है वह अनुमानित 17,05,72,340/- रुपये है।

(4) वर्ष 1968-69 से वर्ष 1973-74 तक के लिये भारत सरकार से 1,06,00,000/– रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके पश्चात् कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(5) अगले वर्ष मद्य निषेध का क्षेत्र कितना बढ़ाया जाता है अथवा पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जाता है यह अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं है। अतः हानि का फिलहाल कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

विधान सभा सदस्यों की सलाहकार समितियां

87. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा के सदस्यों की जो सलाहकार समितियां बनाई गई हैं, उनके क्या क्या कर्त्तव्य हैं और उनकी बैठक साल में कितनी बार कब कब बुलाई जा सकती है और क्या उन कमेटियों के निर्णय को राज्य सरकार मानने के लिये बाध्य है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) इन सलाहकार समितियों को बनाने के आधार और उद्देश्य क्या थे और इनके बनने के बाद इनकी पूर्ति हुई ?

उत्तर

(1) (क) सलाहकार समितियों के कर्त्तव्य सरकारी नीतियों के सिद्धान्तों, समस्याओं एवं प्रशासनिक विभागों के कार्यकरण पर सदस्यों तथा मंत्रियों एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के लिए फोरम की व्यवस्था करना है।

(ख) समिति की बैठक के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है किन्तु यह आवश्यक है कि विधान सभा सत्र में ही समिति की बैठक बुलाई जाय।

(ग) केवल निम्न अपवादों को छोड़कर सामान्यतया यदि समिति किसी विचार पर एक मत हो तो सरकार उसे स्वीकार करने पर विचार कर सकती है।

अपवाद–(1) वित्तीय विविधाओं वाला कोई विचार।

(2) किसी स्वशासी क्षेत्र, निगम इत्यादि के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई मामला।

(2) (क) समिति बनने के आधार और उद्देश्य प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में समाविष्ट हैं।

(विधि मन्त्री)

(ख) अभी तक कुछ समितियों की बैठक ही हुई है। प्रत्येक समिति की कुछ बैठकें सम्पन्न होने के पश्चात् ही उद्देश्यों की पूर्ति का जायजा संभव हो सकेगा।

राजकीय खनिज उद्योग

88. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय खनिज उद्योग उपक्रमों में खानों से प्राप्त कितनी खनिज सामग्री उपलब्ध होती है ? क्या सामग्री का बाकायदा इन्द्राज प्रति दिन किया जाता है ?

(2) क्या खर्च एवं स्टॉक का भी ऐसा ही हिसाब रखा जाता है ?

(3) क्या विभागीय अधिकारी इसकी चैकिंग प्रतिदिन करते हैं ?

उत्तर

(1) चालू वर्ष में 1-4-78 से अगस्त 1978 व 30–सितम्बर 1978 तक खनिज के उत्पादन के आंकड़े संलग्न सूची में अंकित हैं। सामग्री का इन्द्राज प्रतिदिन किया जाता है।

(2) जी हां।

(3) निगम के अधिकारी चैकिंग समय समय पर करते हैं।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कोरपोरेशन, लिमिटेड, जयपुर।

क्र.सं.	खनिज	उत्पादन अगस्त, 1978 तक टनों में
1	2	3
1.	फ्लोस्पार	965.96
2.	फ्लोस्पार	52.694
		280.682
		333.376
3.	लाइम स्टोन	15775.000
		15545.500
		31320.500
4.	टंगस्टन	14,025.400
5.	ग्रेफाईट	4978.500
6.	जिप्सम	78,312.860

1	2	3
7.	केओलीन	
	एफक-फोस्फेट	247.200
8.	लीड, जिंक पेपर	--
9.	ग्रेनाईट ब्लोक्स	109.59 क्यूबिक मी.
	स्लेमल	112.30 स्का. मी.
10.	स्लेट	505.5537

राजस्थान स्टेट माईन्स व मिनरल लि.		77-78 में उत्पादन टनों में	78-79 में उत्पादन टनों में
1.	फोस्फेट	5,06,315.68	297,699.76
2.	जिप्सम	297100	1,22,733.72

कोलायत तहसील में खनिज खनन् हेतु पट्टे

89. श्री रामकिशन दास गुप्ता (कोलायत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कोलायत तहसील में उपलब्ध खनिज के खनन हेतु कितने-कितने लोगों को, कितने पट्टे लीज पर इस शर्त पर दिये गये हैं कि वे आवंटन के पांच वर्षों के अन्दर-अन्दर उन पर आधारित उद्योग इस क्षेत्र में लगाये ?

(2) कितने लीज पट्टे उपरोक्त शर्त के साथ रिन्यू किये गए हैं ?

(3) निर्धारित अवधि के अन्दर या समाप्त होने पर कितने लीज होल्डर्स ने, खनिजों पर आधारित उद्योग इस क्षेत्र में लगाये हैं ?

(4) कितने लीज होल्डर्स ने इस शर्त को तोड़ा (ब्रेक) है और उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की है, तो ऐसा न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) कोलायत तहसील में उपलब्ध खनिजों के खनन् हेतु केवल 8 व्यक्तियों को 10 पट्टे लीज पर इस शर्त के साथ दिये गये हैं कि वे आवंटन के पांच वर्षों / 2 वर्षों के अन्दर अन्दर उन पर आधारित उद्योग क्षेत्र में लगावेंगे।

(2) केवल एक खनन् पट्टा दिया गया है।

(3) निर्धारित अवधि में किसी भी लीज होल्डर्स ने कोई उद्योग नहीं लगाया है।

(खनिज मन्त्री)

(4) जहां तक शर्त को तोड़ने का प्रश्न है वह सभी उक्त पट्टाधारियों ने तोडी है जिसके लिये राज्य सरकार ने सम्बन्धित पट्टेधारियों को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस दिये हैं। नोटिसों के उत्तर में उन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र की मिट्टी पूर्ण रूप से संयन्त्र लगाने हेतु उपयुक्त नहीं है। राज्य सरकार ने पट्टाधारियों के उत्तर पर मनन किया। विभाग द्वारा खनिज के वैज्ञानिक व तकनिकी विश्लेषण पर यह पाया कि वास्तव में इस क्षेत्र की मिट्टी पर सिरेमिक (चीनी मिट्टी उद्योग) की स्थापना सम्भव नहीं होगी। मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

खैरवाड़ा क्षेत्र में कराये गये राहत कार्यों की मजदूरी के चुकारे का मामला

90. श्री सूर्य प्रकाश डोडा (खैरवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1978 में अकाल राहत कार्यों में (1) खैरवाड़ा से रानी रोड, (2) खैरवाड़ा से सोम रोड, (3) रिसदेव से सागवाड़ा रोड तथा (4) खैरवाड़ा से कल्यानपुर रोड पर कितनी-कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई ?

(2) क्या सभी मजदूरों को मस्टररोल पर नपती के आधार पर सही चुकारा दिया गया है ?

(3) क्या मस्टररोलों के आधार पर चढ़ी नपती सही थी ? यदि हां, तो मजदूरों का पेमेन्ट पूर्व की नपती के आधार पर क्यों नहीं दिया गया ?

(4) क्या मजदूरों का पेमेन्ट मस्टर-रोल में काटा फांसी करके दिया गया ? यदि इस तरह हेर फेर किया गया तो क्यों किया गया ? क्या मजदूरों को पेमेन्ट हेर फेर कर कम दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निम्न राशि व्यय की गई:—

1. खैरवाड़ा से रानी रोड—रु. 60,605.92
2. खैरवाड़ा से सोम रोड — रु. 8,07,101.65
3. रिसवदेव से सागवाड़ा रोड — रु 82,282.85
4. खेरवाडा से कल्याणपुर रोड—रु. 1,32,516.25

(2) जी हां।

मजदूरों को नपती के आधार पर ही सही चुकारा किया जाता है।

(3) मस्टर रोल में नपती चढ़ने के बाद यदि चैकिंग के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाता है। सही नपती के अनुसार ही भुगतान किया गया।

(4) यदि कहीं नपती चैकिंग के दौरान सही करने के सम्बन्ध में जो सुधार करना पड़ा तो उसे सही करके भुगतान किया गया।

बीकानेर की उरमूल डेरी के बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स का मामला

91. श्री उदाराम हटीला (नोखा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उरमूल डेयरी, बीकानेर के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में एक भी हरिजन प्रतिनिधि नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? राज्य सरकार कोई प्रतिनिधि लेगी अथवा नहीं ? यदि लेगी, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां।

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में 40 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों पर एक मेम्बर लेने का नियमों में प्रावधान है। जाति विशेष का भेद-भाव नहीं रखा है। यदि समितियां चाहें तो हरिजन सदस्य को भी चुन कर भेज सकती हैं।

जिला बून्दी की पेयजल समस्या का निवारण

92. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति केशोरायपाटन (जिला बून्दी) में पेय जल की समस्या को हल करने के लिए कुल कितने कुओं का निर्माण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त कुओं का निर्माण अधूरा है ? यदि हां, तो कब से और कितने कुए अधूरे हैं ?

(3) इन अधूरे कुओं का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

(4) क्या पंचायत समिति क्षेत्र में कुओं का निर्माण प्रस्तावित भी है ? यदि हां, तो कितने कुओं का ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 95 कुओं का निर्माण कराया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त कुओं में से 79 कुएं अधूरे हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायतों द्वारा उपलब्ध अनुदान की राशि तथा "काम के लिये अनाज" योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को जिनमें कुएं भी शामिल हैं पूरे कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) जी हां, जिलाधीशों से प्रस्ताव मांगे गये हैं समस्त प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति दी जावेगी।

पंचायत समिति केशोराय पाटन में अपूर्ण एवं पूर्ण कूप निर्माण कार्यों की सूची :—

जिला बून्दी (राजस्थान)

क्र. सं.	नाम स्थान जहां पर कूप निर्माण कार्य करवाया गया है।	पंचायत का नाम
1	2	3
1.	कूप निर्माण लेसरदा	लेसरदा
2.	,, बनजारों की झोपड़िया	,,

Page No 208

(208)

1		2	3
3.	कूप निर्माण	माखीदा	माखीदा
4.	,,	खाखटा	,,
5.	,,	पीपल्दा थाग	,,
6.	,,	झाडयाखेडा	गेटदा
7.	,,	बलीयान गेटेदा	,,
8.	,,	ठीकाली	,,
9.	,,	दाताना	कावला की झोपड़ियां
10.	,,	करवाला की झोपड़ियां	,,
11.	,,	पीपल्दा समेल	,,
12.	,,	मेनाली	,,
13.	,,	जैथल	जैथल
14.	,,	फोलाई	फोलाई
15.	,,	मोरखदना	,,
16.	,,	जगन्नाथपुरा	,,
17.	,,	गोठडा	,,
18.	,,	सहुनपर	बसवाडा
19.	,,	चहीचा	देहीखेडा
20.	,,	कोटीखुर्द	,,
21.	,,	महादेव जी	,,
22.	,,	गणेश जी	,,
23.	,,	स्टे. घाटका बराना	घाट का बराना
24.	,,	कोटडी	,,
25.	,,	बलदेवपुरा	,,
26.	,,	बडाखेड़ा वार्ड नं. 3	बड़ाखेड़ा
27.	,,	वडाखेड़ा	,,
28.	,,	रेवारपुरा	रेवारपुरा
29.	,,	पापडला	,,
30.	,,	खेड़यादुर्जन	,,
31.	,,	बोरदामाल	बलकासा
32.	,,	चमारों का	,,
33.	,,	पापड़ी	पापडी
34.	,,	नयागांव	,,
35.	,,	खरायता II	,,

1	2	3
36.	कूप निर्माण डपरा	पापडी
37.	,, खेडली	,,
38.	,, हिंगोनिया	हिंगोनिया
39.	,, नयागांव	,,
40.	,, चाढगांव	,,
41.	,, गाजनी	,,
42	,, भावपुरा I	लाखेरी
43	,, भावपुरा II	,,
44.	,, गरमपुरा हाथी दमा की टापरी	,,
45.	,, माडगुवार	सखावदा
46.	,, चडी II	रडी
47.	,, चडी I	,,
48.	,, रडी।	,,
49.	,, इन्द्रपुरिया	,,
50.	,, पादड़ा	,,
51.	,, अरनेठा I	अरनेठा
52.	,, श्रीपुरा	,,
53.	,, गन्डोली	गेन्डोली
54.	,, छरखवाडा	माइजा
55.	,, कानीछेड़ा	,,
56.	,, झवासा	माइजा
57.	,, करेवाला	करवाला
58.	,, करवाला द्वितीय	,,
59.	,, रघुनाथपुरा	,,
60.	,, छाडेदा	,,
61.	,, बनीयानी	,,
62.	,, विजनगर	चितावा
63.	,, चितावा स्कूल	,,
64.	,, पटोलिया	,,
65.	,, गुडला	,,
66.	,, माधोराजपुरा	मीया
67.	,, मीया अनु. जाति	,,
68.	,, जगन्नाथ	,,

Page No 210

(210)

1	2	3
69. कुप निर्माण	चौतराका खेड़ा	बोरदा काछी.
70. ,,	अमरपुरा	,,
71. ,,	स्टे. चाडाना	चरडाना
72. ,,	चरडाना	,,
73. ,,	अरनिया	,,
74. ,,	बाभडली	,,
75. ,,	प्रतापगढ़	उतराना
76. ,,	उतराना अनु. जाति	,,
77. ,,	मीणों का उतराना	,,
79. ,,	समदपुरिया	सारसला
7[illegible]. ,,	पीपल्दा	,,
80. ,,	खेड़ली	,,
81. ,,	टाकरवाड़ा	,,
82. ,,	झाली जी का बराना	झा. का बराना
83. ,,	झा. का बराना II	,,
84. ,,	नोताड़ा घरावन	नाताड़ा
85. ,,	छपनपुरा	,,
86. ,,	अगतपुरा	आनेठा
87. ,,	आनेठा II	,,
88. ,,	जलादा	जलादा
89. ,,	खेड़ली	,,
90. ,,	गुहाठा	लवान
91. ,,	रामगंज	,,
92. ,,	वालोथा	गुमयर (गूमगर)
93. ,,	केशोनगर	,,
94. ,,	नीमोदा	लेसरदा
95. ,,	अनु. जाति काप्रेन	काप्रेन

क्र.सं.	नाम स्थान जहां पर कूप निर्माण कार्य करवाया गया है ।	पंचायत का नाम	वर्ष
1	2	3	4
1.	कूप निर्माण लेसरदा	लेसरदा	1964

1	2		3	4
2.	कूप निर्माण	माखीदा	माखीदा	1967
3.	,,	खाखटा	,,	1960
4.	,,	पीपल्दा थाग	,,	1975
5.	,,	हाड्याखेडा	गेटदा	1960
6.	,,	बलीयान गेटेडा	,,	1960
7.	,,	ठीकाली	,,	1960
8.	,,	दाताना	कावाला की झौपड़ियां	1963
9.	,,	कावाला की झौपड़ियां	,,	1963
10.	,,	पीपल्दा समेल	,,	1964
11.	,,	मेनाली	,,	1965
12.	,,	जैथल	जैथल	1964
13.	,,	फौलाई	फौलाई	1966
14.	,,	मोरखदना	,,	1963
15.	,,	जगन्नाथपुरा	,,	1973
16.	,,	गोठडा	,,	1963
17.	,,	सहनपुर	बसवाड़ा	1961
18.	,,	चहीचा	देहीखेड़ा	1978
19.	,,	कोटीखुर्द	,,	1961
20.	,,	महादेव जी	,,	1961
21.	,,	गणेश जी	,,	1961
22.	,,	स्टे. घाट का बराना	घाट का बराना	1961
23.	,,	बडाखेडा वार्ड नं. 23	बडाखेड़ा	1963
24.	,,	बडाखेड़ा	बड़ाखेड़ा	1961
25.	,,	रेवारपुरा	रेवारपुरा	1960
26.	,,	पापड़ली	,,	1961
27	,,	खेडयादुर्जन	,,	1962
28.	,,	बोरदामाल	बलकासा	1960
29.	,,	चमारों का	बलकासा	1964
30.	,,	पापड़ी	पापड़ी	1962
31.	,,	खारायतां II	,,	1962
32.	,,	डगटा	,,	1961
33.	,,	हिंगोनिया	हिंगोनिया	1961
34.	,,	नयागांव	,,	1960

Page No 212

(212)

1	2		3	4
35.	कूप निर्माण गाजनी		हिंगोनिया	1961
36.	,,	भावपुरा I	लाखेरी	1961
37.	,,	भावपुरा II	,,	1960
38.	,,	माडगुवार	अखावदा	1960
39.	,,	चडी I	रडी	1976
40.	,,	चडी II	,,	1960
41.	,,	इन्द्रपुरिया	,,	1960
42.	,,	पादड़ा	,,	1960
43.	,,	श्रीपुरा	अरनेडा	1960
44.	,,	गन्डोली	गेन्डोली	1963
45.	,,	छरक्वाडा	माइजा	1960
46.	,,	कानीखेडा	,,	1960
47.	,,	करेवाला	करवाला	1961
48.	,,	करवाला द्वितीय	,,	1961
49.	,,	रघुनाथपुरा	,,	1960
50.	,,	छाडेदा	,,	1966
51.	,,	बनियानी	,,	1960
52.	,,	विजयनगर	चितावा	1960
53.	,,	पटोलिया	,,	1976
54.	,,	माधोराजपुरा	भीया	1961
55.	,,	भीया अनु. जाति	,,	1961
56.	,,	जगन्नाथ	,,	1962
57.	,,	चोतराका खेड़ा	बोरदा काछी	1963
58.	,,	अमरपुरा	बोरदा काछी.	1961
59.	,,	चरडाना	चरडाना	1961
60.	,,	अरनिया	,,	1960
61.	,,	बाझन्डली	,,	1961
62.	,,	प्रतापगढ़	उन्तराना	1960
63.	,,	मीणों का उतराना	,,	1961
64.	,,	समदपरिया	सारसला	1961
65.	,,	पीपल्दा	,,	1961
66.	,,	खेडली	,,	1961
67.	,,	टाकरवाड़ा	,,	1960

1	2		3	4
68.	कूप निर्माण झाली जी का बराना		झा. का बरना	1960
69.	,,	झा. का बराना II	,,	1961
70.	,,	नाताडा घरावन	नाताडा	1960
71.	,,	छपनपुरा	,,	1960
72.	,,	अणतपुरा	आनेठा	1960
73.	,,	जलादा	जलादा	1960
74.	,,	खेडली	,,	1961
75.	,,	गुहाठा	लवान	1961
76.	,,	रामगंज	,,	1961
77.	,,	वालीया	गूमगर	1960
78.	,,	नीमोदा	लेसरदा	1961
79.	,,	अनु. जाति कांग्रेस	कांग्रेस	1961

वाणिज्य कर विभाग के सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों का मामला

93. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के वाणिज्य कर विभाग के करीब 80 सहायक वाणिज्य कर अधिकारी एडहोक बेसिस पर क्रमोन्नत किये हुए गत आठ साल से चल रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों को पांच छः माह का वेतन एक साथ मिलता है जिससे उन्हें सर्वदा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस संदर्भ में मेरे द्वारा तारांकित प्रश्न पिछले बजट सत्र में पूछा गया था और वित्त मंत्री ने जवाब में यह कहा था कि जून, 78 तक डी.पी.सी. बैठाकर उनका स्थायीकरण कर दिया जायगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि अभी तक डी. पी. सी. नहीं बैठी है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं एवं अब डी. पी. सी. कब तक बैठा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस विभाग में केवल 26 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ही एडहोक बेसिस पर क्रमोन्नत किये हुए गत आठ वर्षो से कार्य कर रहे हैं।

(2) एडहोक बेसिस पर कार्यरत अधिकारियों के सेवाकाल की अवधि में वृद्धि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने पर की जाती है। अतः कई बार भुगतान कई महीनों का एक साथ करना पड़ता है।

Page No 214

(214)

(वित्त मंत्री)

(3) जी हां ।

(4) जी हां । वरिष्ठता सूची के विरुद्ध कई निरीक्षकों के मामले विचाराधीन हैं । इन मामलों में अन्तिम निर्णय माह सितम्बर, 1978 तक लिया जाकर अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी जावेगी । इसके पश्चात् ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जायेगी ।

खनिज–खदानें

94. श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज-मंडी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गरीब मजदूरों को या ऐसी सोसायटियों को दी जाने वाली खनिज-खदानें, शनैः शनैः पूंजीपतियों के हाथों में चली गई ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि नाम तो रहा मजदूरों का, अनुसूचित जाति का, किन्तु मालिक रहे धन्ना सेठ ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह भी सही है कि खदान मालिकों ने मजदूरों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान नहीं कीं ?

(4) क्या इसका विकल्प खनिज-खदानों का राष्ट्रीयकरण नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है ।

(4) राष्ट्रीयकरण से सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है ।

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 75 की सूची)

मदवार व्यय का ब्यौरा

लेखा शीर्षक		1977–78	
		आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय
1.	संवेतन	236.71	48.52
2.	मजदूरी	1.12	0.38
3.	यात्रा व्यय	13.15	5.59
4.	चिकित्सा व्यय	2.72	1.40
5.	कार्यालय व्यय	21.55	16.94
6.	किराये, रेट और कर	2.52	0.17
7.	सहायतार्थ अनुदान	61.99	17.47
8.	मोटर गाड़ियां	5.67	7.48
9.	लघु निर्माण कार्य	0.40	34.11
10.	भेषज और औषधियां	10.87	8.65
11.	मशीनरी और साज सामान	2.10	6.62
12.	लसी एवं रक्षाणु लस	2.25	4.31
13.	पशुओं का भरण पोषण	19.55	2.82
14.	पशुओं की खरीद	0.52	0.96
15.	कृषि व्यय	0.40	–
16.	मेला प्रबन्ध	3.00	–
17.	पावर	0.40	–
18.	मेन्टीनेन्स	0.11	–
19.	डिक्री सम्बन्धी व्यय	0.02	–
20.	सीमा कर	0.90	–
21.	अन्य प्रभार (विविध)	0.41	0.20
21.	ऋण	–	0.60
23.	सामग्री और प्रदाय	7.08	–
24.	विज्ञापन, विक्रय व प्रचार	0.20	0.50
25.	प्रशिक्षण	0.09	1.27
	योग :	394.21	157.09

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

District-wise Progress of 'ANTYODAYA PROGRAMME' in Rajasthan up to 15-9-1978

S. No.	Districts	No.of villages	N.of. villages in which identification completed	No.of families identified	No. of FAMILIES BENEFITTED UNDER VARIOUS SCHEMES: old-Age pension	land allotment	Employment	Credit Coverage: Loan disbursement	Credit Coverage: Sanctioned but not-disbursed	Total	others	Grand Total	% of families covered
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Sirohi	436	436	2584	543	206	5	830	—	830	—	2584	100.0
2.	Jodhpur	701	701	3613	1626	306	29	379	723	1102	550	3613	100.0
3.	Udaipur	3029	3029	15494	1933	9382	18	2733	1269	4002	4	15339	99.0
4.	Alwar*	1876	1876	8572	1260	4133	125	1639	1261	2900	57	8475	98.9
5.	Pali	821	821	4614	629	1076	261	951	1240	2191	—	4157	90.1
6.	Bikaner	538	538	2394	273	377	39	398	687	1085	369	2143	89.5
7.	Tonk	1005	1005	4331	521	1162	33	1020	1097	2117	—	3833	88.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Kota	1878	1878	8410	1163	1357	119	834	3808	4642	38	7319	87.0
9.	Banswara	1462	1462	7133	351	2849	1436	791	758	1549	—	6185	86.7
10.	Churu	844	844	4173	305	367	11	799	1729	2528	263	3474	83.2
11.	Jalore	595	595	3606	784	722	39	727	618	1345	—	2890	80.1
12.	Bundi	733	733	3330	260	1292	34	104	939	1043	—	2629	78.9
	STATE AVERAGE												
13.	Barmer	844	844	3942	507	869	5	150	1143	1293	356	3030	76.8
14.	S.Madhopur	1531	1531	6923	1951	515	178	1019	1485	2504	51	5199	75.1
15.	Nagaur	1209	1209	6219	774	230	150	1123	1087	2210	1306	4670	75.1
16.	Chittorgarh	2358	2358	8896	442	2328	173	2019	1446	3465	21	6429	72.2
17.	Sikar	811	811	5873	1449	82	91	804	1358	2162	326	4110	69.9
18.	Dungarpur	832	832	4160	468	382	250	266	1522	1788	—	2888	69.4
19.	Jaipur	2716	2716	12726	2253	2416	248	1089	2425	3514	279	8710	68.4
20.	Bhilwara	1521	1521	5706	419	2879	24	119	427	546	—	3868	67.8
21.	Jaisalmer	409	409	2214	188	605	9	103	262	365	309	1476	66.6
22.	Jhalawar	1450	1450	6911	689	2376	218	729	459	1188	66	4537	66.6
23.	Jhunjhunu	685	685	3402	480	—	12	1103	639	1742	—	2234	65.6
24.	Bharatpur**	1886	1886	11596	3664	778	822	320	1458	1778	100	7142	61.6
25.	Ganganagar	1511	1511	6329	1741	742	100	715	189	904	113	3600	56.9
26.	Ajmer	957	957	7217	780	1184	181	591	991	1582	—	3727	51.6
	TOTAL	32638	32638	160517	25453	39615	4610	21355	29020	50375	4208	124261	77.4

Note *As on 31-8-1978

**In addition to above, Charkha's have been sanctioned to 1848 families which are to be distributed.

217

(तारांकित प्रश्न संख्या 13 कृ. म. की सूची)

Statement showing loan disbursed and loan sanctioned but not disoursed upto 31-8-78.

S. NO.	Districts.	COOPERATIVE BANK				COMMERCIAL BANK				TOTAL			
		No. of loan disbursed		Sanctioned but not disbursed.		No. of loan disbursed		Sanctioned but not disbursed		No. of loan disbursed		Sanctioned but not disbursed	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ajmer	115	3.28	335	9.50	354	8.31	318	8.99	469	11.59	663	18.49
2.	Alwar	956	17.50	980	21.11	683	11.84	281	9.22	1639	29.34	1261	30.33
3.	*Banswara	268	3.39	103	1.18	176	2.32	—	—	444	5.71	103	1.18
4.	Barmer	60	1.14	1022	38.86	21	0.45	20	0.53	81	1.59	1042	39.39
5.	Bhilwara	24	0.59	232	6.63	—	—	—	—	24	0.51	232	6.63
6.	**Bharatpur	—	—	—	—	187	2.70	422	9.04	187	2.70	422	9.04
7.	Bikaner	30	0.75	108	3.71	353	8.41	594	10.44	388	9.10	702	14.15
8.	**Bundi	4	0.08	55	1.66	27	0.49	11	2.49	31	0.51	126	4.15
9.	*Chittorgarh	1075	8.94	228	6.09	135	1.75	114	4.50	1210	10.69	412	10.59
10.	Churu	462	4.65	552	6.67	293	7.58	279	6.97	755	12.23	631	13.64
11.	Dungarpur	242	3.26	360	7.47	12	0.13	11	0.76	254	3.39	441	8.23
12.	Ganganagar	—	—	—	—	168	5.97	—	—	168	5.97	—	—
13.	Jaipur	24	0.44	634	14.79	989	18.04	171	31.23	1013	18.48	2365	46.02
14.	Jaiselmer	36	1.03	266	7.54	41	1.56	12	0.24	77	2.59	288	7.78
15.	Jalore	48	0.82	654	17.50	504	9.25	212	6.45	552	10.07	886	23.95
16.	Jhalawar	395	6.05	353	9.32	322	30.01	117	1.14	717	36.06	470	10.46

17.	Jhunjhunu	296	6.42	85	2.37	767	18.08	53	13.49	1063	24.05	588	15.86
18.	Jodhpur	265	5.61	615	22.38	90	1.80	17	3.56	355	7.7	772	25.94
19	Kota	286	2.31	3005	19.93	479	4.53	76	10.79	765	6.84	3781	30.72
20.	Nagaur	135	0.82	626	24.79	714	12.77	57	14.96	849	13.59	1143	39.73
21.	**Pali	95	1.74	180	4.54	734	6.70	92	27.82	529	8.40	1112	32.36
22.	S. Madhopur	20	0.40	811	28.12	786	13.91	45	12.49	806	14.31	1306	40.61
23.	Sikar	229	3.62	659	15.12	555	9.97	29	4.74	784	13.59	878	19.86
24.	Sirohi	727	15.70	—	—	103	11,04	—	—	830	26.94	—	—
25.	Tonk.	158	0.76	488	11.38	841	14.82	402	9.33	999	15.58	890	20.71
26.	Udaipur	2023	26.77	172	41.22	685	12.67	118	81.75	2708	39.44	1377	122.97
	TOTAL :	7973	116.18	12320	321.86	9719	215.10	9571	270.93	17692	331.28	21891	592.79

*Figures of 31-7-78 repeated.
**Figures of 30-6-7 repeated.

ABSTRACT	Coop. Bank,		Commr. Bank		Total.	
Loan disbursed	No.	Amt.	No	Amt.	No.	Amt.
	7973	116.18	9719	215.10	17692	331.28
Loan Sanct. but not	12320	321.86	9571	270.93	21891	592.79
TOTAL :	20293	438.04	19290	486.73	39583	924.07

TABLE–1

Economic of various purposes of Loaning under 'Antyodaya'

S.No.	Purposes	Total capital require-ments	Loan	Subjidy	Annual Gross Income	Instalment of loan	Net Income
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	**Agricultural and Allied Purposes:**						
1.	Bullock Cart	4000	2667	1333	2430	708	1722
2.	A pair of bullock	3200	2400	800	1713	640	1073
3.	Camel cart with camel	4000	3000	1000	5500	930	4570
4.	Donkey cart	1000	667	333	1620	206	1414
5.	Buffalo cart with one buffalo ..	3000	2000	1000	4660	520	4140
6.	Buffalo cart with two buffaloes ..	4000	2667	1333	4017	701	3316
7.	Cow unit (2 cows)	3000	2250	750	2510	1635	1875
8.	Buffaloe unit (2 buffaloej)	4000	2667	1333	1715	706	1009
9.	Sheep unit (30+1)	4250	3188	1062	2686	1251	1435
10.	Goat unit (10)	3000	2000	1000	1260	550	710
11.	Poultry (100)	4300	2867	1433	1524	760	764
12.	Piggery units (3)	1900	1267	633	765	345	420

1	2	3	4	5	6	7	8
(B)	**Other Purposes**						
13.	Mats uleaving	600	400	200	1224	80	1144
14.	Churi making (manihari work) ..	1800	1200	600	5724	240	5484
15.	Rural Tailoring shop	450	300	150	1676	100	1576
16.	Manufacturing of bamboo basket ..	600	400	200	1251	80	1171
17.	Nivar making	800	534	266	2044	109	1935
18.	Blacksmithy	700	466	234	2000	94	1906
19.	Village cobbler	400	266	134	1800	54	1746
20.	Carpenter shop	600	400	200	2000	80	1920
21.	Bharbhuja shop ..	700	467	233	900	40	806
22.	Barber shop	300	200	100	1800	94	1760
23.	Rural tea-stall	550	367	183	3600	74	3526
24.	Cycle repairing shop	650	433	217	1800	87	1713
25.	Antyodaya Bank (8 persons) ..	3000	2000	1000	5240	400	4840

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची)

औद्योगिक क्षेत्र सोजत सिटी में भूखण्डों का आवंटन

क्र. सं.	उद्यमी का नाम	प्रस्तावित	भूखण्ड संख्या	आवंटन तिथि	पंजीकरण तिथि	निर्माण या उत्पादन कार्य	बकाया राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मै. राजस्थान कैमीकल्स	कैमीकल्स	1 से 5	1/1/72 व 12/5/72	8/6/72 व 30/3/72	उत्पादन	16,313.50	बकाया राशि के लिए नोटिस दिया गया है।
2.	मै. प्रेम चन्द मेहता एण्ड ब्रा.	मेहन्दी	6 व 7	19/1/73	31/8/73	—	—	आवंटन दिनांक 21-8-78 को निरस्त कर दिया गया है।
3.	मै. परमानन्द एण्ड कं.	मेहन्दी	36	2/11/76	—	—	—	इस भूखण्ड पर अनधिकृत कब्जा है जिससे उद्यमी ने काम शुरू नहीं किया। अब उसे भूखण्ड सं. 6 व 7 दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	मै. सीबा मोहम्मद	इंजीनियरिंग	8 व 9	12/7/72	31/8/73	उत्पादन	1,013.18	बकाया राशि के लिए नोटिस दिया गया है।
5.	मै. महावीर भा मिल्स	भा मिल्स	10	25/8/76	7/2/77	–	1,800.00	समय बढ़ाया गया है। बकाया राशि के लिए नोटिस दिया गया है।
6.	मै. पोरवाल अशोक कुमार	सीमेन्ट	11	6/2/78	नहीं करवाई	–	–	आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
7.	मै. मनोज मेहन्दीवाला एण्ड कं.	मेहन्दी	12 व 13	23/1/78	उपरोक्त	–	715.00	आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
8.	मै. माकेलाल गोटावत	प्लास्टिक	14 से 17	4/4/72	18/3/73	–	9,541.00	आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
9.	मै. मोहन लाल गोटावत	प्लास्टिक	18 व 19	4/4/72	31/8/73	–	4,210.00	आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
10.	मै. गुनवतराज उत्तम चन्द	टैक्सटाइल्स	20, 21 व 25	25/1/77	19/4/77	निर्माण	–	
11.	मै. बांठिया टैक्सटाइल्स	टैक्सटाइल्स	26 व 27	21/8/76	29/10/76	निर्माण	1,800.00	समय दो माह का बढ़ाया गया है।
12.	मै. लघुनाथ आटोमोबाइल्स	आटो-मोबाइल्स	22 व 23	2/11/75	24/12/75	उत्पादन	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मै. डी. एम. सोजतवाला	मेहन्दी	24	13/1/76	19/7/77	–	–	पहले का आवंटन निरस्त कर दिया गया व उद्यमी के निवेदन पर नई दर पर पुन: आवंटन कर दिया गया है ।
14.	मै. माहटा टैक्सटाइल्स	टैक्सटाइल्स	28 से 30	15/9/76	29/10/76	–	–	आवंटन निरस्त कर दिया गया है ।
15.	मै. कटरेला उद्योग	टैक्सटाइल्स	31 व 32	18/9/76	18/1/77	–	2,058.61	कारण बताओ नोटिस दिया है ।
16.	मै. हिना इन्टरनेशनल	मेहन्दी	33 व 34	21/8/76	29/10/76	निर्माण	2,565.00	बकाया राशि के लिए नोटिस दिया गया है ।
17.	मै. सोजत मेहन्दी	मेहन्दी	37	15/9/76	29/10/76	–	–	भू-खण्ड पर अनधिकृत कब्जा है । व दिनांक 28/7/78 भूखण्ड संख्या 28 व 29 दिया गया है ।
18.	मै. सत्यनारायण अरविन्द कुमार	मेहन्दी	147 व 15	28/7/70	–	–	715.00	कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

<u>औद्योगिक क्षेत्र सोजत सिटी का संक्षिप्त विवरण</u>

1.	कुल भूखण्ड संख्या	30
2.	कुल भूखण्ड अब तक आवंटित	26 व 2 पुनः आवंटन हेतु विचार में ।
3.	रिक्त भूखण्ड	6
4.	अनाधिकृत कब्जे में	4
5.	वर्ष के दौरान आवंटन निरस्त किये गये	14
6.	कुल भूखण्ड के उत्पादन कार्य शुरू	9
7.	कुल भूखण्ड में निर्माण कार्य	9
8.	वर्ष के दौरान भूखण्ड पुनः आवंटित किये गये	6

Page No 226

226

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची)

उच्च न्यायालय जोधपुर व जयपुर में नियुक्त राजकीय अधिवक्ताओं की सूची

1. श्री जे. एस. रस्तोगी, राजकीय अधिवक्ता, जयपुर।
2. श्री बी. के. पाठक, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, जयपुर।
3. श्री शिवराज बिहारी माथुर, उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर।
4. श्री मोहम्मद इस्माईल खाँ, उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर।
5. श्री रिछपालसिंह, उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर।
6. श्री दलपतसिंह शिशोदिया, राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर।
7. श्री मुरलीधर पुरोहित, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर।
8. श्री शान्तीलाल मरड़िया, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर।
9. श्री हरनाथ कल्ला, उप राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर।
10. श्री राजेश बालिया, उप राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर।

सैशन न्यायालयों में नियुक्त लोक अभियोजकों की सूची

1. श्री प्रहलाद प्रसाद नाग, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभिभाषक, जयपुर सिटी।
2. श्री हरिशचन्द्र भारद्वाज, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभिभाषक, जयपुर जिला।
3. श्री आनन्द प्रकाश शर्मा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभिभाषक, जयपुर नगर।
4. श्री रामकिशोर माथुर, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., जयपुर नगर।
5. श्रीमती तारा आर्य, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., जयपुर नगर।
6. श्री प्रभू नारायण शर्मा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., दौसा।
7. श्री हजारीलाल गुप्ता, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., कोटा।
8. श्री सज्जन दास मोहता, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., कोटा।
9. श्री अब्दुल रहीम खाँ, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., कोटा।
10. श्री रमा रमन शर्मा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., कोटा।
11. श्री रमेशचन्द्र गोयल, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., बांरा।

12. श्री — — लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., भरतपुर।
13. श्री — — अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., भरतपुर।
14. श्री — — ,, ,, ,,
15. श्री — — ,, ,, धौलपुर।
16. श्री पुरुषोतमलाल गोयल, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., सवाई माधोपुर।
17. श्री राधेश्याम अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., गंगापुर सिटी।
18. श्री मनफूला राम, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., श्री गंगानगर।
19. श्री हुलास मल चोपड़ा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., श्री गंगानगर।
20. श्री ओमप्रकाश सिहमार, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., श्री गंगानगर।
21. श्री जगजीतसिंह मान, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि. I, हनुमानगढ़।
22. श्री रामगोपाल गोदरा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि. II, ,, ।
23. श्री जगदीश लाल पांडिया, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., उदयपुर।
24. श्री बसन्तीलाल असावा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., उदयपुर।
25. श्री ओमप्रकाश मंगल, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., अजमेर।
26. श्री कृष्ण कुमार वर्मा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., अजमेर।
27. श्री तिजेन्द्र स्वरूप भटनागर, अपर लोक अभियोजक, अजमेर।
28. श्री प्रभूसिंह, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., अलवर।
29. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., अलवर।
30. श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि. अलवर।
31. श्री हरि प्रसाद शर्मा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., अलवर।
32. श्री मूलचन्द्र अजमेरा, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभिभाषक भीलवाड़ा।
33. श्री फतेहसिंह राठोड़, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., भीलवाड़ा।
34. श्री राम किशोर मिर्धा, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., जोधपुर।
35. श्री ओम प्रकाश छंगाणी, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., जोधपुर।
36. श्री रामचन्द्र जोशी, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि. जोधपुर।
37. श्री दशरथ मल लोढ़ा, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभिभाषक जोधपुर।
38. श्री गोतम मल भण्डारी, अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., जोधपुर।
39. श्री ज्ञान सिंह, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि. मेड़ता, नागौर।

40. श्री सवाई सिंह, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि. पाली।
41. श्री – ,, ,, ,, ,, ,, बांसवाड़ा।
42. श्री – ,, ,, ,, ,, ,, बालोतरा।
43. श्री अक्षय चन्द्र गोदारा, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., बीकानेर।
44. श्री एजाजुल नबी खां, लोक अभियोजक पदेन राज. अभि., झुंझुनू।
45. श्री जयन्ति लाल दोशी, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
46. श्री मुकुट सिंह, टौंक।
47. श्री हरि सिंह, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., जालौर।
48. श्री विशुद्धानंद ,, ,, ,, ,, ,, बूंदी।
49. श्री हरिश चन्द्र चोबीसा, ,, ,, ,, ,, डूंगरपुर।
50. श्री विजय बहादुर सक्सेना, लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., झालावाड़।
51. श्री बनवारी लाल दीक्षित, ,, ,, ,, ,, ,, चूरू।
52. श्री बनेसिंह शेखावत, ,, ,, ,, ,, ,, सीकर।
53. श्री – अपर लोक अभियोजक पदेन राजकीय अभि., सिरोही।

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन डाक बंगलों, रेस्ट हाऊस व गेंगहट आदि की सूची

क्र.सं.	स्थान	वर्गीकरण	कमरों की संख्या
1	2	3	4
	'अ' श्रेणी (जिला मुख्यालय पर स्थित)		
1.	अजमेर	डाक बंगला	7
2.	अलवर	रेस्ट हाउस	10
3.	बांसवाड़ा	डाक बंगला	5
4.	बाड़मेर	डाक बंगला	9
5.	भरतपुर (स्थान भवन)	डाक बंगला	7
6.	भीलवाड़ा	डाक बंगला	13
7.	बीकानेर	डाक बंगला	7
8.	बूंदी	डाक बंगला	4
9.	चित्तौड़ (भोपाल भवन)	डाक बंगला	8
10.	चूरू	रेस्ट हाउस	7
11.	डूंगरपुर	डाक बंगला	4
12.	जालोर	रेस्ट हाउस	6
13.	जैसलमेर	डाक बंगला	8
14.	झुंझुनूं	डाक बंगला	7
15.	झालावाड़	डाक बंगला	6
16.	जोधपुर	डाक बंगला	11
17.	कोटा	डाक बंगला	8
18.	नागौर	डाक बंगला	7
19.	पाली	डाक बंगला	6
20.	सवाई माधोपुर	डाक बंगला	6
21.	सीकर	इन्सपेक्शन हट	6
22.	सिरोही	डाक बंगला	4
23.	टोंक	डाक बंगला	6
24.	उदयपुर	डाक बंगला	11

1	2	3	4
25.	श्री गंगानगर	इन्सपेक्शन हट	4
26.	जयपुर	डाक बंगला	44

जिला मुख्यालय के समकक्ष प्रमुख डाक बंगले

1.	ब्यावर	डाक बंगला	5
2.	बालोतरा	रेस्ट हाउस	3
3.	डीग	डाक बंगला	4
4.	धोलपुर	डाक बंगला	10
5.	रतनगढ़	रेस्ट हाउस	4
6.	फलौदी	रेस्ट हाउस	3
7.	वेर	इन्सपेक्शन हट	2
8.	करोल	डाक बंगला	5
9.	हनुमानगढ़	इन्सपेक्शन हट	6
10.	सूरतगढ़	रेस्ट हाउस	4
11.	नाथद्वारा	रेस्ट हाउस	2
12.	पोकरण	रेस्ट हाउस	5

उप मुख्यालय पर स्थित 'बी' श्रेणी के डाक बंगले

1.	भीम (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	2
2.	केकड़ी (अजमेर)	रेस्ट हाउस	4
3.	किशनगढ़ (अजमेर)	रेस्ट हाउस	4
4.	नसीराबाद (अजमेर)	इन्सपेक्शन हट	3
5.	नगर (भरतपुर)	डाक बंगला	4
6.	कोलायत (बीकानेर)	रेस्ट हाउस	2
7.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	रेस्ट हाउस	2
8.	कपासन (चित्तौड़)	रेस्ट हाउस	2
9.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़)	डाक बंगला	5
10.	राजगढ़ (चूरू)	रेस्ट हाउस	5
11.	सरदार शहर (चूरू)	रेस्ट हाउस	4
12.	सुजानगढ़ (चूरू)	रेस्ट हाउस	5
13.	तारा नगर (चूरू)	रेस्ट हाउस	2
14.	दौसा (जयपुर)	डाक बंगला	5

1	2	3	4
15.	फुलेरा (जयपुर)	रेस्ट हाउस	3
16.	सांभर (जयपुर)	रेस्ट हाउस	8
17.	शाहपुरा (जयपुर)	रेस्ट हाउस	3
18.	सांचोर (जालौर)	रेस्ट हाउस	3
19.	भीनमाल (जालौर)	रेस्ट हाउस	2
20.	अकलेरा (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	4
21.	भवानी मण्डी (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	4
22.	बिलारा (जोधपुर)	रेस्ट हाउस	2
23.	बारां (कोटा)	रेस्ट हाउस	8
24.	छाबड़ा (कोटा)	रेस्ट हाउस	2
25.	डीडवाना (नागौर)	रेस्ट हाउस	5
26.	मेड़ता सिटी	रेस्ट हाउस	2
27.	नावन (नागौर)	रेस्ट हाउस	3
28.	परबतसर (नागौर)	रेस्ट हाउस	8
29.	पाली (पाली)	रेस्ट हाउस	1
30.	खराची (पाली)	इन्सपेक्शन हाउस	2
31.	सोजत सिटी (पाली)	रेस्ट हाउस	4
32.	गंगापुर (सवाई माधोपुर)	रेस्ट हाउस	4
33.	हिण्डौन (सवाई माधोपुर)	डाक बंगला	1
34.	मण्डावर (सवाई माधोपुर)	इन्सपेक्शन हट	3
35.	नीम का थाना (सीकर)	डाक बंगला	4
36.	देलवारा (मा. आबू सिरोही)	डाक बंगला	5
37.	मीधुस्ट (मा. आबू सिरोही)	डाक बंगला	4
38.	आरीकुण्ड (,,)	डाक बंगला	2
39.	आबू रोड (सिरोली)	डाक बंगला	7
40.	नोहर (श्रीगंगानगर)	इन्सपेक्शन हट	2
41.	मालपुरा (टौंक)	रेस्ट हाउस	4
42.	खेरवारा (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	2

अन्य डाक बंगले

1.	बांडावारा (अजमेर)	इन्सपेक्शन हट	2
2.	बरोल (विजय नगर)	डाक बंगला	2
3.	दूदू (अजमेर)	डाक बंगला	2

1	2	3	4
4.	गोइला (अजमेर)	रेस्ट हाउस	3
5.	मगलीवास (अजमेर)	डाक बंगला	2
6.	राजगढ़ (अलवर)	डाक बंगला	2
7.	तिजारा (अलवर)	डाक बंगला	2
8.	शाहजहांपुर	रेस्ट हाउस	1
9.	गरही (बांसवाड़ा)	डाक बंगला	3
10.	घाटोल (बांसवाड़ा)	रेस्ट हाउस	4
11.	पीपलाकुन्या (बांसवाड़ा)	इन्सपेक्शन हट	3
12.	धोरीमना (बाड़मेर)	,, ,,	3
13.	सांचोर (बाड़मेर)	रेस्ट हाउस	4
14.	शिव (बाड़मेर)	इन्सपेक्शन हट	2
15.	सीन्डरी (बाड़मेर)	रेस्ट हाउस	1
16.	सिवान (बाड़मेर)	रेस्ट हाउस	2
17.	कामां (भरतपुर)	डाक बंगला	4
18.	वैर (भरतपुर)	डाक बंगला	4
19.	बाड़ी (भरतपुर)	डाक बंगला	5
20.	डूंगरगढ़ (बीकानेर)	इन्सपेक्शन हट	4
21.	लूणकरनसर (बीकानेर)	रेस्ट हाउस	4
22.	हिन्डोली (बूंदी)	इन्सपेक्शन हट	4
23.	अवलहेरा (चित्तौड़)	इन्स्पेक्शन हट	1
24	बेंगू (चित्तौड़)	रेस्ट हाउस	3
25.	भीचारी (चित्तौड़)	इन्स्पेक्शन हट	1
26.	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़)	डाक बंगला	5
27.	विश्राम कुटिरनर्सरी (चित्तौड़)	इन्स्पेक्शन हट	2
28.	दरीबा (चूरू)	रेस्ट हाउस	2
29.	आशपुर (डूंगरपुर)	रेस्ट हाउस	2
30.	माही ब्रिज स्थल (डूंगरपुर)	रेस्ट हाउस	2
31.	माही ब्रिज स्थल (बांसवाड़ा)	रेस्ट हाउस	2
32.	सागवाड़ा (डूंगरपुर)	रेस्ट हाउस	3
33.	बैराठ (विराट नगर-जयपुर)	रेस्ट हाउस	5
34.	चाकसू (जयपुर)	रेस्ट हाउस	3
35.	चौमूं (जयपुर)	रेस्ट हाउस	2
36.	महुवा (जयपुर)	रेस्ट हाउस	4
37.	पावटा (जयपुर)	रेस्ट हाउस	5

1	2	3	4
38.	चितोलचाना (जालोर)	रेस्ट हाउस	1
39.	जसवन्तपुरा (जालोर)	रेस्ट हाउस	2
40.	रानीवाड़ा (जालोर)	रेस्ट हाउस	1
41.	मनोहर थाना (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	2
42.	तारज (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	4
43.	चोवमोहला (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	3
44.	डीग (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	2
45.	खानपुर (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	2
46.	पीरावा (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	2
47.	रायपुर (झालावाड़)	रेस्ट हाउस	2
48.	खेतड़ी (झुन्झुनूं)	रेस्ट हाउस	4
49.	रंगपुर (कोटा)	रेस्ट हाउस	2
50.	लाडनूं (नागोर)	रेस्ट हाउस	2
51.	मकराना (नागोर)	रेस्ट हाउस	3
52.	देसूरी (पाली)	रेस्ट हाउस	4
53.	घोला (पाली)	रेस्ट हाउस	2
54.	सादड़ी (पाली)	रेस्ट हाउस	2
55.	सोजत रोड (पाली)	इन्सपेक्शन हट	1
56.	सुमेरपुर (पाली)	रेस्ट हाउस	4
57.	भाडोती (सवाई माधोपुर)	रेस्ट हाउस	3
58.	रींगस (सीकर)	इन्सपेक्शन हट	2
59.	नीरीक्षाम कुटीर आबू (सिरोही)	इन्सपेक्शन हट	1
60.	आनडरा (सिरोही)	रेस्ट हाउस	2
61.	कालन्दरी (सिरोही)	रेस्ट हाउस	2
62.	सनवाड़ा (सिरोही)	रेस्ट हाउस	2
63.	शिवगंज (सिरोही)	रेस्ट हाउस	2
64.	मन्छार गांव	रेस्ट हाउस	1
65.	पीण्डवाड़ा (सिरोही रोड)	रेस्ट हाउस	3
66.	मादरा (श्रीगंगानगर)	इन्सपेक्शन हाउस	2
67.	रायसिंह नगर (श्री गंगानगर)	इन्सपेक्शन हाउस	3
68.	अलीगढ़ (टौंक)	डाक बंगला	2
69.	देवली (टौंक)	इन्सपेक्शन हट	4
70.	बरपाल (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	2

1	2	3	4
71.	चावली (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	2
72.	चारभुजा (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	6
73.	देवगढ़ (उदयदपुर)	इन्सपेक्शन हट	2
74.	गोगून्दा (सइरा) (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	2
75.	जसखेरा (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	2
76.	राजसमन्द (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	3
77.	प्रसाड (उदयपुर)	इन्सपेक्शन हट	2
78.	देवीकोट (जैसलमेर)	इन्सपेक्शन हट	2
79.	लाथी (जैसलमेर)	रेस्ट हाउस	1
80.	गंगापुर (भीलवाड़ा)	रेस्ट हाउस	5
81.	जहाजपुर	रेस्ट हाउस	2

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ. 165 (35) बजट/विकास/77–78/9807

जयपुर दिनांक 19/5/78

समस्त जिला विकास अधिकारी (जिलाधीश)

विषय :—पंचायतों को सहायक अनुदान वित्तीय वर्ष 1977–78।

महोदय,

इस विभाग के आदेश संख्या एफ. 165 (49) बजट/विकास/77–78/4802 दिनांक 27-3-78 द्वारा आपको यह निर्देश दिये गये थे कि ग्राम पंचायतों की वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर वित्तीय वर्ष 77–78 में 2-25 प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान की राशि आहरण कर जिले के मुख्य डाक घर में एक डाक घर बचत खाता खोल कर उसमें जमा करावें। इस विषय में राज्यपाल के निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा जो राशि डाक घर में जमा कराई गई थी उसमें से प्रत्येक पंचायत समितियों के विरुद्ध दिनांक 31-3-77 तक बकाया अल्पकालीन ऋण की राशि का 1/3 भाग संलग्न तालिका के कालम नं. 5 में दर्शाये अनुसार डाक घर में से निकलवाकर निम्न मद में चालान द्वारा दिनांक 25-5-78 तक निश्चित रूप से जमा कराकर इस विभाग को सूचित करें और विकास अधिकारियों को आदेशित करें कि यदि कालम नं. 5 में दर्शायी गई राशि में कोई अन्तर हो तो उसे ठीक कराने हेतु इस विभाग को एक माह के अन्दर-अन्दर सूचित करें—

"705—कृषि ऋण (क) बीज"

1) पंचायत राज्य संस्थाओं को ऋण

इसके लिये यह आवश्यक है कि आप प्रत्येक पंचायत समिति के लिये अलग-अलग चालान की प्रतियां तैयार करावें। राशि जमा हो जाने के पश्चात् चालान की एक प्रति सम्बन्धित पंचायत समिति को तथा दूसरी प्रति इस विभाग को भिजवायें।

बाकी राशि जो संलग्न तालिका के कालम नं. 6 में दर्शायी गई है वह सम्बन्धित पंचायत समितियों के पी. डी. खाता नं. 1 में हस्तान्तरित करावें। इस प्रकार जो राशि पंचायत समिति के पी. डी. खाते में जमा कराई जावेगी उसके उपयोग की प्रक्रिया के बारे में अलग से निर्देश जारी किये जावेंगे। जब तक इस विभाग से कोई अन्य निर्देश प्राप्त न

हो तब तक इस राशि का उपयोग/व्यय नहीं किया जाय और तदनुसार सम्बन्धित विकास अधिकारियों को आदेश प्रदान किये जावें ।

संलग्न तालिका

मायाराम,
विशिष्ट शासन सचिव ।

प्रतिलिपि :—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
2. वित्त विभाग (दो अतिरिक्त प्रतियों के) ।
3. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर (30 प्रतियां) ।
4. प्रादेशिक निर्देशक, अल्प बचत योजना, राजस्थान, जयपुर ।
5. सम्पादक राजस्थान विकास ।
6. समस्त विकास अधिकारी ।
7. भुगतान कक्ष ।

No. 22/78

मायाराम,
विशिष्ट शासन सचिव ।

विभागीय आदेश संख्या 4802 दिनांक 27–3–78 के द्वारा पंचायत समितियों को वर्ष 77–78 में दिये गये अनुदान में से पंचायत समितियों के विरुद्ध 31–3–77 तक बकाया अल्प-कालीन ऋण में से वसूली की तालिका।

क्र.सं.	पं. सं. का नाम	प्रति व्यक्ति अनुदान रु. 2.25 पैसे की दर से [जनगणना-1971]	अल्प कालीन ऋण की बकाया राशि 31-3-77 को	कालम संख्या 4 का 1/3 भाग	अनुदान की भुगतान योग्य राशि कालम सं. 3-5
1	2	3	4	5	6
	जिला बीकानेर				
1.	लूनकरणसर	1,70,100	1,05,000	35,000	13,5,100
2.	नौखा	2,57,400	11,08,000	25,74,00	..
3.	कोलायत	1,31,400	..	..	1,31,400
4.	बीकानेर	2,17,800	6,39,000	2,13,000	48,00
	योग:—	77,67,700	18,52,000	5,05,400	2,71,300
	जिला चूरू				
5.	सरदारशहर	2,05,200	5,38,000	1,79,000	26,200
6.	रतनगढ़	1,57,950	1,07,000	36,000	1,21,950
7.	राजगढ़	2,97,900	1,16,000	39,000	2,58,900
8.	तारानगर	15,1200	3,28,000	1,09,000	42,200
9.	रतननगर	1,59,750	1,22,000	41,000	1,18,750
10.	सुजानगढ़	2,55,150	37,000	12,000	2,43,150
11.	डूगरगढ़	1,59,750	3,500	12,000	1,47,750
	योग	13,86,900	12,83,000	4,28,000	9,58,900
	जिला गंगानगर				
12.	रार्यसिहनगर	3,02,850	14,64,000	3,02,850	..
13.	श्रीकरणसरपुर	1,72,350	16,11,000	17,2340	..
14.	सादुलशहर	2,50,200	21,89,000	2,50,200	..

1	2	3	4	5	6
15.	गंगानगर	,248,400	28,50,000	2,8,4400	..
16.	हनुमानगढ़	4,05,000	1,970,00	4,05,000	..
17.	नोहर	3,80,250	6,64,000	2,21,000	15,92,50
18.	सूरतगढ़	2,90,250	27,99,000	2,90,250	..
19.	पदमपुर	1,69,200	2,70,000	93,000	76,200
20.	भादरा	2,65,500	9,81,000	2,65,500	..
	योग:—	24,84,000	14,74,400	22,48,550	2,35,450
	जिला अलवर				
21.	किशनगढ़बास	1,89,000	9,18,000	1,89,000	..
22.	कोटकासिम	1,45,350	2,44,000	81,000	64,350
23.	तिजारा	2,11,050	1,30,000	45,000	16,80,50
24.	गोविन्दगढ़	2,67,750	6,20,000	2,07,000	67,750
25.	कठूमर	2,46,250	2,85,000	95,000	1,51,15
26.	रामगढ़	2,15,100	10,96,000	2,15,100	..
27.	उमरेन	2,11,050	7,95,000	2,11,050	..
28.	राजगढ़	1,68,750	4,36,000	1,45,000	23,750
29.	रेणी	1,57.500	1,65,000	55,000	1,02,500
ε 0.	बहरोड	1,84,050	1,26,000	42,000	1,42,050
31.	मंडावर	2,38,950	..	..	2,38,950
32.	नीमराना	1,76,850	2,24,000	7,50,000	10,180
33.	बानसूर	2,21,400	1,72,000	57,000	1,64,000
34.	थानागाजी	1,96,650	2,46,000	82,000	14,650
	योग:—	28,29,600	54,57,000	14,97,150	5,32,450
	जिला भरतपुर				
35.	डीग	1,84,950	12,10,000	1,84,950	
36.	बसेडी	2,13,750	4,69,000	1,56,000	7,750
37.	राजाखेडा	2,22,750	9,28,000	2,22,750	
38.	नगरपहाडी	2,90,250	2,3,68,000	2.90,250	..
39.	कांमा	2,25,000	9,04,000	2,22,900	—

1	2	3	4	5	6
40.	बैर	2,43,000	8,05,000	2,43,000	..
41.	बयाना	2,16,000	8,24,000	2,16,000	..
42.	धौलपुर	2,85,750	16,08,000	2,85,750	..
43.	रूपबास	2,38,500	8,22,000	2,38,500	..
44.	बाडी	1,68,750	8,47,000	168750	..
45.	नदबई	1,84,500	28,000	9,000	75,500
46.	कुम्हेर	1,93,500	5,35,000	1,78,000	13,500
47.	सेवर	2,25,000	9,40,000	2,25,00	..
	योग:—	28,91,700	1,22,88,000	26,42,950	2,48,750

जिला जयपुर

48.	पं. सं. बस्सी	2,30,850	5,53,000	1,84,000	46,850
49.	पं. सं. सांगानेर	1,97,100	2,80,000	93,000	1,04,100
50.	पं. सं. झोटवाडा	1,18.350	3,34,000	1,11,000	7,350
51.	पं. सं. फागी	1,85,400	3,51,000	1,17,000	68,400
52.	पं. सं. बान्दीकुई	2,66,400	3,51,000	1,30,000	1,36,400
53.	पं. सं. जोबनेर	2,45,250	5,54,000	1,85,000	60,250
54.	पं.सं. दूदू	3,05,550	3,91,000	1,30,000	1,75,550
55.	पं.सं. गोविन्दगढ	2,55,600	5,27,000	1,76,000	79,600
56.	पं. सं. आमेर	2,51,550	2,56,000	85,000	1,66,400
57.	पं. सं. जमवारामगढ़	2,51,550	7,46,000	2,49,000	25,50
58.	पं. सं. शाहपुरा	2,06,100	6,14,000	2,05,000	1,100
59.	पं. सं. बैराठ	2,04,300	20,000	7,000	1,97,300
60.	पं. सं. सिकराय	2,10,600	4,17,000	1,39,000	71,600
61.	पं. सं. लालसोट	2,68,650	7,37,000	2,46,000	22,650
62.	पं. सं. कोटपूतली	2,48,400	6,15,000	2,05,000	43,400
63.	पं. सं. दौसा	2,82,150	5,32,000	1,77,000	1,05,150
64.	पं. सं चाकसू	1,79,550	2,70,000	90,000	89,550
	योग :–	39,07,350	75,88,000	25,29,000	13,78,350

Page No 240

(240)

1	2	3	4	5	6
	जिला झुंझुनूं				
65.	खेतड़ी	2,33,800	2,72,000	91,000	1,44,800
66.	अलसीसर	1,77,750	56,000	19,000	1,58,750
67.	बुहाना	2,38,050	1,88,000	63,000	1,75,050
68.	झुंझुनूं	2,02,950	1,10,000	37,000	1,65,950
69.	उदयपुर वाटी	2,68,200	1,61,000	54,000	2,14,200
70.	नवलगढ़	2,42,550	52,000	17,000	2,55,550
71.	चिड़ावा	1,80,900	2,78,000	93.000	87,900
72.	सूरजगढ़	1,81,800	1,25,000	1,08,000	73,800
	योगः—	17,28,000	14,42,000	4,82,000	12,46,000
	जिला सवाई माधोपुर				
73.	महुवा	2,19,600	2,79,000	93,000	1,26,600
74.	हिण्डौन	2,50,200	4,05,000	1,35,000	1,15,200
75.	गंगापुर	1,02,750	21,99,000	2,04,750	..
76.	करौली	2,37,600	5,59,000	1,86,000	11,51,60
77.	सपोटरा	2,65,050	3,87,000	1,29,000	1,34,050
78.	टोडाभीम	2,21,400	4,69,000	1,56,000	65,400
79.	सवाई माधोपुर	2,29,500	1,98,000	66,000	1,63,500
80.	खण्डार	1,64,700	1,56,000	52,000	1,12,700
81.	बोंली	1,27,700	1,37,000	46,000	1,81,700
82.	नादौती	3,31,200	3,97,000	1,32,000	1,99,200
	योगः—	23,51,700	42,86,000	11,99,750	11,51,950
	जिला सीकर				
83.	फतेहपुर	2,10,600	1,02,000	34,000	1,76,000
84.	लक्ष्मनगढ़	2,14,200	1,28000	43,000	1,71,200
85.	पिपराली	2,14,650	78,000	26,000	1,88,650
86.	धोंद	2,19,600	1,04,000	35,000	1,88,600

2	3	4	5	6
7. दांतारामगढ़	2,97,000	3,60,000	1,20,000	1,77,000
8. श्री माधोपुर	2,36,700	6,03,000	2,01,000	35,701
9. खण्डेला	2,24,100	3,19,000	1,06,000	1,18,100
0. नीमकाथाना	3,31,650	2,76,000	92,000	2,39,650
योग:—	19,48,500	19,70,000	6,57,000	12,91,500
ला टोंक				
1. टोंक	2,49,300	13,06,000	2,49,000	—
2. मालपुरा	2,08,350	1,59,000	53,000	1,55,35
3. निवाई	1,93,050	3,07,000	1,02,000	91,0500
94. देवली	2,10,600	3,51,000	1,17,000	93,600
95. उनियारा	1,57,500	5,01,000	1,57,500	..
96. टोडा रायसिंह	1,45,800	1,75,000	58,000	87,800
योग:—	11,64,600	27,99,000	7,36,800	4,27,800
ला अजमेर				
97. पं. स. मसूदा	1,92,600	7,46,000	1,92,600	..
98. पं.स. पीसांगन	2,75,400	7,82,000	2,61,000	14,400
99. पं. स. जवाजा	1,73,700	6,53,000	1,73,700	..
00. पं. स. श्रीनगर	2,07,900	8,36,000	2,07,900	..
01. पं. स. केकड़ी	1,86,750	5,30,000	1,77,000	9,750
02. पं. स. भिनाय	2,06,550	8,61,000	2,06,550	..
03. पं. स. किशनगढ़	1,89,900	5,78,000	1,89,900	..
04. पं. स. अराई	1,75,500	4,74,000	1,58,000	17,500
योग:—	16,08,300	54,60,000	15,66,650	41,650

1	2	3	4	5	6
	जिला बाड़मेर				
105.	पं. स. सिवाना	2,16,450	1,98,000	66,000	1,50,450
106.	पं. स. शिव	1,30,500	3,02,000	1,01,000	29,500
107.	पं. स. गुढामलानी	2,11,500	12,000	4,000	2,07,500
108.	पं. स. बाड़मेर	1,97,100	1,59,000	53,000	1,44,100
109.	पं. स. बालोतरा	2,39,850	3,42,000	1,14,000	1,25,850
110.	पं. स. बायत	1,95,750	1,76,000	59,000	1,36,750
111.	पं. स. सिंधरी	2,12,850	29,000	10,000	2,02,850
112.	पं. स. चौहटन	1,91,700	2,51,000	84,000	1,07,700
	योग:—	15,95,700	14,69,000	4,91,000	11,04,700
	जिला जैसलमेर				
113.	पं. स. सांगड़ी	1,34,550	2,18,000	73,000	61,550
114.	पं. स. जैसलमेर	82,350	2,08,000	69,000	13,350
115.	पं. स. सम	1,04,400	2,58,000	86,000	18,400
	योग:—	3,21,300	6,84,000	2,28,000	93,300
	जिला जालोर				
116.	पं.स. आहोरज	2,57,400	14,92,000	2,75,400	..
117.	पं.स. जालोर	1,17,900	7,50,000	1,17,900	..
118.	पं.स. सायला	2,15,100	6,52,000	2,15,100	..
119.	पं.स. सांचोर	3,35,250	15,80,000	3,34,250	..
120.	पं.स. भीनमाल	1,86,750	4,54,000	1,51,000	35,750
121.	पं.स. रानीवाड़ा	1,57,500	6,91,000	1,57,000	..
122.	पं.स. जसवन्तपुरा	1,49,400	6,35,000	1,49,400	..
	योग:—	14,37,300	6 2,54,000	14,11,550	35,750

1	2	3	4	5	6
जिला जोधपुर					
123.	पं.स. बिलाड़ा	2,32,200	20,38,000	2,32,200	..
124.	पं.स. भोपालगढ़	2,16,900	11,38,000	2,16,900	..
125.	पं.स. ओसियां	3,87,450	10,59,000	3,53,000	134,450
126.	पं.स. मण्डोर	1,42,200	7,29,000	1,42,200	..
127.	पं.स. लूनी	2,16,000	6,40,000	2,13,000	3,000
128.	पं.स. शेरगढ़	1,47,600	5,78,000	1,47,600	..
129.	पं.स. बालेसर	1,57,950	3,67,000	1,22,000	35,950
130.	पं.स. फलोधी	1,85,850	3,21,000	1,07,000	78,850
131.	पं.स. बाप	1,20,150	3,34,000	1,11,000	9,150
	योग:–	18,06,300	72,04,000	16,44,900	1,61,400
जिला नागौर					
132.	पं.स. डीडवाना	2,98,800	87,000	29,000	2,69,800
133.	पं.स. लाडनूं	1,67,400	54,000	18,000	1,49,400
134.	पं.स. कुचामन	2,84,850	4,57,000	1,52,000	1,32,850
135.	पं.स. नागौर	2,25,000	..	..	2,25,000
136.	पं.स. मूण्डवा	2,36,700	3,35,000	1,12,000	1,24,700
137.	पं.स. जायल	2,39,400	1,55,000	52,000	1,87,400
138.	पं.स. मकराना	2,15,550	1,72,000	57,000	1,58,550
139.	पं.स. परबतसर	2,06,100	2,07,000	87,000	1,12,100
140.	पं.स. डेगाना	2,30,850	72,000	24,000	2,06,850
141.	पं.स. रियां	2,04,750	4,55,000	1,52,000	52,750
142.	पं.स. मेड़ता	1,80,900	..	..	1,80,90 0
	योग:–	24,90,300	20,47,000	6,83,000	18,07,30

1	2	3	4	5	6
जिला पाली					
143.	पं. स. सुमेरपुर	2,31,750	22,08,000	2,31,750	.
144.	पं. स. खारची	2,63,250	13,26,000	2,63,250	.
145.	पं. स. देसूरी	1,16,550	19,02,000	1,16,550	.
146.	पं. स. रानी स्टेशन	1,48,050	10,43,000	1,48,050	.
147.	पं. स. जैतारण	2,39,850	12,21,000	2,39,850	.
148.	पं. स. रायपुर	2,14,200	1,792,000	2,14,200	.
149.	पं. स. सोजत	2,03,400	14,08,000	2,03,400	.
150.	पं. स. पाली	1,78,650	3,88,000	1,78,650	
151.	पं. स. रोहट	1,17,900	18,65,000	1,79,000	
152.	पं. स. बाली	2,27,700	19,13,000	2,27,700	
	योग:—	19,41,300	1,84,86,000	19,41,300	
जिला सिरोही					
153.	पं. स. पिण्डवाड़ा	1,93,950	10,28,000	1,93,950	
154.	पं. स. सिरोही	1,59,300	8,82,000	1,59,000	
155.	पं. स. शिवगंज	1,28,700	9,97,000	1,28,700	
156.	पं. स. रेवदर	1,91,700	49,00,000	1,63,000	28,7
157.	पं. स. आबूरोड	1,10,250	8,49,000	1,10,250	
	योग :—	7,83,900	42,46,000	7,55,200	28,7
जिला बूंदी					
158.	पं. स. तालेडा	2,85,300	24,11,000	2,85,300	
159.	पं. स. हिण्डोली	2,18,700	8,11,000	2,18,700	
160.	पं. स. नैनवा	1,67,400	3,65,000	1,22,000	45,‹
161.	पं. स. केशोरायपाटन	1,92,600	9,23,000	1,92,600	
	योग :—	8,64,000	45,10,000	8,18,600	45,‹

Page No 245

1	2	3	4	5	6
	झालावाड़				
162.	पं. स. झालरापाटन	2,34,900	9,47,000	2,34,900	..
163.	पं. स. खानपुर	1,96,200	3,90,000	1,30,000	66,200
164.	पं. स. डिग	2,23,650	3,70,000	1,23,000	1,00,650
165.	पं. स. पिण्डावा	1,96,200	5,77,000	1,92,000	4,200
166.	पं. स. बकानी	1,98,400	5,87,000	1,96,000	2,450
167.	पं. स. मनोहरथाना	2,18,700	3,94,000	1,31,000	87,700
	योग:—	12,68,100	32,65,000	10,06,900	2,61,200
	जिला कोटा				
168.	पं. स. लाडपुरा	1,62,000	7,90,000	1,62,000	..
169.	पं. स. सुलतानपुरा	1,71,000	10,38,000	1,71,000	..
170.	पं. स. ईटावा	2,14,200	9,10,000	2,14,200	..
171.	पं. स. अन्ता	2,21,400	1,47,400	2,21,400	..
172.	पं. स. बारां	1,23,300	3,79,000	1,23,300	..
173.	पं. स. छबड़ा	1,22,400	1,28,000	43,000	79,400
174.	पं. स. शाहबाद	2,45,700	5,86,000	1,95,000	50,700
175.	पं. स. छीपाबड़ोद	1,50,300	1,09,000	36,000	1,14,300
176.	पं. स. अटरू	1,59,300	3,36,000	1,12,000	47,300
177.	पं. स. सांगोद	2,11-500	79,000	26,000	1,85,500
178.	पं. स. चेचट	1,76,400	1,11,000	37,000	1,39,400
	योग:—	19,57,500	59,31,000	13,40,900	6,16,600
	जिला बांसवाड़ा				
179.	पं. स. गढ़ी	2,63,700	4-09,000	1,36,000	1,27,700
180.	पं. स. कुशालगढ़	1,30,500	6,21,000	1,30,500	..
181.	पं. स. सज्जनगढ़	1,34,550	5,57,000	1,34,550	..
182.	पं. स. बागीदोरा	1,76,400	2,73,000	91,000	85,400
183.	पं. स. घाटोल	1,14,750	3,51,000	1,14,750	..

Page No 246

246

1	2	3	4	5	6
184.	पं. स. घाटोल	2,26,350	4,96,000	1,65,000	61,350
185.	पं. स. पीपलखूंट	1,48,050	6,82,000	1,18,050	..
186.	पं. स. बांसवाड़ा	2,08,800	1,18,000	38,000	1,70,800
	योग:—	14,03,100	3,5,0,000	95,78,550	4,45,250
जिला भीलवाड़ा					
187.	पं.स. माण्डलगढ़	25,330	5,32,000	1,77,000	76,350
188.	पं.स. माण्डल	2,61,450	6,15,000	2,05,00	56,450
189.	पं.स. शाहपुरा	1,81,800	12,37,00	1,81,800	—
190.	पं.स. सुवाणा	1,99,800	6,13,300	1,99,800	—
191.	पं.स. आसिन्द	2,11,050	6,98,000	2,11,050	—
192.	पं.स. बनेड़ा	1,56,600	5,15,000	1,56,600	—
193.	पं.स. जहाजपुर	2,07,000	4,81,000	1,60,000	47,000
194.	पं.स. हुरड़ा	2,01,150	7,46,000	2,01,150	—
195.	पं.स. कोटड़ी	1,84,500	5,98,000	1,84,500	—
196.	पं.स. रायपुर	1,20,600	2,53,000	84,000	36,600
197.	पं.स. सहाड़ा	1,43,100	8,83,000	1,43,100	—
	योग:—	21,20,400	71,71,000	19,04,000	2,16,400
जिला चित्तौड़गढ़					
198.	पं.स. बेगूं	1,53,900	50,000	17,000	1,36,900
199.	पं.स. भैंसरोड़गढ़	1,27,800	3,07,000	1,02,000	25,800
200.	पं.स. चित्तौड़गढ़	2,25,000	5,54,000	1,85,000	40,000
201.	पं.स. राशमी	2,02,050	4,68,000	1,56,000	46,050
202.	पं.स. कपासन	1,20,600	98,000	33,000	87,600
203.	पं.स. प्रतापगढ़	2,10,150	5,79,000	1,93,000	17,150
24.	पं.स. [illegible]	1,53,450	1,53,000	51,000	1,02,450
25.	पं.स. नेथेसर	1,32,750	1,98,000	63,000	6 9,75[illegible]

1	2	3	4	5	6
206.	डूंगला	1,81,800	56,000	19,000	1,62,800
207.	छोटीसादड़ी	1,74,600	8,35,000	1,74,600	—
208.	भोपालसागर	99,900	18,000	6,000	93,900
209.	अचनेरा	1,23,300	4,10,000	1,23,300	—
	योगः—	19,05,300	37,17,000	11,22,900	7,82,400

जिला डूंगरपुर

210.	सीमलवाड़ा	2,62,800	4,18,000	1,39,000	1,23,800
211.	सागवाड़ा	2,25,900	1,90,000	63,000	1,62,900
212.	डूंगरपुर	1,80,900	3,15,000	1,05,000	75,900
213.	बिछीवाड़ा	2,36,250	6,83,000	2,28,000	8,250
214.	आसपुर	2,17,350	3,61,000	1,20,000	97,350
	योगः—	11,23,200	19,67,000	6,55,000	4,68,200

जिला उदयपुर

215.	कोटड़ा	1,75,050	1,85,000	62,000	1,13,050
216.	राजसमन्द	1,72,350	7,37,000	1,72,350	—
217.	कुम्भलगढ़	1,87,200	—	—	1,87,200
218.	रेलमगरा	1,57,500	4,30,000	1,43,000	14,500
219.	आमेर	1,12,050	—	—	1,12,050
220.	गिर्वा	2,38,050	1,51,000	50,000	1,88,05
221.	बडगांव	1,79,550	3,17,000	1,06,000	73,550
222.	खमनार	1,71,000	3,25,000	1,08,000	63 ,000
223.	धरियावद	2,10,150	3,53,000	1,18,000	92,150
224.	सलूम्बर	2,26,350	1,38,000	46,000	1,80,350
225.	सराडा	2,32,200	6,44,000	2,15,000	17,200
226.	खेरवाड़ा	2,73,150	—	—	2,73,150
227.	मावली	2,49,750	5,11,000	1,70,000	79,750

248

1	2	3	4	5	6
228.	बल्लभनगर	3,03,000	99,000	33,000	2,70,300
229.	गोगुन्दा	1,87,200	2,19,000	73,000	1,14,200
230.	झाडोल	2,16,500	26,000	9,000	2,07,000
231.	भीम	1,66,500	25,500	85,000	81,500
232.	देवगढ़	1,04,850	22,000	7,000	97,850
	योग:—	35,62,200	44,12,000	13,97,350	21,64,850
	महा योग:— ₹	4,76,57,250	340,36,000	3,08,41,700	1,68,15,550

ह.
विशिष्ठ शासन सचिव,
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 34 की सूची) "अ"

आमेट लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी लि. के उन सदस्यों की सूची जिनके नाम सोसायटी की राशि बकाया है।

क्र. सं.	नाम सदस्य	मूल	ब्याज	योग
1.	श्री गोमाराम पुत्र श्री चतरभुज रंगर	325	475	800
2.	श्री उंकार पुत्र नोला रंगर	400	450	850
3.	श्री धर्मचन्द पुत्र श्री हीरालाल खटीक	150	80	230
4.	श्री अनार मोहम्मद पुत्र फतेहमद	300	300	600
5.	श्री बेगीराम पुत्र किस्तूरजी कुमावत	907	200	1,107
6.	श्री गोकल पुत्र केला बुनकर	4,935	625	5,560
	योगः—	7,017	2,130	9,147

250

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची)

ठेकों की नीलामी की शर्तें

1. प्रत्येक व्यक्ति को बोली लगाने का अधिकार होगा।

2. बोली वही व्यक्ति लगा सकेगा जिसकी धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा होगी।

3. धरोहर रकम आम ठेका समाप्त होते ही वापिस कर दी जायेगी।

4. अगर इससे पूर्व लेना हो तो कमेटी के अध्यक्ष को आवेदन-पत्र दे कर प्राप्त की जा सकती है।

5. ठेकेदार को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 तथा मीन नियम 19 के अन्तर्गत बनाये गये सभी धाराओं व नियमों के क्रमशः अनुसार कार्य करने को बाध्य होना पड़ेगा।

6. ठेकेदार को बोली लगाये गये जलाशयों जैसे कि बन्ध ( ), नहर ( ), तालाब ( ), नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने के कारण मछली न होने के कारण या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से अपने नुकसान आदि के किसी प्रकार का अर्ज या मुआवजे के लिये किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।

7. मत्स्याखेट हेतु ठेके लम्पसम तथा डेडरेन्ट कम रायल्टी पद्धति द्वारा सम्पन्न होंगे।

8. (अ) मछली के ठेकेदार को जलाशय से राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा नियम 1958 के अन्तर्गत केवल मछली ही निकालने का अधिकार होगा।

   (ब) जिन जलाशयों में मछली व कछुवा के आखेट का ठेका होगा उनमें दोनों को ही (मछली-कछुवा) केवल निकालने का अधिकार होगा।

   (स) झींगा व मगर का आखेट करने का अधिकारी नहीं होगा अगर आखेट के दौरान या परिवहन के समय मछली के साथ यह दोनों किस्म के जीव पाये गये तो नियमानुसार ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

9. उच्चतम बोली दाता को अपनी बोली को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

10. निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा गठित नीलामी कमेटी को उच्चतम बोली स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कमेटी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। परन्तु कमेटी द्वारा स्वीकृत बोली की पुष्टि या अस्वीकृत किसी कारणवश जो कि लेख बद्ध किये जायेंगे के लिए नियमों में प्रावधान के अनुसार निदेशक पशु पालन विभाग राजस्थान, जयपुर ही करेंगे।

11. (अ) उच्चतम बोली दाता को जिनकी बोली 5,000) रु. तक हो आधी रकम तथा 5,000) रु. से अधिक बोली वाले को बोली का चौथाई रकम बोली समाप्ति होते ही जमा करा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि उच्चतम बोली दाता आधी चौथाई राशि उसी समय जमा नहीं करता है तो उसकी जमा शुदा अर्नेस्ट मनी जप्त करली जावेगी और इस प्रकार के बोली दाताओं के खिलाफ सक्षम अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी तथा जलाशय की नीलामी के द्वितीय बोली दाता उस आम नीलाम में दे देते तो स्वीकृत कर ली जायेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उक्त जलाशय को पुनः नीलाम किया जायेगा।

11. (ब) 5,000) रु. से ऊपर की बोली उच्चतम बोलीदाता को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के ठेके की शेष राशि मय पांच प्रतिशत प्रतिभूति राशि को जमा करानी होगी।

12. पचास हजार रु. (50,000) रु. तक की बोली दाता को ठेके की शेष राशि पांच प्रतिशत प्रतिभूति राशि के निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति की सूचना जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अन्दर जमा करा कर लाइसेंस स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेना होगा। इसके बावजूद भी विशेष परिस्थितियों में निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर उक्त अवधि को बढ़ाये या नहीं यह उनका निजी अधिकार होगा, जिसके लिए ठेकेदार कोई अर्ज नहीं कर सकेगा। यदि ठेकेदार राशि जमा करा कर लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा तो उसकी आधी जमा शुदा चौथाई आधी राशि जब्त करने का अधिकार निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर को होगा। जिसकी सूचना ठेकेदार को नियमानुसार दे दी जायेगी तथा ठेकेदार को इस बारे में कोई अर्ज नहीं सुना जायेगा।

13. बोली की कुल रकम जमा कराने के लिए चैक स्वीकार नहीं किया जावेगा यदि कोई ठेकेदार रकम ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना चाहे तो उसे ड्राफ्ट उप निदेशक मत्स्य राजस्थान, जयपुर के नाम पर प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

(252)

14. पचास हजार रु. से अधिक प्राप्त उच्चतम बोली को निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पुष्टि अथवा अस्वीकृत तत्काल कर दिया जायेगा जिसके निर्णय की सूचना उच्चतम बोलीदाता को ठेके की समाप्ति से पूर्व दे दी जावेगी स्वीकृति की सूचना जारी होने के तीस दिवस के अन्दर बोलीदाता को ठेके की शेष राशि मय पांच प्रतिशत प्रतिभूति राशि को जमा कराकर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर उक्त अवधि को बढ़ाये या नहीं यह उनका निजी अधिकार है जिसके लिए ठेकेदार कोई अर्ज नहीं कर सकेगा इसके बावजूद भी अगर ठेकेदार लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो उसकी जमा शुदा राशि जप्त करने का अधिकार निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर को होगा जिसकी सूचना ठेकेदार को नियमानुसार दे दी जायेगी तथा ठेकेदार इस मामले में कोई अर्ज नहीं कर सकेगा।

15. ठेके की निर्धारित दिनांक को समाप्त नहीं होने पर उस समय आगे की तारीख को बढ़ा दिया जावेगा जिसकी सूचना उपस्थित ठेकेदारों को दे दी जावेगी।

16. बोली लगाने वाले को अर्नेस्ट मनी जमा कराने के अलावा इस शर्त पर इस बात के हस्ताक्षर करना होगा कि सारी शर्तें जो भी अंकित की गई हैं तथा पढ़कर सुनाई गई हैं मन्जूर हैं।

16. (अ) उच्चतम बोली की शेष पूरी रकम व 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराने तथा निर्धारित दस्तावेज पर बोली दाता या बोली दाताओं को स्वयं उपस्थित होकर दो गवाहों की मौजूदगी में निदेशक पशुपालन विभाग के साथ ठेके का अनुबन्ध करना होगा तत्पश्चात ही लाइसेंस जारी किये जावेंगे।

17. मत्स्य विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को लाईसेंस देखने का पूर्ण अधिकार होगा लाइसेंस न होने की सूरत में नियमानुसार मत्स्य विभाग तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा जप्ती की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

18. ठेकेदार को नियमित रूप से पकड़ी हुई मछली का हिसाब नियमानुसार रखना होगा पकड़ी हुई मछली बिना सूचना दिये देखने का हर समय मत्स्य विभाग को अधिकार होगा। पकड़ी हुई मछली का ब्योरा माह में दो बार तारीख 1 से 15 और 16 से माह की अन्तिम तिथि तक रजिस्ट्री द्वारा फार्म नम्बर 5 में सम्बन्धित मत्स्य विभाग अधिकारी या सहायक मत्स्य विभाग अधिकारी के पास भेजना होगा तथा उसकी प्रतिलिपि उप-निदेशक (मत्स्य) के कार्यालय को भी भेजनी होगी।

19. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि अथवा नियोजक को जब कभी मछली के सम्बन्ध में कोई नवीन बात मालूम हो तो शीघ्र ही मत्स्य विभाग या सहायक मत्स्य विभाग अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।

20. ठेकेदार को मत्स्याखेट प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य की सूचना उस क्षेत्र से सम्बन्धित मत्स्य विभाग अधिकारी/सहायक मत्स्य विकास अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षकों को दिया जाना अनिवार्य है।

21. पंजीकृत मत्स्य सरकारी समितियों को सभी प्रकार के ठेकों पर 12½ प्रतिशत प्राइस प्री. Price preference दिया जायगा बशर्ते है कि सोसायटी भी ठेका सम्मिलित होकर बोली लगाने तथा सोसायटी का कार्य सन्तोषप्रद रहा हो।

22. पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों को ही बोली देने का अधिकार होगा और उसके लिये उन्हें प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

23. 'स' श्रेणी अथवा 5,000) रु. तक के बोली के जलाशयों का प्रथम वर्ष खुली बोली द्वारा एक वर्ष के लिये ही नीलामी की जावेगी परन्तु इस अवधि में कुल पांच वर्ष तक के लिये भी स्टेजेज (Stages) में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों व राशि पर बढ़ाया जा सकेगा जो उसको मान्य होगा।

24. ठेके की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को मूल अनुज्ञापत्र व समस्त लेबर परमिट तुरन्त जमा कराने होंगे।

25. ठेके नीलामी में ठेकेदार व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से बोली लगाने को अधिकृत होगा परन्तु किसी जलाशय की निलामी के वक्त मध्य में संयुक्त रूप से नहीं रख सकेंगे एवं अनुज्ञा-पत्र व अनुबन्ध फर्द बोली की स्वीकृति के अनुसार अंकित उच्चतम बोली दाताओं को करना होगा।

26. प्रत्येक ठेकेदार को मत्स्य के विपणन के दौरान परिवहन के समय अथोरिटी या रिटायरमेंट या लेबर परमिट रखना आवश्यक होगा यदि किसी भी वाहन के साथ उपरोक्त पत्र आदि नहीं पाये जावेंगे तो मछली को अनाधिकृत रूप से पकड़ी हुई मान कर उसकी जप्ती की कार्यवाही की जायेगी।

यदि किसी जलाशय के लिये कोई विशेष नीलामी शर्त उपरोक्त शर्तों के (1 से 26) के अतिरिक्त होगा तो वह उस जलाशय की नीलामी के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जायेगी।

(254)

हम निम्नलिखित ठेकेदारों ने राजकीय मछली ठेकों की नीलामी की उपरोक्त शर्तें क्रमशः 1 से 26 तक पढ़ली हैं/ सून ली हैं व सब शर्तें हमें मन्जूर है । तथा मन्जूरी के हस्ताक्षर हम लोगों ने अपने राजी खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवास में नीचे किये हैं। यह ठीक है तथा हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर उच्चतम बोली दाता व डाक का पूरा पता

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 39 की सूची)

विस्तृत विवरण

कुल चयनित परिवार	814
लाभान्वित परिवार	
1. वृद्धावस्था पेंशन	80
2. भूमि आवंटन	148
3. ऋण वितरण	180
4. ऋण स्वीकृत जो वितरण के लिये शेष है।	173
5. रोजगार	27
योग	608
दोहरा लाभ	7
कुल परिवारों को लाभ	601

शेष 213 परिवारों की स्थिति निम्न प्रकार से है :--

1. ऋण लेने से मना	17
2. जिन परिवारों पर अवधि पार ऋण हैं	54
3. परिवार जो गांव छोड़ कर चले गये	15
4. परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गयी है व कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है	1
योग	87

शेष 216 परिवार ऐसे गांवों के हैं जिन गांवों में सहकारी समितियां बन्द पड़ी हैं। इन समितियों के अन्त्योदय परिवारों के ऋण आवेदन-पत्र इस माह तैयार करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की विज्ञप्ति)

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

वैशाख 3, शनिवार, शाके 1899–अप्रेल 23, 1977

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रेल 23, 1977

एस. ओ. 223:-राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :--

संशोधन

राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) के साथ संलग्न "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाती है, अर्थात् :--

अनुसूची

(देखिये धारा 2 (1) (1))

1.	तन्तु	कपास।
2.	धान्य	गेहूं, जौ, बेजड़, गोचना, गोजरा, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का।
3.	फली वाले धान्य	मूंग, अरहर, उड़द, चोला, बटला, चना, मूंगफली, मोठ, मूंगफली के दाने, गंवार, कुल्थी, मसूर।
4.	तिलहन	तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी, अरण्डी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, रायला।

5. फल	नीबू, माल्टा, सन्तरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम, खरबूजा, तरबूज, अनार, सिंगाड़ा, केले, बेर, मौसमी, अंगूर, फालसा, खीरा-ककड़ी, सेब, शहतूत, खिरनी, चीकू, लीची, लोकाट, आंवला, खुरमानी, आडू, जामुन, कमलगट्टा, आलुबुखारा।
6. सब्जियां	आलू, शकरकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दू, फूलगोभी, बंदगोभी गाजर, बैंगन, मूली, हरी और लाल मिर्च, भिण्डी, हरी मटर, पालक, लहसुन, पत्ते वाली सब्जियां, टिण्डा, लौकी, अरबी, तोरई, करेला, हरीचौलाई, हरी हल्दी, कैरी, सलगम, चुकन्दर, परवल, जमीकन्द, कटहल, कमल, ककडी, रतालू, करोंदा।
7. पशुपालन उत्पादन	ऊन और घी।
8. मसाले	जीरा, धनिया, सूखी मिर्च, मेथी, सौंफ, अजवाईन, अदरक।
9. वन उपज	इमारती लकड़ी, तेन्दू के पत्ते।
10. विविध	पोस्त के दाने, पोस्त की डोडी, गुड़, चीनी, खाण्ड, खाण्डसारी, इसबगोल।

[संख्या प. 10(2)कृषि/ग्रुप-2/75]

आज्ञा से,

जी.एन. हल्दिया,

उप शासन सचिव।

कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान।

क्रमांक 13441-738 दिनांक 27-4-77

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त जिलाधीश।
2. समस्त सहायक विपणन अधिकारी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
3. समस्त प्रशासक/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।

258

4. निजी सहायक अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. समस्त अध्यक्ष कृ. उ. म. समितियां।

ह./
अपाठ्य
सचिव,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
जयपुर।

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 41 की सूची)

तहसील बेगूं में 1978-79 में कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित निर्माणाधीन भवनों की सूची

नाम ग्राम	प्रावधान	किस प्रयोजनार्थ बनाये गये
मण्डावरी	7,500.00 रु.	ग्राम विस्तार कार्यकर्ता भवन
मोतीपुरा	7,500.00 रु.	,, ,,
दुगार	7,500.00 रु.	,, ,,
गोविन्दपुरा	7,500.00 रु.	,, ,,
भैंसरोड़गढ	7,500.00 रु.	,, ,,
मण्डेसरा	7,500.00 रु.	,, ,,
खातीखेड़ा	7,500.00 रु.	,, ,,
बडोदिया	7,500.00 रु.	,, ,,
बोराव	30,000.00 रु.	,, ,,

ह./
सहायक कृषि अधिकारी, (भवन)।

Page No 260

(260)

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची)

ग्राम अटबड़ा में हुये नियमन व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	नियमन की तारीख	नाम व्यक्ति जिसके हक में नियमन किया गया	मिसल नं.	रकबा	किस्म
1	2	3	4	5	6
1.	1-3-76	नैनाराम पुत्र बोराराम माली अटबडा	186/74	0)12	बी.1
2.	,,	पन्ना पुत्र गिरधारी चौकीदार ,,	895/73	3)18	,,
3.	,,	नवला पुत्र धूला कुम्हार ,,	897/73	1)10	,,
4.	,,	दूदा पुत्र माला मांबी ,,	175/72	4)	,,
5.	,,	पन्ना पुत्र कैना सरगरा ,,	181/74	1)04	,,
6.	,,	बिरदा पुत्र अमरा बांकीदार ,,	827/73	5)05	,,
7.	,,	बैना पुत्र गिरधारी ,,	809/73	0)10	,,
8.	,,	उम्मेद पुत्र मूठा मांबी	848/73	6)17	,,
9.	,,	चन्द्र पुत्र अमरा बावरी ,,	860/73	8)12	बी. 2
10.	,,	लालसिंह पुत्र पेमु सिंह राजपूत मांगे लाल पुत्र लालसिंह	322/75	25)6	बी. 1
11.	,,	मगरू पुत्र उदा मेघवाल	813/73	2)12	बी. 2
12.	,,	तेज सिंह पुत्र हेम सिंह	335/75	7)	,,
13.	,,	जागा पुत्र बीजा चौकीदार	241/73	5)10	बी.1
14.	,,	प्रताप पुत्र लालू कुम्हार	923/73	2)5	,,
15.	,,	प्रभू पुत्र मूला मांबी	865/73	2)7	,,
16.	,,	मेवा पुत्र जेठा कुम्हार	110/70	4)15	,,
17.	,,	कालू पुत्र दीपा कुम्हार	349/75	2)7	बी. 2
18.	,,	अना पुत्र मेघा कुम्हार	1064/70	2)	,,
19.	,,	लछमन पुत्र भूरा दरोगा	332/75	9)8	,,
20.	,,	उम्मेदा पुत्र भूण्डिया वि. सोना मांबी	864/73	10)	बी. 1
21.	,,	हुकमा पुत्र चितरा सीरवी	879/73	3॥)4	,,
22.	,,	हामू पुत्र अमरा बावरी	255/75	1॥।)3	बी. 1
23.	,,	मीका पुत्र लालू देवासी	367/73	14॥।)	बी. 2
24.	,,	हेमा राम पुत्र भुगता लखरा	172/75	12॥)	,,
25.	,,	बिरदा पुत्र अमरा बावरी	177/75	7)12	,,

1	2	3	4	5	6
26.	31-12-76	धन्ना पुत्र भुगना लखारा	175/75	1) 16	बी.2
27.	,,	गणेश पुत्र गिरधारी दरोगा	963/73	0) 17	,,
28.	,,	नैना पुत्र भूरा मना पुत्र मेघा कुम्हार	174/75	4) 2	,,
29.	,,	हरसुख पुत्र गिरधारी रा. रा.	1113/70	4) 12	बी.1
30.	,,	सेरा पुत्र भोला कुम्हार	336/75	4) 1	बी.2
31.	,,	मूला पुत्र गिरधा मेघवाल	176/75	2) 10	,,
32.	,,	देदान पुत्र भूला मेघवाल	342/75	2) 16	,,
33.	,,	अमराम पुत्र जवत दुवासी	333/75	4) 13	,,
34.	,,	तूरमो पुत्र अजीमल खां	178/75	1) 5	,,
35.	,,	उकमा पुत्र चितरा सीरवी	184/75	5) 5	,,
36.	,,	छितरा पुत्र राजी कुम्हार	183/74	4) 12	,,
37.	,,	हड़मान पुत्र मोहन नाई	182/75	11)	,,
38.	,,	शेरा राव पुत्र विरदा सीरवी	936/75	7) 10	,,
39.	,,	जैसा पुत्र उकमा सीरवी	171/75	0) 11	,,
40.	,,	सीविया पुत्र बचनाव बालू पुत्र गणेश गु.	277/75	5) 6	,,
41.	,,	किशन लाल पुत्र गुगल दर्जी	180/74	1) 3	,,
42.	,,	कालू पुत्र हुकमा सीरवी	173/75	) 6	,,
43.	,,	मोती पुत्र हंसा मेघवाल	802/73	6)	,,
44.	,,	नारायण पुत्र नवला कुम्हार	339/75	13) 10	बी.1
45.	,,	घीसाराम, मांगी लाल पि. नन्दा	25/76	3) 14	,,
46.	15-11-77	मोतीराम पुत्र माना वगैरा	–	3) 18	बी.2
	,,	पूना पुत्र गिरधारी बावरी			
47.	,,	वेदान पुत्र धूला मेघवाल	–	5)	,,
48.	,,	लालू पुत्र जेठा कुम्हार	–	3) 10	,,
49.	,,	शेतान सिह पुत्र सूरत सिह राजपूत	–	5)	,,
50.	,,	अमान पुत्र जावता प्रभारी	–	5)	,,
51.	,,	भेरा पुत्र भेपाल रेवारी	–	4)	,,
52.	,,	नारायण पुत्र नवला कुम्हार	–	5)	,,
53.	,,	कालू पुत्र तेजा कुम्हार	–	1) 10	,,
54.	,,	शंकर पुत्र टुम्रा लवार	–	2) 16	,,
55.	,,	रावत पुत्र नन्दा कुम्हार	–	2)	,,
56.	,,	बादरा पुत्र हमीर रबारी	–	3)	,,
57.	,,	आगेड पुत्र गीगा कुम्हार	–	1) 10	,,

नियमन की सूची ग्राम अटबड़ा, तह. सोजत, जिला पाली

क्र. सं	मिसल नम्बर	व्यक्ति जिसके हक में भूमि नियमन की गई	खं. नं.	रकबा	ता. नियमन
1	2	3	4	5	6
1.	242/68	जोगा पुत्र रामा सीरवी	726	5॥)	1-5-68
2.	243/68	हीरा पुत्र कालू सीरवी	3261	32)	,,
3.	244/68	नवला पुत्र रामा 1/3, घीसू पुत्र रामा 1/3, लादू पुत्र रामा 1/3	3261	321)4	,,
4.	848/66	चौथा पुत्र बूधा सीरवी	726	7॥।)	,,
5.	850/66	मोला पुत्र बिरदा सीरवी	726	5॥)	,,
6.	852/66	नवला पुत्र मोगा सीरवी	726	7।)	,,
7.	856/66	लखा पुत्र भोमा सीरवी	726	6।)	,,
8.	862/66	भूरा पुत्र मूला सीरवी	32610/6	10)	,,
9.	241/68	शेशू पुत्र खेमा लवाहर	727	3)4	,,
10.	841/66	ईसा पुत्र मिसरु मोयला	726	2॥)	,,
11.		वचनदान 1/4, चावण्डदान पुत्र पृथ्वीराज 1/4, चम्पा लाल पुत्र शकुरलाल 1/4, शांति बेवा जगरु महाजन 1/4, सा. देवली	1358	18)1	29-10-68
12.	285/68	पोकर राम पुत्र जवान राम माली	586/4	॥)1	26-4-68
13.	–	,,	12/85	2।)	12-8-70
14.	8/69	भूमरलाल पुत्र भ्रांवानाथ ब्राह्मण	721	2॥।)	17-3-69
15.		गजाराम पुत्र मूला राम सीरवी	3067	4)	22-4-69
16.		खेताराम, हिम्मतराम पुत्र उम्मेद राम	574	12॥।)3	19-7-69
17.		केशरी मल पुत्र मुंगल चन्द	1645	17)	29-10-69
18.	1544/68	नवला पुत्र धूला कुम्हार	1658	3।)4	8-4-70
19.	1512/68	चितरा पुत्र मुकना कुम्हार	429	6॥।)3	,,

Page No 263

(263)

1	2	3	4	5	6
20.	1539/68	नैना पुत्र मूधा कुम्हार	268	।।) 1	8-4-70
			3261	7।)	,,
21.	1584/68	मोरा पुत्र शेरा सीरवी	726	5।।)	,,
22.	1542	नैना पुत्र वाला सीरवी	726	7।)	,,
23.	1510/68	चौथा पुत्र बिरधा सीरवी	726	2।।।)	,,
			1485	।।) 3	,,
24.	1586/68	रूपा पुत्र गोमा कुम्हार	1658	2।।)	,,
25.	1572/68	मभूत पुत्र गोमा कुम्हार	1658	2।।।)	,,
26.	1593/68	लाला पुत्र घना कुम्हार	429	।।।) 3	,,
27.	1565/68	बगर लाल पुत्र प्रभू दास साद	1901	2।)	,,
28.	1607/68	सूठा पुत्र गिरधा भांबी	1459	3।) 2	,,
			1645	2।) 2	,,
29	1527/68	तेजसिंह पुत्र हेमसिंह राजपूत	1645	14।।) 2	,,
30.	1590/68	रमजू पुत्र हसन पठान	254	।।।) 2	,,
31	1621/68	उकमा पुत्र नेता सीरवी	726	15।)	,,
32.	1536/68	दुर्गा पुत्र विरदा सीरवी	726	3।।)	,,
			1233/1	6) 1	,,
33.	1585/68	युगना पुत्र उमा भांबी	726	2।।।)	,,
			721	3)	,,
34.	1605/68	शैतानसिंह पुत्र सूरसिंह राजपूत	1358	8) 2	,,
35.	1504/68	मेगा पुत्र लाला कुम्हार	140	3।।।)	,,
			142	।।।) 2	,,
36.	1525/68	तेजा पुत्र पन्ना कुम्हार	129	।।।) 1	,,
			127	।।)	,,
			139	9)	,,
37.	1543/68	पन्ना पुत्र गिरधारी बावरी	38	2।।।) 1	,,
38.	1494/68	उरजा पुत्र मुकना सीरवी	726	।।) 1	,,
39.	1562/68	मंगा पुत्र जेठा कुम्हार	429	।।।) 4	,,
40.	1541/68	नन्दा पुत्र अम्मा टीकम वाला	726.	12।) 4	,,
41.	1519/68	जसा पुत्र शिव बक्स नाई	1645	4)	,,
42.		आगड पुत्र इन्द्रा लवार	726	5।।)	,,
43.		लाधा पुत्र उधा सीरवी	726	4) 2	,,
44.		सीसीया पुत्र खीमा लुहार	726	12।।।) 4	,,

Page No 264

(264)

1	2	3	4	5	6
45.		भोपाल पुत्र भूरा देवासी	726	21) 1	8-4-70
46.		रामा पुत्र भूरा देवासी	726	41) 2	,,
47.		प्रकाशसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्र शिवजी सिंह	1490	95111) 4	,,
48.	45/68	पूखा पुत्र टीकू कुम्हार	1738मी.	5)	28-9-72
49.	44/69	बागा पुत्र भीखा सीरवी	1738 मी.	58)	26-7-71
50.	690/70	पोकर राम पुत्र जवानराम माली	1285	21)	,,
51.	691/70	शिवजी सिंह पुत्र ठेकेदार	1358	111)	,,
			1658	41) 3	,,
52.	1113/69	भोपाल वगैरा समस्तराई का	1358	15)	,,
53.	864/68	पाबू पुत्र धूला जाट	726	311)	,,
54.	1055/70	पाबू पुत्र नवला कुम्हार	1348 मी.	5)	,,
55.	1092/70	नारायण पुत्र नवला कुमार	154	2)	,,
56.	1060/70	कालू पुत्र भूरा भांबी	1358मी.	811)	,,
			1390	4)	,,
57.	1087/70	बालू पुत्र नवला कुम्हार	1348 मी.	41)	,,
58.	1661/71	सोना पुत्र नवला कुम्हार	1348मी.	1011) 3	,,
59.	1138/70	रूपा पुत्र अमरा भांबी	1645 मी.	3)	,,
60.	1162/70	गोदा पुत्र लाधा देवासी	1358 मी.	121)	,,
61.	--	--	1645 मी.	5) 1	,,
62.	1158/70	खीया पुत्र स्वरूप कुम्हार	1336	21) 2	,,
63.	1093/70	नैना पुत्र किशना मेघवाल	1645	411)	,,
64.	1105/70	खीया पुत्र दूला भांबी	1248 मी.	711)	,,
			1358 मी.	1)	,,
			1645 मी.	6)	,,
65.	1109/70	हुसैन खां पुत्र अलाखा पठान	4 मी.	4111)	,,
66.	1645/70	हमीर पुत्र भूरा राईका	1358	33)	,,
67.	1126/70	अलाखा पुत्र मूना मोयला	1430 मी.	3111)	,,
68.	1566/70	भूरा पुत्र लक्ष्मन बावरी	1358 मी.	10) 3	,,
69.	1576/70	मांगी लाल पुत्र कन्ना सरगना	1645 मी.	3)	,,
70.	1561/70	भूरे खां पुत्र बादर खां पठान	1645	4)	,,
			63 मी.	111)	,,
71.	1488/70	काना पुत्र गोमा कुम्हार	363 मी.	2)	,,

1	2	3	4	5	6
72.	1485/70	आंसू पुत्र वेणा कुम्हार	141 मी.	2।।)4	26-7-71
73.	1090/70	नवला पुत्र धोला जाट	1358 मी.	3)	,,
74.	1113/70	देदान घूला भांबी	1358 मी	5)	,,
75.	1116/70	गैरपुरी पुत्र मानपुरी	1645 मी.	4)	,,
76.	1128/70	बाला पुत्र बिरधर सीरबी	1738	5।।)3	,,
77.	1179/70	सीमा पुत्र पाबूदान देवासी	1358	12।।)	,,
78.	1155/70	बालू पुत्र नवला छोगा पुत्र हेमा	12	4।।।)2	,,
79.	923/68	नवला पुत्र भीखा सीरवी	726	2।।)	,,
80.	933/68	जोरा पुत्र पन्ना वगैरा	178	1।।)4	,,
			179	2)1	,,
			210	2)4	,,
81.	1466/68	पूरा पुत्र माना सीरबी	3261	32)	,,
82.	328/68	मगा पुत्र माला सीरवी	3261	3।।।)4	,,
83.	329/68	गिगदास पुत्र शिवलाल वैष्णव	1658	25)	,,
84.	21/73	टीकम पुत्र सालग खेता पुत्र उमेन, पन्ना पुत्र धूला चितरा पुत्र हीमता	1104/1	1।।।)2	1-2-73
		लालू पुत्र हुकमा, नवला पुत्र रामा पूरा पुत्र माना, हीमता पुत्र उधा ब. हि. ब. सीरवी	1905/1	2।)4	,,
85.	31/73	अमान पुत्र जावता	1645	4।।)3	,,
86.	32/73	मीना पुत्र करमी सीरवी	649	1।।)1	,,
87.	29/73	मूला पुत्र गुला मोयला	1645	।।)	,,
88.	30/73	रूपा पुत्र भोमा सीरवी	1763	।।)	,,
89.	19/73	धना/पुत्र जेठा भांबी	429	3।।)4	,,
90.	19/73 ए	भगवान पुत्र गेना सरगरा	726	4)2	,,
91.	20/73	दीन मोहम्मद पुत्र अजीम खां	1348	2।।)1	,,
92.	25/73	भोमा पुत्र रूपा सीखी	1658	2)	,,
93.	26/73	तूलछा पुत्र लछा मेघवाल	1658	।)4	,,
94.	17/73	भभूत पुत्र गणेश कुम्हार	1348	।।।)2	,,
95.	16/73	राणा पुत्र लादा राई का	1358	1।।)1	,,
96.	22/73	धूला पुत्र सूजा सीरवी	3261	6)	,,
97.	27/73	लादू पुत्र प्रभू भांबी	1490/2	6।।।)2	,,
98.	23/73	जेठा पुत्र चितरा सीरवी	1658	4।।)1	,,

Page No 266

(266)

1	2	3	4	5	6
99.	24/73	धूनियां पुत्र लछा भांबी	1658	3ll)3	1-2-73
100.	311/74	जैराम बबला सीरवी	268	7)	16-10-74
101.	304/73	जवारसिंह पुत्र हरसुख दरोगा	1485	3)	,,
102.	385/73	लामू पुत्र शम्भू भांबी	1484	3)	,,
103.	366/73	धन्ना/पुत्र मुगना सरगरा	1490	ll)	,,
104.	121/73	गणेश/पुत्र गिरधारी	1658	3ll)3	,,
105.	371/73	चूना पुत्र लछा मेघवाल	1645	7ll)2	,,
106.	374/73	गणेश पुत्र शम्भू मेघवाल	1485	4l)3	,,
107.	225/73	केशा पुत्र बिरधामोवी			
108.	123/73	इब्राहिम पुत्र मूंसा मोयला	1645	4)3	,,
109.	122/73	अनीफ रजाक व्यापारी	1459	2)3	,,
110.	11/73	भंवरसिंह जोरसिंह राजपूत	1658	3)	,,
111.	368/73	मभूत पुत्र गोमा कुम्हार	1445	2ll)2	,,
112.	370/73	पूरा पुत्र पन्ना कुम्हार	15	4)	,,
			38	4ll)3	,,
113.	372/73	कालू पुत्र हीपा कुम्हार	1452	2l)2	,,
114.	373/73	मांगूपुरी वकतावर पुरी	1645	2)3	,,
115.	373/73	केरपुरी पुत्र मानपुरी	1645	6ll)	,,
116.	381/73	मंगा पुत्र कोला कुम्हार	4	ll)3	,,
117.	382/73	मदन पुरी पुत्र मांगपुरी गुसाई	1645	4lll)3	,,
118.	389/73	पूरा पुत्र घीसा दरोगा	1517	l)3	,,
119.	387/73	आंसू पुत्र पाबू दान देवासी	164)	2ll)1	,,
120.	386/73	नाथु पुत्र पीथा मेघवाल	1490	1lll)	,,

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 46 की सूची)

मानचित्र तहसीलदार/नायब तहसीलदारों के विरुद्ध मण्डल में प्राप्त शिकायतों के संबंध में

क्र.सं. 1	नाम व पद 2	जिला 3	मण्डल स्तर पर की गई कार्यवाही 4
1.	श्री गोपीराम, तहसीलदार, छबड़ा	कोटा	जिलाधीश, कोटा को दिनांक 10-10-77 को शिकायत वास्ते जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। लेकिन दि. 31-3-78 को स्मरण कराने के उपरान्त भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
2.	श्री तहसीलदार, जमवारामगढ़	जयपुर	जिलाधीश, जयपुर को दिनांक 22-12-77 को शिकायत वास्ते जांच भेजी। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
3.	श्री धर्मपालसिंह, तहसीलदार, कोटड़ी	भीलवाड़ा	तहसीलदार के विरुद्ध नियम 16 सी. सी. ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।
4.	श्री लालसिंह, तहसीलदार, बारां	कोटा	दिनांक 20-1-78 को जिलाधीश कोटा को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। बाद जांच शिकायत गलत पाई जाने पर अंतिम निर्णय हेतु मण्डल में विचाराधीन है।
5.	श्री रतनाराम जाट, ना.तह., नावां	नागौर	मण्डल के पत्र दिनांक 22-7-77 से जिलाधीश, नागौर को शिकायत प्रेषित की गई। जिलाधीश ने शिकायत में वर्णित तथ्य सही नहीं पाये। मण्डल में निर्णय हेतु विचाराधीन है।
6.	श्री तहसीलदार, राजगढ़	अलवर	जिलाधीश को मण्डल के पत्र दिनांक 7-12-77 से शिकायत प्रेषित कर जांच करने हेतु भेजी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

1	2	3	4
7.	श्री मनीराम, तहसीलदार	चूरू	मण्डल के पत्र दिनांक 22-7-77 से जिलाधीश चूरू को शिकायत भेजी गई। दिनांक 31-8-77, 23-11-77 द्वारा स्मरण कराने के पश्चात् भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
8.	श्री भंवरलाल जैन, तहसीलदार, पीपल्दा	कोटा	मण्डल के पत्र दिनांक 22-10-77 से शिकायत भेजकर जिलाधीश कोटा से जांच रिपोर्ट चाही गई किन्तु जांच रिपोर्ट अभी तक मण्डल में प्राप्त नहीं हुई है।
9.	महेन्द्रसिंह, तहसीलदार, नोहर	गंगानगर	मण्डल के पत्र दिनांक 1-12-77 से शिकायत भेज कर जिलाधीश गंगानगर से रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 23-2-78 द्वारा स्मरण कराने के उपरांत भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
10.	श्री महेशचन्द्र शर्मा, तहसीलदार, अलीगढ़	टौंक	मण्डल के पत्र दिनांक 16-11-76 व 25-11-76 से जिलाधीश, टौंक को शिकायती पत्र प्रेषित कर जांच रिपोर्ट चाही गई थी किन्तु स्मरण कराने के पश्चात् भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
11.	श्री बोदूराम यादव, परगना अधिकारी, मालपुरा	टौंक	जिलाधीश, टौंक को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई लेकिन जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
12.	श्री परनतकरण, तहसीलदार, जैतारण	पाली	जिलाधीश, पाली को मण्डल के पत्र दिनांक 1-12-77 से शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
13.	श्री कपूरचन्द गोयल, तहसीलदार	अजमेर	मण्डल के पत्र दिनांक 17-11-77 से जिलाधीश अजमेर को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। लेकिन 14-2-78 से स्मरण कराने के उपरांत भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
14.	श्री हरभजनसिंह, तहसीलदार, किशनगढ़	अजमेर	मण्डल के पत्र दिनांक 7-1-78 से शिकायत जिलाधीश अजमेर को भेजकर जांच रिपोर्ट चाही गई। शिकायत में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने पर उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर से आरोप पत्रादि अपेक्षित हैं।

15.	श्री शांतिस्वरूप गोयल, तहसीलदार, सरवाड़	अजमेर	शिकायतें जिलाधीश को वास्ते जांच भेजा गया। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
16.	श्री हरभजनसिंह, तहसीलदार, किशनगढ़	अजमेर	जिलाधीश अजमेर को शिकायत की प्रति भेजकर जांच रिपोर्ट चाही गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
17.	श्री भंवरलाल वर्मा, तहसीलदार, केकड़ी	अजमेर	प्राप्त शिकायत मूल ही जिलाधीश को वास्ते जांच भेजी गई।
18.	श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, तहसीलदार, बाड़ी	भरतपुर	जिलाधीश, भरतपुर को 5-11-77 से शिकायत भेजकर जांच रिपोर्ट चाही गई जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई।
19.	तहसीलदार, पदमपुर	गंगानगर	जिलाधीश, गंगानगर को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
20.	श्री ब्रह्मदत्त कौशिक, तहसीलदार, जमवारामगढ़	जयपुर	जिलाधीश जयपुर को शिकायत भेजकर शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच कर टिप्पणी भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। लेकिन जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
21.	श्री गुलाबसिंह, तहसीलदार, आसपुर	डूंगरपुर	जिलाधीश, डूंगरपुर को शिकायत भेजकर जांच रिपोर्ट चाही गई। लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
22.	श्री रामलाल ए.एस.ओ., जोधपुर	जोधपुर	शिकायत के संदर्भ में प्राप्त सूचना के अनुसार दि. 6-4-78 को पत्रावली बन्द करदी गई।
23.	श्री गोपालदास गुप्ता तहसील, महुवा	सवाईमाधोपुर	जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को शिकायत का पत्र भेज कर शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया था लेकिन अभी तक रिपोर्ट अपेक्षित है।

1	2	3	4
24.	श्री भगवतीप्रसाद सक्सेना, करौली	सवाई माधोपुर	जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट भी अपेक्षित है।
25.	श्री हरभजनसिंह, तहसीलदार, किशनगढ़	अजमेर	जिलाधीश, अजमेर को दि. 23-2-78 से शिकायत वास्ते जांच भेज कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
26.	श्री जगदीशप्रसाद गर्ग, तहसीलदार, देवली	टौंक	जिलाधीश, टौंक को शिकायत भेज कर जांच रिपोर्ट चाही गई है लेकिन जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
27.	श्री सोमेश्वर दयाल ना. तहसीलदार	–	शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता का नाम व स्थान अंकित न होने के कारण शिकायत पत्र आदि पंजीबद्ध करने हेतु विचाराधीन है।
28.	श्री रामराज प्रजापति, ए.एस.ओ., कोटा	कोटा	जिला वन बन्दोबस्त अधिकारी, कोटा से जांच प्रतिवेदन मय टिप्पणी चाहा गया है। अभी तक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।
29.	श्री कपूरचन्द गोयल, तहसीलदार, अजमेर	अजमेर	जिलाधीश, अजमेर को शिकायत वास्ते जांच कर मय टिप्पणी भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है।
30.	श्री हरिसिंह चौहान ना. तहसीलदार, भीनमाल	जालौर	जिलाधीश, जालौर को वास्ते जांच भेजी गई है।
31.	श्री अमीलाल, तहसीलदार, हनुमानगढ़	गंगानगर	जिलाधीश, गंगानगर को शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अभी तक जिलाधीश से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
32.	श्री जगमालसिंह तहसीलदार, अनूपगढ़	गंगानगर	जिलाधीश, गंगानगर को शिकायत वास्ते जांच भेजी गई है लेकिन जिलाधीश, गंगा-

		नगर से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
33. श्री रामधन, नायब तहसीलदार	अजमेर	जिलाधीश, अजमेर में शिकायत की जांच करने हेतु उप-जिलाधीश, अजमेर को नियुक्त किया है लेकिन अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
34. तहसीलदार/विकास अधिकारी	बूंदी	जिलाधीश, बूंदी को दि. 30-3-78 से शिकायत की प्रति भेज कर रिपोर्ट चाही गई थी। दि. 31-7-78 को पुनः खुलासा के जांच कर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया है।
35. श्री मोहनलाल राजपुरोहित उप-पंजीयक पाली	पाली	जिलाधीश, पाली को मण्डल के पत्र दि. 24–6–78 द्वारा शिकायत की प्रति भेज कर जांच प्रतिवेदन चाहा गया। जिलाधीश ने शिकायत के सन्दर्भ में रिपोर्ट प्रेषित की है जो मण्डल में विचाराधीन है।
35.(क) श्री सोहनलाल काउड़ा, तहसीलदार सादुलशहर	गंगानगर	राज्य सरकार से प्राप्त शिकायत की प्रति चाही गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
36. ,, शेरसिंह तहसीलदार, सांचोर	जालौर	राजस्व विभाग से प्राप्त शिकायत जिलाधीश, जालौर को वास्ते जांच भेजी गई है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
37. ,, नरपतसिंह, तहसीलदार, नावां	नागौर	श्री नरपतसिंह तहसीलदार के विरुद्ध राज्य सरकार से प्राप्त शिकायत जिलाधीश, नागौर को मण्डल के पत्र दिनांक 5–5–78 भेज कर जांच रिपोर्ट चाही गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
38. उप-पंजीयक, ब्यावर	अजमेर	श्री गणेशदास, सोहनलाल द्वारा पुरुषोत्तमदास मंत्री को लिखे गये पत्र (शिकायत) की प्रति मण्डल में प्राप्त होने पर जिलाधीश, अजमेर को वास्ते जांच दि. 26–7–80

1	2	3	4
			को भेजी गई जिलाधीश, अजमेर में उनके पत्र दिनाक 24-8-78 द्वारा अवगत कराया है कि जांच पूर्ण कर दी गई है। शिकायत से संबंधित मुद्रांक राशि वसूल हो चुकी है। मामला मण्डल में विचाराधीन है।
39.	श्री रामसिंह मेहता, तहसीलदार, आमेट	उदयपुर	राज्य सरकार से प्राप्त शिकायत संबंधित जिलाधीश को भेज कर जांच रिपोर्ट चाही गई।
40.	,, शान्तिस्वरूप गोयल, तहसीलदार, सरवाड़	अजमेर	शिकायत की प्रति दि. 7-6-78 को जिलाधीश, अजमेर को भेज कर जांच रिपोर्ट चाही गई थी। जांच रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है।
41.	,, दरियावसिंह, तहसीलदार, जोधपुर	जोधपुर	जिलाधीश, जोधपुर को शिकायत भेज कर जांच रिपोर्ट मय टिप्पणी चाही गई है। अभी तक जिलाधीश से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
42.	,, जगदीशप्रसाद सोनी तहसीलदार, डेगाना	नागौर	शिकायत की प्रति जिलाधीश, नागौर को दि. 7-8-78 से भेज कर जांच प्रतिवेदन मय टिप्पणी चाही गयी है।
43.	,, भगवानसिंह ना. तहसीलदार रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को शिकायत की प्रतिलिपि भेज कर शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच कर मण्डल में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है लेकिन अभी तक जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
44.	,, राजकुमार बंसल, तहसीलदार, स. माधोपुर	स. माधोपुर	शिकायत की प्रति जिलाधीश, सवाई माधोपुर को भेज कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया है।
45.	,, कल्याणसहाय वर्मा, तहसीलदार, अलवर	अलवर	जिलाधीश, अलवर को शिकायत पत्र मूल ही भेजकर जांच प्रतिवेदन चाहा गया है।

1	2	3	4
46.	श्री रामचन्द्र गुप्ता, प्रशासक नगरपालिका, राजगढ़	अलवर	जिलाधीश, अलवर को दि. 30-8-78 से शिकायत की प्रतिलिपि भेजकर मामले की जांच कर मण्डल को अवगत कराने हेतु लिखा गया। जिलाधीश से सूचना अपेक्षित है।
47.	श्री हरकमाल तहसीलदार, वल्लभनगर	उदयपुर	जिलाधीश, उदयपुर को राजस्व विभाग से प्राप्त शिकायत की प्रति भेजकर शिकायत की जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया है।
48.	श्री रामविलास परमार, उप-जिलाधिकारी, बेगूं	चित्तौड़गढ़	जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को श्री रामजीलाल शर्मा, रावतभाटा द्वारा श्री परमार के विरुद्ध भेजी गई शिकायत के सन्दर्भ में जांच कर टिप्पणी भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है।
49.	श्री नेमीचन्द मेहता, तहसीलदार, भरतपुर	भरतपुर	जिलाधीश, भरतपुर को शिकायत की जांच करने हेतु लिखा गया है।
50.	श्री सफदरे आलम, तहसीलदार, बस्सी	जयपुर	श्री आलम के विरुद्ध अध्यक्ष, जयपुर जिला विकास परिषद् द्वारा प्राप्त शिकायत की प्रति जिलाधीश, जयपुर को मण्डल के अ. शा. पत्र दिनांक 23-9-78 को भेजकर शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है।
51.	श्री ब्रह्मदत्त कौशिक तहसीलदार नीमकाथाना	सीकर	जिलाधीश को मण्डल के पत्र दि. 30-5-78 द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु लिखा गया। जिलाधीश, सीकर, ने जांच रिपोर्ट मय पत्रावली के मण्डल को प्रेषित की है। मण्डल में मामला निर्णय हेतु विचाराधीन है।
52.	श्री ओमप्रकाश, तहसीलदार, छतरगढ़ नं. 2	बीकानेर	श्री मेहमूद खां द्वारा की गई शिकायत के सन्दर्भ में उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर को शिकायत के सन्दर्भ में जांच कर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया है।

273

53.	श्री सुधाकर सांडिल, ए. सी. एम., बूंदी बैरवा 1-10-80	बूंदी	शिकायत की प्रति जिलाधीश, बूंदी को भेजकर जांच रिपोर्ट चाही गई।
54.	श्री देवकीनन्द सांडिल, एस.डी.ग्रो., अकलेरा	झालावाड़	जिलाधीश, झालावाड़ को शिकायत की प्रति भेजकर रिपोर्ट चाही गई है।
55.	श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव, तहसीलदार, मांगरोल	कोटा	तहसीलदार, के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को जिलाधीश, कोटा को भेजकर जांच मय टिप्पणी चाही गई है।
56.	श्री रघुवीरसिंह एस.डी.ओ., हिन्डौन	स. माधोपुर	शिकायत की प्रति जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को भेज कर जांच रिपोर्ट चाही गई है।
57.	श्री हरिशकुमार बक्सी, तहसीलदार, परबतसर	नागौर	श्री बक्षी, तहसीलदार के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रति जिलाधीश, नागौर को भेजकर शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच कर, जांच रिपोर्ट मय टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा जा रहा है।